VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

फरवरी 2024

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2025
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 10 अप्रैल, 9 AM
BHOPAL: 11 जून
LUCKNOW: 5 जून
JODHPUR: 7 मार्च
JAIPUR: 27 मार्च

"You are as strong as your Foundation"
FOUNDATION COURSE
GENERAL STUDIES
PRELIMS CUM MAINS
2025, 2026 & 2027
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam
Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2025, 2026 & 2027
ONLINE Students
NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.
Live - online / Offline Classes
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 11 APRIL, 9 AM
GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 23 APR, 5:30 PM
AHMEDABAD: 8 JAN
BHOPAL: 5 APR
CHANDIGARH: 5 APR
HYDERABAD: 15 APR
JAIPUR: 27 MAR
JODHPUR: 7 MAR
LUCKNOW: 12 MAR
PUNE: 15 MAR

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) 5
1.1. चुनावी बॉण्ड योजना 5
1.2. भारत के सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष 7
1.2.1. सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें 9
1.3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) 11
1.4. अनुच्छेद 142 13
1.5. आपराधिक मानहानि 15
1.6. जाति आधारित आरक्षण 17
1.7. महामारी रोग अधिनियम (EDA), 1897 18
1.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 21
1.8.1. 17वीं लोक सभा का काम-काज 21
1.8.2. वार्षिक NeSDA रिपोर्ट 21
1.8.3. 'सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम' रिपोर्ट 22
1.8.4. 'आधुनिक मीडिया लैंडस्केप' के लिए पोर्टल 23
1.8.5. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI), 2023 23
1.8.6. पंडारम भूमि 23
1.8.7. आधार कार्ड 23
2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 25
2.1. भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी 25
2.2. म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था 27
2.3. भारत-फ्रांस संबंध 28
2.4. भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध 30
2.4.1. द्विपक्षीय निवेश संधि 32
2.5. ब्रिक्स का विस्तार 33
2.6. दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग 36
2.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 38
2.7.1. फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी 38
2.7.2. पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय 38
2.7.3. वाइमर ट्रायंगल 38
2.7.4. मिशन एस्पाइड्स 38
2.7.5. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 39
3. अर्थव्यवस्था (Economy) 40
3.1. भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद 40
3.2. राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली गारंटियां 42
3.3. भारत में बीमा क्षेत्रक 44
3.4. भारत में कार्ड नेटवर्क 46
3.5. स्मार्ट सिटी मिशन 48
3.6. प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क योजना 51
3.7. प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना 53
3.8. भारत में उर्वरक क्षेत्रक 55
3.9 अंतरिक्ष क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 56
3.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 59
3.10.1. 'न्यू सर्विस (NS)' और 'न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्विस (NIS)' रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय सीमा में वृद्धि 59
3.10.2. राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना 59
3.10.3. स्टार्ट-अप शाला 59
3.10.4. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) सुधार 60
3.10.5. दिवाला मध्यस्थता के लिए फ्रेमवर्क पर रिपोर्ट 60
3.10.6. प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण 61
3.10.7. यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस 61
3.10.8. कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स 62
3.10.9. उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) के कायाकल्प पर रिपोर्ट 62
3.10.10. भारत की खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था 63
3.10.11. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NLM में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने को मंजूरी दी 64
3.10.12. PMFBY के तहत आरंभ की गई पहलें 64
3.10.13. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 65
3.10.14. 'संगम: डिजिटल ट्विन' पहल 65
3.10.15. डिजिटल क्रिएटर इकॉनमी 66
3.10.16. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन 67

 ©Vision IAS

3.10.17. तीन नए प्रमुख रेलवे आर्थिक गलियारों की घोषणा की गई ____ 67
3.10.18. परिवहन ईंधन के रूप में LNG पर नीति आयोग की रिपोर्ट ____ 68
3.10.19. शुद्धिपत्र ____ 69
4. सुरक्षा (Security) ____ 70
4.1. ग्रे-जोन युद्ध ____ 70
4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 72
4.2.1. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी ____ 72
4.2.2. अभ्यास-हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट ____ 72
4.2.3. INS संधायक ____ 72
4.2.4. पैट्रियट मिसाइल ____ 73
4.2.5. सुर्ख़ियों में रहे सैन्य अभ्यास ____ 73
5. पर्यावरण (Environment) ____ 74
5.1. प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण ____ 74
5.2. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 ____ 76
5.3. वन की परिभाषा ____ 78
5.4. जैव विविधता विरासत स्थल ____ 80
5.5. रामसर कन्वेंशन ____ 83
5.6. भारत में तेंदुओं की स्थिति ____ 84
5.6.1. भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति ____ 86
5.7. ग्रीनवाशिंग ____ 87
5.8. जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन 2024 ____ 89
5.9. मीथेन उत्सर्जन ____ 91
5.10. सोलर रूफटॉप पावर ____ 94
5.11. क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग ____ 96
5.12. भारतीय घड़ियाल ____ 98
5.13. ट्रिपल डिप ला-नीना ____ 99
5.14. भीड़ संबंधी आपदा प्रबंधन ____ 102
5.15. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 104
5.15.1. नीति आयोग ने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल शुरू किया 104
5.15.2. तराई आर्क लैंडस्केप ____ 105
5.15.3. वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) परिषद की बैठक106
5.15.4. स्पीशीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रेस्टोरेशन (STAR) मेट्रिक ____ 106
5.15.5. कंजर्वेशन रिज़र्व ____ 107
5.15.6. एनर्जी चार्टर ट्रीटी ____ 107
5.15.7. ब्रूमेशन ____ 107
5.15.8. सफेद गैंडे ____ 108
5.15.9. इंडियन स्कीमर ____ 108
5.15.10. नीम का वृक्ष (एजाडिरेक्टा इंडिका ए. जस) ____ 108
5.15.11. हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमान ____ 109
5.15.12. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम ____ 109
5.15.13. एटमोस्फियरिक रिवर ____ 110
5.15.14. अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन 110
5.15.15. रिप करंट्स ____ 110
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) ____ 112
6.1. भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार ____ 112
6.2. मासिक धर्म अवकाश नीति ____ 115
6.3. सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2024 ____ 116
6.4. राष्ट्रीय आयुष मिशन ____ 119
6.5. उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-2022121
6.6. एलायंस फॉर ग्लोबल गुड- जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी 123
6.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 125
6.7.1. दत्तक ग्रहण ____ 125
6.7.2. घर पोर्टल ____ 125
6.7.3. शिक्षा मंत्रालय (MoE) - AICTE निवेशक नेटवर्क125
6.7.4. विदेश में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों को सहायता ____ 126
6.7.5. डिजिटल डिटॉक्स ____ 126
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) ____ 127
7.1. क्रिटिकल टेक क्षेत्रक ____ 127
7.2. ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस ____ 129
7.3. इलेक्ट्रॉनिक स्याही (ई-इंक) ____ 131

 ©Vision IAS

7.4. सत्येंद्र नाथ बोस ____ 132
7.5. भारत में खाद्य विनियमों को सुव्यवस्थित करना ____ 134
7.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 135
7.6.1. प्रोटॉन इंप्रूवमेंट प्लान (PIP-II) परियोजना ____ 135
7.6.2. पॉजिट्रोनियम की लेजर कूलिंग ____ 135
7.6.3. मौसम पूर्वानुमान उपग्रह INSAT-3DS ____ 136
7.6.4. कार्टोसैट-2 ____ 137
7.6.5. क्षुद्रग्रहों पर जल की खोज की गई ____ 137
7.6.6. प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाइमेट, ओसियन इकोसिस्टम137
7.6.7. युवा विज्ञानी कार्यक्रम (युविका) ____ 138
7.6.8. WHO ने ट्रांस-फैट को समाप्त करने में प्रगति के लिए देशों को पुरस्कृत किया ____ 138
7.6.9. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने "डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल (GIDH)" लॉन्च की ____ 138
7.6.10. दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की सैंपलिंग ____ 139
7.6.11. गिनी वर्म डिजीज ____ 140
7.6.12. रोडामाइन-B ____ 140
7.6.13. कालाजार ____ 140
7.6.14. मैग्लेव (मैग्नेटिक लेविटेशन) ____ 140
7.6.15. C-बॉट ____ 141
7.16.16. शुद्धिपत्र ____ 141
8. संस्कृति (Culture) ____ 142
8.1. माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर ____ 142
8.2. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ____ 144
8.3. भारत रत्न ____ 146
8.4. रानी चेन्नम्मा ____ 149
8.5. महर्षि दयानंद सरस्वती ____ 150
8.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 151
8.6.1. परुवेता उत्सवम ____ 151
8.6.2. होरी हब्बा ____ 151
8.6.3. कुटिया कोंध जनजाति ____ 151
8.6.4. ग्रंथम अभिलेख ____ 152
8.6.5. ज्ञानपीठ पुरस्कार ____ 152
9. नीतिशास्त्र (Ethics) ____ 153
9.1. सरकारी एग्जाम में अनुचित साधनों (चीटिंग) का प्रयोग153
9.2. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और क्रिएटिविटी ____ 155
10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) ____ 157
10.1. अंत्योदय अन्न योजना ____ 157

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।

 ©Vision IAS

	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bond Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य** वाद में निर्णय देते हुए चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर इसे **असंवैधानिक** करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने **"चुनावी बॉण्ड योजना"** को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह योजना **सूचना के अधिकार {अनुच्छेद 19(1)(a)}** का उल्लंघन करती है।

चुनावी बॉण्ड योजना के बारे में

- चुनावी बॉण्ड्स **प्रॉमिसरी नोट** के जैसे जारी होते हैं । चुनावी बॉण्ड्स वस्तुतः **धारक को मिलने वाले ब्याज रहित या ब्याज-मुक्त लिखत**[1] होते हैं। साथ ही, ये बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, यानी इसमें खरीदार या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है।
- **चुनावी बॉण्ड की विशेषताएं:**
  - इन्हें **नॉन-रिफंडेबल** के आधार पर खरीदार को जारी किया जाता है।
  - इन्हें **भारत का कोई नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित कंपनियां/ संस्थाएं** खरीद सकते/ सकती हैं।
  - इस बॉण्ड को केवल **भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अधिकृत शाखाओं से ही खरीदा** जा सकता है।
  - इसका उपयोग केवल उन **पंजीकृत राजनीतिक दलों** को दान देने के लिए किया जा सकता है, जिन्होंने पिछले लोक सभा या विधान सभा चुनाव में **कम-से-कम 1% वोट हासिल** किए हों।
  - ये **राजनीतिक दलों के लिए उन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान/ चंदा प्राप्त करना** सुनिश्चित करते हैं, जिनका सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जा सके। इस प्रकार ये **पारदर्शिता को बढ़ावा** देते हैं।
  - प्रत्येक चुनावी बॉण्ड में एक **विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक संख्या** होती है, जिसे **पराबैंगनी किरणों** के माध्यम से देखा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर एक नज़र

मुख्य प्रश्न	सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
क्या राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले स्वैच्छिक योगदान या दान की जानकारी न देना **सूचना के अधिकार का उल्लंघन है?**	• चुनावी बॉण्ड योजना में यह पता नहीं चल पाता है कि **किसने किस दल को दान** दिया है। अतः चुनावी बॉण्ड्स **संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन** करते हैं। इस प्रकार, यह योजना **असंवैधानिक** है। • तदनुसार, **वित्त अधिनियम, 2017** के जरिए चुनावी बॉण्ड्स के माध्यम से दान की अनुमति देने के लिए **आयकर (IT) अधिनियम, 1961; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** और **कंपनी अधिनियम, 2013** में संशोधन किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन संशोधनों को **असंवैधानिक** करार दिया है।
क्या कंपनी अधिनियम में संशोधन द्वारा राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग की व्यवस्था **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के सिद्धांतों का उल्लंघन है?**	• राजनीतिक दलों को **असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग देने की अनुमति** देने के लिए **कंपनी अधिनियम में किया गया संशोधन** मनमाना है और यह संविधान के **अनुच्छेद 14 का उल्लंघन** है। • कोर्ट ने संशोधन द्वारा चुनावों में अनियंत्रित कॉर्पोरेट प्रभाव की स्थिति पर बल दिया, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और राजनीतिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

[1] Interest-free bearer bonds or money instruments

©Vision IAS

निर्णय से संबंधित अन्य प्रमुख बिंदु

- **चुनावी बॉण्ड के मामले में कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:**
  - चुनावी बॉण्ड जारी करने वाला बैंक (यानी SBI) अब चुनावी बॉण्ड जारी नहीं करेगा।
  - भारतीय स्टेट बैंक (SBI) निर्णय के तीन सप्ताह के भीतर भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा-
    - 12 अप्रैल, 2019 को जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद से **खरीदे गए चुनावी बॉण्ड से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।** इस जानकारी में अग्रलिखित विवरण शामिल होंगे- **चुनावी बॉण्ड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉण्ड का मूल्य/ मूल्यवर्ग (Denomination)।**
    - उन **राजनीतिक दलों का विवरण,** जिन्होंने कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद से **चुनावी बॉण्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त** किया है। इसके अलावा, **बॉण्ड को नगदी में भुनाने की तिथि और बॉण्ड का मूल्यवर्ग** जैसे विवरण भी इस जानकारी के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
  - निर्वाचन आयोग SBI द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को (उसकी प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर) अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
  - वैध चुनावी बॉण्ड जिनका नकदीकरण नही किया गया हैं, उन्हें जारीकर्ता बैंक को वापस कर दिया जाएगा। बैंक खरीदार के खाते में राशि वापस कर देगा।

शब्दावली को जानें

- **आनुपातिकता का सिद्धांत:** इसके अनुसार किसी अधिकार का उपयोग करते समय राज्य के हस्तक्षेप की प्रकृति और सीमा, उस लक्ष्य के आनुपात में होनी चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है।

- **काले धन पर अंकुश लगाने के लिए चुनावी बॉण्ड योजना आनुपातिक रूप से (Proportionally) उचित नहीं: प्रोपोर्शनिलिटी टेस्ट** के आधार पर शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया कि "सरकार ने सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार (चंदा देने वाले के नाम को गोपनीय रखना यानी निजता का अधिकार)" और "राजनीतिक चंदे के बारे में जानकारी प्राप्त करने से संबंधित मतदाताओं के सूचना के अधिकार" के बीच संतुलन बनाने के लिए अधिकारों को आंशिक तौर पर सीमित करने वाले तरीके को नहीं अपनाया।
- **राजनीतिक जुड़ाव की गोपनीयता का अधिकार[2]:** यह अधिकार केवल राजनीतिक समर्थन के सच्चे उद्देश्य से दिए चंदे तक ही सीमित है। ऐसे चंदों के उजागर होने से राजनीतिक अभिव्यक्ति या झुकाव और संबद्धता के अलग-अलग रूपों पर अंकुश लग सकता है।
  - हालांकि, निजता के इस अधिकार में उन राजनीतिक चंदों को शामिल नहीं किया जा सकता है, जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिए जा सकते हैं।

वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा भारत में राजनीतिक दलों के वित्त-पोषण में बदलाव		
विषय (वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित कानून)	**वित्त अधिनियम, 2017 से पहले**	**वित्त अधिनियम, 2017 के बाद**
कॉर्पोरेट योगदान (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182)	• एक वित्त वर्ष में किसी कंपनी द्वारा दिया जाने वाला राजनीतिक चंदा कंपनी के पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान अर्जित **औसत शुद्ध लाभ के 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं** होना चाहिए। • कंपनियों को अपने 'लाभ और हानि के खाते' में उस कंपनी के द्वारा किसी भी **राजनीतिक दल को योगदान के रूप में दी गई राशि का खुलासा** करना आवश्यक है। साथ ही, **योगदान की गई कुल राशि और उस दल के नाम का विवरण** भी प्रस्तुत करना होगा।	• राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली कॉर्पोरेट फंडिंग की **सीमा को हटा** दिया गया। • भारत में निगमित या स्थापित किसी भी कंपनी को **चुनावी बॉण्ड के माध्यम से योगदान करने की अनुमति** प्रदान की गई। • कंपनियों को केवल राजनीतिक दलों को दी गई **चंदे की कुल राशि का खुलासा** करना आवश्यक है, **न कि प्रत्येक राजनीतिक दल को दी गई राशि का विवरण** बताना होता है।

---
[2] Right to privacy of political affiliations

काले धन पर रोक (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 की धारा 13A)	• राजनीतिक दल को चंदा देने वालों के नाम और पते के साथ **20,000 रुपये से अधिक के स्वैच्छिक योगदान का रिकॉर्ड रखना** होगा। • व्यक्तियों के लिए **राजनीतिक चंदा 'नकद' में देने की अनुमति** दी गई।	• राजनीतिक दलों को **चुनावी बॉण्ड** के माध्यम से **मिलने वाले चंदे का रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं** है। • **2,000 रुपये से अधिक का दान** केवल **चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या चुनावी बॉण्ड** के माध्यम से ही प्राप्त किया जाना चाहिए।
पारदर्शिता (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C)	• राजनीतिक दलों को **20,000 रुपये से अधिक के चंदे की जानकारी ECI को देनी** होगी।	• राजनीतिक दलों को **चुनावी बॉण्ड से प्राप्त चंदे की जानकारी ECI को देना आवश्यक नहीं है।**

चुनावी सुधार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #58: चुनावी सुधारः प्रभावी लोकतंत्र के लिए एक दृष्टिकोण

1.2. भारत के सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष (75 Years of the Supreme Court of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने 28 जनवरी को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सभागार में **सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली समारोह** का उद्घाटन किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अवसर पर, प्रधान मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्नलिखित पहलों की शुरुआत की।
    - **डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स:** यह पहल **सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देश के आम नागरिकों** तक निःशुल्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराएगा।
    - **डिजिटल कोर्ट्स 2.0:** यह एप्लीकेशन **ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट** के तहत शुरू की गई एक **नई पहल** है। इसके तहत जिला न्यायालयों के जजों को कोर्ट के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।
        - ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट 2013 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की अदालती प्रणाली को डिजिटल बनाकर और न्याय तक पहुंच में सुधार करके इस प्रणाली को आधुनिक बनाना है।
    - **सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट:** नई वेबसाइट **अंग्रेजी और हिंदी,** दोनों भाषा में होगी। साथ ही, इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ फिर से डिजाइन किया गया है।

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों पर एक नज़र

- **संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 50:** राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।
    - हालांकि, संविधान के लागू होने के बाद से न्यायपालिका और कार्यपालिका द्वारा एक-दूसरे के अधिकार-क्षेत्रों के अतिक्रमण के कारण इनके बीच संघर्ष देखा गया है।
- **1947-1964:**
    - **संपत्ति के अधिकार** के मुद्दे पर टकराव शुरू हुआ।

- ○ **कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य वाद-** इस वाद के कारण केंद्र सरकार **पहला संविधान संशोधन अधिनियम** लेकर आई और संविधान में **9वीं अनुसूची** जोड़ी गई।
  - ○ राजनीतिक वर्ग यानी कार्यपालिक ने संविधान में संशोधनों के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम किया।
- **1965-1993:**
  - ○ संविधान में बार-बार संशोधन करने के कारण सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा।
  - ○ **गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारती वाद** आदि ने सुप्रीम कोर्ट का प्रभुत्व स्थापित किया।
  - ○ हालांकि, सरकार ने **24वां और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम** पारित करके सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित कर दिया।
  - ○ **ADM जबलपुर वाद और मिनर्वा मिल्स वाद (1980)** ने पुनः सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता स्थापित की।
- **1993-2018:**
  - ○ **श्री जजेज केस** ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि बना दिया।
  - ○ केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए NJAC[3] कानून लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के बारे में

- संविधान के **अनुच्छेद 124(1)** के अनुसार, **भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश** (CJI)[4] होगा। अन्य न्यायाधीशों की संख्या **सात से कम नहीं** होनी चाहिए, जब तक कि संसद कानून के माध्यम से इससे अधिक संख्या निर्धारित न करे।
  - ○ वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट में **एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश (कुल 34 न्यायाधीश)** हैं।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और क्षेत्राधिकार** का उल्लेख किया गया है।

भारत के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- **अपील का उच्चतम न्यायालय[5]:** सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्चतम अपील न्यायालय है। इसे भारत का शीर्ष न्यायालय और यहां तक कि न्याय का अंतिम उपाय भी कहा जाता है। जब भारत के नागरिक संबंधित हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं।
- **सलाहकारी अधिकार क्षेत्र:** संविधान के **अनुच्छेद 143** में कहा गया है कि, भारत का **राष्ट्रपति** कानून से संबंधित प्रश्न और लोक महत्त्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है।
- **संघीय विवादों का न्याय निर्णयन करना: अनुच्छेद 131** के तहत सुप्रीम कोर्ट **संघ और राज्य/ राज्यों के मध्य तथा अलग-अलग राज्यों के बीच** विवादों का समाधान करता है।
- **न्यायिक समीक्षा:** सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करता है कि वे संविधान के अनुसार हैं या नहीं।
- **मौलिक अधिकारों का संरक्षण: अनुच्छेद 32** के तहत सुप्रीम कोर्ट **रिट तथा आदेश** जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
- **जनहित याचिका[6]:** कोर्ट स्वयं या लोक हित में मामलों की सुनवाई कर सकता है। कुछ मामलों में, सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी कार्य करता है और **स्वत: संज्ञान** से मामलों की सुनवाई कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **लंबित मामलों की बहुत अधिक संख्या:** 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार, केवल सुप्रीम कोर्ट में 80,439 से अधिक मामले लंबित हैं।
- **न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम[7]:** यह बहस नीति निर्धारण और शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की उचित भूमिका के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

---

[3] National Judicial Appointments Commission/ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

[4] Chief Justice of India

[5] Highest Court of Appeal

[6] Public Interest Litigation

[7] Judicial Activism vs. Judicial Restraint

- **अंकल जज सिंड्रोम:** भारत के **विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट** में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में संभावित पक्षपात (Favouritism) के बारे में चिंता प्रकट की गई थी। इससे न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है।
- **न्यायपालिका-कार्यपालिका संघर्ष:** न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ता टकराव भी एक प्रमुख चुनौती है। न्यायिक नियुक्तियों में देरी; न्याय का अधिकरणवाद[8]; कोविड-19 के दौरान कार्यपालिका की सार्वजनिक आलोचना आदि न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच मौजूद मतभेद को प्रकट करते हैं।
    - **न्याय का अधिकरणवाद:** अधिकरणों का गठन करके नियमित न्यायालयों की शक्तियों को कम करना।
- **जनता की धारणा और विश्वास:** पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दे को लेकर न्यायपालिका के प्रति जनता की धारणा बहुत सकारात्मक नहीं है।

आगे की राह

- **केस प्रबंधन और तकनीक:** केस प्रबंधन प्रणाली को लागू करने और ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वर्चुअल हियरिंग के लिए तकनीक का उपयोग करना चाहिए। इससे संचित कार्यभार को कम करने तथा दक्षता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
- **न्यायिक सुधार:** न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, अवसंरचना में सुधार और रिक्तियों को तुरंत भरने जैसे न्यायिक सुधारों को लागू करना चाहिए। इससे लंबित मामलों के संचित कार्यभार को कम करने और समय पर न्याय वितरण सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना:** न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लानी चाहिए और निर्णयों को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना चाहिए। इससे न्यायपालिका पर जनता का विश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- **न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाना:** यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायपालिका, कार्यपालिका या सरकार की अन्य शाखाओं के अनुचित प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त है। इससे न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखा जा सकेगा।

1.2.1. सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें (Regional Benches of Supreme Court)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति** ने संसद को सूचित किया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने की उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- संसदीय स्थायी समिति ने ये सिफारिशें अपनी **133वीं रिपोर्ट** में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट का शीर्षक था- **"न्यायिक प्रक्रियाएं एवं उनका सुधार[9]"।**
- सुप्रीम कोर्ट देश में **चार या पांच स्थानों पर अपनी क्षेत्रीय पीठें** स्थापित करने के लिए संविधान के **अनुच्छेद 130** का उपयोग कर सकता है।
    - संविधान के **अनुच्छेद 130** में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट **दिल्ली** में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर स्थापित होगा, जिसे या जिन्हें **भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की अनुमति से समय-समय पर निर्धारित** करे।
- **संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों और अन्य संवैधानिक मामलों का निपटारा मुख्य पीठ (दिल्ली)** में किया जा सकता है। वहीं **क्षेत्रीय पीठें अपीलीय मामलों पर फैसला** कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों पर विधि आयोग की सिफारिशें

- **विधि आयोग की 95वीं रिपोर्ट (1984):** सुप्रीम कोर्ट में दो विभाग (Division) होने चाहिए, अर्थात् संवैधानिक विभाग (Constitutional Division) और कानूनी विभाग (Legal Division)।
- **विधि आयोग की 125वीं रिपोर्ट (1988):** सुप्रीम कोर्ट को दो भागों में विभाजित करने के लिए 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को दोहराया गया:
    - दिल्ली में संविधान न्यायालय; तथा
    - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में अपील न्यायालय या संघीय न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए।
- **विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट (2009):** नई पीठों की स्थापना हेतु अनुशंसा,
    - **दिल्ली में संविधान पीठ** की स्थापना की जानी चाहिए; तथा
    - उत्तरी क्षेत्र के लिए **दिल्ली** में, दक्षिणी क्षेत्र के लिए **चेन्नई/ हैदराबाद** में, पूर्वी क्षेत्र के लिए **कोलकाता** में और पश्चिमी क्षेत्र के लिए **मुंबई** में सुप्रीम कोर्ट की चार **अपीलीय पीठें** स्थापित की जानी चाहिए।

- **अपीलीय पीठों के निर्णयों को अंतिम माना जाना जाएगा।** इन्हें न्यायपालिका का एक **दूसरा स्तर नहीं** माना जाएगा।

---

[8] Tribunalisation of justice

[9] Judicial Processes and Their Reform

सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों की आवश्यकता क्यों है?

- **न्याय तक पहुंच:** सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों से दूर-दराज के उन लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी, जो दिल्ली आने में असमर्थ होते हैं या जिन्हें बहुत अधिक परिवहन लागत का सामना करना पड़ता है। इससे सभी लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित होगी, जो **अनुच्छेद 14 और 21** के तहत एक मौलिक अधिकार भी है।
  - **संविधान का अनुच्छेद 39A:** राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि-
    - विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि सभी के लिए समान अवसर की तर्ज पर न्याय सुलभ हो।
    - आर्थिक व किसी अन्य असमर्थता के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो जाए।
    - उपयुक्त कानून या योजना द्वारा या किसी अन्य तरीके से नि:शुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था हो।
- **भौगोलिक भेदभाव को कम करने के लिए:** सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में स्थित होना देश के दूर-दराज के इलाकों से आने वाले वादियों (किसी मुकदमे में शामिल लोग या संगठन) के लिए एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए- भाषा संबंधी बाधा, वकील करने में समस्या, यात्रा एवं दिल्ली में रहने की उच्च लागत, आदि।
- **सुप्रीम कोर्ट के कार्य भार को कम करना:** सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें कोर्ट में मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करने का साधन हो सकती हैं। साथ ही, आम आदमी के लिए मुकदमेबाजी की लागत को कम कर सकती हैं।
- **क्षमता वृद्धि:** सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों के स्थायी रूप से गठन से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात बेहतर होगा।

क्षेत्रीय पीठों के गठन में चुनौतियां

- **सुप्रीम कोर्ट की ओर से विरोध:** सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बाहर किसी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को लगातार खारिज करता रहा है।
- **सुप्रीम कोर्ट का एकात्मक चरित्र प्रभावित होगा:** एक से अधिक क्षेत्रीय पीठों के कारण सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले को लेकर विचार अलग-अलग हो सकते हैं। इससे वादियों का समय और धन, दोनों अधिक लग सकता है।
- **परस्पर विरोधी मिसालें:** क्षेत्रीय पीठों के कारण परस्पर विरोधी मिसालें बढ़ सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी में वृद्धि हो सकती है।
- **सुप्रीम कोर्ट की पोज़िशन घट सकती है:** सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों द्वारा केवल अपीलीय मामलों पर निर्णय लेने से सुप्रीम कोर्ट की पोज़िशन घट सकती है।
- **मामलों का वर्गीकरण:** किसी मामले को संवैधानिक महत्त्व के रूप में पहचानना और वर्गीकृत करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास यह निर्धारित करने की अनन्य शक्ति हो सकती है कि किस मामले को संवैधानिक महत्त्व के मामले के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

आगे की राह

- **हाइब्रिड/ वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देना:** वर्चुअल कोर्ट मामलों के त्वरित निपटान में मदद कर सकता है, मुकदमेबाजी की लागत को कम कर सकता है और न्याय तक पहुंच में भौगोलिक बाधाओं को दूर कर सकता है।
- **अन्य देशों में प्रचलित न्याय व्यवस्था से सीखना:** जैसे फ्रांस एक ऐसी प्रणाली लागू करता है, जिसमें अपील की एक अलग अदालत और कैसेशन (Cassation) की एक अलग अदालत शामिल हैं।
  - **कैसेशन** अपील का ही एक रूप है। हालांकि, इसमें केवल मामले के संदर्भ में कानून के प्रश्न पर गौर किया जाता है, न कि मामले के तथ्यों पर।
- **अलग न्यायालय हेतु संविधान संशोधन:** सरकार सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को संवैधानिक और अपीलीय में विभाजित करने के लिए संविधान संशोधन की संभावना तलाश सकती है।
- **न्यायिक सुधारों को सुगम बनाना:** उदाहरण के लिए, सभी स्तरों पर न्यायपालिका की दक्षता में सुधार के लिए न्यायिक कर्मचारियों और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, न्यायपालिका से संबंधित अवसंरचनाओं में सुधार करना चाहिए, न्यायिक जवाबदेही को बढ़ावा देना चाहिए आदि।

1.3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) (National Legal Services Authority: NALSA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक संसदीय स्थायी समिति ने **"विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी सहायता की कार्य-प्रणाली की समीक्षा[10]"** पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा/ NALSA) क्या है?

- नालसा (NALSA) **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत गठित एक **शीर्ष कानूनी सेवा प्रदाता संगठन** है।
- यह **कानूनी सहायता संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख** करता है। साथ ही, पूरे भारत में **कानूनी सहायता संबंधी गतिविधियों की निगरानी** करता है।
- नालसा का मुख्य सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि देश में **गरीबों और वंचितों को मुफ्त कानूनी सेवाएं उपलब्ध हों, जिससे उन्हें न्याय तक पहुंच** प्राप्त हो।
- इसके तहत मिलने वाली कानूनी सहायता **न्यायालयों, अधिकरणों और न्यायिक या अर्ध-न्यायिक शक्तियों वाले अन्य निकायों** में मान्य होती है।
- यह **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)[11] तंत्र** के माध्यम से भी **विवादों के निपटान** को बढ़ावा देता है।
- **केंद्र सरकार नालसा को वार्षिक रूप से धनराशि** आवंटित करती है। इस राशि को फिर राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को वितरित किया जाता है।
    - **राज्य सरकारें वेतन सहित राज्य-स्तरीय खर्चों को वहन** करती हैं।

भारत में कानूनी सहायता के प्रावधानों का इतिहास

वर्ष	पहल
1960	भारत में कानूनी सहायता योजनाओं के लिए **दिशा-निर्देश जारी** किए गए।
1976	**42वें संविधान संशोधन** के जरिए संविधान में **अनुच्छेद 39A** को शामिल किया गया।
1980	**न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में कानूनी सहायता योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए समिति (CILAS)** का गठन किया गया।
1987	**विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम** लागू किया गया। इस प्रकार, भारत में कानूनी सहायता कार्यक्रमों के लिए एक विधिक ढांचे की व्यवस्था की गई।
1995	**राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)** का गठन किया गया। यह देश में कानूनी सहायता के समन्वय हेतु शीर्ष निकाय है।
1998	स्थायी व निरंतर **लोक अदालतों के आयोजन** की शुरुआत की गई। ये एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र प्रदान करती हैं।
2000	अलग-अलग कानूनी सहायता पहलों को लागू किया गया। इनमें **कानूनी साक्षरता कार्यक्रम, परामर्श केंद्र** आदि शामिल हैं।

- **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत आने वाले कमजोर वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - महिलाएं और बच्चे;
    - अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य;
    - औद्योगिक कामगार;
    - दिव्यांग व्यक्ति;
    - हिरासत में लिया गया व्यक्ति;
    - मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति;
    - प्राकृतिक आपदाओं, जातीय/ जातिगत हिंसा व औद्योगिक आपदा के पीड़ित; तथा
    - 1,00,000/- रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति या केंद्र/ राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित व्यक्ति।

निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 39A:** यह राज्य के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रावधान सहित समान अवसर के साथ न्याय सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है।
- **अनुच्छेद 14:** यह भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 22(1):** यह गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा उनके कानूनी परामर्श और वकील रखने के अधिकार को सुनिश्चित करता है।

---

10 Review of the working of Legal aid under the Legal Services Authorities Act, 1987

11 Alternate Dispute Resolution

- **नालसा के तहत निम्नलिखित को कानूनी सहायता पहल की निगरानी करने का अधिकार दिया गया है:**
    - राष्ट्रीय/ राज्य/ जिला स्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरण;
    - तालुका/ सब-डिविजनल कानूनी सेवा समिति; तथा
    - उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समितियां।

नालसा के कार्य

- **कानूनी सहायता और मदद:** इसमें वकील हायर करके देना, प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करना, ड्राफ्टिंग और अनुवाद सहित दस्तावेज तैयार करना तथा कार्यवाही में कानूनी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाना शामिल है।
- **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 4(d)** के तहत हाशिए पर रहे लोगों की ओर से **सामाजिक न्याय के लिए जनहित याचिकाओं में भागीदारी सुनिश्चित** करना।
    - उदाहरण के लिए- **वृंदावन में परित्यक्त और निराश्रित महिलाओं/ विधवाओं के मौलिक अधिकारों के संरक्षण** के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना, **ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के संरक्षण** के लिए याचिका दायर करना। उल्लेखनीय है कि **नालसा बनाम भारत संघ (2014) वाद में ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर** के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी।
- **लोक अदालतें और मध्यस्थता:** इनका उद्देश्य कानूनी विवादों को तेजी से और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना है, जिससे नियमित न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम हो सके।
- **कानूनी जागरूकता:** विविध माध्यमों से कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देना। इन माध्यमों में **सेमिनार, पैम्फलेट वितरण, टेलीविजन और रेडियो उपस्थिति, कानून के छात्रों के लिए इंटर्नशिप और कॉलेजों में कानूनी सहायता क्लीनिक** आदि शामिल हैं।
- **पीड़ित को मुआवजा: "यौन उत्पीड़न/ अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं/ उत्तरजीवियों (Survivors) के लिए मुआवजा योजना"** जैसी योजनाओं के माध्यम से नालसा का उद्देश्य उन महिलाओं को मुआवजा और सहायता प्रदान करना है, जो यौन उत्पीड़न या अन्य अपराधों की पीड़ित या उत्तरजीवी हैं।

रिपोर्ट में पहचाने गए मुद्दे और मुख्य सिफारिशें

मुद्दे	सिफारिशें/ टिप्पणियां
• **जागरूकता और कानूनी शिक्षा की कमी:** इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (2019) के अनुसार, 1995 से केवल 15 मिलियन लोगों ने ही कानूनी सहायता का उपयोग किया है, जबकि देश की संपूर्ण आबादी के 80 प्रतिशत से भी अधिक लोग कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं।	• कानूनी शिक्षा के लिए **व्यापक मास मीडिया अभियान** शुरू किया जाना चाहिए। • नालसा को **कमजोर वर्गों, विशेष रूप से विचाराधीन कैदियों की सहायता करने को प्राथमिकता** देनी चाहिए। साथ ही, लंबे समय तक हिरासत में रखने और जमानत मिलने में आने वाली चुनौतियों के मामलों का अध्ययन करना चाहिए।
• **बजटीय बाधाएं और आवंटन: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2019** के अनुसार, 2017-18 के लिए भारत का कानूनी सहायता खर्च प्रति व्यक्ति 0.75 पैसे सालाना था।	• न्याय संबंधी अंतर को पाटने के लिए NALSA को **सहायता अनुदान में पर्याप्त वृद्धि** की जानी चाहिए।

• **वकीलों और मुआवजे की भूमिका:** शुल्क की सीमा (Fee Caps) होने के कारण वकील नि:शुल्क पैरवी करने से बचते हैं और 1,500 से 7,500 रुपये तक का मामूली मानदेय (Honorarium) प्राप्त करते हैं।	• **उचित मुआवजा सुनिश्चित करना चाहिए।** • वकीलों को **वार्षिक निःशुल्क पैरवी में संलग्न होने का आदेश** देना चाहिए। • जिला न्यायपालिका, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नि:शुल्क सेवाओं के लिए **वरिष्ठ अधिवक्ता पैनल** बनाना चाहिए। • न्यायिक करियर में उन्नति के लिए **वकीलों के निःशुल्क योगदान को मान्यता देने हेतु योग्यता प्रमाण-पत्र दिए जाने चाहिए।**
• **लोक अदालतों के सामने आने वाली चुनौतियां:** इनमें सीमित शक्तियां और प्रक्रियात्मक बाधाएं, पक्षकारों को समय पर उपस्थित होने के लिए बाध्य करने में असमर्थता तथा अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और संसाधन शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, निर्णय में अक्सर देरी होती है।	• लोक अदालतों को **पर्याप्त शक्तियों व संसाधनों, उचित प्रक्रिया, बुनियादी ढांचे, कार्यबल और आधुनिक तकनीक** के साथ मजबूत किया जाना चाहिए। इससे वे प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकेंगी तथा शीघ्र निर्णय पारित कर सकेंगी।
• **पैरा-लीगल वालंटियर्स (PLVs) का कम उपयोग**	• **PLVs को व्यापक रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए**, तथा संसाधन और उचित मुआवजा प्रदान करना चाहिए। • जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए और प्रेरणा बढ़ाने के लिए PLVs के योगदान की सराहना करनी चाहिए।
• **कर्मचारियों की कमी और अधूरी रिक्तियां:** दिसंबर, 2022 तक, नालसा अपने स्वीकृत 34 पदों में से केवल 20 स्टाफ सदस्यों के साथ काम कर रहा था।	• रिक्तियों के संचय को रोकने के लिए **रिक्त पदों को तुरंत और लगातार भरना चाहिए।**

कानूनी सहायता के लिए शुरू की गई सरकारी पहलें

- **"दिशा/DISHA[12]"** पहल शुरू की गई है।
- **न्याय बंधु प्लेटफॉर्म:** यह प्रो बोनो एडवोकेट्स (जनता के कल्याण से जुड़े वकील) और पंजीकृत लाभार्थियों के बीच जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, यह कानून के छात्रों, अधिवक्ताओं और लॉ स्कूलों के बीच प्रो बोनो संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है।
- **टेली-लॉ सेवा:** टेली/ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों को वकीलों से जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यह सेवा 766 जिलों में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में उपलब्ध है।
- **कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS)[13]:** इसे नालसा ने शुरू किया है। यह पहल देश भर के 676 जिलों में पूर्णकालिक वकीलों को शामिल करके आपराधिक मामलों में कुशल कानूनी सहायता सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली विकसित देशों में प्रचलित लोक रक्षक प्रणालियों को प्रतिबिंबित करती है।
- **न्याय मित्र कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के माध्यम से जिला स्तर पर 15 साल पुराने लंबित मामलों के निपटान की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही, अखिल भारतीय कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।

1.4. अनुच्छेद 142 (Article 142)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के परिणाम को अमान्य घोषित** कर दिया। इस प्रकार, कोर्ट ने इस मामले में **"पूर्ण न्याय (Complete justice)"** सुनिश्चित किया।

---

[12] Design Innovative Solutions for Holistic Accsee/ भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवीन समाधान डिजाइन करना

[13] Legal Aid Defence Counsel System

अनुच्छेद 142 के बारे में

- यह अनुच्छेद शीर्ष न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में **'पूर्ण न्याय' करने के लिए डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान** करता है।
- यह सुप्रीम कोर्ट को **विशेष स्थिति में कार्यकारी और विधायी कार्यों को पूरा करने में सक्षम** बनाता है। इसमें सरकारी निकायों या अन्य अधिकारियों को दिशा-निर्देश, अन्य निर्देश या आदेश जारी करना शामिल है।
- यह सुप्रीम कोर्ट को **लोक हित, मानवाधिकारों, संवैधानिक मूल्यों या मौलिक अधिकारों** से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। साथ ही, इनके किसी भी प्रकार के उल्लंघन या अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह अनुच्छेद **संविधान के संरक्षक और कानून के अंतिम व्याख्याकार** के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को बढ़ाता है। साथ ही, यह न्यायिक सक्रियता के रूप में भी कार्य करता है।

पूर्ण न्याय का विचार क्या है?

- **"पूर्ण न्याय का विचार"** संविधान के **अनुच्छेद 142** से लिया गया है।
- इसका अर्थ है **कानून में मौजूद कमियों को दूर करना और आवश्यकता पड़ने पर मौजूदा कानूनी प्रावधानों की उपेक्षा करके न्याय सुनिश्चित** करना है। इसमें व्यापक संवैधानिक सिद्धांतों, सामाजिक आवश्यकताओं और न्याय के विकसित मानकों पर विचार करते हुए कानूनों की व्याख्या करना तथा उन्हें लागू करना शामिल है।

अनुच्छेद 142 के सकारात्मक प्रभाव

- **विधायी शून्यता वाले अत्यावश्यक मुद्दों का समाधान:** यह सुप्रीम कोर्ट को उन मुद्दों का निपटान करने में सक्षम बनाता है, जहां विधायी शून्यता व्याप्त है। एक अग्र-सक्रिय दृष्टिकोण न्यायालयों को उन मामलों में उपचार और समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जहां **प्रासंगिक या संबंधित कानून की अनुपस्थिति त्वरित न्याय देने में बाधा बन सकती है और जिसके परिणामस्वरूप अपूरणीय क्षति** हो सकती है।
  - **भंवरी देवी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य वाद (2002)** में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए **"विशाखा दिशा-निर्देश"** जारी किए थे। इसके परिणामस्वरूप, अंततः **"महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और रोकथाम) अधिनियम[14] , 2013"** बनाया गया था।
  - **ताजमहल की सफाई, विचाराधीन कैदियों की रिहाई और यूनियन कार्बाइड मामला** अनुच्छेद 142 के न्यायसंगत उपयोग के कुछ और उदाहरण हैं।
- **लोकतंत्र को मजबूत करना:** यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भीतर सभी वर्गों व समुदायों के मतों को सुना जाए तथा उनका सम्मान किया जाए।
  - **के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) वाद (निजता से संबंधित)** में सुप्रीम कोर्ट ने **व्यक्तिगत निजता** की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे।
- **नियंत्रण और संतुलन प्रदान करता है:** यह सरकारी संस्थाओं की **शक्तियों को प्रतिबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है। इससे **प्राधिकार के किसी भी दुरुपयोग को रोका** जा सकता है और नागरिकों के **मौलिक अधिकारों की रक्षा** की जा सकती है।
  - 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध और मनमाने माने गए **218 कोयला ब्लॉक आवंटनों में से चार को छोड़कर सभी को रद्द** कर दिया था।
- **नागरिक अधिकार और सामाजिक न्याय:** विधायी व कार्यकारी शाखाओं द्वारा उपेक्षित किए गए या टाले गए मुद्दों को संबोधित करके, नागरिक अधिकार एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है।
  - **विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य वाद (2020)** में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों के सहदायिक/ समान उत्तराधिकार (Coparcener) संबंधी अधिकारों पर परस्पर विरोधी निर्णयों का समाधान किया था।

[14] The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act

- **समानता को बढ़ावा:** यह अनुच्छेद भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं को चुनौती देकर कानून के तहत समानता को बढ़ावा देता है। साथ ही नस्ल, लिंग, लैंगिक रुझान या अन्य विशेषताओं को आधार न मानकर सभी को समान संरक्षण प्रदान करता है।
    - **सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पूनिया मामले में,** सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को **स्थायी कमीशन** देने का निर्णय दिया था।

अनुच्छेद 142 से जुड़े मुद्दे

- **परिभाषा में सब्जेक्टिविटी:** अनुच्छेद 142 न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है। साथ ही, "पूर्ण न्याय" पद के लिए एक मानक परिभाषा की अनुपस्थिति के कारण इसका मनमाने ढंग से उपयोग या दुरुपयोग हो सकता है।
    - "पूर्ण न्याय" को परिभाषित करना एक व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) कार्य है। उल्लेखनीय है कि पूर्ण न्याय की **व्याख्या हर मामले में अलग-अलग** होती है।
- **सरकार के अलग-अलग अंगों के बीच की सीमाओं को अस्पष्ट करता है:** कभी-कभी न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका और विधायिका के बीच की सीमाओं को धुंधला कर सकती है। इससे न्यायपालिका और विधायिका के बीच अपनी-अपनी भूमिकाओं को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है और क्षेत्राधिकार संबंधी टकराव उत्पन्न हो सकते हैं।
    - **एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994):** कर्नाटक के फ्लोर टेस्ट (शक्ति परीक्षण) से संबंधित राजनीतिक संकट में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने न्यायपालिका और कार्यपालिका की सीमाओं को अस्पष्ट कर दिया था। इससे अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण संबंधी चिंताएं बढ़ गई थीं।
- **गैर-जवाबदेही:** अनुच्छेद 142 कार्यपालिका और विधायिका के विपरीत, **न्यायपालिका को उसके निर्णयों की जांच या उन्हें चुनौती देने से प्रतिरक्षा प्रदान** करता है।
    - **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर** भी इस विवेकाधीन शक्ति की आलोचना की गई है।
- **संगतता का अभाव: अनुच्छेद 142 के तहत असंगत कानूनी फैसले** व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए मुकदमेबाजी की योजना बनाने व कार्यवाहियों को जटिल बना सकते हैं।

आगे की राह

- **शक्तियों के मनमाने उपयोग से बचना:** न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए निर्णय प्रासंगिक तथ्यों और विचारों पर आधारित हों।** उन्हें अपनी शक्ति के मनमाने उपयोग से बचना चाहिए।
    - हालांकि, अनुच्छेद 142 कानून में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए एक लचीला दृष्टिकोण प्रदान करता है, फिर भी इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- **'पूर्ण न्याय' को परिभाषित करना:** 'पूर्ण न्याय' पद की अस्पष्टता का उपयोग मनमाने निर्णयों को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
    - **स्पष्ट दिशा-निर्देश या सिद्धांत 'पूर्ण न्याय' करने की आड़ में शक्ति के दुरुपयोग को कम** करने में मदद कर सकते हैं।
- **एक विनियामक ढांचा स्थापित करना:** अनुच्छेद 142 के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय के निर्णयों को जांच और जवाबदेही के अधीन लाया जाना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 142 को लागू करने से पहले सभी संबंधित पक्षों को सुना जाए।
- **संविधान पीठ को रेफर करना:** अनुच्छेद 142 को लागू करने वाले सभी मामलों को कम-से-कम पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।

1.5. आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के 22वें विधि आयोग ने **"आपराधिक मानहानि का कानून[15]"** शीर्षक से अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह विधि आयोग की **285वीं** रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में **आपराधिक मानहानि** को **नए आपराधिक कानून में बनाए रखने** की सिफारिश की गई है।

आपराधिक मानहानि के बारे में

- **ब्लैक लॉ शब्दकोश** के अनुसार, मानहानि का अर्थ है- "झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयानों से किसी व्यक्ति के चरित्र, प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का अपराध"।

---

[15] The Law of Criminal Defamation

- आमतौर पर **मानहानि के दो रूप हैं- लिखित/ अपमानजनक लेख** से मानहानि और **मौखिक/ बदनाम** करने से संबंधित मानहानि।
    - **लिखित/ अपमानजनक लेख (Written or Libel) से मानहानि :** यह एक झूठा लिखित बयान होता है, जिससे किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है।
    - **मौखिक/ बदनाम करने से संबंधित (Oral or Slander) मानहानि:** यह गलत बोला गया बयान होता है, जो मौखिक रूप से किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।
    - भारतीय कानून के अनुसार, लिखित और मौखिक दोनों तरह की मानहानियां **क्रिमिनल अपराध** के दायरे में आती हैं। मानहानि का आरोप तभी लगाया जा सकता है, जब किसी के बारे में कोई दुर्भावनापूर्ण व झूठा बयान सार्वजनिक रूप से दिया गया हो।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499** किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके बारे में गलत जानकारी के प्रसार पर रोक लगाती है। इस अपराध के लिए अधिकतम सजा **दो साल** है।
    - हालांकि, **2023 के भारतीय न्याय संहिता अधिनियम की धारा 354(2)** में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि करता है, उसे **दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा** से दंडित किया जा सकता है।
- 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ वाद** में फैसला सुनाया था कि **प्रतिष्ठा की रक्षा के अधिकार के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को संतुलित करते हुए आपराधिक मानहानि को बरकरार** रखा जा सकता है।
- **विधि आयोग** ने इस बात पर जोर दिया था कि **'प्रतिष्ठा' संविधान के अनुच्छेद 21 का एक महत्वपूर्ण पहलू है।** इसे केवल इसलिए खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए, कि कोई व्यक्ति किसी और की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कीमत पर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहता है।
    - संविधान का **अनुच्छेद 19(2)** उन आधारों को सूचीबद्ध करता है, जिन पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस प्रतिबंध का एक रूप मानहानि है।
- यूनेस्को द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, **दुनिया भर के 160 देश मानहानि को एक क्रिमिनल अपराध मानते हैं।**

भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India)

नई दिल्ली

- यह एक **गैर-सांविधिक निकाय** है।
- **उत्पत्तिः**
    - पहली बार विधि आयोग की स्थापना **चार्टर अधिनियम, 1833** द्वारा की गई थी। **लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले** प्रथम विधि सदस्य थे।
    - स्वतंत्रता के बाद, पहला विधि आयोग **1955** में भारत सरकार की एक **अधिसूचना** द्वारा गठित किया गया था।
    - तब से **22** विधि आयोग नियुक्त किए गए हैं, प्रत्येक का कार्यकाल **तीन वर्ष** का रहा है।
- **मंत्रालयः** कानूनी मामलों का विभाग, **कानून और न्याय मंत्रालय।**
- **कार्यः** कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करना और सरकार को सिफारिशें करना (रिपोर्ट के रूप में)।
- **अन्य प्रमुख विशेषताएंः**
    - यह **गैर-बाध्यकारी** सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
    - अब तक विधि आयोग ने **277 रिपोर्ट्स** (जनवरी, 2024 तक) प्रस्तुत की हैं।

आपराधिक मानहानि कानून को बरकरार रखने के पक्ष में तर्क	आपराधिक मानहानि कानून को बरकरार रखने के विपक्ष में तर्क
• **मजबूत निवारक:** सिविल मुकदमों में दोषी पर मुख्य रूप से जुर्माना लगाया जाता है, जबकि क्रिमिनल केस में जेल की सजा या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान होता है। इससे जानबूझकर और आक्रामक मानहानि को रोकने में मदद मिलती है। • **प्रतिष्ठा को बचाना और लोक हित:** जब किसी व्यक्ति पर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए मुकदमा चलाया जाता है, तो यह संदेश प्रसारित होता है कि ऐसे कार्य अस्वीकार्य हैं और यह प्रतिष्ठा की रक्षा में लोक हित को स्वीकार करता है। • **कमजोर समूहों का संरक्षण:** यह अल्पसंख्यकों, सुभेद्य वर्गों, हाशिए पर रहने वाले समुदायों इत्यादि के खिलाफ नफरत भरे भाषण और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।	• **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन:** आपराधिक मानहानि संबंधी नियम/ कानून होने से अधिकतर लोग अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अपने विचारों को खुल के सामने रखने से उनपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के **वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार 19(1)(a) का उल्लंघन** करता है। • **असंतोष को दबाने के लिए:** शक्तिशाली संस्थाएं, जैसे निगम या प्रभावशाली व्यक्ति, **आलोचकों को चुप कराने और पत्रकारों को डराने के लिए इसका दुरुपयोग** कर सकते हैं।

1.6. जाति आधारित आरक्षण (Caste-based Reservation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महाराष्ट्र विधान सभा ने **"सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक, 2024"** पारित किया है। इस विधेयक के माध्यम से **मराठा समुदाय को 10% आरक्षण** प्रदान किया जाएगा।

विधेयक के बारे में

- इस विधेयक का मसौदा **राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (शुक्रे आयोग)** की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था।
- इस विधेयक ने मराठा समुदाय को **सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC)**[16] के रूप में वर्गीकृत किया है।
- यह विधेयक मराठा समुदाय के लिए **सरकारी नौकरियों में भर्ती और सार्वजनिक एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने पर 10% आरक्षण** का प्रावधान करता है।
    - विधेयक निर्दिष्ट करता है कि यह आरक्षण **राज्य में लागू अलग-अलग अधिनियमों के तहत विविध समुदायों के लिए आरक्षित सीटों के अतिरिक्त** होगा।
- यह आरक्षण केवल SEBC से संबंधित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगा, जो **क्रीमी लेयर श्रेणी में नहीं** आते हैं।

आरक्षण से संबंधित मुख्य न्यायिक निर्णय

- **इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ वाद (1992):**
    - इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की **9 जजों की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण पर 50% की सीमा** तय की थी।
        - कोर्ट के अनुसार, आरक्षण को **50% से अधिक करने के लिए असाधारण परिस्थितियां मौजूद** होनी चाहिए, जिसके लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी।
    - सुप्रीम कोर्ट ने **पिछड़े वर्गों के बीच 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा** पेश की थी। **क्रीमी लेयर** का आशय सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों से है, जिन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए।
- **एम. नागराज बनाम भारत संघ वाद (2006):**
    - इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने **पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने से पहले तीन शर्तें** तय की थी, जिन्हें राज्यों को पूरा करना होगा। **ये शर्तें निम्नलिखित थीं-**
        - अनुसूचित जातियों (SCs)/ अनुसूचित जनजातियों (STs) के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा (Quantifiable data) प्रदान करना होगा;
        - सार्वजनिक रोजगार में संबंधित समूहों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में तथ्य प्रस्तुत करने होंगे; तथा
        - समग्र प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के पक्ष में औचित्य सिद्ध करना होगा।
- **जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य वाद (2018):** सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के लिए SCs और STs के पिछड़ेपन को दर्शाने हेतु मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता को रद्द कर दिया।
- **जनहित अभियान बनाम भारत संघ वाद (2022):** सुप्रीम कोर्ट ने **103वें संविधान संशोधन अधिनियम** को बरकरार रखा। यह अधिनियम **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण** का प्रावधान करता है।

आरक्षण की मांग बढ़ने के कारण

- **संरचनात्मक कारक:** कृषि से अब पर्याप्त आय नहीं हो पा रही है, इस कारण लोग अन्य रोजगार की ओर जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं, जो स्थायी हो। साथ ही, तकनीक व नवाचार आधारित रोजगार, बाजार में कम अवसर व रोजगार खोजने की असमर्थता भी युवाओं को सरकारी नौकरियों की ओर रुख करने के लिए बाध्य कर रही है।
- **रोजगार बाजार में चुनौतियां:** निजी क्षेत्र में विशेषकर प्रवेश स्तर पर वेतन, सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में बहुत कम होता है।
    - इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्रक अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और तुलनात्मक रूप से स्थिर है। इसलिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की जाती है।
- **राजनीतिक कारक:** जाति के आधार पर राजनीतिक लामबंदी ने भी आरक्षण की मांग को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए- गुजरात में पाटीदार, आंध्र प्रदेश में कापू और हरियाणा में जाट।

---

[16] Socially and Educationally Backward Class

* **सापेक्ष वंचन (Relative deprivation):** जब किसी समुदाय को लगता है कि उसके क्षेत्र में कोई अन्य समुदाय, जो समान आर्थिक और सामाजिक स्थिति में होते हुए भी आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वह समुदाय भी समान दर्जे की मांग करने लगता है।
* **समुदाय के भीतर भिन्नताएं:** कुछ समुदायों के सापेक्ष प्रभुत्व के बावजूद भी उनके भीतर आय और शैक्षणिक परिणामों के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर होता है।
    * उदाहरण के लिए- मराठावाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में मराठा किसानों के बीच आर्थिक विभाजन के कारण मराठा आरक्षण की मांग की जा रही थी।

जाति आधारित आरक्षण का प्रभाव

* **सामाजिक न्याय:** विशेष जातियों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर किया गया है। साथ ही, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान किए जा सकें हैं।
* **प्रतिनिधित्व:** जाति आधारित आरक्षण से सरकारी नौकरियों सहित विविध क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है।
* **मौलिक समानता:** संविधान में उपबंधित समानता केवल औपचारिक समानता नहीं है, बल्कि मौलिक समानता का प्रतीक है। इसका अर्थ अक्सर जाति पर आधारित विशाल सामाजिक-आर्थिक असमानताओं पर प्रहार करना है।

जाति आधारित आरक्षण से संबंधित मुद्दे

* **सामाजिक पिछड़ापन जरूरी नहीं कि जाति आधारित हो:** पिछड़ेपन में अन्य कारक भी शामिल हो सकते हैं, जैसे- निवास, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति या कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक।
* **पहले से लाभान्वित लोगों को ही लाभ:** आरक्षण के आधार के रूप में केवल जातिगत मानदंड लागू करने से उन लोगों को बार-बार लाभ मिलता है, जिन्होंने पहले से ही अपनी स्थिति में सुधार कर लिया है।
* **जातिविहीन समाज की धारणा के विपरीत:** जाति आधारित आरक्षण नीति जाति व्यवस्था को बनाए रखने की ओर ले जाती है।
* **आरक्षण की मांग में वृद्धि:** यहां तक कि प्रमुख जातियां भी आरक्षण के लागू होने के बाद इसके लाभों का फायदा उठाने के लिए 'पिछड़े वर्ग' के दर्जे की तलाश में रहती हैं।
* **जाति के भीतर असमानताओं की अनदेखी:** समुदाय के भीतर आय और शैक्षिक परिणामों के संबंध में महत्वपूर्ण विभाजनों को जाति-आधारित आरक्षण में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है।

आगे की राह

* **व्यापक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण:** आरक्षण के कार्यान्वयन व इसके परिणामों का आकलन करना चाहिए और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर यह निर्धारित करना चाहिए कि कौन-सा समूह इसके लिए पात्र है।
* **संतुलित आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना:** विशेष रूप से प्रमुख जातियों के बीच जाति आधारित आरक्षण की मांग अक्सर कृषि संकट, गुणवत्ता वाली नौकरियों की कमी और सापेक्ष अभाव आदि से उत्पन्न होती है।
    * इस प्रकार ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, संतुलित क्षेत्रीय विकास आदि के माध्यम से अंतर्निहित मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
* **क्रीमी लेयर मानदंड:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो लोग वास्तव में आरक्षण के हकदार हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिले, इस हेतु इस मानदंड को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

1.7. महामारी रोग अधिनियम (EDA), 1897 {Epidemic Diseases Act (EDA), 1897}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत के 22वें विधि आयोग ने "महामारी रोग अधिनियम (EDA), 1897 की व्यापक समीक्षा[17]"** शीर्षक से अपनी **286वीं रिपोर्ट** जारी की है।

[17] A Comprehensive Review of the Epidemic Diseases Act, 1897

रिपोर्ट के बारे में

- इस रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा है कि **स्वास्थ्य से संबंधित लीगल फ्रेमवर्क में कमियां होने के कारण कोविड-19 महामारी का प्रबंधन बेहतर तरीके** से नहीं किया जा सका था। ये कमियां तब प्रकट हुई थीं, जब मुख्यतः लॉकडाउन लगाने के लिए **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** लागू किया गया था।
    - हालांकि 2020 में, संसद ने **महामारी रोग अधिनियम (EDA), 1897 में संशोधन** किया था, परन्तु इसके बावजूद भी **अधिनियम की कमियों को दूर नहीं** किया जा सका था।
- विधि आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए **EDA, 1897 और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन (IHR), 2005** की जांच की है।
    - आयोग ने कानून की मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए कानून में संशोधन करने या फिर एक नया व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की है।

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन (IHRs)[18] के बारे में

- इसे **विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1969** में अपनाया था तथा **2005 में संशोधित** किया था।
- ये विनियमन उन लोक स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं और आपात स्थितियों के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा है, जो कई देशों में फ़ैल सकती हैं।
- ये **194 WHO सदस्य देशों सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी** हैं।
- ये देशों के लिए लोक स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं की रिपोर्ट करना आवश्यक बनाते हैं। साथ ही, उनके लिए अधिकार और दायित्व भी निर्धारित करते हैं।
- ये विनियमन यह निर्धारित करने के लिए मानदंड तय करते हैं कि कोई विशेष घटना **"अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपात" है या नहीं।**

विधि आयोग द्वारा रेखांकित EDA,1897 की मुख्य कमियां

- **औपनिवेशिक शासन के समय का कानून:** इस कानून में सरकार को अत्यधिक शक्तियां दी गई है, जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में संक्रामक रोगों के नए रूप सामने आए हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के समक्ष नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
- **परिभाषा का अभाव:** इसके अंतर्गत **'महामारी (Epidemic)'** या **'संक्रामक रोग'** को परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही, इसमें **'प्रकोप (Outbreak)', 'एपिडेमिक' और 'पैन्डेमिक'** के बीच अंतर भी नहीं किया गया है।
- **महामारी का प्रबंधन:** अधिनियम में **महामारी/ रोग की प्रभावी निगरानी, क्वारंटाइन प्रक्रिया,** दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संक्रामक अपशिष्ट एवं शवों के निपटान हेतु **विशिष्ट दिशा-निर्देशों की कमी** है।
- **गवर्नेंस संबंधी समस्याएं:**
    - **विकेंद्रीकरण का अभाव:** इस अधिनियम में **स्थानीय शासन को महामारी संबंधी रोगों को नियंत्रित** करने के लिए वैधानिक शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं।
    - **शक्ति के सीमांकन का अभाव:** 'संक्रमण या संक्रामक रोगों की रोकथाम' **समवर्ती सूची** का विषय है। इस प्रकार, केंद्र और राज्य दोनों के पास इस विषय पर उचित कानून बनाने की शक्ति है।

EDA, 1897 की मुख्य विशेषताएं

उत्पत्ति

- ब्रिटिश सरकार ने **1896 में तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी में बुबोनिक प्लेग महामारी से निपटने** के लिए EDA की शुरुआत की थी। **लॉर्ड एल्गिन-द्वितीय** तत्कालीन वायसराय (1894-1899) था।

सरकार को शक्तियां

- यह खतरनाक महामारी रोगों को विनियमित करने, रोकने और नियंत्रित करने के लिए **सरकार को व्यापक शक्तियां** प्रदान करता है।
- **केंद्र सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर** बंदरगाहों से प्रस्थान करने वाले या वहां पहुंचने वाले जहाजों और जलपोतों का निरीक्षण करने की अनुमति देता है।

दण्ड का प्रावधान

- अधिनियम का उल्लंघन करने पर **भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत 1,000 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने तक की कैद** हो सकती है।

2020 में संशोधन

- **महामारी रोग (संशोधन) अधिनियम, 2020** को कोविड-19 महामारी के दौरान **स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा** को रोकने के लिए पारित किया गया था।

---
[18] International Health Regulations

- EDA यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि यदि राज्यों और केंद्र के बीच असहमति होती है, तो ऐसी स्थिति में किसके प्राधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी।

  - **परस्पर समन्वय का अभाव:** कोविड-19 के दौरान प्रवर्तन तंत्र ने महामारी की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार काम नहीं किया। इससे महामारी की रोकथाम और नियंत्रण में बाधा उत्पन्न हुई।
  - **कानून के उल्लंघन पर पर्याप्त सजा का प्रावधान नहीं** किया गया है।

विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित व्यापक कानून की मुख्य विशेषताएं

- **शब्दावलियों को परिभाषित किया जाना चाहिए:**
  - **रोगों के चरणों** (इन्फोग्राफिक्स देखें) को परिभाषित किया जाना चाहिए।
  - **'क्वारंटाइन'** और **'आइसोलेशन' के बीच अंतर स्पष्ट** किया जाना चाहिए।
    - ज्ञातव्य है कि **महामारी रोग विधेयक, 2023** में दोनों पद उचित रूप से परिभाषित किए गए हैं।
  - लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करके रोग के प्रसार को रोकने के लिए **'सामाजिक दूरी' की बजाय 'शारीरिक दूरी' पद का इस्तेमाल** किया जाना चाहिए।
- **शक्तियों का विकेंद्रीकरण और सीमांकन:**
  - **रोकथाम और प्रबंधन:** चूंकि **'लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता'** संविधान की **7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय** है, इसलिए इसके प्रबंधन की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की जानी चाहिए।
  - **राज्य में प्रकोप:** राज्य महामारी को प्रभावी ढंग से रोकने, नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए उचित उपाय करने हेतु जिला या स्थानीय प्राधिकरण को सशक्त बना सकता है।
  - **एपिडेमिक/ पैन्डेमिक का राज्यों के बीच प्रसार:** केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार/ जिला अधिकारियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे इन रोगों की रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु उपयुक्त कार्रवाई करें।
  - **संक्रामक रोगों से अत्यधिक खतरा:** केंद्र सरकार को रोगों के प्रबंधन के लिए या तो स्वयं उपाय करने चाहिए या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी को सशक्त बनाना चाहिए।
- **एक महामारी योजना तैयार करना:** केंद्र सरकार को अन्य हितधारकों के साथ मिलकर महामारी योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही, इसमें समय-समय पर संशोधन भी करने चाहिए।
  - राज्य सरकार को अपने **राज्य में विनियम बनाने हेतु सशक्त** बनाया जाना चाहिए।
- **क्वारंटाइन और आइसोलेशन के लिए दिशा-निर्देश:** प्रस्तावित दिशा-निर्देश निम्नलिखित के अनुरूप होने चाहिए-
  - **भारतीय पत्तन स्वास्थ्य नियम[19], 1955:** यह जहाजों में संक्रमित व्यक्तियों के आइसोलेशन से संबंधित है, और
  - **विमान (लोक स्वास्थ्य) नियम[20], 1954:** यह विमान में संक्रमित व्यक्तियों के आइसोलेशन से संबंधित है।
- **अन्य सिफारिशें:**
  - कानून के उल्लंघन पर **जुर्माना राशि में बढ़ोतरी** की जानी चाहिए और EDA के तहत इसे **वैधानिक मान्यता** देनी चाहिए।
  - **संक्रामक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान** के लिए पृथक दिशा-निर्देश बनाने की आवश्यकता है। ये दिशा-निर्देश **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** के अनुरूप होने चाहिए।
  - अत्यधिक मांग होने पर दवाओं की कमी से निपटने हेतु **आवश्यक दवाओं की उपलब्धता को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए विनियम तैयार** किए जाने चाहिए।
  - वैक्सीन और अन्य आवश्यक दवाओं के विकास के लिए **जिम्मेदार नोडल प्राधिकरणों की पहचान** की जानी चाहिए।

---

[19] Indian Port Health Rules

[20] Aircraft (Public Health) Rules

 ©Vision IAS

निष्कर्ष

इस अत्यधिक वैश्वीकृत और परस्पर जुड़ी दुनिया में भविष्य में महामारी का प्रकोप एक वास्तविक संभावना है। इसके अलावा, स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित एक मौलिक अधिकार है। इसलिए, राज्य अपने नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार, भविष्य में ऐसी किसी भी लोक स्वास्थ्य आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मौजूदा कानून पर पुनर्विचार करना और उसे मजबूत बनाना अनिवार्य हो जाता है।

1.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.8.1. 17वीं लोक सभा का काम-काज (Functioning of the 17th Lok Sabha)

- PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने 17वीं लोक सभा के काम-काज पर महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए।
- **17वीं लोक सभा** के सत्र **जून 2019 और फरवरी 2024 के बीच आयोजित** किए गए थे।
    - इसकी कुल **274 बैठकें** संपन्न हुई हैं। इन बैठकों में **179 विधेयक पारित** किए गए हैं।
    - **लोक सभा और राज्य सभा में प्रश्नकाल** निर्धारित अवधि का क्रमशः **60% और 52% तक** चला।
        - वैश्विक कोविड महामारी के कारण **प्रश्नकाल को 2020 के मानसून सत्र में रद्द करना** पड़ा था।
- **रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - अपना कार्यकाल पूरा करने वाली सभी लोक सभाओं में 17वीं लोक सभा में सबसे कम बैठकें आयोजित हुई थीं। साथ ही, इसमें **206 बार संसद सदस्यों को निलंबित** किया गया था।
        - **प्रथम लोक सभा के दौरान साल में औसतन 135 बैठकें** आयोजित की गई थी। वर्तमान में यह **घटकर औसत 55** रह गई है।
    - पहली बार, लोक सभा ने अपने पूरे कार्यकाल में **उपाध्यक्ष का चुनाव** नहीं किया।
        - संविधान के **अनुच्छेद 93** में प्रावधान किया गया है कि लोक सभा को यथाशीघ्र **एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव** करना चाहिए।
    - 17वीं लोक सभा में केवल **16% विधेयकों को ही विस्तृत जांच के लिए संसदीय समितियों के पास** भेजा गया था। अधिकतर विधेयकों को रिकॉर्ड किए गए मतदान के बिना ही पारित कर दिया गया था।
        - **35% विधेयकों** को एक घंटे से भी कम चर्चा के बाद पारित कर दिया गया था।
    - बजट चर्चा में लगने वाले समय में गिरावट आई है। **लगभग 80% बजट पर बिना चर्चा के ही मतदान** कर दिया गया था।

1.8.2. वार्षिक NeSDA रिपोर्ट (Annual NeSDA Report)

- वार्षिक "नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (NeSDA) वे फॉरवर्ड रिपोर्ट, 2023" जारी की गई।
- इस रिपोर्ट को **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)** ने जारी किया है। यह रिपोर्ट **ई-सेवा वितरण को बढ़ाने की दिशा में की गई पहलों** को रेखांकित करती है।
    - ई-सेवा वितरण में **इलेक्ट्रॉनिक मोड में सार्वजनिक/ अन्य सेवाएं** प्रदान की जाती हैं। जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स और आवेदनों की प्राप्ति, लाइसेंस जारी करना/ देना, धन की प्राप्ति या भुगतान आदि।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में **जम्मू-कश्मीर सबसे अधिक (1117) ई-सेवाएं** प्रदान करता है।
    - **NeSDA 2023 के आकलन के तहत कुल अनिवार्य ई-सेवाओं में से 76% ई-सेवाएं** दी जा रही हैं। **NeSDA 2019 के तहत कुल अनिवार्य ई-सेवाओं में से 48%** ई-सेवाएं दी जा रही थीं।
    - **जम्मू-कश्मीर, केरल, असम और ओडिशा** अपनी 100% सेवाएं निर्धारित किए गए **एकल एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल** के माध्यम से प्रदान करते हैं।
    - **पर्यटन क्षेत्रक** में 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में से 23 में **सभी अनिवार्य ई-सेवाएं** प्रदान की जा रही हैं।

- **ई-सेवा वितरण का महत्त्व:**
  - **नागरिकों के लिए:**
    - नागरिकों का सशक्तीकरण होता है और भागीदारी सुनिश्चित होती है,
    - बिचौलियों को हटाकर सेवाओं तक बेहतर पहुंच संभव हो पाती है।
  - **सरकारों के लिए:**
    - **तथ्य आधारित डेटा-संचालित निर्णय** लेने में मदद मिलती है,
    - लाभार्थियों को शामिल करने या छूट जाने से संबंधित त्रुटियों को कम करके संसाधनों का बेहतर दोहन सुनिश्चित होता है व लागत दक्षता आती है।
- **चुनौतियां:** डिजिटल विभाजन, मानकीकरण और अंतरसंचालनीयता (Interoperability) की कमी, नौकरशाही की अल्प सक्रियता के कारण बदलावों को अपनाने से जुड़ा मुद्दा, साइबर-सुरक्षा से संबंधित चिंताएं आदि।

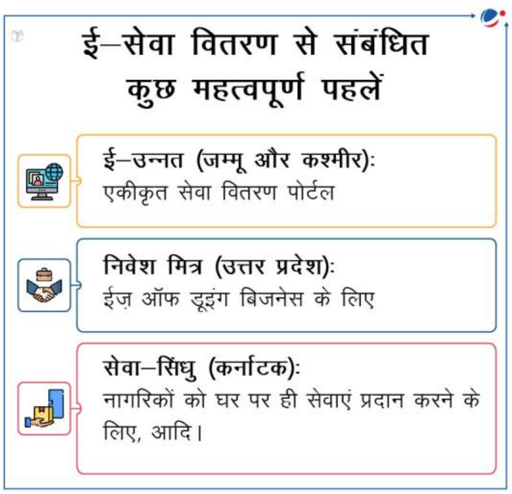

1.8.3. 'सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम' रिपोर्ट (Prevention of Damage to Public Property)

- 22वें विधि आयोग ने 'सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम' शीर्षक से 284वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- **उपद्रव की बढ़ती घटनाओं** और इनके कारण **सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान का स्वत: संज्ञान** लेकर विधि आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार की है।
- इसके अलावा, रिपोर्ट में सार्वजनिक स्थल या मार्ग को **जानबूझकर बाधित** करने की समस्या को भी रेखांकित किया गया है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, केवल कुछ राज्यों ने ही सार्वजनिक मार्गों को बाधित करने की समस्या से निपटने के लिए प्रावधान किए हैं।
- **विधि आयोग की मुख्य सिफारिशें:**
  - आयोग ने **लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (PDPP Act)** में निम्नलिखित संशोधन करने की सिफारिश की है:
    - जमानत की शर्तों में एक शर्त यह भी शामिल की जानी चाहिए कि क्षतिग्रस्त संपत्ति के अनुमानित मूल्य के बराबर की राशि जमा करानी होगी।
  - **सार्वजनिक मार्गों में जानबूझकर अवरोध पैदा करने वालों से निपटने के लिए व्यापक कानून** बनाने की आवश्यकता है।
    - साथ ही, इससे संबंधित प्रावधान को **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** में भी शामिल करना चाहिए।
- **सार्वजनिक (लोक) संपत्ति की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:**
  - संविधान के **अनुच्छेद 19** के तहत प्रदत्त **मूल अधिकार में 'विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार' (Right to protest)** भी शामिल है।
    - हालांकि, **उपद्रव और अशांति उत्पन्न** करने वाले विरोध प्रदर्शन को इस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा प्राप्त नहीं है।
  - **अनुच्छेद 51A** के तहत नागरिकों के लिए उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है- **सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना।**
  - **PDPP, अधिनियम 1984** में उन अपकृत्यों से निपटने का प्रावधान किया गया है, जिनके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है।
  - **भारतीय दंड संहिता (IPC)** की 425-440 तक की धाराएं ऐसे ही अपकृत्यों को अपराध ठहराने से संबंधित हैं।
    - **भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं भी सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से निपटने** से संबंधित हैं। BNS को भारतीय दंड संहिता की जगह लाया गया है।

सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

- **भारत कुमार बनाम केरल राज्य वाद (1997):** इस वाद में न्यायालय ने लोक प्राधिकारियों को सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ करने का निर्देश दिया था।

©Vision IAS

- **सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद (2009):** इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए दो समितियों का गठन किया था।
  - साथ ही, समितियों की सिफारिशों के आधार पर दिशा-निर्देश भी जारी किए थे।

1.8.4. 'आधुनिक मीडिया लैंडस्केप' के लिए पोर्टल (Portals For A 'Modernized Media Landscape')

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया से संबंधित **चार नए पोर्टल्स** लॉन्च किए हैं। मंत्रालय के इस कदम का उद्देश्य अपनी देखरेख में मीडिया से संबंधित सेवाओं को व्यवस्थित करना है।

1.8.5. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI), 2023 {Corruption Perceptions Index (CPI), 2023}

- करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 2023 में **भारत 8 स्थान फिसलकर 180 देशों** के बीच **93वें स्थान** पर आ गया है।
  - 2022 के CPI इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर था।
- **CPI के बारे में:**
  - इसे **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल** द्वारा जारी किया जाता है।
  - इस सूचकांक के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के मौजूदा स्तर के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। इसके लिए देशों को 0 से 100 के पैमाने पर रैंक दिया जाता है।
    - **करप्शन परसेप्शन इंडेक्स** में "0" **अत्यधिक भ्रष्ट** और "100" **बहुत ईमानदार** का सूचक है।
  - CPI 2023 में, **डेनमार्क** पहले स्थान पर रहा, उसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे का स्थान है।

1.8.6. पंडारम भूमि (Pandaram Lands)

- **लक्षद्वीप प्रशासन** ने पंडारम भूमि पर पेड़ों की गिनती का कार्य जारी रखा है।
- **लक्कादीव, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह भूमि राजस्व और काश्तकारी विनियमन, 1965** में पंडारम भूमि को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, **पंडारम वह भूमि है:**
  - जिस पर इस कानून के बनने से ठीक पहले **सरकार के पास मालिकाना अधिकार था,** और
  - जिस पर सरकार **इस कानून या किसी अन्य कानून** के तहत **मालिकाना अधिकार प्राप्त** कर सकती है।
- पंडारम भूमि के अलावा अन्य भूमि जिस पर लक्षद्वीप आइलैंड के प्रथागत कानून के तहत किसी व्यक्ति का मालिकाना अधिकार है, उसे 1965 के विनियमन के तहत **"जेनमम भूमि (Jenmam land)"** कहा जाता है।

1.8.7. आधार कार्ड (Aadhaar Card)

- **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जन्म तिथि (DoB)** के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को **स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा** दिया है।
  - आधार कार्ड का उपयोग पहचान-पत्र के रूप में किया जाता है। हालांकि, आधार कार्ड नागरिकता या जन्म-तिथि का प्रमाण नहीं माना जाता है।
- **आधार कार्ड के बारे में:**
  - यह **12 अंकों की यादृच्छिक (रैंडम) संख्या** होती है। इसे **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)**[21] जारी करता है।

[21] Unique Identification Authority of India

©Vision IAS

- **UIDAI, आधार अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था** है।
- आधार कार्ड में **जनसांख्यिकीय** (नाम, जेंडर, जन्मतिथि व पता) और **बायोमेट्रिक** (फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन और चेहरे की तस्वीर) जैसे डेटा शामिल होते हैं।
- **पात्रता:** इसे किसी भी आयु और जेंडर के भारतीय नागरिक को जारी किया जा सकता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यर्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यर्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय–वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब–हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट–टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी {India's Neighbourhood First Policy (NFP)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने भारत की **नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी (NFP) पर अपनी 22वीं रिपोर्ट** में शामिल ऑब्जरवेशन्स/ सिफारिशों पर की गई एक **कार्रवाई रिपोर्ट** प्रस्तुत की है। ज्ञातव्य है कि इस **22वीं रिपोर्ट** को जुलाई, 2023 में प्रस्तुत किया गया था।

नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी (NFP) के बारे में

- **नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को 2008** में विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में अपनाया गया था।
  - इस नीति में पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इसका आधार पड़ोसी देशों के साथ **परस्पर परामर्श, गैर-पारस्परिक (निःस्वार्थ), परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण** को अपनाना है।
  - इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रकों में लाभ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उदाहरण के लिए- **बेहतर कनेक्टिविटी, उन्नत अवसंरचना, विविध क्षेत्रकों में मजबूत विकास सहयोग, सुरक्षा और व्यापक तौर पर लोगों-का-लोगों (P2P) के बीच परस्पर संपर्क** स्थापित करना आदि।
- यह समय के साथ लगातार विकसित होने वाली एक **गतिशील नीति** है, जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में **भारत के नए हितों और उभरती क्षेत्रीय परिस्थितियों के साथ समन्वय स्थापित** करती है।

नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का महत्त्व

- **सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति:** चीन जैसी **बाहरी शक्ति का मुकाबला करने** और भारत के **स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र** के विज़न को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया में **उन्नत क्षेत्रीय एकीकरण** महत्वपूर्ण है।
  - भारत के लिए **वैश्विक गवर्नेंस प्रणाली और UNSC, IMF जैसे संस्थानों में सुधारों** के लिए आवाज उठाने हेतु पड़ोसी देशों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है।
- **बहुपक्षवाद को बढ़ावा:** यह नीति **क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय संगठनों** जैसे कि सार्क, बिम्सटेक आदि के माध्यम से बहुपक्षवाद को मजबूत करने में भी सहायता प्रदान करती है।
- **सॉफ्ट पावर प्रभाव को बढ़ावा:** अपने पड़ोसी देशों के साथ **भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध** इस क्षेत्र में इसके विविधतापूर्ण सांस्कृतिक मूल्यों और सॉफ्ट पावर प्रभाव को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
  - **शांति और सहयोग आधारित क्षेत्रीय संबंधों का सफल प्रबंधन** भारत को एक **जिम्मेदार एवं क्रिएटिव अभिकर्ता** के रूप में स्थापित करता है। भारत की ऐसी छवि उसकी **वैश्विक नेतृत्वकर्ता संबंधी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण** है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण:** बेहतर विश्वास और सहयोग **सुरक्षा संबंधी पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने की क्षमता** प्रदान करता है। संसाधनों की कमी, अवैध प्रवास, जलवायु परिवर्तन आदि ऐसे गैर-पारंपरिक खतरे हैं, जिनसे निपटने के लिए परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है।
  - भारत की **सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता** सुनिश्चित करने के लिए **आतंकवाद-रोधी प्रयासों, उग्रवाद विरोधी अभियानों, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने** आदि के संदर्भ में परस्पर सहयोग बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
  - भारत इसके लिए **'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR)[22]'** नामक विज़न को बढ़ावा दे रहा है।

---

[22] Security and Growth for all in the Region

- **आर्थिक विकास में सहयोगपूर्ण:** यह नीति **क्षेत्रीय व्यापार, निवेश और सीमा पार अवसंरचना में वृद्धि** की सुविधा प्रदान करती है। इससे आर्थिक संवृद्धि व रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है और जीवन स्तर में सुधार होता है।
    - यह **भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा** सुनिश्चित करने हेतु भी महत्वपूर्ण है। इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण जल विद्युत क्षमता वाले **उत्तरी पड़ोसी देशों (नेपाल और भूटान)** के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिनके साथ भारत विद्युत व्यापार को बढ़ावा दे रहा है।
    - भारत के पूर्वोत्तर में **विकासात्मक कमी को दूर करने** के लिए पड़ोसियों के साथ सक्रिय सहयोग भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, **कलादान मल्टी-मॉडल परियोजना, बांग्लादेश से होते हुए अखौरा-अगरतला रेल लिंक का निर्माण** आदि।

भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के समक्ष चुनौतियां

- **ऐतिहासिक और अनसुलझे विवाद:** पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अनसुलझे सीमा विवादों के परिणामस्वरूप लगातार तनाव व अविश्वास उत्पन्न होता है।
    - कभी-कभी पड़ोसी देशों में **भारत विरोधी भावनाएं** भी जन्म लेती हैं और **द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण** हो जाते हैं। इसका कारण **भारत का विशाल आकार और इसकी सामरिक अवस्थिति के फलस्वरूप** पड़ोसी देशों में **कथित 'बिग-ब्रदर' अवधारणा** का निर्मित होना है।
- **भारत की घरेलू राजनीति:** भारत की घरेलू राजनीति और संघीय गतिशीलता भी इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के एक निर्धारक के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए, तमिल भावनाएं भारत की श्रीलंका संबंधी नीति को निर्धारित करती हैं।
- **पड़ोसी देशों में गतिशीलता: राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन व्यवस्था और आंतरिक संघर्ष** दीर्घकालिक परियोजनाओं के संदर्भ में निरंतर सहयोग एवं कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं। उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान और म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण विविध परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा आई है।
    - **पड़ोसी देशों में सत्ता परिवर्तन** का भारत के साथ उनके द्विपक्षीय संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, मालदीव में सत्ता परिवर्तन के बाद **भारत-मालदीव संबंधों में पैदा हुआ हालिया तनाव।**
    - **राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष** के कारण **आतंकवाद एवं पड़ोसी देशों से अवैध प्रवासन** को बढ़ावा मिलता है। इसके परिणामस्वरूप, देश में **आतंकवादी और उग्रवादी हमलों का खतरा** बढ़ जाता है।

- **भारत की सीमित क्षमता और संसाधन:** विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी से निराशा व अविश्वास पैदा हो सकता है। साथ ही, इस क्षेत्र में भारत का प्रभाव भी कम हो सकता है।
- **बहुपक्षवाद का कमजोर होना:** सार्क जैसी निष्क्रिय क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्थाएं भारत-पाकिस्तान तनाव से प्रभावित हैं। इससे क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता सीमित हो गई है।

संसदीय समिति की मुख्य सिफारिशें

- **विकासात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन:** विदेश मंत्रालय को पड़ोसी देशों के साथ अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विशिष्ट पहलों, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की पहचान करने के लिए **एक सेल की स्थापना** करनी चाहिए।
    - विविध विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी तथा उनके समय पर कार्यान्वयन के लिए **संयुक्त परियोजना निगरानी समितियों और निरीक्षण तंत्र** को मजबूत करना चाहिए।
- **सीमा-पार अवसंरचना और कनेक्टिविटी:** इसके लिए भारत को निवेश में वृद्धि करनी चाहिए और संसाधनों का एकत्रीकरण करना चाहिए। साथ ही, इन सबसे बढ़कर सीमावर्ती क्षेत्रों में क्षेत्रीय अवसंरचना के विकास के लिए अलग-अलग केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सभी के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और इस ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
    - अवैध प्रवासन का समाधान करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की निगरानी के लिए **विदेश मंत्रालय को केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के साथ मिलकर** काम करना चाहिए।
- **विकास निधि:** बिम्सटेक (BIMSTEC) जैसे क्षेत्रीय मंच के तहत **कनेक्टिविटी संबंधी अवसंरचना के लिए एक क्षेत्रीय विकास कोष की स्थापना** की व्यवहार्यता का पता लगाना चाहिए।
    - नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तत्वावधान में **कोविड-19 आपातकालीन कोष की तर्ज पर एक आपदा राहत कोष** बनाने की व्यवहार्यता का भी पता लगाना चाहिए।

- **सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क:** भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)[23] द्वारा निष्पादन/ ललित कला के क्षेत्र में आदान-प्रदान, अकादमिक सहयोग और विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
  - नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत **चिकित्सा पर्यटन सहित पर्यटन में निवेश को बढ़ावा** देना चाहिए।
- **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय/ क्षेत्रीय फ्रेमवर्क्स की समीक्षा:** समसामयिक वास्तविकताओं के आधार पर इनकी आवधिक समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही, निरंतर इन तंत्रों को उन्नत, मजबूत और ऊर्जावान बनाया जाना चाहिए।
- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ समन्वय:** विदेश मंत्रालय को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच समन्वय बनाए रखना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि इसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण क्षमता विद्यमान है।

भारत की पड़ोस नीति के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए। **वीकली फोकस #108:** भारत की पड़ोस नीतिः संभावनाएं और चुनौतियां	

2.2. म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement Regime with Myanmar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत और म्यांमार के बीच **मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)** को समाप्त करने का फैसला किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

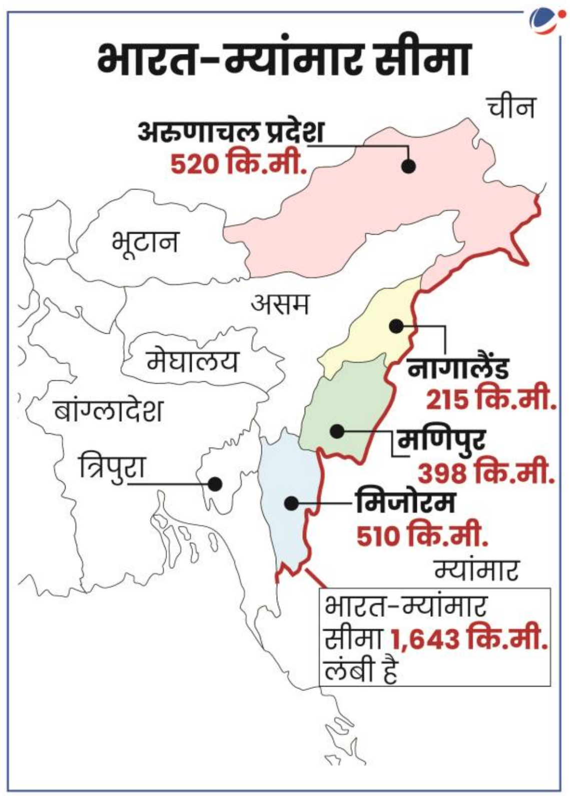

- इस कदम का उद्देश्य **देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए** रखना है।
- इसके अलावा, सरकार ने **भारत-म्यांमार सीमा पर फेंसिंग** करने का भी फैसला किया है। वर्तमान में, **मणिपुर-म्यांमार सीमा** पर लगभग 10 कि.मी. के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर, **म्यांमार के साथ लगी सीमा (लगभग 1643 कि.मी.) पर फेंसिंग नहीं** की गई है।

भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था

- इस व्यवस्था के तहत सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को **बिना वीज़ा के एक-दूसरे देश के अंदर 16 कि.मी. तक आने-जाने** की अनुमति है।
- इस व्यवस्था को **2018** में भारत की **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** के हिस्से के रूप में औपचारिक रूप दिया गया था।
- **मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) को निम्नलिखित कारणों से अपनाया गया था:**
  - **सीमा-पार मजबूत नृजातीय और पारिवारिक संबंध:** 1826 में अंग्रेजों द्वारा सीमांकित की गई सीमा ने एक ही नृजातीयता और संस्कृति के लोगों को उनकी सहमति के बिना ही दो देशों में विभाजित कर दिया था। इस कारण दोनों देशों ने इस व्यवस्था को अपनाया, ताकि **लोगो के बीच संबंधों** को बढ़ावा दिया जा सके।
  - **स्थानीय व्यापार और व्यवसाय को बनाए रखना:** इस क्षेत्र में सामान रीति-रिवाज और सीमाओं पर लगाने वाले बाजारों के माध्यम से सीमा-पार वाणिज्य का एक लंबा इतिहास रहा है। कम आय वाली अर्थव्यवस्था को देखते हुए, स्थानीय आजीविका को बनाए रखने में ऐसे आदान-प्रदान महत्वपूर्ण हैं। इसमें **मुक्त आवाजाही व्यवस्था** ने सहयोग प्रदान किया है।

---

[23] Indian Council of Cultural Relations

मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी कारण

- **अवैध-आप्रवासन:** म्यांमार से चिन लोगों के अनियंत्रित अवैध-आप्रवासन के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में जनसांख्यिकीय बदलाव को बढ़ावा मिल रहा है।
- **नृजातीय हिंसा और उग्रवाद:** मैतेई समुदाय ने पिछले साल के तनाव के लिए **कुकी-चिन जनजातीय** समुदायों के कथित अवैध प्रवासन को जिम्मेदार बताया था।
- **म्यांमार से सैनिकों का प्रवेश:** मिजोरम में शरण की तलाश में जुंटा (सैन्य शासन) सैनिकों का भारत में पलायन हो रहा है। इसका भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- **म्यांमार में नशीले पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि:** संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय (UNODC)[25] की एक रिपोर्ट ने, जुंटा सरकार के तहत म्यांमार की राजनीतिक उथल-पुथल को आसपास के क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी में वृद्धि से संबंधित बताया था। इस रिपोर्ट के अनुसार जुंटा सैनिक व अधिकारी नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त हैं।

भारत-म्यांमार संबंधों के अन्य पहलू

- **वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध:** दोनों देशों ने **2008 में द्विपक्षीय निवेश संवर्धन समझौते (BIPA)[24] और दोहरा कराधान बचाव समझौते (DTAA)** पर हस्ताक्षर किए थे।
  - भारत और म्यांमार दोनों **भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते** के हस्ताक्षरकर्ता भी हैं।
- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाएं:** दोनों देश **कलादान मल्टी-मॉडल प्रोजेक्ट, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना** आदि के तहत सहयोग कर रहे हैं।
- **बहुपक्षीय/ क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय सहयोग:** दोनों देश **बिम्सटेक और मेकांग-गंगा सहयोग** के सदस्य हैं।
  - 2008 में **म्यांमार को सार्क में पर्यवेक्षक** का दर्जा दिया गया था।
- **रक्षा सहयोग:** दोनों देशों के बीच **भारत-म्यांमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास (IMBAX)** नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंध बनाना और उन्हें बढ़ावा देना है।

आगे की राह

- **सीमा प्रबंधन बेहतर करना:** केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ सीमा पर रहने वाले निवासियों द्वारा भी यह प्रयास किया जाना चाहिए कि भारत एवं म्यांमार के बीच की सीमा प्रभावी ढंग से सुरक्षित व विनियमित रहे।
  - भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा के लिए या तो असम राइफल्स को सीमा की सुरक्षा का संपूर्ण अधिकार दे दिया जाए या भारत-म्यांमार सीमा पर एक और सीमा सुरक्षा बल तैनात करके सीमा की सुरक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए।
  - सीमा संबंधी अन्य अवसंरचनाओं के साथ-साथ **एकीकृत चेक पोस्ट्स (ICPs) के निर्माण** में तीव्रता लाने की जरूरत है।
- **कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ावा:** राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने तथा उनकी रक्षा करने के लिए म्यांमार के साथ भारत के संबंधों में कूटनीतिक सक्रियता निहित होनी चाहिए।
  - **क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के संदर्भ में की गई कार्रवाइयों से होने वाले लाभों का मूल्यांकन** किया जाना चाहिए।
- **सामुदायिक भागीदारी:** संवेदनशील मुद्दों और जनजातीय समुदायों के बीच मतभेदों (जैसे पिछले साल घटित हुई मणिपुर हिंसा की घटना) का समाधान करने के लिए निर्णय लेने में जनजातीय समुदायों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए।

2.3. भारत-फ्रांस संबंध (India-France Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारत यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने रक्षा उत्पादन पर सहयोग के लिए **रक्षा औद्योगिक रोडमैप**[26] की घोषणा की थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस रोडमैप का उद्देश्य **दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक क्षेत्रकों के बीच एकीकरण को और बढ़ाना** है। साथ ही सह-डिज़ाइन, सह-विकास और सह-उत्पादन के अवसरों की पहचान करने के लिए मिलकर कार्य करने में मदद करना है।
- रक्षा औद्योगिक सहयोग **वैज्ञानिक, तकनीकी, डिजिटल, मटेरियल साइंस आदि क्षेत्रों में व्यापक प्रगति** का समर्थन करेगा, ताकि **2047 तक विकसित भारत के विज़न को साकार** किया जा सके।

---

[24] Bilateral Investment Promotion Agreement

[25] UN Office on Drugs and Crime

[26] Defense Industrial Roadmap

भारत-फ्रांस के बीच सहयोग के क्षेत्र

- **रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र:** फ्रांस **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, उन्नत रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति** आदि पहलों के माध्यम से भारत के रक्षा आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
  - उदाहरण के लिए, **स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता**, **राफेल विमानों की आपूर्ति** आदि।
  - दोनों देशों के बीच विविध **संयुक्त रक्षा अभ्यासों जैसे- वरुण** (नौसेना), **गरुड़** (वायु सेना) और **शक्ति** (थल सेना) का आयोजन किया जाता है।
  - **आतंकवाद से निपटने** के लिए, भारत के **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)** और फ्रांस के **नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप (GIGN)** के बीच एजेंसी-स्तरीय सहयोग किया जा रहा है।
  - दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT)[27] को अपनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प** लिया है।
  - वर्तमान में, **SIPRI रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत को हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता फ्रांस** है। भारत के कुल रक्षा उपकरण आयात में **फ्रांस की हिस्सेदारी 33%** है।

अन्य प्रमुख परिणाम
- दोनों देशों के नेताओं ने **ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय सहयोग को फिर से सशक्त करने, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ सहयोग को गहन करने** और क्षेत्र में नए सहयोगी तलाशने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।
  - UAE के साथ त्रिपक्षीय सहयोग का उद्देश्य **अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर प्रशांत महासागर तक सुरक्षा सुनिश्चित** करना है।
- फ्रांस ने **वन फ्यूचर एलायंस (OFA)** में शामिल होने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। इसे **G20 लीडर्स समिट में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्षमताओं के निर्माण पर वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने** के लिए लॉन्च किया गया था।
- दोनों पक्ष **भारत-फ्रांस सामरिक वार्ता** फ्रेमवर्क के तहत तीन महीनों के भीतर **परमाणु ऊर्जा पर एक विशेष टास्क फोर्स** गठित करने पर सहमत हुए।
- **2026 को भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष** के रूप में घोषित किया गया है।
- भारत, **"इंटरनेशनल पिलर ऑफ़ फ्रेंच स्ट्रेटेजी ऑन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स" के कार्यान्वयन के प्राथमिकता वाले देशों** में से एक होगा।

- **हिंद-प्रशांत में सहयोग:** दोनों देश **स्वतंत्र, खुले, समावेशी, सुरक्षित और शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत** तथा उससे आगे की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  - इसी परिप्रेक्ष्य में **2020 और 2022 में फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र ला रीयूनियन से संयुक्त निगरानी मिशन** चलाए गए थे।
  - 2018 में, दोनों देश **'हिंद महासागर क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग पर संयुक्त रणनीतिक विज़न'** पर सहमत हुए थे। इस विज़न का उद्देश्य **हिंद-प्रशांत त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष** की स्थापना करना है।
    - इस कोष का लक्ष्य क्षेत्र में विकसित की जा रही **हरित प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में सहायता** प्रदान करना है।

- **विकासात्मक सहयोग:** दोनों देश स्मार्ट शहरों के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही, शहरी विकास में प्रौद्योगिकी और नवाचार की क्षमता का दोहन करने के लिए एक मजबूत साझेदारी बना रहे हैं।
  - उदाहरण के लिए, **चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी परियोजना** पर भारत-फ्रांस सहयोग।
- **आर्थिक और व्यापारिक समर्थन:** वर्तमान में फ्रांस भारत में **11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक** है।
  - फ्रांस ने **भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते** के लिए चल रही वार्ता को अपना दृढ़ समर्थन दिया है।
  - दोनों देशों ने हाल ही में **फ्रांस में UPI को लॉन्च** किया है। इस प्रकार वे **डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग** कर रहे हैं।
- **प्रौद्योगिकी विकास सहयोग:** अंतरिक्ष सहयोग के सभी पहलुओं पर रणनीतिक मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करने के लिए जून 2023 में दोनों देशों ने **रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद** शुरू किया था।
  - भारत और फ्रांस ने **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर असैन्य परमाणु समझौता** भी किया हुआ है। उदाहरण के लिए, **जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना।**
- **वैश्विक गवर्नेंस पर समान मत:** फ्रांस ने एक समतापूर्ण और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है। इस संदर्भ में उसने वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार सुधार किए गए और प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता** हेतु अपने समर्थन को दोहराया है।

---

[27] Comprehensive Convention on International Terrorism

- फ्रांस ने **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR), वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह** जैसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में शामिल होने में भी भारत की सहायता की है।

- **जलवायु परिवर्तन नियंत्रण पर सहयोग:** भारत और फ्रांस ने सौर ऊर्जा समाधानों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहयोग किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** की शुरुआत की गई है।
  - भारत, **हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल (HAC)** नामक फ्रांसीसी नेतृत्व वाली पहल में शामिल हुआ है।
  - दोनों देशों ने **2021 को हरित ग्रह की दिशा में "भारत-फ्रांस गठबंधन वर्ष"** घोषित किया था।
- **सांस्कृतिक और लोगों की बीच संबंध बढ़ाना:** 2021 में दोनों देशों के मध्य **प्रवासन और आवाजाही पर साझेदारी समझौता** संपन्न हुआ था। यह समझौता छात्रों, स्नातकों, शिक्षाविदों, कुशल कामगारों आदि की आवाजाही को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  - **विला स्वागतम:** यह भारत भर में फैली **16 मौजूदा रेजीडेंसियों** में सर्वश्रेष्ठ फ्रांसीसी प्रतिभाओं को लाने के लिए रेजीडेंसी केंद्रों का एक नेटवर्क है।
    - ऐसा करके, फ्रांस **फ्रांसीसी कलाकारों और लेखकों का एक समुदाय** बनाना चाहता है, जो **भारत की समृद्ध व्यवहार कुशलता तथा अतीत से सीख ले सकेंगे।**

भारत-फ्रांस संबंधों में प्रमुख चुनौतियां

- **रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण:** रूस-यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में, फ्रांस ने रूस के सैन्य हस्तक्षेप की कटु निंदा की है और यूक्रेन को राजनीतिक, वित्तीय, मानवीय और सैन्य समर्थन प्रदान किया है। दूसरी ओर, **भारत** की स्थिति रूस-यूक्रेन पर **रणनीतिक संयम** की है।
- **दोनों देशों के बीच व्यापार की निम्न मात्रा:** दोनों देशों के बीच व्यापार संभावित क्षमता से कम बना हुआ है।
  - इसके अलावा, दोनों देशों के बीच **मुक्त व्यापार समझौता भी नहीं है।**
- **जैतापुर (महाराष्ट्र) में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर** के कार्यान्वयन में दोनों पक्षों की ओर से कई मुद्दे उठाए गए हैं। जैसे **तकनीकी, वित्तीय, असैन्य परमाणु दायित्व** संबंधी मुद्दे आदि।
- **सहयोग की प्रकृति:** दोनों देशों के बीच सहयोग अधिकतर **गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट (G2G)** की प्रकृति में है।
  - **बिज़नेस टू बिज़नेस (B2B) और लोगों के बीच** सहयोग अभी भी अपर्याप्त बना हुआ है।

निष्कर्ष

- भारत और फ्रांस के बीच एक बहुआयामी संबंध है, जो साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और वैश्विक चिंता के अलग-अलग मुद्दों पर आधारित मजबूत साझेदारी द्वारा चिह्नित है। इसके साथ ही, इस साझेदारी को बढ़ाने व आपसी समझ को समृद्ध करने के लिए निवेश और प्रौद्योगिकी विनिमय के माध्यम से बिज़नेस टू बिज़नेस (B2B) सहयोग तथा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

2.4. भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध (India-UAE Relationship)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की आधिकारिक यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान भारत और UAE ने एक **द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT)**[28] पर हस्ताक्षर किए।

अन्य संबंधित तथ्य

- BIT से दोनों देशों में **निवेश को और अधिक बढ़ावा मिलने** की उम्मीद है।
- **BIT माध्यस्थम (Arbitration) के माध्यम से विवादों के उचित निपटान** के लिए एक तंत्र प्रदान करेगा। इस प्रकार अन्य सुविधाओं के अलावा यह **घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा एवं आयात पर निर्भरता को कम** करेगा।
- **भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य** को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। **UAE तेल अर्थव्यवस्था पर निर्भरता को कम करने के लिए आर्थिक विविधता और उदारीकरण के कार्यक्रमों** पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस कारण दोनों देश विविध क्षेत्रकों में प्रगति करने के लिए भागीदार के रूप में एकजुट हो रहे हैं।
  - विशेषज्ञों का मानना है कि यह BIT इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए उठाया गया एक कदम है।

[28] Bilateral Investment Treaty

भारत-UAE संबंधों के बारे में

- भारत-UAE के बीच **राजनयिक संबंधों** की शुरुआत **1972** में हुई थी। **2015** एक ऐसा वर्ष है, जब दोनों देशों के बीच एक **नई रणनीतिक साझेदारी** की शुरुआत हुई थी।
- इस साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों ने **2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA)** पर हस्ताक्षर किए थे। CEPA का उद्देश्य **द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर** तक बढ़ाना है।

दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रक

- **आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग:** अप्रैल 2000 से मार्च 2023 के बीच भारत में UAE का निवेश लगभग 20-21 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। इसमें से 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रूप में है, जबकि शेष पोर्टफोलियो निवेश है।
  - **फिनटेक सहयोग:** दोनों देशों ने अग्रलिखित त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने हेतु समझौते किए हैं: **UPI** (भारत) और **AANI** (संयुक्त अरब अमीरात) तथा **घरेलू डेबिट/ क्रेडिट कार्ड- RuPay** (भारत) व **JAYWAN** (संयुक्त अरब अमीरात)।
  - **भारत की ऊर्जा सुरक्षा:** UAE, भारतीय बाजार के लिए कच्चे तेल, LNG और LPG का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों देश **ब्रिक्स, I2U2 और UFI त्रिपक्षीय सहयोग** जैसे अलग-अलग मंचों का हिस्सा हैं।
  - **I2U2:** भारत-इजरायल-संयुक्त अरब अमीरात-संयुक्त राज्य अमेरिका।
  - **UFI:** संयुक्त अरब अमीरात-फ्रांस-भारत।
- **प्रवासी समुदाय और लोगों के बीच संबंध:** UAE में 3.5 मिलियन से अधिक भारतीय लोग रहते हैं, जो UAE की आबादी का लगभग **35 प्रतिशत** है।
  - यही कारण है कि भारतीय प्रधान मंत्री ने **अबू धाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) हिंदू मंदिर** का उद्घाटन किया था।
- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC)**[29] के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। **यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका** इस गलियारे के भागीदार हैं।
- **शिक्षा:** संयुक्त अरब अमीरात में CBSE और केरल बोर्ड पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय भारतीय स्कूल हैं। इसके अलावा, **IIT दिल्ली के एक अंतर्राष्ट्रीय कैंपस को अबू धाबी** में स्थापित किया जा रहा है।
- **रक्षा सहयोग:** दोनों देशों ने **रक्षा सहयोग समझौते** पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता एक **संयुक्त रक्षा सहयोग समिति** के माध्यम से संचालित है।
  - दोनों देश **अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन (IDEX)**[30] **तथा नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी (NAVDEX)**[31] **और डेजर्ट फ्लैग; डेजर्ट साइक्लोन** जैसे सैन्य अभ्यास आदि में भी भाग लेते हैं।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** ISRO और UAE अंतरिक्ष एजेंसी ने **शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण एवं उपयोग के लिए समझौते** पर हस्ताक्षर किए हैं। यह **I2U2 सहयोग** का एक महत्वपूर्ण घटक भी है।

भारत-UAE संबंधों में चुनौतियां

- **क्षेत्रीय अशांति:** इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष और लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हमलों के कारण क्षेत्र में **क्षेत्रीय शांति प्रभावित** हो रही है। इसका प्रभाव **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे** पर भी पड़ सकता है।
- **आप्रवासी मजदूरों के अधिकार: कफाला प्रणाली के कारण संयुक्त अरब अमीरात** में नियोक्ताओं को आप्रवासी मजदूरों पर अतार्किक अधिकार प्राप्त होता है। इससे मजदूरों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इससे अक्सर पासपोर्ट जब्ती, वेतन में देरी और आजीविका की ख़राब स्थितियों को बढ़ावा मिलता है।
- **व्यापार और बाजार पहुंच में बाधाएं: पक्षपातपूर्ण योग्यता खंडों** (मध्य-पूर्व, यूरोप या विकसित देशों के पक्ष में) के साथ कृषि रसायन जैसे विविध क्षेत्रकों में **व्यापार और बाजार तक पहुंच** में बाधाओं के कारण भारत से होने वाला निर्यात प्रभावित होता है।

---

[29] India-Middle East-Europe Economic Corridor

[30] International Defence and Exhibition

[31] Naval Defence and Maritime Security Exhibition

आगे की राह

- **प्रवासी श्रमिकों का कल्याण:** दोनों देशों को कफाला प्रणाली में सुधार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए समाधान खोजना चाहिए। इससे संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- **रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूत बनाना:** इससे हिंद महासागर क्षेत्र में **चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में सहायता** मिलेगी। जिस प्रकार भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ 2+2 वार्ताएं आयोजित करता है, इसी प्रकार UAE के साथ भी 2+2 वार्ता आयोजित की जानी चाहिए।
- **गैर-शुल्क बाधाओं को कम करना:** इससे अलग-अलग क्षेत्रकों में भारत के निर्यात से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध भारत के लिए न केवल द्विपक्षीय रूप से बल्कि **भारत की विस्तारित पड़ोस नीति और पश्चिम की ओर देखो नीति** के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत-संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में तेजी से हो रहे सुधारों से यह पता चलता है कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर और आशा से भरे हुए हैं तथा सही मार्ग पर हैं।

2.4.1. द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty: BIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत, देश में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के अंतर्वाह को बढ़ावा देने** के लिए व्यापार भागीदारों के साथ BITs पर वार्ता कर रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) दो देशों के बीच एक पारस्परिक समझौता है। इसका उद्देश्य **देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश की सुरक्षा व संवर्धन** करना है।

- **1993 का भारतीय BIT मॉडल:** इस मॉडल के तहत भारत ने **83 देशों** के साथ BITs पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से **74 देशों** के साथ की गई द्विपक्षीय निवेश संधियां 2015 तक लागू थीं।
- भारत ने **2016 में अपने BIT मॉडल को संशोधित** किया था। 2015 के बाद से, भारत ने केवल **4 देशों** के साथ नई BITs पर हस्ताक्षर किए हैं और **37 देशों** के साथ नई BITs पर वार्ता चल रही है। भारत ने **77 देशों** के साथ अपनी पुरानी BITs को समाप्त कर दिया गया है।
- **2016 के BIT मॉडल की प्रमुख विशेषताएं:**
    - **निवेश की "उद्यम" आधारित परिभाषा:** इसका तात्पर्य एक ऐसे उद्यम से है, जिसे देश के घरेलू कानूनों के अनुसार एक निवेशक द्वारा पूर्ण विश्वास के साथ गठित, संगठित और संचालित किया जाता है।
    - **उचित प्रक्रिया के माध्यम से गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार:** इसके तहत प्रत्येक पक्ष (संधिकर्ता देश) द्वारा निवेश और निवेशकों को पूर्ण संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है।
    - **राष्ट्रीय व्यवहार और एक्सप्रोप्रिएशन (स्वत्वाधिहरण) के खिलाफ सुरक्षा[32]:** कोई भी पक्ष किसी निवेशक के निवेश का प्रत्यक्ष रूप से या उस निवेश के स्वामित्व पर अधिकार कर निवेश का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकता।
    - **निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS)[33] तंत्र:** एक विदेशी निवेशक को ISDS तंत्र अपनाने से पहले कम-से-कम पांच वर्ष की अवधि के लिए उस देश के स्थानीय विवाद निपटान तंत्रों का उपयोग करना चाहिए।

बेहतर और जीवंत BIT की आवश्यकता क्यों है?

- न्यूनतम गारंटी के रूप में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना, जैसे-
    - **राष्ट्रीय व्यवहार-** विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू कंपनियों के समान व्यवहार करना।
    - अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार **कंपनियों और निवेशकों के साथ उचित एवं न्यायसंगत व्यवहार** करना।
    - **एक्सप्रोप्रिएशन से सुरक्षा** अर्थात् किसी देश द्वारा अपने राज्यक्षेत्र में किए गए विदेशी निवेश पर अधिकार करने की क्षमता को सीमित करना।
- बेहतर माध्यस्थम तंत्र और निर्बाध विवाद समाधान को बढ़ावा देना।
- **अन्य महत्त्व:**
    - इससे देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत किया जा सकेगा।
    - इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को बढ़ावा मिलता है और पूंजी की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जाता है।

---

[32] National treatment and protections against expropriation

[33] Investor State Dispute Settlement

 ©Vision IAS

वर्तमान BIT मॉडल से जुड़े मुद्दे-

- **2016 के मॉडल BIT का प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण:**
    - विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को 2016 के पहले BIT के कारण कई नोटिस प्राप्त हुए थे। इन्हीं नोटिस के खिलाफ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप **2016 में भारत में नया BIT मॉडल** लाया गया था।
    - इसमें बहुत सारे अपवाद हैं, जो संधिकर्ता देश के दायित्व को कम करते हैं और BIT के तहत दावा करने के लिए आवश्यक शर्तों को बढ़ाते हैं।
- **माध्यस्थम तंत्र संबंधी विवाद: माध्यस्थम तंत्र को सबसे विवादास्पद उपबंध माना जाता है।** यह निवेशक को BIT के तहत माध्यस्थम का उपयोग करने से पहले कम-से-कम पांच वर्ष के लिए घरेलू विवाद समाधान तंत्र के पूर्ण उपयोग पर जोर देता है।
- **निवेश की उद्यम आधारित परिभाषा का मुद्दा:** निवेश की **उद्यम आधारित परिभाषा,** निवेश की परिभाषा को **सीमित** कर देती है। इसके अलावा, इसमें कई अस्पष्ट शर्तों को भी शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए **"निश्चित अवधि" और "जिस संधिकर्ता देश के राज्यक्षेत्र में निवेश किया गया है, उस राज्यक्षेत्र के विकास के लिए उस निवेश का महत्त्व"** आदि।
- **निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार की उपेक्षा: "निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार" मानकों को छोड़** दिया गया है। इन्हें उन सुरक्षाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिनका उपयोग करने के लिए एक थ्रेसहोल्ड (एक निश्चित सीमा) को सक्रिय करने और/ या लागू करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, **मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) और "वैध अपेक्षा" (Legitimate Expectation)** के सिद्धांत भी अनुपस्थित हैं।
- **संप्रभुता की स्थापना: BIT के तहत प्रदान की जाने वाली सुरक्षा से प्राप्त कराधान उपायों की छूट** ने सीमा-पार वाणिज्यिक लेन-देन को सुरक्षित करने के लिए एक संधि को अपनाने की बजाय परोक्ष रूप से संप्रभुता को स्थापित किया है।
- **पेशेवरों की कमी:** भारत में **अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव वाले पर्याप्त संख्या में वकील/ न्यायाधीश न होने के कारण** पेशेवरों की कमी है। इसलिए, निवेश संबंधी विवादों के माध्यस्थम में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली विदेशी वकील फर्मों को भारी शुल्क का भुगतान किया जाता है।

आगे की राह

एक संसदीय स्थायी समिति द्वारा व्यापक विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं:

- सरकारी कोष से भुगतान से बचने के लिए **माध्यस्थम-पूर्व परामर्श या वार्ता के माध्यम से निवेश संबंधी विवादों का समय पर निपटान** करना चाहिए।
- **BIT मॉडल 2016 में निम्नलिखित तरीके से आगे बदलाव किया जाना चाहिए-**
    - BIT से उत्पन्न विवादों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर **BIT मॉडल 2016 की निरंतर समीक्षा करनी चाहिए और उसमें सुधार** करना चाहिए।
    - ऐसी संधियों के कार्यान्वयन और परिणामों का अध्ययन करने के बाद **विकसित देशों द्वारा अपनाई गई BIT की सर्वोत्तम पद्धतियों और प्रावधानों को ऐसी संधियों में निरंतर शामिल** करना चाहिए।
- **घरेलू कानूनी विशेषज्ञता को बढ़ावा:** BIT के प्रभावी मसौदे के निर्माण और निवेश संबंधी विवादों के माध्यस्थम में प्रतिनिधित्व के लिए प्रशिक्षित वकीलों, फर्मों और सरकारी अधिकारियों के माध्यम से घरेलू कानूनी विशेषज्ञता का निर्माण करना चाहिए।
- **नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र को विश्व स्तरीय माध्यस्थम केंद्र के रूप में बढ़ावा** देना चाहिए।
- **स्पष्ट और दूरदर्शी BIT का मसौदा बनाना:** माध्यस्थमों और अधिकरणों द्वारा अनावश्यक व्यापक व्याख्या तथा भारत के खिलाफ निवेश संबंधी विवादों या दावों व निवेशकों द्वारा कुछ प्रावधानों के दुरुपयोग से बचने के लिए **स्पष्ट एवं दूरदर्शी BIT का मसौदा तैयार** किया जाना चाहिए।

2.5. ब्रिक्स का विस्तार (Expansion of BRICS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पांच नए सदस्य अर्थात् **मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पूर्णकालिक स्थायी सदस्यों के रूप में ब्रिक्स में शामिल** हुए हैं। हालांकि, **अर्जेंटीना** ब्रिक्स में शामिल होने के अपने निर्णय से पीछे हट गया है।

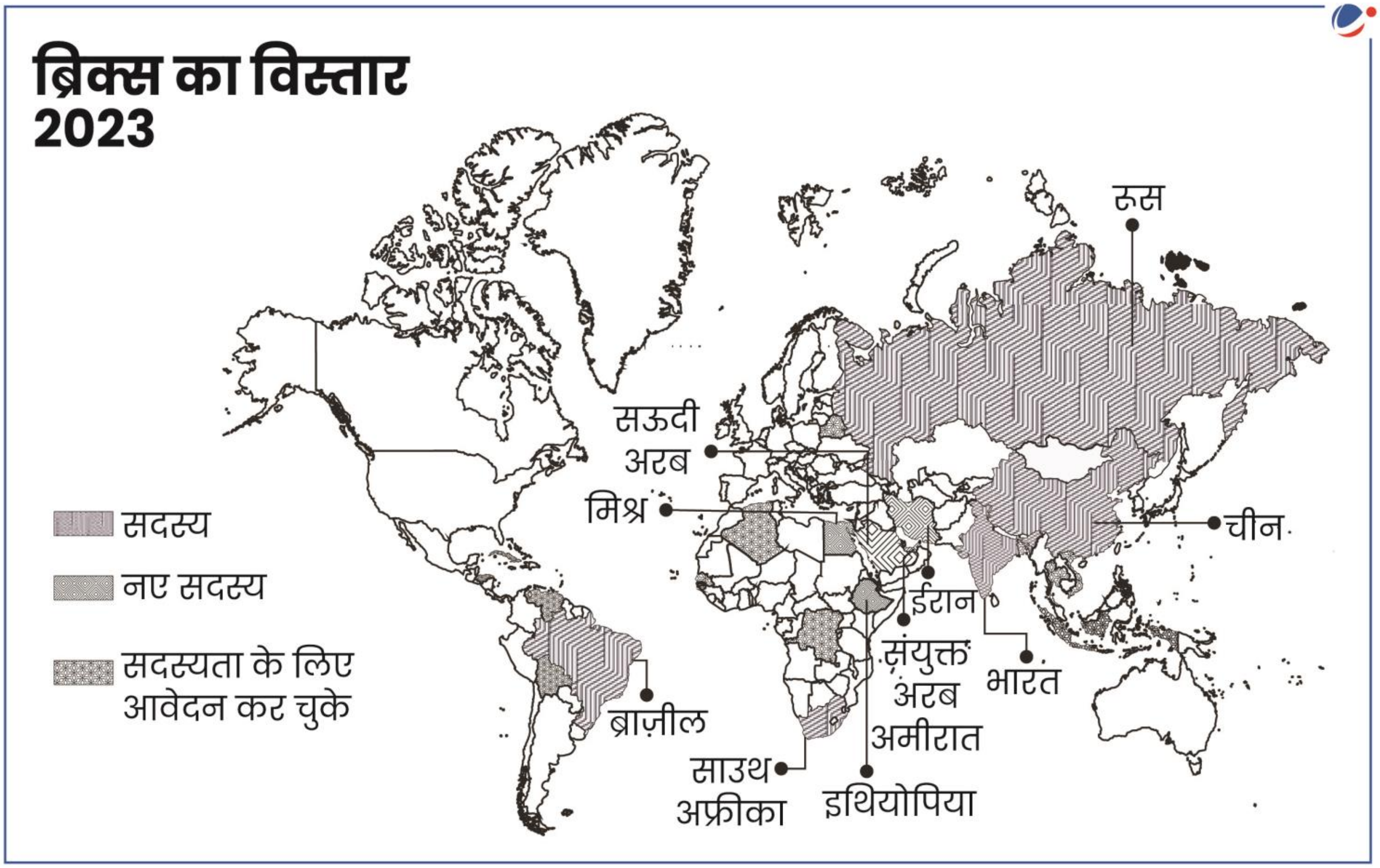

ब्रिक्स के बारे में

- ब्रिटिश अर्थशास्त्री **जिम ओ' नील ने 2001 में पहली बार 'BRICs' उपनाम दिया था और इस संक्षिप्त नाम का प्रयोग** किया था।
- BRIC ने **2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के अवसर पर एक औपचारिक समूह के रूप में कार्य** करना शुरू किया था।
- **BRIC का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में येकातेरिनबर्ग (रूस)** में आयोजित किया गया था।
- **2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से ब्रिक (BRIC), ब्रिक्स (BRICS) बन** गया था।

ब्रिक्स के विस्तार का महत्त्व:

- **बहुध्रुवीय विश्व को आकार देने में महत्त्व:** विविध क्षेत्रों और आर्थिक शक्तियों के साथ ब्रिक्स का विस्तार विश्व व्यवस्था में इसे एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में स्थापित करेगा।
    - **मध्य शक्तियों की बढ़ी हुई भूमिका:** ब्रिक्स एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर एक सूक्ष्म बदलाव की पेशकश करता है, जहां मध्यवर्ती शक्तियां तेजी से केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं।

ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई मुख्य पहलें

- **पारस्परिक वित्तीय सहायता** प्रदान करने के लिए **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (CRA) को अपनाया** गया है। NDB का मुख्यालय **शंघाई** में स्थित है।
- **चिकित्सा सहयोग:** संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए **उफा घोषणा (Ufa Declaration)** को अपनाया गया है।
- **ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) फ्रेमवर्क कार्यक्रम (2015)** ने कोविड-19 के लिए एक साझी प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद की है।
- राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों पर केंद्रीय बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग की दिशा में एक कदम के रूप में **ब्रिक्स भुगतान कार्य बल** का गठन किया गया है।
- **ब्रिक्स रैपिड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल** सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच साइबर खतरों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

- **नए क्षेत्रों में ब्रिक्स समूह के फुटप्रिंट का विस्तार:** यह विस्तार मध्य-पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सहित प्रमुख क्षेत्रों में ब्रिक्स की उपस्थिति को मजबूत करता है। इससे ब्रिक्स की वैश्विक पहुंच में और वृद्धि हुई है।
- **वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रभाव बढ़ना:** विस्तार के बाद दुनिया की 40% आबादी वाले ब्रिक्स देशों ने क्रय शक्ति समता के मामले में G7 देशों को पीछे छोड़ दिया है।
    - अफ्रीका महाद्वीप के **मिस्र और इथियोपिया** के ब्रिक्स में शामिल होने से वैश्विक आर्थिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

- **वि-डॉलरीकरण को बढ़ावा:** ब्रिक्स सदस्य वि-डॉलरीकरण की वकालत कर सकते हैं और स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को सुविधाजनक बना सकते हैं।
    - **मिस्र ने चीन, भारत और रूस** से आयात करने के लिए इन देशों की संबंधित मुद्राओं में भुगतान करने के संदर्भ में अपना मत साझा किया है।

ब्रिक्स के विस्तार से संबंधित मुद्दे

- **विकास के विविध स्तर:** ब्रिक्स समूह में शामिल किए गए देशों के आर्थिक विकास का स्तर काफी अलग-अलग है। अतः ब्रिक्स का विस्तार उनके बीच सहयोग को और सीमित कर सकता है।
- **सर्वसम्मति और व्यापक वार्ता का अभाव:** सदस्य देशों के बीच सर्वसम्मति और व्यापक वार्ता का अभाव होने के कारण कुछ सदस्य विस्तार के पक्ष में नहीं थे। साथ ही, नए सदस्यों को जोड़ने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों की स्थापना पर जोर दे रहे थे।
- **ब्रिक्स का विकासशील चरण:** ब्रिक्स अपने विकासशील चरण में है, क्योंकि इस समूह को एक संगठन के रूप में विकसित होना अभी बाकी है। इसलिए, विस्तार से पहले इसे अपने संस्थानों और गवर्नेंस संरचना को विकसित करने के लिए समय की आवश्यकता है।
- **भू-राजनीतिक संवेदनशीलता:** भू-राजनीतिक रूप से, कई देश ब्रिक्स की विस्तार नीति को चीन की रणनीति के रूप में देखते हैं, जहां वह समान विचारधारा वाले देशों को साथ लेकर अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
- **सदस्यों के बीच व्यापक आंतरिक मतभेद:** यह समूह अलग-अलग सामाजिक संरचनाओं, संसाधनों और विकासात्मक पथों वाले लोकतांत्रिक एवं सत्तावादी शासनों का मिश्रण है।
- **वैश्विक संस्थाओं में सुधारों के प्रति दृष्टिकोण:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) जैसी संस्थाओं में संस्थागत सुधारों के प्रति दृष्टिकोण अधिक घोषणात्मक प्रकृति का बना हुआ है।
- **वैश्विक संस्थानों पर निर्भरता:** ब्रिक्स देश अभी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे G20, IMF, विश्व बैंक आदि पर निर्भर हैं।

> **भारत के लिए ब्रिक्स का महत्त्व**
>
> - **विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के लिए आवाज उठाना:** ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस मंच का भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों की चिंताओं को उठाने और उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए उपयोग करता है।
> - **वार्ता के लिए सुरक्षित मंच:** ब्रिक्स भारत को द्विपक्षीय तनाव के समय भी वार्ता में शामिल होने और संभावित प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन करने के लिए तटस्थ मंच प्रदान करता है। जैसा कि भारत-चीन डोकलाम गतिरोध के समय देखा गया था।
> - **बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार संबंधी मांगों को बढ़ावा:** यह भारत को समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए UNSC और WTO जैसे संस्थानों में सुधारों पर जोर देने की अनुमति देता है।
> - **समावेशी वित्तीय व्यवस्था:** यह NDB जैसी पहलों के साथ अधिक समावेशी वैश्विक वित्तीय प्रणाली के निर्माण में योगदान देता है।
> - **आयात निर्भरता में कमी:** सहयोग में वृद्धि के कारण भारत को आयात स्रोतों के विविधीकरण और व्यापार के लिए बेहतर समझौतों का अवसर प्राप्त होता है। इससे इससे भारत को आयात पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करने में मदद मिल सकती है।
> - **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को हासिल करने में सहयोग:** गरीबी और भुखमरी को कम करने से संबंधित SDGs को हासिल करने में ब्रिक्स सहयोग (जैसे- कृषि अनुसंधान मंच) भारत के लिए काफी मददगार हो सकता है।

- **वर्तमान वैश्विक संघर्ष और बदलती विश्व व्यवस्था:** विश्व व्यवस्था में चल रहा मंथन महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-हमास संघर्ष से और अधिक जटिल हो गया है। यह ब्रिक्स देशों की भविष्य की नीतिगत दिशा को लेकर चिंता उत्पन्न करता है।
- **कमजोर परस्पर व्यापार:** भौगोलिक दूरी और प्रतिबंधात्मक व्यापारिक परिवेश के कारण ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, आयात और निर्यात कम है।
- **अन्य संस्थानों से निम्न प्रतिस्पर्धात्मकता:** पूंजी की कमी के कारण ब्रिक्स के पास विश्व बैंक और IMF जैसे संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए धन की कमी है। इसके लिए NDB में अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी।

आगे की राह

- **स्थायी सचिवालय:** इसकी विस्तारित सदस्यता के साथ एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की जानी चाहिए।
- **संरक्षणवाद के खिलाफ सामूहिक रुख:** ब्रिक्स का भविष्य व्यापार संबंधी संरक्षणवाद के खिलाफ ब्रिक्स देशों के सामूहिक रुख पर निर्भर करेगा। तात्पर्य यह है कि व्यापार संबंधी संरक्षणवाद के खिलाफ सामूहिक रूप से एकजुट होने, निवेश बढ़ाने और वैश्विक राजनीतिक एजेंडा साझा करने हेतु ब्रिक्स नेतृत्वकर्ता किस स्तर तक सहमत होंगे।
- **सामंजस्य को प्राथमिकता:** मौजूदा सदस्य देशों के बीच सामाजिक-आर्थिक सहयोग के द्वारा आपस में आर्थिक और सामाजिक सामंजस्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **बॉटम अप दृष्टिकोण:** यह दृष्टिकोण अपनाने से निजी क्षेत्र की और नागरिक भागीदारी में वृद्धि हो सकती है। इसमें एकल ब्रिक्स वीजा, शोधकर्ताओं के बीच सहयोग बढ़ाना आदि को शामिल किया जा सकता है।

- **विश्वास निर्माण उपायों को बढ़ावा:** सदस्यों को ज्ञान साझा करके, व्यापार और विकास को बढ़ावा देकर तथा विकासात्मक वित्त को आगे बढ़ाकर आपस में विश्वास बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **बहुपक्षीय प्रयासों को आगे बढ़ाना:** ब्रिक्स देशों को ग्लोबल साउथ के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाकर बहुपक्षीय प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए। इन देशों में ध्रुवीकरण की बजाय एकता का वैश्विक संदेश दिया जाना चाहिए।
- **सहयोग के अन्य क्षेत्र:** उदाहरण के लिए ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम का निर्माण; पारंपरिक चिकित्सा पर रिपॉजिटरी स्थापित करना जैसे उद्देश्यों का और अधिक विस्तार करना आदि।

संबंधित सुर्ख़ियां

गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के लिए IBSA फैसिलिटी (IBSA फंड)

- भारत ने IBSA फंड में **1 मिलियन डॉलर** का अंशदान किया है।
- **IBSA फंड के बारे में**
    - इसकी स्थापना **2004 में भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त रूप** से की थी। यह फंड **2006** से परिचालन में है।
    - इसका उद्देश्य **ग्लोबल साउथ के देशों की** राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने से संबंधित **परियोजनाओं** तथा साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत अन्य सभी विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली परियोजनाओं **को वित्तीय सहायता** प्रदान करना है।
- **IBSA के बारे में**
    - इस फोरम में **भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका** शामिल हैं।
    - इसे **2003** में औपचारिक रूप दिया गया था। इसी वर्ष इसका नाम **IBSA डायलॉग फोरम** रखा गया था।

2.6. दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (South Asia Sub Regional Economic Cooperation: SASEC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने **SASEC कॉरिडोर कनेक्टिविटी** के हिस्से के रूप में **असम** में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसमें 3400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के तहत 38 पुलों सहित 43 सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा।
- इनमें चार लेन की परियोजनाएं भी शामिल हैं, जो **ईटानगर** से कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी।

दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (South Asia Subregional Economic Cooperation: SASEC)

SASEC South Asia Subregional Economic Cooperation

HQ मनीला

स्थापना: **बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल** द्वारा **एशियाई विकास बैंक (ADB) से** अनुरोध के बाद **2001 में स्थापित।**
- **ADB इसके सचिवालय** के रूप में कार्य करता है।

उद्देश्य: **परियोजना-आधारित साझेदारी** करना, ताकि क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके, आर्थिक अवसरों में सुधार हो सके और जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके।

विज़न: दक्षिण एशिया में **अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना।** साथ ही, **म्यांमार के जरिए दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन और वैश्विक बाजार तक कनेक्टिविटी व व्यापार** विकसित करना।

सदस्य: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका।

SASEC के तहत फोकस किए गए क्षेत्र

SASEC सहयोग के मुख्य रूप से चार स्तंभ हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **SASEC परिवहन क्षेत्रक रणनीति:** इसके तहत अंतर-क्षेत्रीय व्यापार और संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मल्टी-मॉडल परिवहन नेटवर्क एवं लॉजिस्टिक्स सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।
    - इसका उद्देश्य अंतर-क्षेत्रीय स्तर पर सार्क (SAARC) की रणनीतिक प्राथमिकताओं का समर्थन करना है।
- **SASEC व्यापार सुविधा:** इसका उद्देश्य सीमा शुल्क आधुनिकीकरण, सीमा-पार सुविधाओं में सुधार आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए **SASEC व्यापार सुविधा रणनीतिक ढांचे (2014-18)** को लागू करना है।
    - इसका लक्ष्य **दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता सहयोग ढांचे की रणनीतिक प्राथमिकताओं का समर्थन** करना है।
- **SASEC ऊर्जा क्षेत्रक रणनीति:** इसके तहत सीमा-पार विद्युत पारेषण कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
    - इसका उद्देश्य विद्युत व्यापार को बढ़ावा देना तथा ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा विकास में सहयोग करना है।

- **आर्थिक गलियारा विकास रणनीति:** 2016 में देशों ने **SASEC परिचालन योजना 2016-2025** को मंजूरी दे दी थी। इसमें फोकस के चौथे स्तम्भ के रूप में आर्थिक गलियारे के विकास को प्रस्तावित किया गया था।
    - इसका उद्देश्य आर्थिक गलियारों का निर्माण करना है, जिनमें सीमा-पार कनेक्टिविटी की सम्भावना हो;
    - साथ ही, सार्वजनिक-निजी भागीदारी में नवाचार लाने के लिए अवसरों का अनुकूलन करना है।

भारत के लिए SASEC का महत्त्व

- **दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी:** म्यांमार में बन रहे सड़क गलियारे भारत को दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण:** म्यांमार में बंदरगाहों के विकास के साथ भूमि से घिरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त प्रवेश द्वार प्राप्त होगा।
- **आर्थिक संवृद्धि की व्यापक संभावना:** भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के विकास से उप-क्षेत्रों में तीव्र आर्थिक संवृद्धि की संभावना है।
    - SASEC ने **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग** के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो **मणिपुर के मोरेह से म्यांमार होते हुए थाईलैंड के माई सॉट** तक जाएगा।
    - SASEC इस क्षेत्र में **चीन की वन बेल्ट वन रोड** पहल के एक विकल्प के रूप में भी कार्य कर सकता है।
    - इसके अलावा, **ग्रेट एशियन हाईवे** का हिस्सा होने के कारण यह कनेक्टिविटी परियोजना वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। यह हाईवे **एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UNESCAP)** के तहत विकसित किया जा रहा है।

SASEC के समक्ष चुनौतियां

- दक्षिण एशिया में **प्रभावी सीमा-पार परिवहन अवसंरचना की कमी** ने व्यापार की संभावनाओं को कम किया है।
- **आधुनिक स्वचालित सीमा संबंधी प्रक्रियाओं की कमी** के कारण वस्तुओं, वाहनों और व्यापारियों को सीमा-पार करने में अधिक लागत का वहन करना पड़ता है एवं अधिक समय लगता है।
- विश्व बैंक के अनुसार **दक्षिण एशिया में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार संभावना का कम उपयोग** किया गया है। इसमें परस्पर व्यापार उनके कुल व्यापार का केवल लगभग 5% है, जबकि आसियान क्षेत्र में उनका अंतर-क्षेत्रीय व्यापार उनके कुल व्यापार का 25% है।
- **लालफीताशाही** कई बाधाओं को जन्म देती है, जैसे लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया, अनावश्यक दस्तावेज़ीकरण और सामंजस्यपूर्ण व्यापार विनियमों की अनुपस्थिति आदि।
- दक्षतापूर्ण और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पावर ग्रिड्स जैसी **सीमा-पार एनर्जी इंटरकनेक्शन अवसंरचना का अभाव है।**
- **दक्षिण एशिया में वर्तमान औद्योगिक आधार** क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से संबद्ध नहीं हैं। यह प्रभावी औद्योगीकरण प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करता है।
- **अपर्याप्त अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी और 'व्यापार के अनुकूल' विनियामक एवं संस्थागत फ्रेमवर्क न होने** के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आई है।

आगे की राह

- **मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के माध्यम से क्षेत्रीय परिवहन और व्यापार सुविधा की दक्षता में सुधार** होगा। इससे दक्षिण एशिया में और विश्व के बाकी हिस्सों के साथ भी अंतर-क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि हो सकती है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए सीमा-पार व्यापार संबंधी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण और अनुकूलन करना चाहिए। साथ ही, **सीमा-पार व्यापार संबंधी चेक पोस्ट्स पर अवसंरचना को उन्नत करने** को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- व्यापार में लगने वाले समय को कम करने और व्यापार को सस्ता व तेज बनाने के लिए **नीतिगत, विनियामक एवं संस्थागत सुधार लागू** करने चाहिए।
- **क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग** बाह्य आघात के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच एवं विकास में भी सुधार कर सकता है।
- आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार और लॉजिस्टिक्स क्षमताओं से संबंधित **मौजूदा मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत** करना चाहिए और उन्हें पड़ोसी देशों में मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ना चाहिए।
- दक्षिण एशिया में औद्योगिक उत्पादकता और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए **शहरीकरण एवं औद्योगीकरण को आपस में समकालिक (Synchronizing) व एकीकृत करना** चाहिए।

2.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.7.1. फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी {UN Relief and Works Agency (UNRWA) For Palestinian Refugees}

- संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने देशों से **UNRWA के लिए वित्त-पोषण को निलंबित** करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
- **UNRWA के बारे में:**
  - **उत्पत्ति:** इसका गठन 1949 में **संयुक्त राष्ट्र महासभा के सहायक अंग के रूप** में किया गया था।
  - **उद्देश्य:** UNRWA के अंतर्गत पंजीकृत **फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता और सुरक्षा** प्रदान करना।
    - यह **पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन** के शरणार्थी शिविरों में रहने वाले **फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता** प्रदान करती है।
  - **वित्त-पोषण:** यह लगभग पूरी तरह से **संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्त-पोषित** है।

2.7.2. पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय (Economic Community of West African States: ECOWAS)

- **बुर्किना फासो, माली और नाइजर** ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों के समूह ECOWAS से बाहर निकलने की घोषणा की है।
- **ECOWAS के बारे में:**
  - इसका **मुख्यालय अबुजा (नाइजीरिया)** में है।
  - इसकी स्थापना **1975 में लागोस की संधि** से हुई थी।
  - यह **15 सदस्यों का क्षेत्रीय समूह** है। 15 सदस्यों में **बुर्किना फासो, माली व नाइजर** भी शामिल हैं।
    - **अन्य सदस्य हैं:** बेनिन, काबो वर्डे, कोटे डी आइवर, गैम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो।
- **इस संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - सदस्यों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देकर पश्चिम अफ्रीका में **आर्थिक संघ की स्थापना** करना। यह संघ:
    - लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा,
    - आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा,
    - सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा, और
    - अफ्रीका महाद्वीप की प्रगति व विकास में योगदान देगा।

2.7.3. वाइमर ट्रायंगल (The Weimar Triangle)

- हाल ही में **जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस** के विदेश मंत्रियों ने **वाइमर ट्रायंगल को फिर से सक्रिय करने के लिए आपस में भेंट** की है।
- **वाइमर ट्रायंगल एक क्षेत्रीय समूह** है। इसका गठन **1991** में किया गया था।
  - इसका उद्देश्य **यूरोप के लिए एक साझा विज़न विकसित** करना है। साथ ही, समूह में शामिल **तीनों देशों के समाजों के बीच घनिष्ठ संबंध** स्थापित करना है।
  - शुरुआत में यह समूह, **द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन-पोलिश सुलह का समर्थन** करने वाला एक प्रमुख मंच था।
  - इस समूह का नाम **जर्मनी के वाइमर शहर** से लिया गया है, जहां इसकी **शुरुआती बैठक** आयोजित हुई थी।

2.7.4. मिशन एस्पाइड्स (Mission Aspides)

- **यूरोपीय संघ** ने 'मिशन एस्पाइड्स' की शुरुआत की है। इस मिशन का लक्ष्य **लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की हूती विद्रोहियों के हमलों से रक्षा** करना है। यूरोपीय संघ के अनुसार **ईरान** हूती विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है।
  - **इस मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
    - नौवहन की स्वतंत्रता का संरक्षण करना,
    - हर समय आस-पास की समुद्री गतिविधियों के बारे में सूचनाएं प्रदान करना,
    - जहाजों को सुरक्षा देना, और
    - समुद्र में संभावित विविध हमलों से जहाजों की रक्षा करना।

- इस मिशन का संचालन निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाएगा:
  - **बाब अल मंडेब और होर्मुज जलडमरूमध्य;**
  - **लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर, ओमान की खाड़ी और अरब की खाड़ी के** अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में।

2.7.5. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स {Henley Passport Index (HPI)}

- हाल ही में जारी **2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स (HPI)** में भारत फिसलकर **85वें स्थान** पर आ गया है।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स (HPI) के बारे में

- इसे **हेनले एंड पार्टनर्स** द्वारा जारी किया जाता है।
- इसके तहत रैंकिंग इस आधार पर प्रदान की जाती है कि **भारतीय पासपोर्ट धारक कितने गंतव्यों तक बिना वीज़ा** के जा सकते हैं।
- **इसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के आंकड़ों के आधार पर तैयार** किया जाता है।
- यह 227 **यात्रा गंतव्यों के लिए 199 अलग–अलग पासपोर्ट्स की वीज़ा–मुक्त पहुंच** की तुलना करता है।
- 2024 की रैंकिंग में **6 देश (फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर व स्पेन) प्रथम स्थान** पर हैं।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

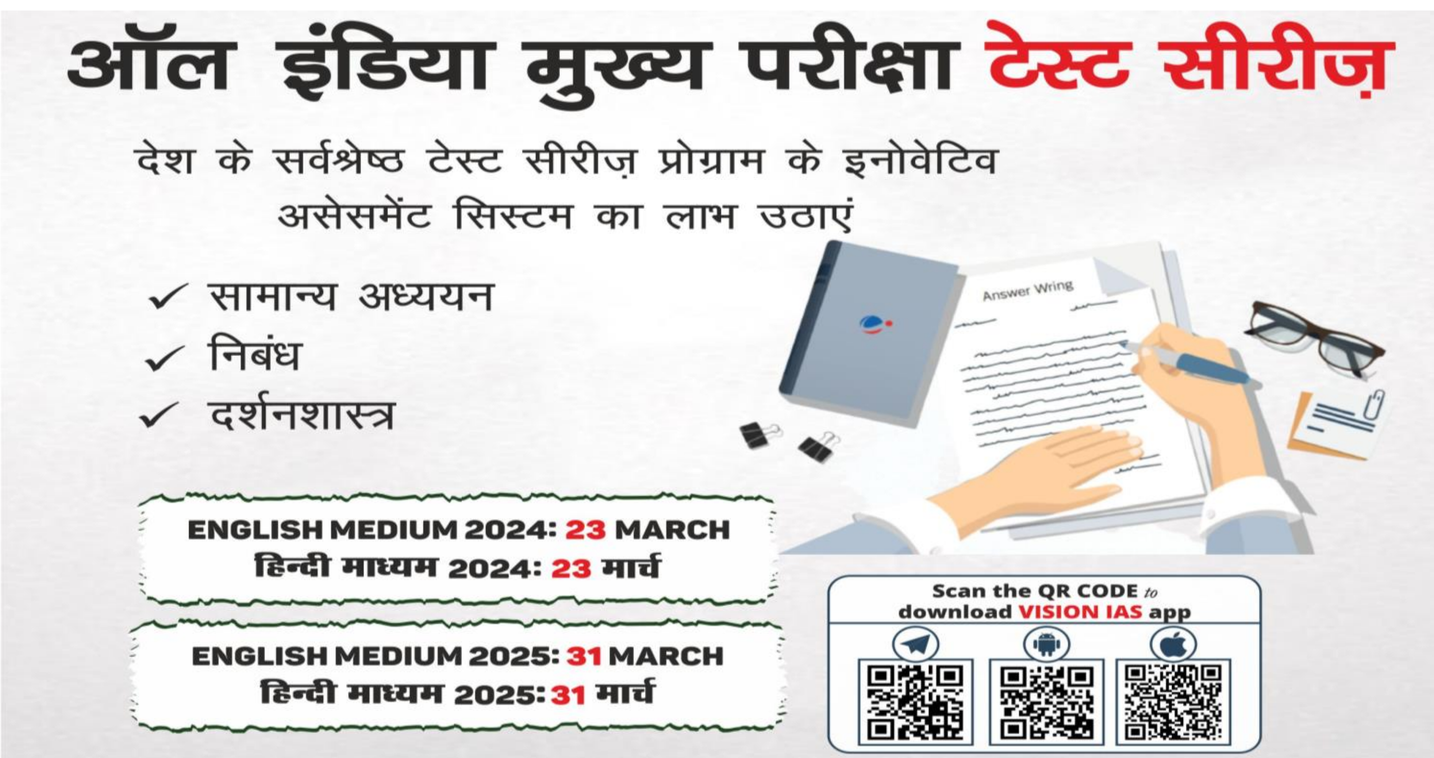

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टैटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

Vision IAS का **त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट** उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उपराष्ट्रपति ने आर्थिक राष्ट्रवाद को देश की **आर्थिक संवृद्धि के लिए सबसे अच्छा** मौलिक कारक बताया है।

आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है?

- **परिभाषा:** आर्थिक राष्ट्रवाद **पारंपरिक रूप से एक ऐसी विचारधारा** है, जिसमें **अर्थव्यवस्था, श्रम और पूंजी निर्माण पर घरेलू क्षेत्रक के नियंत्रण का समर्थन** किया जाता है।
- **उत्पत्ति: फ्रेडरिक लिस्ट** को आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का प्रवर्तक माना जाता है।
    - फ्रेडरिक लिस्ट का **"नेशनल इकोनॉमिक्स"** का सिद्धांत एडम स्मिथ और जीन-बैप्टिस्ट सेय के क्रमशः **'इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स'** एवं **'कॉस्मोपॉलिटन इकोनॉमिक्स'** सिद्धांत से अलग है।
    - लिस्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि व्यक्तिवाद और संपूर्ण मानवता के बीच **"राष्ट्र" नामक संस्था** विद्यमान है। साथ ही, उन्होंने एक **मध्यवर्ती संस्था** के रूप में **राष्ट्र** पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।
    - लिस्ट ने इस तथ्य की जांच की है कि कोई राष्ट्र **समृद्धि, सभ्यता और शक्ति** कैसे प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उन्होंने **औद्योगिक विकास** को प्रमुख साधन माना था। इस प्रकार, नए-नए उद्योगों को डूबने से बचाने के लिए **आयात पर प्रशुल्क (Tariff) लगाना** लिस्ट की आर्थिक नीति का मूल उद्देश्य बन गया।

- **आर्थिक राष्ट्रवाद की बदलती प्रकृति:** आर्थिक राष्ट्रवाद की वर्तमान अवधारणा का संबंध **राष्ट्र से है न कि विशेष आर्थिक नीतियों से।**
    - इसके **कई रूप** हो सकते हैं, क्योंकि इसमें परिस्थितियों के आधार पर **आर्थिक उदारवाद या संरक्षणवादी नीतियों** को अपनाया जा सकता है।

भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद

- **आर्थिक राष्ट्रवाद की विचारधारा का उद्भव:** भारत में इसका आरंभिक विकास **औपनिवेशिक (यानी ब्रिटिश) शासन के समय** हुआ था।
    - भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव कहीं न कहीं **वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद के विस्तार से भी संबंधित** था। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद के प्रसार को **प्रथम वैश्वीकरण** के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान **पूंजीवाद** के विस्तार की प्रकृति **असमानता पर आधारित** थी। उस समय शेष विश्व को **यूरोप में निर्मित वस्तुओं का निर्यात** और यूरोप में **शेष विश्व के प्राथमिक वस्तुओं या कच्चे माल का आयात** किया जाता था।
- **19वीं सदी में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक आलोचना:** ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के नकारात्मक आर्थिक परिणामों की अनुभूति सर्वप्रथम 1830 के दशक में **राजा राममोहन राय के लेखन** में उजागर की गई थी।
    - बाद में, **भास्कर पांडुरंग तर्खाडकर, गोविंद विट्ठल कुंटे** (जिन्हें **भाऊ महाजन** के नाम से जाना जाता है) और **रामकृष्ण विश्वनाथ** जैसे कुछ बुद्धिजीवियों ने भारत का आर्थिक शोषण करने के लिए ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी।

 ©Vision IAS

- **आर्थिक राष्ट्रवाद की विचारधारा का उभरना:** 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में, आर्थिक आलोचना में **"राष्ट्रवाद[34]"** की विचारधारा भी शामिल हो गई।
  - इसके सबसे महत्वपूर्ण समर्थकों में **दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, रोमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, जी.वी. जोशी, बाल गंगाधर तिलक** और **सुरेंद्रनाथ बनर्जी** शामिल थे।
  - उन्होंने महसूस किया कि वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में भारत की स्थिति एक **"आश्रित औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था"** की है। साथ ही, भारत **वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अधीनस्थ की भूमिका में** है।
  - उन्होंने भारत के **"ग्रामीणीकरण (Ruralization)"** और **"वि-औद्योगीकरण (De-industrialization"** की प्रक्रियाओं की भी आलोचना की थी।
- **धन निकासी का सिद्धांत (Drain theory): दादाभाई नौरोजी** ने "धन की निकासी" के सिद्धांत को पेश किया था। इस सिद्धांत की सहायता से नौरोजी ने यह बताया था कि औपनिवेशिक शासन भारत को कोई आर्थिक व व्यावसायिक लाभ पहुंचाए बिना भारत के संसाधनों को एकतरफा तरीके से ब्रिटेन भेज रहा है।

इन घटनाक्रमों के कारण देश के लिए **स्वतंत्र राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां** विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

आर्थिक राष्ट्रवाद से 'आत्मनिर्भर भारत' का निर्माण हो रहा है

आजादी के बाद से, भारत ने कई आर्थिक नीतियां लागू की हैं, जिन्हें आर्थिक राष्ट्रवाद से प्रेरित माना जा सकता है। साथ ही, ये नीतियां आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

- **घरेलू उद्योगों को बढ़ावा:** सरकार द्वारा शुरू किए गए अनेक सुधारवादी कार्यक्रमों में **घरेलू विनिर्माण और सेवा आधारित उद्योगों** के विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है।
  - इनमें उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)[35] योजना, मेक इन इंडिया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) आदि शामिल हैं।
  - ऐसी ही अन्य पहलों में **वोकल फॉर लोकल,** एक जिला एक उत्पाद (ODOP)[36] योजना, MSMEs[37] को लाभ प्रदान करना आदि शामिल हैं।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी[38]:** भारत **प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने** के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधार लागू कर रहा है, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी कर रहा है और उत्पादों व सेवाओं का मानकीकरण कर रहा है। इससे भारत **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपना स्थान** सुनिश्चित कर सकता है।
  - इस संबंध में लॉजिस्टिक्स में सुधार के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे- **पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान,** राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, भारतमाला, सागरमाला परियोजना आदि। ये सब अवसंरचना के विकास से संबंधित हैं, जिनसे आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण में मदद मिलेगी।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** भारत रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं जैसे रणनीतिक क्षेत्रकों में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही, भारत बहुपक्षीय साझेदारी को भी मजबूत कर रहा है। इससे **भू-राजनीतिक प्रभावों को कम करने और एक स्वतंत्र विदेश नीति** अपनाने में मदद मिल सकती है।
- **अनुसंधान एवं विकास (R&D):** अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों में **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन,** उच्चतर आविष्कार योजना (UAY), इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (IMPRINT) आदि शामिल हैं। इन पहलों से भारत को **तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने** में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

आर्थिक राष्ट्रवाद को अपनाने या अस्वीकार करने का निर्णय केवल दो दिशाओं वाला निर्णय नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप लिया जाने वाला निर्णय है। भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और वैश्विक व्यापार के लिए अपने दरवाजे खुले रखने के बीच संतुलन बनाया जाए।

---

[34] Political economy of nationhood

[35] Production-Linked Incentives

[36] One District One Product

[37] Micro, Small and Medium Enterprises/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

[38] Participation in Global Supply Chain

3.2. राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली गारंटियां (State Government Guarantees)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा गठित एक वर्किंग ग्रुप ने **राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली गारंटियों** से संबंधित मुद्दों या समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सिफारिशें की हैं।

राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी क्या होती है?

- उपर्युक्त संदर्भ में **"गारंटी"** वस्तुतः ऋण वापस करने के लिए राज्य के ऊपर एक तरह का **कानूनी दायित्व** होता है। यह राज्य को ऋण भुगतान करने के लिए **बाध्य** करता है और ऋणी के डिफॉल्ट होने की स्थिति में **किसी निवेशक/ ऋणदाता को जोखिम से बचाता** है। राज्य से गारंटी आमतौर पर तब मांगी जाती है, जब निवेशक/ ऋणदाता **ऋणी के डिफॉल्ट होने का जोखिम उठाने में सक्षम नहीं होते हैं।** सरल शब्दों में, जब राज्य सरकार किसी ऋण के बदले गारंटी देकर ऋण वापस न चुकाए जाने की स्थिति में खुद भुगतान करने का वादा करती है, तो उसे राज्य सरकार की गारंटी कहा जाता है। निवेशकों या ऋणदाता संस्थाओं के ऋण को डूबने से बचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आमतौर पर, राज्य सरकारें राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों, सहकारी संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा राज्य के स्वामित्व वाली अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण के बदले अपनी ओर से गारंटी देती हैं।
    - **इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, 1872** के अनुसार, गारंटी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां **"किसी तीसरे व्यक्ति के डिफॉल्ट हो जाने पर उसके लिए गारंटी देने वाला व्यक्ति अपना वादा पूरा करता है।"**
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 292** के तहत, **केंद्र सरकार** अपने द्वारा लिए गए उधार के लिए यह **गारंटी** दे सकती है कि उसे **भारत की संचित निधि से चुकाया जाएगा।** हालांकि, यह सब **संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के दायरे में होता** है।
    - इसी प्रकार **अनुच्छेद 293** के अंतर्गत, राज्य सरकार **राज्य की संचित निधि की गारंटी पर अपने विधान-मंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं के दायरे में उधार ले सकती है और उसकी गारंटी** भी दे सकती है।
- राज्य में अक्सर विकासात्मक योजनाओं/ परियोजनाओं की फंडिंग के लिए राज्य के **सार्वजनिक उपक्रम/ सहकारी संस्थान/ शहरी स्थानीय निकाय** विभिन्न बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते हैं। कई बार इन्हीं ऋण के एवज में राज्य सरकारें अपनी ओर से यह गारंटी देती हैं कि अगर ऋणी संस्थाएं अपना ऋण नहीं चुकाएंगी तो राज्य सरकार अपनी संचित निधि से उसे वापस लौटाएगी।

राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की वर्तमान स्थिति

- **दायरा या विस्तार:** 2018-21 की अवधि के लिए **राज्य-वार गारंटी डेटा** से पता चलता है कि अधिकांश राज्यों के मामले में **गारंटी की बकाया राशि उनके GSDP[39] के 10% से कम** है। हालांकि, अधिकतर राज्यों के मामले में यह पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रही है।

---

[39] Gross State Domestic Product/ राज्य सकल घरेलू उत्पाद

- 2021-22 के अंत में **27 राज्यों द्वारा दी गई गारंटी उनके कुल GSDP के 4% के बराबर थी।**
    - कई राज्यों ने सबसे अधिक **गारंटी अपने डिस्कॉम्स (बिजली क्षेत्रक) के ऋण के लिए** दी है।
- गारंटी की सबसे अधिक बकाया राशि वाले राज्यों में **सिक्किम (12.0%), तेलंगाना (12.0%), आंध्र प्रदेश (10.4%)** और **उत्तर प्रदेश (8.8%)** शामिल हैं।
    - **आंध्र प्रदेश** ने कृषि और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास जैसे क्षेत्रकों के लिए अधिक गारंटी प्रदान की है।

राज्यों द्वारा दी जाने वाली गारंटियों से संबंधित मुद्दे

- **नैतिक खतरे:** गारंटी कभी-कभी समस्याएं भी पैदा कर सकती है। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि गारंटी प्राप्त पक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बेहतर प्रयास नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे राज्य से गारंटी मिली हुई है।
    - इसी प्रकार, किसी प्रोजेक्ट के लिए जमानत के बदले ऋण देने से पहले बैंक पूरी छानबीन करते हैं, लेकिन गारंटी वाली व्यवस्था में बैंक या निवेशक ऋण देने/ निवेश करने से पहले **छानबीन नहीं करते,** क्योंकि राज्य सरकार गारंटी देती है। इसके चलते भविष्य में निवेशक या ऋणदाता ऋण देने से पहले संकोच करते हैं।

गारंटी रिडेम्पशन फंड (GRF) या गारंटी मोचन निधि

- केंद्र सरकार द्वारा CPSE[40], वित्तीय संस्थानों आदि को दी गई गारंटी के रिडेम्पशन (वापस चुकाने) के लिए **भारत के लोक लेखा[41] के अंतर्गत** GRF का गठन किया गया है।
- GRF की फंडिंग **आर्थिक मामलों का विभाग (DEA)[42]** करता है। हालांकि, **DEA** बजट के समय "ट्रांसफर टू गारंटी रिडेम्पशन फंड" शीर्षक के तहत अनुदान की मांग कर इसकी फंडिंग करता है।

- **राजकोषीय जोखिम:** इन गारंटियों की वजह से **राजकोषीय स्थिति पर संकट** पैदा हो सकता है। राजकोष से अचानक अधिक नकदी का भुगतान होने और ऋणों में बढ़ोतरी की वजह से **राज्य के वित्त पर बोझ** बढ़ सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों का बकाया ऋण और उनकी राजस्व हानियां हैं।
- **निजी निवेश में कमी आना:** गारंटियों का अत्यधिक उपयोग करने से निजी ऋणदाता सीधे परियोजनाओं का वित्त-पोषण करने से हतोत्साहित हो सकते हैं। इससे सरकार और राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए उधार लेने की लागत बढ़ सकती है।
- **एकरूपता का अभाव:** कुछ राज्यों ने **वार्षिक इंक्रीमेंटल जोखिम-भारित गारंटियों[43]** के मामले में **अधिकतम सीमा तय** की है, जबकि कुछ राज्यों ने केवल **कुल बकाया गारंटियों के मामले में अधिकतम सीमा** तय की है।
    - इसके अलावा, राज्यों के बीच इस मामले में भी एकरूपता नहीं है कि वे कुल राजस्व प्राप्तियों या GSDP में किसे ध्यान में रखकर **गारंटी की अधिकतम सीमा तय** करती हैं।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** गारंटी के विशिष्ट उद्देश्य, नियमों एवं शर्तों के बारे में सीमित खुलासा करने से पारदर्शिता व जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं।
- **गारंटी मैनेजमेंट:** डेटा की अनुपलब्धता के कारण **गारंटियों की संभावित लागत/ नकदी बहिर्वाह (Outflows) की मात्रा और समय का अनुमान लगाना अक्सर कठिन** होता है। इस कारण, उनका प्रबंधन करना भी मुश्किल हो जाता है और आमतौर पर इसे **बजट घाटे में भी शामिल नहीं** किया जाता है।

आगे की राह- वर्किंग ग्रुप की प्रमुख सिफारिशें

- **गारंटी की विस्तारित परिभाषा:** "गारंटी" शब्द में **वे सभी तरीके शामिल** होने चाहिए, जो राज्य सरकार पर किसी दायित्व या कंटीन्जेंसी इत्यादि का सृजन करते हों।
    - जोखिम का आकलन करते समय राज्य की कंपनी या संस्था की **वित्तीय स्थिति/ प्रदर्शन के बीच कोई अंतर नहीं** किया जाना चाहिए।
        - साथ ही, जिस उद्देश्य के लिए सरकारी गारंटी दी गई है, उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- **एक-समान गारंटी सीमा:** राज्य सरकारें एक वर्ष के दौरान दी जाने वाली **इंक्रीमेंटल गारंटियों के लिए राजस्व प्राप्तियों के 5% या GSDP के 0.5% (जो भी कम हो) तक की ऊपरी सीमा तय करने** पर विचार कर सकती हैं।

---

40 Central Public Sector Enterprises/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

41 Public Account of India

42 Department of Economic Affairs

43 Annual incremental risk-weighed guarantees

- **गारंटी शुल्क:** राज्य सरकारें गारंटी की राशि बढ़ाने के लिए **न्यूनतम गारंटी शुल्क वसूलने पर विचार** कर सकती हैं। इसके अलावा, **जोखिम श्रेणी और अंतर्निहित ऋण (Underlying loan)** की अवधि के आधार पर **अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम** लिया जा सकता है।
- **जोखिम का वर्गीकरण:** राज्यों को परियोजनाओं/ गतिविधियों को उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। साथ ही, गारंटी देने से पहले जोखिम के मामले में उचित भारांश तय करना चाहिए।
  - इस तरह के जोखिम वर्गीकरण में डिफ़ॉल्ट के पिछले रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- **गारंटी रिडेम्पशन फंड (GRF):** जो राज्य वर्तमान में GRF के सदस्य नहीं हैं, उन्हें जल्द-से-जल्द इसका सदस्य बनने पर विचार करना चाहिए।
- **प्रकटीकरण मानक:** राज्य सरकारें **'भारत सरकार लेखांकन मानक (IGAS)[44]'** के अनुसार गारंटी से संबंधित डेटा प्रकाशित कर सकती हैं।
  - RBI अपनी ओर से बैंकों/ NBFCs को यह कह सकता है कि वे राज्य सरकार की गारंटी के तहत राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं को दिए गए ऋण का खुलासा करें।

गारंटी के मामले में भारत सरकार के दिशा-निर्देश[45] (2022)

- गारंटी केवल **मूल धनराशि** और **अंतर्निहित ऋण (Underlying loan) के ब्याज** के लिए दी जा सकती है।
  - **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM)[46] अधिनियम, 2003** में वित्त वर्ष 2004-05 से किसी भी वित्तीय वर्ष में दी जाने वाली गारंटी के लिए **GDP के 0.5% की ऊपरी सीमा** निर्धारित की गई है।
    - यदि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण यह सीमा पार हो जाती है, तो वित्त मंत्री को इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए संसद के दोनों सदनों में बयान देना होगा।
- **बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ECBs)[47]** के लिए **कोई गारंटी नहीं** दी जाएगी।
- ऋणदाता द्वारा लगाई गई शर्तों के आधार पर, **राज्य सरकार परियोजना ऋण के 80% से अधिक हिस्से के लिए गारंटी नहीं** दे सकती है।
- अगर एक बार कोई गारंटी दे दी जाती है तो उसे **किसी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित नहीं** किया जाएगा। हालांकि, **वित्त विभाग से मंजूरी लेकर** ऐसा किया जा सकता है।
- **निजी क्षेत्रक की कंपनियों/ संस्थाओं** को **सरकारी गारंटी प्रदान नहीं** की जाएगी।
- गारंटी देते समय सरकार द्वारा **उचित शर्तें** तय की जा सकती हैं, जैसे- गारंटी की अवधि आदि।

3.3. भारत में बीमा क्षेत्रक (Insurance Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने लोक सभा में **"बीमा क्षेत्रक के प्रदर्शन की समीक्षा और विनियमन[48]"** पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।

शब्दावली को जानें

- **बीमा पहुंच या पैठ (Insurance Penetration)** से आशय **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत** से है।
- **बीमा घनत्व (Insurance Density), बीमा प्रीमियम और जनसंख्या के बीच का अनुपात** है। यह **प्रति व्यक्ति प्रीमियम** को दर्शाता है।

भारत में बीमा क्षेत्रक की स्थिति पर एक नज़र:

- **बीमा पहुंच/ पैठ (Insurance penetration):** बीमा पैठ **2001-02 में 2.71%** थी। यह **2021-22 में बढ़कर 4.2%** हो गई।
  - हालांकि, 2021-22 में बीमा पहुंच या पैठ का **वैश्विक औसत 7%** था।
- **बीमा घनत्व (Insurance Density):** बीमा घनत्व 2001-02 में **11.5 अमेरिकी डॉलर** था। यह **2021-22 में बढ़कर 91 डॉलर** हो गया।
  - हालांकि, 2021-22 में बीमा घनत्व का **वैश्विक औसत 874 डॉलर** था।

---

[44] Indian Government Accounting Standard

[45] Guidelines for Guarantee Policy of Government of India

[46] Fiscal Responsibility and Budget Management

[47] External Commercial Borrowings

[48] Performance Review and Regulation of the Insurance Sector

 ©Vision IAS

- **बीमा व्यवसाय:** भारत **2021 में वैश्विक बीमा बाजार में 1.85% हिस्सेदारी के साथ वैश्विक बीमा कारोबार में दसवें स्थान** पर था।
  - **पंजीकृत बीमा कंपनियों की संख्या वर्ष 2000 में 6** थी। यह **जून, 2023 में बढ़कर 70** हो गई।
- **कुछ क्षेत्रों में केंद्रित:** भारतीय बीमा क्षेत्रक में ज्यादा हिस्सा **लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट** का है। कुल प्रीमियम में इसकी **हिस्सेदारी 76%** है।
  - वैश्विक स्तर पर, कुल प्रीमियम में **लाइफ इंश्योरेंस व्यवसाय की हिस्सेदारी 2021 में 43.7%** थी।

भारत में बीमा क्षेत्रक का विनियमन

- **बीमा अधिनियम, 1938:** इसके तहत बीमा व्यवसायों के काम-काज के लिए **विधायी फ्रेमवर्क** बनाया गया था। यह बीमाकर्ता यानी बीमा कंपनी (Insurer), उसके पॉलिसीधारकों, उसके शेयरधारकों और विनियामक के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।
- **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)[49]:** यह एक **वैधानिक निकाय** है। इसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।
  - इसके कार्यों में **बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय का विनियमन, प्रसार और वृद्धि** सुनिश्चित करना शामिल है।
  - यह बीमा कंपनियों को प्रमाणित करता है, पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करता है और विवादों का निपटारा भी करता है।
- **बीमा प्रभाग (Insurance Division):** केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का बीमा प्रभाग निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित नीति निर्माण और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:
  - बीमा अधिनियम, 1938;
  - जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956;
  - सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम[50], 1972;
  - बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999;
  - बीमांकिक अधिनियम[51], 2006

समिति द्वारा रेखांकित की गई समस्याएं और मुख्य सिफारिशें

मापदंड	समस्याएं और चुनौतियां	सिफारिशें
सूक्ष्म बीमा वितरण	• **इंस्टॉलमेंट्स का छोटा आकार** तथा लेन-देन और सेवा वितरण की उच्च लागत। • ऐसे **व्यवसाय मॉडल का अभाव** जो बेहतर मध्यवर्तियों को आकर्षित कर सके। • बीमा के बारे में **जानकारी का अभाव।**	• समाज के कम आय वाले और कमजोर वर्गों के वित्तीय संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु नए व किफायती सूक्ष्म बीमा प्रोडक्ट्स तैयार करने की आवश्यकता है। ○ समिति ने इसके लिए अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों की जरूरतों और **लघु बीमा कंपनियों को बढ़ावा** देने के लिए सरकार से **100 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को कम करने की सिफारिश** की है।
संयुक्त लाइसेंसिंग	• IRDAI के नियम में अलग-अलग बीमा के लिए **कंपोजिट या संयुक्त लाइसेंसिंग की अनुमति नहीं दी गई है।** वर्तमान समय में एक ही बीमा कंपनी जीवन बीमा, सामान्य बीमा या स्वास्थ्य बीमा का कार्य नहीं कर सकती है। • वर्तमान में, जीवन बीमा कंपनियां केवल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही बेच सकती हैं, जबकि **सामान्य बीमा कंपनियों को जीवन बीमा को छोड़कर अन्य बीमा प्रोडक्ट बेचने की अनुमति** है।	• कंपोजिट लाइसेंसिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे बीमा कंपनियां **जीवन बीमा और अन्य बीमा उत्पाद,** दोनों पेश कर सकती हैं। • कंपोजिट लाइसेंसिंग की व्यवस्था बीमा कंपनियों की **उच्च लागत और अधिक नियमों के पालन संबंधी चिंताओं को दूर** कर सकती है। • **कंपोजिट लाइसेंसिंग** भारत में बीमा पहुंच और **जागरूकता में वृद्धि** कर सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ग्राहक **एक बीमा कंपनी से ऑल-इन-वन बीमा** प्राप्त कर सकेंगे। इससे कम **प्रीमियम देना पड़ेगा और क्लेम के निपटारे में भी आसानी** होगी।

---

[49] Insurance Regulatory and Development Authority of India

[50] The General Insurance Business (Nationalisation) Act

[51] The Actuaries Act

स्वास्थ्य बीमा	• नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लगभग **30% आबादी स्वास्थ्य बीमा से वंचित** है। बिना स्वास्थ्य-बीमा कवर वाली इस आबादी को **"मिसिंग मिडिल"** कहा जाता है।	• **सरल और स्टैण्डर्ड स्वास्थ्य बीमा प्रोडक्ट** तैयार किए जाने चाहिए, **सरकारी डेटा और अवसंरचना** को साझा करना चाहिए तथा स्वास्थ्य-बीमा के लिए आंशिक वित्त-पोषण जैसे कदम उठाए जाने चाहिए।
सार्वजनिक क्षेत्रक की बीमा कंपनियों का प्रदर्शन	• इन कंपनियों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और इनका **सॉल्वेंसी अनुपात** भी **कम** है। ○ इनके प्रदर्शन में गिरावट के कारणों में शामिल हैं- स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में अत्यधिक जोखिम, पारिश्रमिक संशोधन (Wage revisions), कोविड-19 से हुए नुकसान आदि।	• एक **उचित रणनीतिक रोडमैप अपनाया** जाना चाहिए। इससे बीमा कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा तथा उन्हें **पर्याप्त पूंजी और प्रतिभा को आकर्षित** करने में मदद मिलेगी।
सरकारी बीमा योजनाएं	• **क्लेम के निपटारे की प्रक्रिया में विलंब होना, उच्च प्रीमियम दरें** जैसी समस्याएं मौजूद हैं।	• **क्लेम निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रभावी तंत्र बनाया** जाना चाहिए तथा प्रीमियम को और अधिक वहनीय बनाया जाना चाहिए।

अन्य सिफारिशें

- **जागरूकता:** बीमा सुरक्षा की **आवश्यकता और लाभों** के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने की तत्काल जरूरत है। इसके अलावा, केवल जीवन बीमा ही नहीं, बल्कि विविध बीमा प्रोडक्ट लाने का प्रयास करना चाहिए।
  - इसी तरह का सफल जागरूकता अभियान **एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (AMFI)** ने चलाया था।
- **ओपन आर्किटेक्चर:** बीमा एजेंटों के लिए **"ओपन आर्किटेक्चर"** की अवधारणा शुरू की जानी चाहिए। इससे बीमा एजेंट एक साथ कई **बीमा कंपनियों के साथ जुड़ सकेंगे।**
  - इससे बीमा पहुंच और वित्तीय समावेशन में सुधार होगा तथा बीमा कवरेज वितरण की लागत भी कम हो सकती है।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST):** बीमा प्रोडक्ट्स, विशेष रूप से हेल्थ और टर्म इंश्योरेंश पर GST दर को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। यह वर्तमान में **18 प्रतिशत** है।
  - उच्च GST दर के परिणामस्वरूप प्रीमियम दरें अधिक हो जाती हैं। यह बीमा पॉलिसी प्राप्त करने में बाधा के रूप में कार्य करता है।
- **क्लेम नहीं की गई पॉलिसियां:** RBI द्वारा शुरू किए गए **UDGAM** जैसा एक केंद्रीय पोर्टल बनाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि UDGAM में बड़ी संख्या में क्लेम नहीं की गई बैंकों की जमा राशियों का विवरण उपलब्ध है। बीमा के लिए ऐसा ही पोर्टल होने पर अनक्लेम्ड पॉलिसियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- **पूंजी की आवश्यकता:** भारत सरकार की ओर से RBI, बीमा कंपनियों द्वारा निवेश करने के लिए **50 वर्षों तक की अवधि वाले 'ऑन-टैप' बॉण्ड्स** जारी कर सकता है। वर्तमान में इन बॉण्ड्स की **अधिकतम अवधि 40 वर्ष है।**

3.4. भारत में कार्ड नेटवर्क (Card Networks in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक **कार्ड नेटवर्क** को **बिजनेस कार्ड का उपयोग करके किए गए "अनधिकृत भुगतान" को रोकने का आदेश** दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- RBI ने कहा कि उस **कार्ड नेटवर्क** ने व्यवसायों को उन संस्थाओं को भुगतान करने की अनुमति दी थी, जो कार्ड से भुगतान स्वीकार करने और लेन-देन के लिए अधिकृत नहीं हैं। साथ ही, वे **KYC मानदंडों का पालन भी नहीं करते हैं।**
- उपर्युक्त मामले में मध्यवर्ती ने एक ऐसे खाते में अधिक मात्रा में धनराशि जमा की जो **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम[52], 2007 (PSS एक्ट)** के तहत **निर्दिष्ट (Designated) खाता नहीं था।**

---

[52] Payments and Settlement System Act

कार्ड नेटवर्क्स क्या हैं?

- **कार्ड नेटवर्क्स:** इन्हें अलग-अलग व्यापारियों के पास **वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान हेतु एक पेमेंट मोड के रूप में उपयोग करने** और नकदी लेन-देन से बचने के लिए विकसित किया गया है। सरल शब्दों में, कार्ड नेटवर्क (यानी कार्ड जारी करने वाला संगठन/ कंपनी, जैसे कि वीजा) को कार्ड एसोसिएशन या क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा संगठन होता है जो पेमेंट के लिए कार्ड से लेन-देन की सुविधा प्रदान करता है। कार्ड नेटवर्क्स यह नियंत्रित करते हैं कि कार्ड का उपयोग कौन, कहाँ और कैसे किया जाता है।
    - अधिकृत कार्ड नेटवर्क्स डेबिट/ क्रेडिट/ प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए बैंकों/ गैर-बैंकों के साथ समझौता करते हैं।
    - कार्ड नेटवर्क्स **बैंकों, व्यापारियों और ग्राहकों (कार्ड यूजर्स) को आपस में जोड़ते हैं** ताकि लेन-देन सुचारू और सुरक्षित हो।
    - **डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेन-देन की प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियां,** व्यवसायों से कुछ शुल्क लेती हैं जिसे **मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)** के रूप में जाना जाता है।
- **कार्ड जारीकर्ता:** आमतौर पर **बैंक ही ग्राहकों को जारी किए जाने वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड नेटवर्क का चयन करते हैं।** ग्राहकों के पास खुद से नेटवर्क चुनने का **बहुत कम विकल्प** होता है।
    - हालांकि, **RBI** ने कार्ड जारीकर्ताओं से **1 अक्टूबर, 2023** से **ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क्स में से किसी को चुनने का विकल्प प्रदान करने के लिए कहा** है।
    - RBI ने यह भी कहा कि कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को **किसी कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क्स की सेवा लेने से रोकता** हो।

भारत में कार्ड नेटवर्क बाजार के बारे में

- **भारत में अधिकृत कार्ड नेटवर्क:** भारत में अभी अधिकृत कार्ड नेटवर्क्स की संख्या 5 है। ये हैं- **वीजा, मास्टरकार्ड, रुपे (RuPay), डायनर्स क्लब** और **अमेरिकन एक्सप्रेस**।
    - **RuPay भारत का स्वदेशी भुगतान नेटवर्क** है। इसे NPCI[53] द्वारा **वैश्विक पेमेंट मार्केट में भारत के प्रवेश में मदद के लिए शुरू** किया गया है।
        - विदेशी बाजारों में RuPay कार्ड की अधिक स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए, NPCI ने संयुक्त राज्य अमेरिका की डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) और जापान की जापान क्रेडिट ब्यूरो (JCB) साथ साझेदारी की है।
- **डेबिट कार्ड सेगमेंट में RuPay कार्ड की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है।** इसमें **लगभग 70 करोड़ कार्ड** और **65% बाजार हिस्सेदारी** शामिल है।
    - फरवरी, 2023 तक PMJDY[54] के तहत जारी **कुल 32.8 करोड़ RuPay डेबिट कार्ड में से लगभग 28.1 करोड़ कार्ड अलग-अलग सरकारी योजनाओं के तहत सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों द्वारा जारी** गए थे।
- गौरतलब है कि **क्रेडिट कार्ड बाजार में वीजा और मास्टरकार्ड का दबदबा** है। दोनों के पास **भारत के 90% क्रेडिट कार्ड बाजार का स्वामित्व है।** क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में RuPay नेटवर्क का विस्तार देखा जाना अभी बाकी है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के बारे में

- **उत्पत्ति:** NPCI **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के प्रावधानों के तहत **RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) की एक पहल** है। इसका उद्देश्य भारत में **मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना का निर्माण** करना है।
- **वैधानिक प्रावधान:** इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के प्रावधानों के तहत एक **"गैर-लाभकारी" कंपनी** के रूप में गठित किया गया है।
- **NPCI के प्रोडक्ट्स:** NPCI द्वारा विकसित पेमेंट प्रोडक्ट्स में शामिल हैं-
    - **त्वरित भुगतान सेवा (Immediate Payment Service: IMPS),**
    - **नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस (NACH),**
    - **आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar enabled Payment System: AePS),**
    - **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI), इत्यादि**

---

[53] National Payments Corporation of India/ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

[54] प्रधान मंत्री जन-धन योजना

भारत में कार्ड नेटवर्क इकोसिस्टम का विनियमन

- **प्राथमिक विनियामक के रूप में RBI:** भारतीय रिजर्व बैंक **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत कार्ड नेटवर्क्स सहित भारत में भुगतान प्रणालियों की देख-रेख और विनियमन के लिए जिम्मेदार है।
- **इन्हें गवर्न करने के लिए कानून: PSS एक्ट, 2007** पेमेंट सिस्टम को **एक ऐसी प्रणाली** के रूप में परिभाषित करता है **जो भुगतान करने वाले और लाभार्थी के बीच पेमेंट लेन-देन को संभव बनाती है,** जिसमें क्लीयरिंग, भुगतान या निपटान सेवा या ये सभी शामिल होते हैं।
    - "भुगतान प्रणाली" में **क्रेडिट** कार्ड लेन-देन, **डेबिट** कार्ड लेन-देन, **स्मार्ट कार्ड** लेन-देन, धन हस्तांतरण करना या इसी तरह के लेन-देन का समर्थन करने वाली प्रणालियां शामिल हैं।
        - हालांकि, इस परिभाषा में **स्टॉक एक्सचेंज शामिल नहीं** है।

आगे की राह

सफल घरेलू भुगतान नेटवर्क्स के विकास और भारत में उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए **मजबूत अवसंरचना और उचित विनियमन की आवश्यकता** है। यूजर्स और व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए, घरेलू भुगतान कार्ड नेटवर्क्स को भी **मजबूत दूरसंचार नेटवर्क एवं उपभोक्ता शिक्षा** को बढ़ावा देने की आवश्यकता होगी।

संबंधित सुर्खियां

पेमेंट एग्रीगेटर्स (PA)

- **Juspay, Zoho** और **Decentro** को **पेमेंट एग्रीगेटर (PA) लाइसेंस के लिए RBI से अनुमति** मिल गई है।
    - **पेमेंट एग्रीगेटर्स** ऐसी संस्थाएं हैं जो **ई-कॉमर्स साइट्स और व्यापारियों** को **ग्राहकों** से अलग-अलग प्रकार के **भुगतान इंस्ट्रूमेंट्स को स्वीकार करने की सुविधा देती हैं।** इससे **व्यापारियों को अपनी अलग भुगतान एकीकरण प्रणाली बनाने की आवश्यकता नहीं** होती है।
    - इस प्रक्रिया में, पेमेंट एग्रीगेटर्स **ग्राहकों से भुगतान प्राप्त** करते हैं, **एकत्र करते हैं और उन्हें व्यापारियों को हस्तांतरित करते** हैं।
- पेमेंट एग्रीगेटर्स **पेमेंट गेटवे से अलग** होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि **पेमेंट गेटवे** फंड प्रबंधन में किसी भी भागीदारी के बिना पेमेंट लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए केवल तकनीकी अवसंरचना प्रदान करते हैं।

3.5. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission: SCM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवासन और शहरी कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने "**स्मार्ट सिटी मिशन: एक मूल्यांकन**[55]" शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

रिपोर्ट में रेखांकित प्रगति के मुख्य बिंदु

- **वित्तीय प्रगति:** केंद्र सरकार ने दिसंबर, 2023 तक अपने प्रस्तावित हिस्से में से 86% जारी कर दिया था।
    - अभी तक 45 स्मार्ट शहरों को केंद्रीय निधि का 100% भाग प्राप्त हुआ है। हालांकि, **केवल 28 शहरों को राज्यों/ शहरी स्थानीय निकायों से अपने हिस्से का 100% धन प्राप्त हुआ** है।
- **वित्त-पोषण के अतिरिक्त स्रोत:** परियोजना में शामिल **लगभग आधे शहर सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत कोई परियोजना शुरू नहीं** कर सकें हैं, वहीं केवल **छह शहर स्मार्ट शहर परियोजनाओं के लिए ऋण के माध्यम से धन जुटाने** में सफल रहे हैं।
- **भौतिक प्रगति:** दिसंबर, 2023 तक स्मार्ट शहरों द्वारा शुरू की गई 7,970 परियोजनाओं में से 6,419 परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं।
    - 57 शहरों में कार्य की प्रगति का स्तर 80% से 100% तक है। **मदुरै एकमात्र स्मार्ट शहर** है जिसने **अपनी 100% परियोजनाएं पूरी कर ली** है।

स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के बारे में

- **मिशन की शुरुआत:** यह एक '**केंद्र प्रायोजित योजना**' है। इसे 2015 में **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू** किया गया था।

---

55 Smart Cities Mission: An Evaluation

- **उद्देश्य:** शहरों को इस रूप में बढ़ावा देना जो **कोर अवसंरचना, स्वच्छ और सतत वातावरण प्रदान करें** तथा 'स्मार्ट सॉल्यूशन्स' का उपयोग कर अपने **नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण बेहतर जीवन स्तर प्रदान करें**।
- **स्मार्ट शहर:** स्मार्ट सिटी के रूप में विकास के लिए 100 शहरों का चयन किया गया है।
    - परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2019 और 2023 के बीच **पांच साल की समय-सीमा** निर्धारित की गई थी। हालांकि, मिशन को अब **जून, 2024** तक बढ़ा दिया गया है।
- **फंडिंग:** केंद्र सरकार 5 वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है**, अर्थात् प्रति वर्ष प्रत्येक शहर को औसतन 100 करोड़ रुपये।**
    - केंद्र सरकार जितनी राशि प्रदान करती है, उतनी ही राशि राज्य/ शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा प्रदान की जा रही है। **हालांकि, 13 हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन अनुपात को संशोधित करके 90:10 रखा** गया है।
    - **वित्तीय संसाधन के अतिरिक्त स्रोत हैं-** शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के फंड, वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रदत्त अनुदान, म्युनिसिपल बॉण्ड जैसे नवाचारी वित्तीय तंत्र, अन्य सरकारी कार्यक्रमों के तहत आवंटित राशि और उधारियां।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से निजी क्षेत्रक की भागीदारी पर जोर दिया गया है।

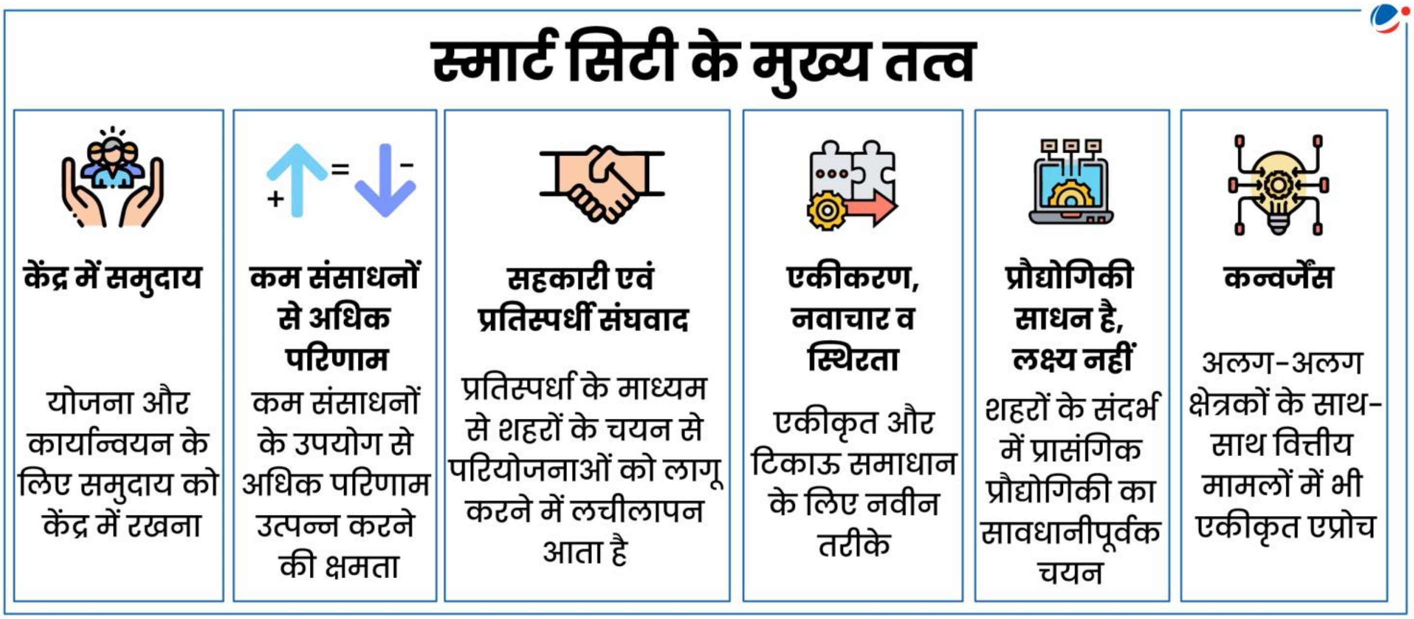

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकास संबधी रणनीति

- **क्षेत्र आधारित विकास (ABD)[56]:** इसके तहत रणनीतिक घटकों में शामिल हैं- शहर सुधार (**रेट्रोफिटिंग**), शहर नवीकरण (**पुनर्विकास**) और शहर विस्तार (**ग्रीनफील्ड विकास**)।
    - **रेट्रोफिटिंग** के तहत पहले से निर्मित क्षेत्र को अधिक दक्ष और रहने योग्य बनाने के लिए **500 एकड़ से अधिक के मौजूदा निर्मित क्षेत्र में योजना शुरू** की जा रही है।
    - **पुनर्विकास** के तहत मौजूदा निर्मित व्यवस्था को बदलने को बढ़ावा दिया जाएगा। यह मिश्रित भूमि उपयोग के द्वारा उन्नत अवसंरचना के साथ एक नए लेआउट के सह-निर्माण को बढ़ावा देगा। इसके तहत शहरी घनत्व में वृद्धि पर भी बल दिया जाएगा। **50 एकड़ से अधिक क्षेत्र** के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है।

---

[56] Area Based Development

- **ग्रीनफील्ड विकास** के तहत पहले से खाली क्षेत्र (250 एकड़ से अधिक) में अधिकांश स्मार्ट सॉल्यूशन उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें योजना निर्माण, योजना का वित्त-पोषण और योजना को लागू करने के लिए नवाचारी उपायों (जैसे- लैंड पूलिंग/ भूमि पुनर्संरचना) का उपयोग किया जाएगा। साथ ही, इसमें गरीबों के लिए किफायती आवास की सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा।

- **शहर का संपूर्ण विकास:** इसमें पूरे शहर में पहले से निर्मित **अवसंरचना के लिए** चुनिंदा स्मार्ट सॉल्यूशन्स के उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट सॉल्यूशन्स के उपयोग में अवसंरचनाओं और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, सूचना और डेटा का प्रयोग शामिल होगा।
- **मिशन का लागू होना:** शहर स्तर पर मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी, मिशन के उद्देश्य के लिए गठित एक **स्पेशल पर्पज व्हीकल्स (SPV)** पर है।
  - स्पेशल पर्पज व्हीकल पर **स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं के योजना-निर्माण**, समीक्षा, मंजूरी, धन जारी करने तथा क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी और मूल्यांकन की जिम्मेदारी है।
  - स्पेशल पर्पज व्हीकल्स **कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत संस्थाएं** हैं। इनमें **शहरी स्थानीय निकायों और संबंधित राज्यों का 50:50 अनुपात में स्वामित्व** है।
- **इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC):** ICCC का निर्माण, शहर के अलग-अलग कार्यों की **केंद्रीकृत रूप से निगरानी करने तथा त्वरित और बेहतर निर्णय लेने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग** के लिए किया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन को प्रभावित करने वाली समस्याएं और चुनौतियां

- **परियोजनाओं में बार-बार बदलाव:** शहरों ने शुरुआत में लगभग 5,151 परियोजनाओं को पूरा करने की योजना बनाई थी। हालांकि, आरंभिक योजना में संशोधन और बदलाव के कारण परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 7,970 हो गई हैं।
  - इस तरह के संशोधनों को परियोजना को **जमीनी स्तर पर लागू करने के दौरान उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के लिए जिम्मेदार** ठहराया जाता रहा है। **इन चुनौतियों में** भूमि उपलब्धता में समस्या, मुकदमेबाजी, विनियामकीय चुनौतियां, वित्तीय कठिनाइयां, प्रौद्योगिकी के चयन में समस्या आदि शामिल हैं।
- **वित्तीय प्रगति का अभाव:** धन अंतरण की गति धीमी रही है क्योंकि कुछ शहरों को उनके लिए निर्धारित फंड के 50% से भी कम राशि प्राप्त हुई है।
  - केंद्र सरकार से धन अंतरण मे देरी के कारण **स्पेशल पर्पज व्हीकल्स को कार्य पूरा करने के लिए समय पर धन नहीं मिल पाता** है।
- **प्रगति के स्तर पर शहरों के बीच असमानता:** रैंकिंग में **20 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों की औसतन 6% परियोजनाएं अपूर्ण स्थिति** में हैं। इसकी तुलना में सबसे कम रैंकिंग वाले **20 शहरों की लगभग 47% परियोजनाएं क्रियान्वयन यानी वर्क आर्डर चरण में** ही हैं।
- **तालमेल वाली (कन्वर्जेन्स) परियोजनाओं के लिए निगरानी का अभाव:** ऐसा इसलिए है, क्योंकि तालमेल वाली परियोजनाओं में कई हितधारक शामिल होते हैं और इनका क्रियान्वयन अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इसलिए क्रियान्वयन और फीडबैक प्राप्त करने में देरी के मामले सामने आए हैं।
- **क्रॉस-लर्निंग का अभाव:** क्रॉस-लर्निंग के लिए कई प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, जैसे कि **सिस्टर सिटीज की अवधारणा।** हालांकि, इनका उपयोग उनकी पूरी क्षमता के अनुसार नहीं किया गया है।
  - उदाहरण के लिए- चेन्नई शहर ने चीन के शहर चोंगकिंग के साथ एक सिस्टर सिटी समझौता किया है।
- **स्पेशल पर्पज व्हीकल की स्पष्ट गवर्निंग संरचना का अभाव:** स्पेशल पर्पज व्हीकल के **मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बार-बार स्थानांतरण** तथा विशेष मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए स्पष्ट गाइडलाइन और निर्देश व निश्चित कार्यकाल के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण परियोजना का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है।
  - कर्मचारियों, क्षमताओं, क्रियान्वयन क्षमताओं और निगरानी तंत्र के अभाव के कारण **अलग-अलग स्पेशल पर्पज व्हीकल्स का प्रदर्शन खराब रहा** है।

आगे की राह

- **ग्रीनफील्ड शहरी विकास के लिए मास्टर प्लान:** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) को योजना निर्माण का नेतृत्व करना चाहिए तथा शहरी स्थानीय निकायों को मास्टर प्लान तैयार करने के लिए विशेषज्ञता प्रदान करनी चाहिए। साथ ही, मंत्रालय को मिशन में **संधारणीय हरित प्रौद्योगिकियों को शामिल करने का प्रयास करना** चाहिए।
- **स्पेशल पर्पज व्हीकल्स की गवर्निंग संरचना:** इस कार्य के लिए अलग से मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए और उनका **न्यूनतम निश्चित कार्यकाल** तय किया जाना चाहिए। इसके अलावा, शहरी प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, शहरी विकास के विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए स्पेशल पर्पज व्हीकल्स के लिए **मजबूत गवर्निंग संरचना बनाई जानी** चाहिए।

- **स्मार्ट सिटी मिशन का अगला चरण:** मंत्रालय को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई अलग-अलग परियोजनाओं का **थर्ड पार्टी से मूल्यांकन कराना चाहिए** और उसके बाद मिशन के अगले चरण को शुरू करने पर विचार करना चाहिए।
    - अगले चरण में, राजधानी शहरों और पर्यटन स्थल वाले शहरों से 50 से 100 किलोमीटर के बीच स्थित और पहले से कवर नहीं किए गए **टियर 2 वाले शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।**
- **संपूर्ण शहर के लिए परियोजनाएं बनाना:** स्मार्ट सिटीज़ मिशन को पूरे शहर की परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसमें शहर का व्यापक और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरे शहर में **प्रौद्योगिकी-आधारित सॉल्यूशन्स को अपनाने एवं उन्हें लागू करने पर** जोर देना चाहिए।
    - वर्तमान में, **पूरे शहर को कवर करने वाली परियोजनाएं 76 स्मार्ट शहरों में कुल परियोजनाओं का 50 प्रतिशत हिस्सा भी नहीं हैं।**
- **शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करना:** छोटे शहरों में **शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं को मजबूत करने** तथा **नवाचारी वित्त-पोषण तंत्र** (जैसे- म्युनिसिपल बॉण्ड, पूल्ड फाइनेंस तंत्र आदि) का लाभ उठाने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए।
- **इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की भूमिका का विस्तार: अलग-अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाकर** इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की भूमिका का विस्तार किया जाना चाहिए। ये सेंटर्स स्वास्थ्य, आंतरिक सुरक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और ई-गवर्नेंस जैसी सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं।

3.6. प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क योजना {Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Parks Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्राक्कलन समिति ने “पी.एम. मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पी.एम. मित्रा) पार्क योजना के माध्यम से सशक्तीकरण और रुग्ण टेक्सटाइल इकाइयों/ सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों के पुनरुद्धार संबंधी प्रयास[57]” पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

पी.एम. मित्रा पार्क योजना के बारे में

- **शुरुआत:** यह योजना प्रधान मंत्री के **5F विजन (फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से फॉरेन तक)[58]** से प्रेरित है। इसका लक्ष्य भारत को वस्त्र विनिर्माण और निर्यात के एक अग्रणी वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- **मुख्य उद्देश्य:**
    - टेक्सटाइल उद्योग की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित **बड़े पैमाने पर एकीकृत और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना की सुविधा** विकसित करना।
    - सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर स्थापित करके **लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना** और विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु भारत में तैयार वस्त्रों की **गुणवत्ता में सुधार करना।**
    - भारत में **निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना** तथा **निर्यात क्षमता में वृद्धि करके वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में भारत को मजबूती से स्थापित** करने में मदद करना।
- **पी.एम. मित्रा पार्क की विशेषताएं:**
    - बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रति मित्रा पार्क के लिए **न्यूनतम अनुमानित भू-क्षेत्र 1,000 एकड़ तय किया गया है।**
    - मित्रा पार्क योजना एक ही स्थान पर **एकीकृत टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला** बनाने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और छपाई से लेकर परिधान निर्माण व इससे जुड़े परिधान संबंधी उत्पाद बनाने तक की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
    - सभी मित्रा पार्क या तो **ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड** हो सकते हैं।
- **गवर्नेंस:** प्रत्येक पार्क के लिए केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाला एक **स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) स्थापित** किया जाएगा। यह परियोजना को लागू करने पर नजर रखेगा।

---

[57] Empowerment through PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Parks Scheme and Revival Efforts for the Sick Textile Units/PSUs

[58] Farm to Fiber to Factory to Fashion to Foreign

- **वित्तीय सहयोग:** केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय **ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए प्रति पार्क 800 करोड़ रुपये** और **ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए प्रति पार्क 500 करोड़ रुपये तक** की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केंद्र सरकार निम्नलिखित रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है:
    - **विकास संबंधी पूंजी सहायता (DCS)[59]:** ग्रीनफील्ड मित्रा पार्क के लिए, **परियोजना लागत की 30% राशि** विकास संबंधी पूंजी सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। यह सहायता प्रति पार्क अधिकतम 500 करोड़ रुपये होगी।
        - **प्रति ब्राउनफील्ड पार्क के लिए** शेष अवसंरचनात्मक जरूरतों और अन्य सहायक सुविधाओं के निर्माण के लिए **परियोजना लागत की 30%** राशि विकास संबंधी पूंजी सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इसके तहत प्रति पार्क **अधिकतम 200 करोड़ रुपये** प्रदान किए जाते हैं।
        - विकास संबंधी पूंजी सहायता के तहत इनक्यूबेशन सेंटर, प्लग एंड प्ले सुविधाएं, फैक्ट्री के लिए विकसित स्थान, सड़कें, बिजली, पानी और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस सहित **कोर अवसंरचनाओं के विकास के लिए वित्त-पोषण प्रदान किया जाता है।**
    - **वाणिज्यिक विकास:** पार्क क्षेत्र के 10% तक के सीमित क्षेत्र में स्व-वित्तपोषण मॉडल पर वाणिज्यिक विकास किया जाएगा, जो मित्रा पार्क की व्यवहार्यता को बढ़ाएगी। साथ ही, यह योजना के पूर्ण होने के बाद भी स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा **साझी संपत्तियों और सुविधाओं के रखरखाव में मदद** करेगी।
    - **प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (CIS)[60]:** प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये तक की प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह पार्क के शीघ्र संचालन और त्वरित विस्तार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाती है।

7 पी.एम. मित्रा पार्क को मंजूरी

- सरकार ने ग्रीनफील्ड/ ब्राउनफील्ड साइट्स पर विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित करने के लिए 7 पी.एम. मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। ये पार्क सात वर्षों की अवधि में अर्थात् 2027-28 तक 4,445 करोड़ की लागत से स्थापित किए जाएंगे।

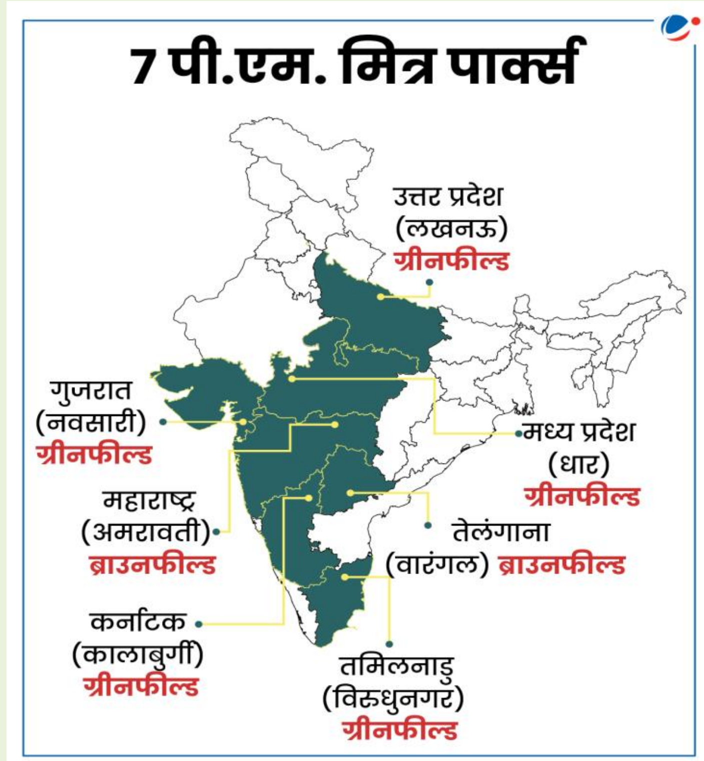

पी.एम. मित्रा पार्क योजना में सुधार के लिए सिफारिशें

- **व्यापक नीति:** मंत्रालय को भारतीय वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए **एक व्यापक राष्ट्रीय टेक्सटाइल नीति** तैयार करनी चाहिए। इसके लिए **सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों पर ध्यान** देना चाहिए। इसके अलावा, **राज्य टेक्सटाइल नीतियों/ योजनाओं में उद्योग अनुकूल सक्रिय पहलुओं को भी शामिल करना** चाहिए।
- **चयन प्रक्रियाओं की समीक्षा:** मंत्रालय को भारतीय टेक्सटाइल क्षेत्रक के शीघ्र कायाकल्प के उद्देश्य से **अधिक पी.एम. मित्रा पार्क स्थापित करने** को बढ़ावा देने हेतु चयन प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए।
- **स्पेशल पर्पज व्हीकल के गठन में तीव्रता लाना:** मंत्रालय को शेष राज्यों में स्पेशल पर्पज व्हीकल के गठन में **देरी के कारणों का पता लगाना** चाहिए और उन्हें **जल्द से जल्द स्पेशल पर्पज व्हीकल के गठन के लिए सहायता** प्रदान करनी चाहिए।
    - जिन 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, उनमें से, **केवल दो राज्यों** - गुजरात और उत्तर प्रदेश - **ने स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया** है। अन्य राज्यों में इसकी स्थापना की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

---

[59] Development Capital Support

[60] Competitive Incentive Support

- **कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाना:** कई राज्य सरकारें स्टांप शुल्क में छूट, भू-राजस्व दरों पर रियायत, राज्य वस्तु और सेवा कर (SGST) के बराबर की राशि की क्षतिपूर्ति, आदि प्रदान करती हैं।
    - केंद्र सरकार को भी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) के बराबर राशि की क्षतिपूर्ति और **आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाने** सहित **केंद्रीय कर/ शुल्क में इसी तरह की छूट देने पर विचार करना** चाहिए। इससे चीन में निर्मित कपड़े की कम लागत/ कम मूल्य वाले आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
- **विशेष प्रोत्साहन: महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन** का प्रावधान किया जाना चाहिए।
    - मंत्रालय को महिला कर्मियों को बढ़ावा देने वाली **बुनियादी सुविधाओं,** जैसे- क्रेच सुविधा, चिकित्सा देखभाल, काम के लचीले घंटों और महिला विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता हेतु **अनिवार्य प्रावधान** करने चाहिए।
- **वर्टिकल एकीकरण:** अव्यवस्थित भारतीय टेक्सटाइल और परिधान उद्योग को एकीकृत करने तथा उन्हें असंगठित से संगठित क्षेत्रक में बदलने के लिए पी.एम. मित्रा पार्क के दायरे से बाहर के **पावरलूम क्षेत्रों का वर्टिकल एकीकरण** सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

3.7. प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana: PM-MKSSY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "**प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY)**" को मंजूरी दी है।

PM-MKSSY के बारे में

- **केंद्रीय क्षेत्रक की उप-योजना:** यह योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा (PMMS) के **केंद्रीय क्षेत्रक घटक** में शामिल है।
- **उद्देश्य:**
    - असंगठित मात्स्यिकी क्षेत्रक को धीरे-धीरे **औपचारिक स्वरूप** देना।
    - मात्स्यिकी क्षेत्रक के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को **संस्थागत वित्त की सुविधा प्रदान करना।**
    - जलीय कृषि के लिए **बीमा** कवरेज हेतु **लाभार्थियों को एकमुश्त प्रोत्साहन** प्रदान करना।
    - मात्स्यिकी क्षेत्रक की **मूल्य-श्रृंखला दक्षता में सुधार** के लिए प्रोत्साहन देना।
    - **मछली और मत्स्य-उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने एवं उनके विस्तार** के लिए प्रोत्साहन देना।
- **वित्त-पोषण:** इसके लिए कुल 6,000 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। इनमें से:
    - **50% लोक वित्त (पब्लिक फाइनेंस) से आएगा।** इसमें विश्व बैंक और AFD[61] से बाहरी वित्त-पोषण सहायता भी शामिल है।
    - **शेष 50% योगदान निजी क्षेत्रक के लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा।**

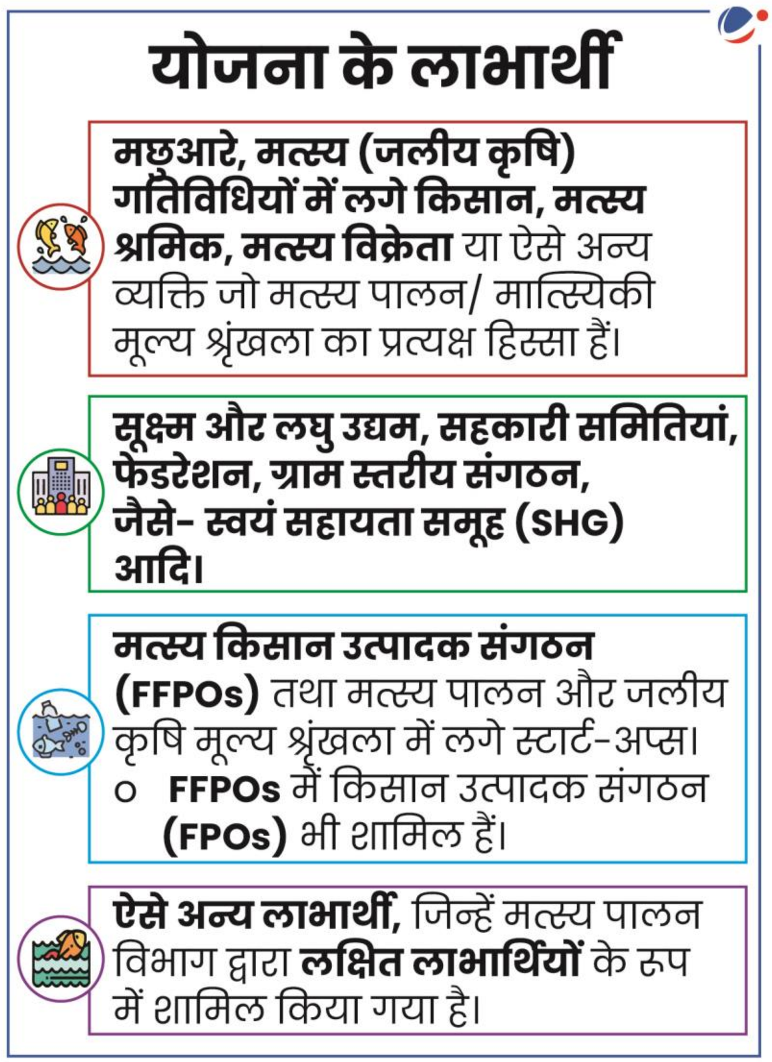

[61] French Development Agency/ फ्रांसीसी विकास एजेंसी

* **योजना अवधि:** यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में **वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक (4 वर्षों में) चलाई** जाएगी।

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (2020) के बारे में

* इसका उद्देश्य मत्स्य कृषकों के कल्याण सहित **मात्स्यिकी क्षेत्रक के संधारणीय, जिम्मेदार और समग्र विकास के माध्यम से नीली क्रांति (Blue Revolution)** लाना है।
* प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा **एक अम्ब्रेला योजना** है। इसके **दो अलग-अलग घटक हैं:**
  * **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना:** इसके तहत संपूर्ण परियोजना/ इकाई की लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। इसका आशय है कि **100% वित्त-पोषण केंद्र सरकार** करती है।
  * **केंद्र प्रायोजित योजना:** संपूर्ण परियोजना/ इकाई की लागत केंद्र और राज्य के बीच साझा की जाती है।
* इसे **सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक** की **5 वर्षों की अवधि** के लिए **20,050 करोड़ रुपये के निवेश** के साथ लागू किया जा रहा है।
* **प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लक्ष्य:**
  * **मछली उत्पादन को** 2018-19 के 13.75 मिलियन मीट्रिक टन से **बढ़ाकर 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन करना।**
  * **कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA)[62] में मात्स्यिकी क्षेत्रक का हिस्सा** 2018-19 के 7.28% से **बढ़ाकर 2024-25 तक लगभग 9% करना।**
  * **मात्स्यिकी क्षेत्रक से निर्यात आय को** 2018-19 के 46,589 करोड़ रुपये से **दोगुना करके 2024-25 तक 1,00,000 करोड़ रुपये करना।**

प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना को लागू करने की रणनीति

* **घटक 1-A: मात्स्यिकी क्षेत्रक को औपचारिक स्वरूप देना** तथा कार्यशील पूंजी के **वित्त-पोषण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों तक मात्स्यिकी से जुड़े सूक्ष्म उद्यमों की पहुंच को सुविधाजनक बनाना।**
  * **नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP)** बनाया जाएगा और सभी हितधारकों को इस पर पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
    * नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म **वित्तीय प्रोत्साहनों के वितरण जैसे कई कार्य** करेगा।
* **घटक 1-B: जलीय कृषि (Aquaculture) के लिए बीमा कवरेज की सुविधा:** इसके तहत उपयुक्त बीमा उत्पाद तैयार किए जाएंगे और कम-से-कम **1 लाख हेक्टेयर जलीय कृषि फार्म्स को बीमा कवर** के दायरे में लाया जाएगा।
  * **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को** सामान्य श्रेणियों को देय प्रोत्साहन की तुलना में **10% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।**
* **घटक-2: मात्स्यिकी क्षेत्रक की मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार** के लिए सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करना।
* **घटक-3: मछली और मत्स्य उत्पादों की सुरक्षा व गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने और विस्तार** के लिए प्रोत्साहन देना।
* **घटक-4: परियोजना प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्टिंग:** इसके तहत परियोजना संबंधी कार्यों के प्रबंधन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए **परियोजना प्रबंधन इकाइयां (PMU)[63] स्थापित करने का प्रस्ताव है।**

योजना का महत्त्व

* **मात्स्यिकी क्षेत्रक को औपचारिक स्वरूप देना:** यह योजना **6.4 लाख सूक्ष्म उद्यमों और 5,500 मत्स्य-पालन सहकारी समितियों** को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगी।
* **नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म:** यह **40 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यमों को** कार्य-आधारित पहचान प्रदान करेगी।
* **मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार:** यह योजना **55,000 लक्षित सूक्ष्म और लघु उद्यमों का समर्थन करके** मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार करने तथा सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मछली की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

---

[62] Gross Value Added

[63] Project Management Units

- **रोजगार के अवसर पैदा करना:** इस योजना से रोजगार के **1.7 लाख नए अवसर पैदा होने का अनुमान** है। इनमें **75,000 महिलाओं** को रोजगार देने पर विशेष बल दिया जाएगा।
    - साथ ही, इसमें **सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल्य श्रृंखला में 5.4 लाख लोगों के लिए लगातार रोजगार** के अवसर सृजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है।
- **अन्य लाभ हैं-**
    - **इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा,**
    - **मत्स्य कृषकों की आय में वृद्धि,**
    - **निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने में वृद्धि,**
    - **बीमा कवरेज** प्रदान करके बीमारी के कारण **जलीय कृषि के नुकसान के मुद्दों का समाधान** करना, आदि।

डेटा बैंक

- **वित्त वर्ष 2021-22** में भारत ने **7,759.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात** किया था।
- भारत विश्व में मछली और मत्स्य उत्पादों का **चौथा** सबसे बड़ा निर्यातक **देश है।**
- भारत विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।**
- भारत विश्व में **दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादन** करने वाला देश है।

आगे की राह

मात्स्यिकी क्षेत्रक एक **सनराइज क्षेत्रक** है और हाल के वर्षों में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। हालांकि, अभी तक **इसकी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका** है। **उच्च घरेलू खपत, निर्यात क्षमता और अधिक आर्थिक रिटर्न की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्रक को मजबूत और निरंतर नीतिगत समर्थन की जरूरत है।**

3.8. भारत में उर्वरक क्षेत्रक (Fertilizers Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS)**[64] नीति के तहत **फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों** की **MRP**[65] को तर्कसंगत बनाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से, सरकार **P&K उर्वरकों** को NBS के समर्थन के अंतर्गत लाकर, एक तरह से उन्हें **उचित मूल्य नियंत्रण** के तहत लाई है।
- जहां यूरिया उर्वरक की MRP सरकार द्वारा तय की जाती है, वहीं **तकनीकी रूप से** NBS उर्वरक **सरकार से नियंत्रण-मुक्त** हैं।
    - NBS योजना के तहत, उर्वरकों की **MRP बाजार की मांग-आपूर्ति के आधार पर** और उन्हें बेचने वाली व्यक्तिगत कंपनियों द्वारा निर्धारित की जाती है।

यूरिया सब्सिडी नीति

- यूरिया की **MRP** भारत सरकार द्वारा **कानूनी रूप से तय** की जाती है।
    - किसानों तक उर्वरकों की वितरण लागत और किसान द्वारा देय MRP के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा **उर्वरक विनिर्माता/ आयातक को सब्सिडी के रूप में भुगतान किया जाता है।**
- **यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान उनके वितरण (Dispatch)** के आधार पर किया जाता है जबकि **NBS का भुगतान** बेची गई उर्वरक की मात्रा के आधार पर किया जाता है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) नीति के बारे में

- **उद्देश्य:** सरकार ने **किसानों को रियायती कीमतों** पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2010 में NBS नीति की शुरुआत की थी।
    - इसे **वित्त वर्ष 2025-26** तक लागू करने हेतु मंजूरी दी गई है।
- **आधार:** इसे **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955** के तहत जारी **उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (FCO)**[66]**, 1985** के अंतर्गत तैयार किया गया है। इस आदेश में निम्नलिखित के लिए प्रावधान हैं:

---

[64] Nutrient Based Subsidy

[65] Maximum Retail Price/ अधिकतम खुदरा कीमतों

- कौन से तत्व मृदा में उर्वरक के रूप में उपयोग के लिए योग्य हैं,
- उत्पाद के अनुसार विनिर्देश,
- उर्वरक के विनिर्माता/ डीलर के रूप में लाइसेंस/ पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया, और
- उर्वरक के व्यापार के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें।

- **पात्रता:** NBS **25 ग्रेड के P&K उर्वरकों** के लिए लागू है, जैसे कि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP), मोनो अमोनियम फॉस्फेट (MAP), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (TSP), आदि।
  - सरकार वार्षिक आधार पर सब्सिडी वाले **P&K** उर्वरकों के **प्रत्येक प्राथमिक पोषक तत्व,** जैसे कि **नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K) और सल्फर (S)** पर सब्सिडी की एक निश्चित दर (रुपये प्रति किलोग्राम के आधार पर) की घोषणा करती है।
- **सब्सिडी पर सिफारिशें:** अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC)[67] वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले **'N', 'P', 'K'** और **'S'** के लिए प्रति पोषक तत्व सब्सिडी[68] की सिफारिश करती है। इसी आधार पर उर्वरक विभाग सब्सिडी की घोषणा करता है।

दिशा-निर्देशों के मुख्य प्रावधान

- **कर्यान्वयन:** ये दिशा-निर्देश 1 अप्रैल, 2023 से **पूर्वव्यापी (Retrospectively) रूप से प्रभावी** होंगे।
- **लाभ प्रतिशत:** P&K उर्वरक कंपनियों को उनकी श्रेणी के आधार पर **अलग-अलग लाभ प्रतिशत** की अनुमति दी जाएगी। इसका तात्पर्य है कि आयातकों, विनिर्माताओं और एकीकृत विनिर्माताओं के लिए अलग-अलग लाभ प्रतिशत तय होंगे।
- **मूल्यांकन का आधार:** MRP कैसे तर्कसंगत हो, इसके लिए मूल्यांकन का आधार **उर्वरक बिक्री की कुल लागत** को रखा गया है। इसमें उत्पादन/ आयात की लागत, प्रशासनिक लागत, बिक्री और वितरण लागत, शुद्ध ब्याज और फाइनेंसिंग शुल्क शामिल हैं।
  - MRP को तर्कसंगत बनाने हेतु मूल्यांकन के दायरे में **वस्तु एवं सेवा कर को नहीं** लाया जाएगा।

शब्दावली को जानें

- **उर्वरक ग्रेड:** यह उर्वरकों में शामिल **नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P) और पोटाश (K)** के गारंटीकृत न्यूनतम प्रतिशत को व्यक्त करता है।
  - 5-5-5 ग्रेड वाले बैग का आशय है कि इसकी पूर्ण सामग्री में **5% कुल नाइट्रोजन, 5% उपलब्ध फॉस्फेट और 5% घुलनशील पोटाश** मौजूद हैं।

- **लागू होना:** MRP को तर्कसंगत बनाने के क्रम में उन सभी उर्वरक ग्रेड का मूल्यांकन किया जाएगा जिनके लिए NBS योजना के तहत कंपनियों द्वारा सब्सिडी प्राप्त की जाती है।
- **मूल्यांकन:** कंपनियां अपने द्वारा अर्जित अनुचित लाभ का स्व-मूल्यांकन करेंगी और उर्वरक विभाग को अनुचित लाभ वापस करेंगी।

आगे की राह

सरकार के इस कदम का उद्देश्य अनुचित लाभ अर्जित करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर कृषि कार्य की लागत को कम करना है। उर्वरक क्षेत्रक को लंबे समय में व्यवहार्य बनाने के लिए आयात पर निर्भरता कम करने और उर्वरक के संतुलित उपयोग जैसे अन्य कदम भी उठाए जाने चाहिए।

3.9 अंतरिक्ष क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI in Space Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्रक में **100% FDI** की अनुमति देने के लिए नियमों में छूट दी है।

---

[66] Fertilizer (Control) Order

[67] Inter-Ministerial Committee

[68] Per nutrient subsidy

अन्य संबंधित तथ्य

- **अंतरिक्ष क्षेत्रक में मौजूदा FDI नीति:** इससे पहले उपग्रहों की स्थापना और संचालन में केवल सरकारी मंजूरी से FDI की अनुमति थी।
- **संशोधित FDI नीति:**
    - **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023** के विजन और रणनीति के अनुरूप **अंतरिक्ष क्षेत्रक** में **100% FDI** की अनुमति दी गई है।
    - अंतरिक्ष क्षेत्रक में 100% FDI की **उदारीकृत नीति का उद्देश्य** संभावित निवेशकों को अंतरिक्ष क्षेत्रक से जुड़ी भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है।

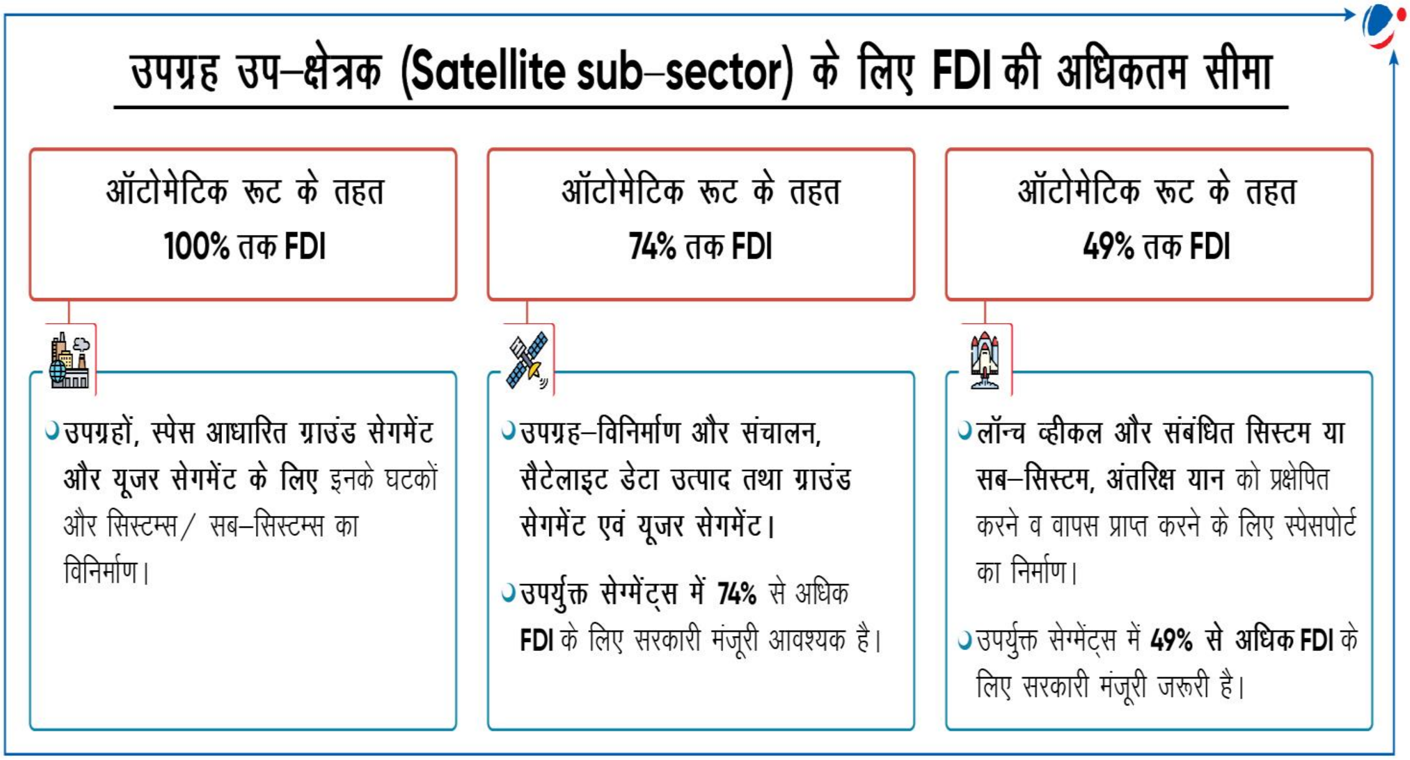

- **संशोधित नीति का महत्त्व:**
    - **वैश्विक वैल्यू चेन के साथ एकीकरण:** FDI नीति के उदारीकरण से भारतीय कंपनियों के वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ने की उम्मीद है।
    - **स्वदेशीकरण:** आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देकर, अंतरिक्ष क्षेत्रक को आत्मनिर्भर बनाकर, सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को प्रोत्साहित करके इस लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।
    - **अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान:** इस सुधार से इसरो (ISRO) को अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास, अन्वेषण मिशन और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा।
    - **इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा:** यह नीति विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्रक में प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करेगी। साथ ही, इससे अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अधिक समावेशी व्यवस्था का निर्माण होगा। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग आधारित अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा।
    - **अधिक FDI का आना:** इस नीति से निवेश, आय और रोजगार में वृद्धि होगी।
        - 2021-22 में, प्रक्षेपण सेवाओं के निर्यात, डेटा बिक्री और इन-ऑर्बिट सपोर्ट सेवाओं तथा प्रक्षेपण के बाद के संचालन से 175 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

- **वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद:** निवेश में वृद्धि से भारत के उत्पादों को बेहतर बनाने, अंतरिक्ष संचालन का वैश्विक स्तर पर विस्तार करने और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
  - वर्तमान में, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8.4 बिलियन डॉलर की है। इसमें **भारत की हिस्सेदारी केवल 2-3%** है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे बड़ी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।

- **अंतरिक्ष में निजी क्षेत्रक को समर्थन देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम:**
  - **भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA)[69]:** इसे 2021 में स्थापित किया गया था। यह विशेष रूप से भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रक के अंतरिक्ष उद्योग के सफल अन्वेषण, सहयोग और विकास की दिशा में काम करने वाला शीर्ष व गैर-लाभकारी उद्योग संगठन है।
  - **एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** इसे इसरो की मार्केटिंग शाखा के रूप में स्थापित किया गया है। यह विदेशी ग्राहकों के साथ उपग्रहों और लॉन्च व्हीकल के प्रक्षेपण के लिए इसरो के वाणिज्यिक समझौतों का प्रबंधन करता है।
  - **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)[70]:** यह अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए गठित एक स्वायत्त नोडल एजेंसी है।
  - अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने निजी प्रक्षेपण सेवा कंपनियों को उपग्रह लॉन्च करने पर GST का भुगतान करने से भी छूट दी है।
  - **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023** में कहा गया है कि निजी क्षेत्रक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की संपूर्ण वैल्यू चेन में एक महत्वपूर्ण हितधारक है।

अंतरिक्ष क्षेत्रक के विकास को बनाए रखने के लिए आगे की राह

- **विनियमन:** विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए, भारत को **"स्पेस एक्टिविटी विधेयक"** पारित करने की आवश्यकता है। यह विधेयक एक संपन्न अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देगा और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी को बढ़ाने में मदद करेगा।
- **प्रौद्योगिकी के स्तर पर प्रगति:** अंतरिक्ष उपयोगों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए आई.टी. क्षेत्र के साथ समन्वय को बढ़ाया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** इसरो से निजी क्षेत्रक को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)[71] जैसी प्रौद्योगिकी के मामले में।
- **किफायती और पहुंच पर ध्यान देने की जरुरत:** ऐसे व्यवसाय मॉडल विकसित करने की जरूरत है जो अंतरिक्ष आधारित समाधानों को करोड़ों लोगों के लिए किफायती और सुलभ बनाते हों तथा जो जमीनी स्तर पर अवसंरचना और कनेक्टिविटी की आवश्यकता संबंधी समस्याओं को दूर कर सकें।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसका एक उदाहरण है- 2023 में **आर्टेमिस समझौते में भारत का शामिल** होना।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #112: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग: जिज्ञासा से वास्तविकता तक

69 Indian Space Association

70 Indian National Space Promotion and Authorization Centre

71 Small Satellite Launch Vehicle

3.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.10.1. 'न्यू सर्विस (NS)' और 'न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्विस (NIS)' रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय सीमा में वृद्धि (Higher Financial Limits for NS and NIS)

- लोक लेखा समिति (PAC) ने 'न्यू सर्विस (NS)' और 'न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्विस (NIS)' रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय सीमा में वृद्धि हेतु मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

विशेषताएं	न्यू सर्विस (NS)	न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्विस (NIS)
परिभाषा	"न्यू सर्विस" सरकार के किसी ऐसे **नए नीतिगत निर्णय** से होने वाले व्यय को दर्शाती है, जिसकी **सूचना पहले संसद को नहीं** दी गई थी। इसमें नई गतिविधियां या नए निवेश शामिल हो सकते हैं।	यह **मौजूदा नीति के विस्तार** से होने वाले अपेक्षाकृत **बड़े व्यय** को दर्शाती है।
ऑब्जेक्ट हेड (अर्थात् व्यय की आर्थिक प्रकृति)	**मशीनरी और उपकरण**; सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरण; भवन और संरचना; अवसंरचना परिसंपत्तियां; हथियार एवं गोला–बारूद; भूमि आदि।	निवेश; ऋण और अग्रिम; सब्सिडी; इत्यादि।
रिपोर्टिंग सीमा	**50 करोड़ रुपये से ऊपर और 100 करोड़ रुपये तक।**	**मूल विनियोग (यानी शुरू में निर्धारित राशि) का 20% या 100 करोड़ रुपये तक** (जो भी अधिक हो)।

- लोक लेखा समिति (PAC) ने NS और NIS के लिए **वित्तीय सीमा में वृद्धि करने** के वित्त मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पहले वित्तीय सीमा में 2006 में बदलाव किया गया था।
  - यह सीमा **तब लागू** की जाती है जब **अनुदान/ विनियोग के समान वर्गों के भीतर उपलब्ध बचत से धन के विनियोग के माध्यम** से **व्यय संबंधी प्रावधानों** में बढ़ोतरी की जाती है।
  - इस **वित्तीय सीमा से अधिक किए जाने वाले व्यय** अनुपूरक प्रस्तावों (मंत्रालयों/ विभागों से) के जरिए किए जा सकते हैं। इसके लिए **संसदीय मंजूरी की आवश्यक** होती है।
- **इस बदलाव का औचित्य:**
  - **आर्थिक संवृद्धि:** GDP वृद्धि दर बढ़ने के कारण (वार्षिक आधार पर 6-7%) , बजट के आकार में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
  - **परियोजना को लागू करने में देरी:** NS/ NIS व्यय के लिए कम वित्तीय सीमा होने के कारण पूरक प्रस्तावों (Supplementary proposals) की संख्या में वृद्धि हुई है।
  - **निगरानी में बढ़ोतरी:** मानकीकृत ऑब्जेक्ट हेड पर NS/ NIS को समान रूप से परिभाषित करने से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा प्रभावी जांच की जा सकेगी।

3.10.2. राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना {RASHTRIYA UDYAMITA VIKAS PARIYOJANA (RUVP)}

- **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय** ने कौशल भारत मिशन के तहत RUVP शुरू की है।
- **RUVP के बारे में:**
  - यह परियोजना विशेष रूप से **पी.एम. स्वनिधि (स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि) योजना के लाभार्थियों** के लिए आरंभ की गई है।
  - इसके तहत लाभार्थियों को **22 सप्ताह की अवधि में व्यापक उद्यमिता प्रशिक्षण** प्रदान किया जाएगा। इसमें प्रायोगिक लर्निंग के द्वारा सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक प्रदर्शन के साथ जोड़ा जाएगा।
  - कामगारों को प्रतिस्पर्धी बनाने और उनकी अनुकूलन क्षमता में वृद्धि करने के लिए उनकी **री-स्किलिंग व अप-स्किलिंग पर ध्यान केंद्रित** किया जाएगा।
  - RUVP को आरंभ में कुछ चयनित जिलों में प्रायोगिक रूप से चलाया जाएगा। इस दौरान **40% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर ध्यान** दिया जाएगा।
  - प्रशिक्षण ऑफलाइन, ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड के माध्यम से दिया जाएगा। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद **प्रमाण-पत्र** दिए जाएंगे।

3.10.3. स्टार्ट-अप शाला (Startupshala)

- उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने **'स्टार्टअपशाला'** आरंभ किया है। यह **स्टार्ट-अप इंडिया** का एक प्रमुख एक्सेलेरेटर कार्यक्रम है।

- DPIIT ने 2016 में स्टार्ट-अप इंडिया की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य उद्यमियों की सहायता करना और भारत में एक मजबूत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का निर्माण करना है।

- **स्टार्टअपशाला के बारे में:**
  - यह मौजूदा उद्यमियों के लिए सेक्टर-विशिष्ट पहल है। इसके तहत उद्यमियों को अपना करोबार बढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान, नेटवर्क, फंड और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
  - यह तीन महीने तक चलने वाला एक्सीलेटर प्रोग्राम है।
  - इसमें 2 समूहों पर बल दिया गया है- **"स्वच्छ प्रौद्योगिकी** और **डीप टेक्नोलॉजी"।**
    - प्रत्येक समूह से 20 स्टार्ट-अप्स का चयन किया जाएगा।

3.10.4. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) सुधार (Ease of Doing Business Reforms)

- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) को सुगम बनाने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) का संचालन शुरू किया।
- CPC की स्थापना **कंपनी अधिनियम और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम** के तहत दायर किए गए **विनियामक अनुपालन फॉर्म्स की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग** के लिए की गई है।
  - यह **सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (CRC) और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग फॉर एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट (C-PACE)** की तर्ज पर समयबद्ध और फेसलेस तरीके से आवेदनों को प्रोसेस करेगा।
    - CRC कंपनियों के **त्वरित निगमन (Incorporation) के लिए सेवाएं** प्रदान करता है। C-PACE कंपनियों के **स्वैच्छिक समापन के लिए आवेदनों की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग** उपलब्ध कराता है।
- EoDB का तात्पर्य किसी राज्यक्षेत्र में **व्यवसायों की स्थापना, परिचालन और समापन को सुगम बनाना, दक्ष बनाना और लागत-प्रभावी** बनाना है।
- **EoDB सुधारों का महत्त्व:**
  - **आर्थिक संवृद्धि:** बेहतर संसाधन आवंटन, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रतिस्पर्धात्मकता आदि के माध्यम से आर्थिक संवृद्धि में मदद मिल सकती है।
  - **विदेशी निवेश:** नौकरशाही द्वारा पैदा की जाने वाली बाधाओं को कम करके और निवेशकों के समक्ष उत्पन्न होने वाले कथित जोखिमों को कम करके निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है।
  - **सामाजिक विकास:** समावेशिता को बढ़ावा देकर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करके सामाजिक विकास में योगदान किया जा सकता है।

EoDB सुधारों के फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं:

- आवेदन, नवीनीकरण, निरीक्षण, रिकॉर्ड दाखिल करने आदि से संबंधित प्रक्रियाओं का **सरलीकरण** करना।
- अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त, संशोधित या अन्य कानूनों में सम्मिलित करके कानूनी व्यवस्था को **युक्तिसंगत** बनाना।
- मैनुअल फॉर्म्स और रिकॉर्ड्स को हटाते हुए ऑनलाइन इंटरफेस बनाकर प्रक्रिया का **डिजिटलीकरण** करना।
- छोटी–मोटी तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूकों को **अपराध न मानना।**

EoDB सुधारों के लिए शुरू की गई पहलें

- **श्रम कानूनों में सुधार:** 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को **4 श्रम संहिताओं** में एकीकृत और युक्तिसंगत किया गया है।
- **विदेशी निवेश सुधार:** विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIF पोर्टल) लॉन्च किया गया है। साथ ही, अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए **बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022** बनाया गया है। इसके निम्नलिखित दो घटक हैं-
  - **एक्शन प्लान A (व्यवसाय केंद्रित सुधार):** राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली आदि।
  - **एक्शन प्लान B (नागरिक केंद्रित सुधार):** ऑनलाइन सिंगल विंडो, प्रमाण-पत्र आदि।

3.10.5. दिवाला मध्यस्थता के लिए फ्रेमवर्क पर रिपोर्ट (Report on Framework for Insolvency Mediation)

- **भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI)** ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। **टी.के. विश्वनाथन** इस समिति के अध्यक्ष थे। समिति का कार्य IBC, 2016 के तहत **विविध प्रक्रियाओं में मध्यस्थता (Mediation) के उपयोग की संभावना की जांच** करना था।
  - वर्तमान में, **IBC के तहत दिवाला और शोधन अक्षमता से जुड़े विवादों की मध्यस्थता के लिए कोई विशेष प्रावधान** नहीं किया गया है।

- मध्यस्थता के अंतर्गत एक **तटस्थ तीसरा पक्ष दो या दो से अधिक पक्षों के बीच विवाद को वार्ता के जरिए सुलझाने का प्रयास** करता है।
    - आमतौर पर इसका उपयोग विवाद में शामिल **पक्षकारों की आपसी सहमति या पूर्व-सहमत अनुबंध** के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, **न्यायालय के आदेश या सुझाव पर या कानूनी रूप से अनिवार्य किए जाने पर भी** इसका सहारा लिया जाता है।
- **भारत में मध्यस्थता फ्रेमवर्क:**
    - **मध्यस्थता अधिनियम, 2023** का उद्देश्य मध्यस्थता (विशेषकर संस्थागत मध्यस्थता) को सुविधाजनक बनाना है।
    - **मध्यस्थता से संबंधित अन्य विधान निम्नलिखित हैं:**
        - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908,
        - कंपनी अधिनियम, 2013,
        - वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, और
        - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019.
    - भारत **मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता** है।

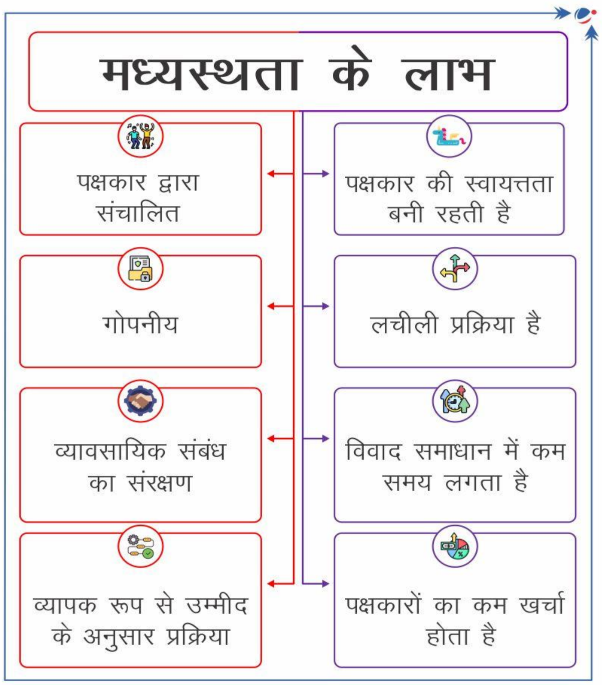

- **समिति की सिफारिशें:**
    - IBC के तहत विवाद समाधान तंत्र के रूप में **स्वैच्छिक मध्यस्थता की चरणबद्ध तरीके से शुरुआत** करने की आवश्यकता है।
    - केंद्र सरकार नियम बनाकर **दिवाला मध्यस्थता फ्रेमवर्क** की संरचना भी निर्धारित कर सकती है। साथ ही, इसमें मध्यस्थता के जरिये सुलझाए जाने वाले **विवादों की श्रेणियां भी निर्धारित** कर सकती है।
    - IBBI द्वारा **मध्यस्थता के संचालन और उसके प्रवर्तन के लिए प्रक्रियाएं** निर्दिष्ट की जानी चाहिए।
    - **मध्यस्थता की लागत पक्षकारों द्वारा समान रूप से या पारस्परिक सहमति के अनुसार वहन** की जानी चाहिए।

3.10.6. प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण {Securities Appellate Tribunal (SAT)}

- प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT) में **पूर्ण पीठ** की अनुपस्थिति से अधिकरण का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इससे मामलों के निपटान में देरी और बाधा उत्पन्न हो रही है।
- **प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT) के बारे में:**
    - यह **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी/ SEBI) अधिनियम, 1992** के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
    - यह निम्नलिखित द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करता है और उनका निपटान करता है-
        - **सेबी,**
        - **पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA),**
        - **भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI)।**
    - **पीठासीन अधिकारी और न्यायिक सदस्यों** की नियुक्ति **भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित व्यक्ति** के परामर्श से केंद्र सरकार करती है। **तकनीकी सदस्यों** की नियुक्ति **खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश** पर की जाती है।

3.10.7. यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस {Unified Payment Interface (UPI)}

- भारत के प्रधान मंत्री ने **मॉरीशस** के प्रधान मंत्री और **श्रीलंका** के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से **UPI सेवाओं** को लॉन्च किया है। साथ ही, **मॉरीशस में रुपे कार्ड सेवाओं** को शुरू किया है।
    - इससे **डिजिटल रूपांतरण और पर्यटन को बढ़ावा** मिलेगा। साथ ही, **दोनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत** होंगे।
- **UPI के बारे में:**
    - यह **कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (भागीदार बैंक)** से जोड़ता है। साथ ही, **धन अंतरण जैसी कई बैंकिंग सुविधाएं** भी प्रदान करता है।
    - इसे **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने विकसित** किया है।
        - NPCI **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक संयुक्त पहल** है। इसे **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।

©Vision IAS

3.10.8. कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स (Codex Committee on Spices and Culinary Herbs: CCSCH)

- CCSCH का 7वां सत्र कोच्चि में आयोजित हुआ।
- इस सत्र में **5 मसालों अर्थात् छोटी इलायची, हल्दी, जुनिपर बेरी, ऑलस्पाइस और स्टार ऐनीज़ (चक्र फूल)** के लिए गुणवत्ता संबंधी मानकों को अंतिम रूप दिया गया है।
    - CCSCH ने इन मानकों को **कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन** (CAC) को भेज दिया है। साथ ही, उन्हें **पूर्ण कोडेक्स मानकों के रूप में अपनाने की सिफारिश** भी की है।
    - CCSCH में पहली बार, **मसालों के समूहीकरण की रणनीति को सफलतापूर्वक लागू** किया गया है।

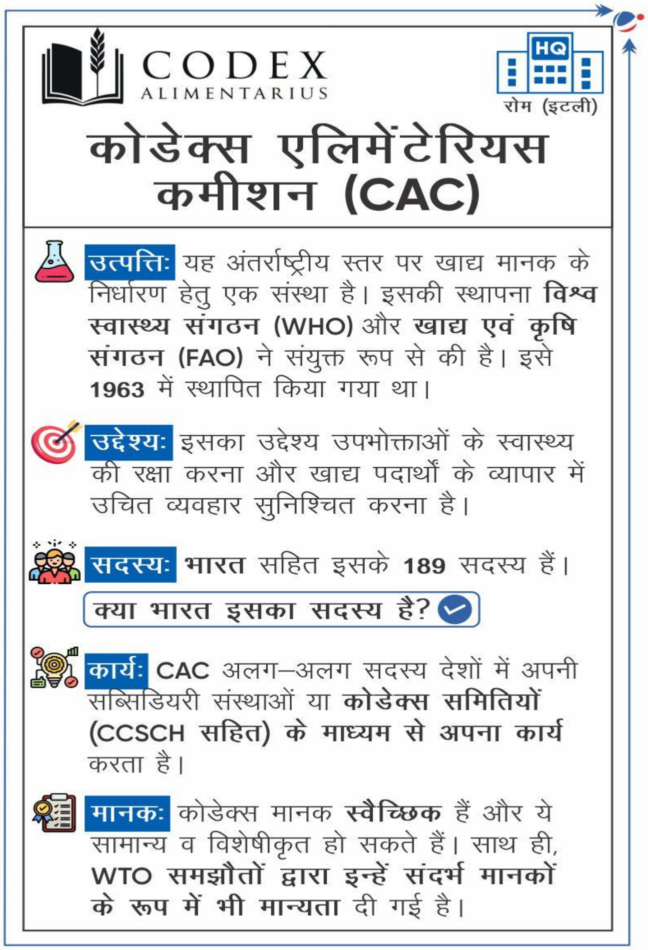

- **CCSCH के बारे में:**
    - **स्थापना:** CCSCH का गठन वर्ष 2013 में किया गया था। इसका गठन **कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC), रोम के तहत** किया गया है। CAC के अंतर्गत इसे **कमोडिटी समितियों** में से एक के रूप में गठित किया गया है।
    - **मेजबान/होस्ट:** भारत इस समिति का **मेजबान व अध्यक्ष** देश है। **भारतीय मसाला बोर्ड** इस समिति के **सचिवालय के रूप में** कार्य करता है। भारतीय मसाला बोर्ड **वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय** के अधीन है।
    - **विचारार्थ विषय:**
        - **ड्राइड और डी-हाइड्रेटेड अवस्था** में मसालों व पाक-कला से संबंधित शाक (herbs) के लिए उनके विश्वव्यापी मानकों को विस्तृत करना।
        - दोहराव से बचने के लिए मानक विकास प्रक्रिया में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ आवश्यकतानुसार परामर्श करना।
- **कोडेक्स मानक:**
    - **इनके बारे में:** ये **खाद्य से जुड़े महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान** हैं। इनमें अलग-अलग **मानक, अभ्यास संहिताएं, स्वच्छता अभ्यास संहिताएं, दिशा-निर्देश और अन्य सिफारिशें** शामिल हैं।
    - **प्रकृति:** कोडेक्स मानक स्वैच्छिक हैं और राष्ट्रीय खाद्य कानून पर बाध्यकारी नहीं हैं।
    - **कोडेक्स और WTO:** सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी उपायों (SPS समझौता) तथा व्यापार में तकनीकी बाधाओं (TBT समझौता) पर WTO समझौतों ने WTO के सदस्यों को **राष्ट्रीय विनियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रखने** के लिए प्रोत्साहित किया है।

3.10.9. उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) के कायाकल्प पर रिपोर्ट (Report on Transforming Fair Price Shops)

- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 'उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) के कायाकल्प' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013** के अनुसार FPSs वे दुकानें हैं, जिन्हें **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक कमॉडिटी वितरित करने के लिए लाइसेंस** प्राप्त है।
    - ऐसा लाइसेंस **आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 की धारा 3** के तहत एक आदेश द्वारा जारी किया जाता है।
        - ECA आम जनता के हित में **कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और व्यापार के नियंत्रण को विनियमित** करने का प्रावधान करता है।
    - **TPDS को 1997** में शुरू किया गया था। यह **गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के लाभार्थियों की तुलना में गरीबी रेखा से**

नीचे (BPL) के परिवारों के लिए सब्सिडी वाले खाद्यान्न को कम मूल्यों पर उपलब्ध कराने का प्रावधान करती है।

- **FPS से जुड़े मुख्य मुद्देः**
  - खाद्यान्नों को वास्तविक लाभार्थियों को वितरित करने की बजाए व्यापारियों को बेच दिया जाता है,
  - दुकानदारों के लिए उचित मूल्य की दुकानें आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं हैं आदि।

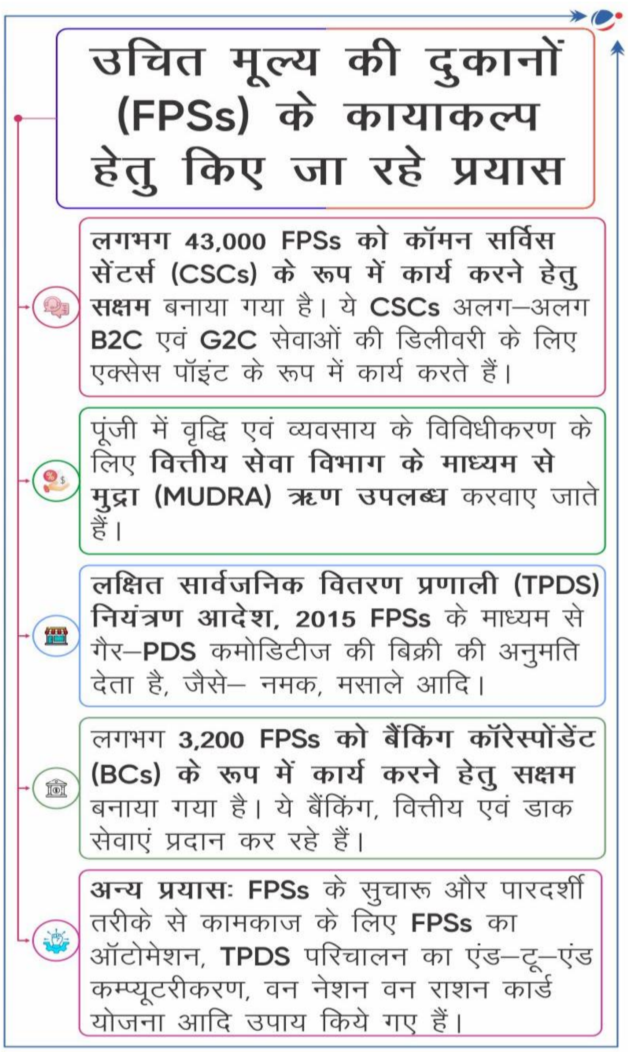

- **FPS के कायाकल्प के लिए की गई सिफारिशें:**
  - सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (MSMEs) द्वारा उत्पादित **गैर-PDS कमॉडिटी (जैसे- खादी और आयुष उत्पाद) की FPS के माध्यम से बिक्री बढ़ाने** पर ध्यान देना चाहिए।
  - सभी राज्यों में मॉडल FPS की प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक **निगरानी सेल का गठन** किया जाना चाहिए।
  - NFSA के तहत स्थापित **सतर्कता समितियों के कामकाज में सुधार** की आवश्यकता है।
    - **सतर्कता समितियों** को राज्य सरकार द्वारा **राज्य, जिला, ब्लॉक और FPS स्तर** पर गठित किया जाता है। इनके गठन का उद्देश्य **TPDS के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों की पारदर्शिता व जवाबदेही** को सुनिश्चित करना है।
  - राशन के प्रभावी तरीके से वितरण के लिए **सभी ePoS मशीनों का वजन करने वाली मशीनों से कनेक्शन एवं सिंक्रोनाइज़ेशन सुनिश्चित** किया जाना चाहिए।

3.10.10. भारत की खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था (India's Food Grain Storage System)

- MeitY ने उद्योग जगत को "स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम (SAFEETY)" के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की।
- SAFEETY के लिए प्रौद्योगिकी का विकास **"सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (SAMEER)"** ने किया है।
  - SAMEER केंद्रीय **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** के तहत एक **स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान** है।
- **यह निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है:**
  - रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) वाले **ग्रेन बैग्स (बोरे) की कन्वेयर बेल्ट आधारित लोडिंग और अनलोडिंग** की सुविधा। RFID इन **बैग्स को ट्रेस करने** में सहायक है।
  - **ऑनलाइन वजन और नमी के मापन** में सहायक है।
  - **रेडियो फ्रीक्वेंसी-आधारित तकनीक से खाद्यान्नों से नमी को हटाने की सुविधा।**
- **खाद्यान्न भंडारण के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाने की आवश्यकता क्यों है?**
  - **कम उत्पादन क्षमता:** वैश्विक आबादी में **भारत की हिस्सेदारी 18%** है, लेकिन विश्व की **केवल 11% कृषि योग्य भूमि ही भारत** के पास है।
  - **अपर्याप्त भंडारण क्षमता:** भारत की **खाद्यान्न भंडारण क्षमता केवल 145 मिलियन मीट्रिक टन (MMT)** है, जबकि देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन **311 MMT है।** इसका मतलब है कि **केवल 47% उत्पादन को ही भंडारित** किया जा सकता है।
  - **खाद्य सुरक्षा:** भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास उसकी बफर क्षमता से अधिक अनाज है। इसके लिए **खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं के एक मजबूत नेटवर्क की भी आवश्यकता** है।
  - **खेती को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने से:**
    - बेहतर भंडारण सुविधाओं से अनाज की बर्बादी कम होगी।

 ©Vision IAS

- बाजार के उतार-चढ़ाव से कृषि उपज की कीमतों में होने वाली अस्थिरता को कम किया जा सकेगा, और
- खाद्यान्न निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

3.10.11. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NLM में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने को मंजूरी दी (Cabinet Approves Additional Activities in NLM)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने को मंजूरी दी।
- **क्या हैं नए बदलाव?**
  - **अतिरिक्त कवरेज: घोड़ा, गधा, खच्चर व ऊंट** की नस्लों के संरक्षण के लिए पात्र उद्यमियों को पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी तथा राज्य सरकार को सहायता दी जाएगी।
  - **चारे की आपूर्ति बढ़ाना:**
    - पात्र उद्यमियों को **बीज प्रसंस्करण अवसंरचना** के निर्माण के लिए पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी।
    - राज्य सरकार को गैर-वन भूमि, बंजर भूमि/ रेंज भूमि/ गैर-कृषि योग्य भूमि आदि में **पशुचारे की खेती को बढ़ावा देने के लिए सहायता** दी जाएगी।
  - **पशुधन बीमा कार्यक्रम को सुलभ बनाना:**
    - किसानों के लिए बीमा प्रीमियम हेतु लाभार्थी के वर्तमान अंशदान को **20%, 30%, 40% और 50% से घटाकर 15%** कर दिया गया है।
    - **शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य द्वारा साझा** की जाएगी।
    - **बीमा कवरेज वाले पशुओं की संख्या भी भेड़ और बकरी के मामले में 5 मवेशी की बजाय 10 मवेशी** कर दी गई है।
- **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के बारे में:**
  - **कार्यान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
  - **योजना का प्रकार:** इसमें **केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्रक,** दोनों घटक शामिल हैं।
  - **इसके निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं:**
    - जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के पालन, कुक्कुट पालन और सूअर पालन क्षेत्रक तथा **पशुचारा क्षेत्रक** (Fodder sector) में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना।
    - नस्ल सुधार के माध्यम से प्रत्येक **मवेशी की उत्पादकता में वृद्धि** करना।
    - **मांस, अंडा, बकरी का दूध, ऊन और चारा उत्पादन** में वृद्धि करना।
  - **मिशन का लागू होना:** 2021-22 से पूरे भारत में लागू है।

3.10.12. PMFBY के तहत आरंभ की गई पहलें (Initiatives Under PMFBY)

- केंद्र सरकार ने **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** के तहत **तीन नई पहलें** आरंभ की हैं।
  - PMFBY के तहत फसल-बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक की अवधि के लिए व्यापक **फसल बीमा कवरेज** प्रदान किया जाता है।
- **कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) 14447:** इसके तहत अलग-अलग भाषाओं में **सलाह, पारदर्शी संचार और रियल-टाइम शिकायत समाधान** प्रदान किए जाएंगे।

- **लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS):** इसकी शुरुआत **फसल बीमा और कृषि ऋण में दक्षता बढ़ाने हेतु हितधारकों को प्रशिक्षित** करने के लिए की गई है।
- **सारथी पोर्टल:** इसे ग्रामीणों और किसान परिवारों के लिए **स्वास्थ्य, जीवन, आवास, दुकान, कृषि उपकरण, मोटर और पैरामीट्रिक उत्पादों से संबंधित बीमा कवरेज** प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है।
    - सारथी **UNDP इंडिया** के सहयोग से शुरू किया गया एक **डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म** है।

3.10.13. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey Of Industries: ASI)

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 'उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण' (ASI) जारी किया।
- ASI भारत में **औद्योगिक सांख्यिकी को जानने** का मुख्य स्रोत है।
    - इस सर्वेक्षण का आयोजन **सांख्यिकी संग्रहण (COS) अधिनियम, 2008** के तहत किया जाता है।
    - ASI में **कारखाना अधिनियम, 1948** के तहत पंजीकृत सभी कारखानों के आंकड़े शामिल किए जाते हैं।
        - इसके अलावा, ASI द्वारा **बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966** जैसे कानूनों के अधीन काम करने वाली इकाइयों को भी शामिल किया जाता है।
        - हालांकि, **रक्षा प्रतिष्ठानों तथा तेल भंडारण और वितरण डिपो यूनिट्स को इस सर्वेक्षण में शामिल नहीं** किया जाता है।
- **सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - **सकल मूल्यवर्धन (Gross Value Addition) के मामले में गुजरात शीर्ष** राज्य है। उसके बाद **महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश** का स्थान है।
    - **रोजगार प्रदान के मामले में** शीर्ष पांच राज्य **तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा हैं।**
    - कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के बावजूद भी **विनिर्माण क्षेत्रक ने मजबूती (Resilience) का प्रदर्शन** किया है।
        - मजबूती दर्शाने वाले मुख्य क्षेत्रकों में **बेसिक मेटल, कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्युटिकल उत्पाद, मोटर वाहन** आदि का विनिर्माण शामिल हैं।
- **विनिर्माण क्षेत्रक के बारे में:**
    - यह क्षेत्रक देश के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 17% का योगदान** देता है।
        - भारत का लक्ष्य **2025 तक इसकी हिस्सेदारी बढ़ाकर 25%** करना है।
    - भारत में विनिर्मित उत्पादों के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं।
    - **विनिर्माण क्षेत्रक के विकास को प्रेरित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं:**
        - देश में ही उत्पादों की भारी मांग,
        - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का आना जारी रहना आदि।
- **विनिर्माण क्षेत्रक के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियां:**
    - ऋण उपलब्धता की कमी,
    - चीन, वियतनाम जैसे देशों की तुलना में विनिर्माण क्षेत्रक की कम उत्पादकता,
    - अनौपचारिक या असंगठित प्रकृति का क्षेत्रक होना,
    - कुशल श्रम की कमी,
    - अवसंरचना संबंधी बाधाएं आदि।

3.10.14. 'संगम: डिजिटल ट्विन' पहल (SANGAM: Digital Twin Initiative)

- दूरसंचार विभाग (DoT) ने 'संगम: डिजिटल ट्विन' पहल शुरू की।
- यह पहल एक **प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट** है। यह दूरसंचार अवसंरचना की **योजना बनाने और उसके डिजाइन में क्रांति लाने** पर केंद्रित है।
    - इसका उद्देश्य **डिजिटल ट्विन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस; इंटरनेट ऑफ थिंग्स; 5G व 6G; तथा अगली पीढ़ी की**

कम्प्यूटेशनल प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं का संयोजन करना है।

- यह पहल **अवसंरचना से संबंधित सभी हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म** पर लाती है। यहां वे **नवाचारी अवसंरचना योजना-निर्माण समाधानों को व्यावहारिक रूप से लागू करने** को प्रदर्शित कर सकते हैं।
- इसे **भारत के प्रमुख शहरों में से किसी एक शहर में दो चरणों में आयोजित** किया जाएगा। ये 2 चरण हैं: **अन्वेषण चरण और प्रदर्शन चरण।**

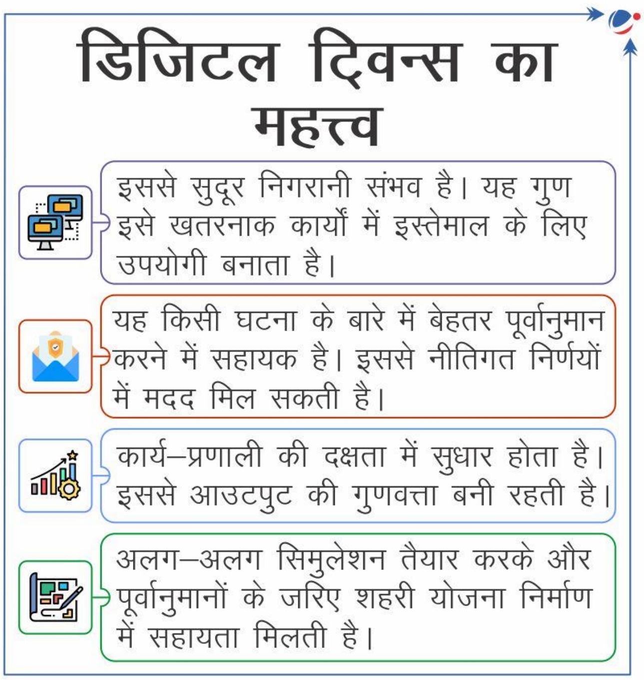

- डिजिटल ट्विन एक **वर्चुअल मॉडल** है। इडिजिटल ट्विन **वास्तविक जगत की किसी वस्तु/ ऑब्जेक्ट, व्यक्ति या प्रक्रिया की डिजिटल रूप में प्रस्तुति है।** यह तकनीक इनके परिवेश को **डिजिटल संस्करण** में दर्शाती है। इसका एक उदाहरण है, हमारे तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली की नक़ल करना, जो बीमारी के इलाज में सहायक हो सकती है।
  - इसमें ऑब्जेक्ट के **पूरे जीवन-चक्र को शामिल** किया जाता है। यह ऑब्जेक्ट के व्यवहार की सटीक रूप से नकल करने (सिमुलेशन) तथा उसकी कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए **सेंसर से भेजे गए रियल टाइम डेटा का उपयोग** करती है। इससे निर्णय लेने में मदद मिलती है।
  - **डिजिटल ट्विन और सिमुलेशन के बीच अंतर** व्यापकता के स्तर पर है। जहां सिमुलेशन आम तौर पर एक विशेष प्रक्रिया का अध्ययन करता है, वहीं डिजिटल ट्विन स्वयं कई प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए अधिक संख्या में सिमुलेशन संचालित कर सकता है।
    - दोनों के बीच अंतर **डेटा के दो तरफा संचार के स्तर** पर भी है। ऑब्जेक्ट सेंसर व सिस्टम प्रोसेसर को डेटा भेजता है और फिर प्रोसेसर द्वारा बनाए गए मॉडल मूल स्रोत वाले ऑब्जेक्ट के साथ वापस साझा किए जाते हैं।
  - **डिजिटल ट्विन्स** का उपयोग पहले से ही **बिजली उत्पादन उपकरणों, बड़ी भौतिक संरचनाओं, विनिर्माण कार्यों, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और ऑटोमोटिव उद्योग** में किया जा रहा है।

अन्य संबंधित सुर्ख़ियां

- हाल ही में, एक निजी कंपनी ने **ड्रोन स्कैनर का उपयोग करके हैदराबाद के 16वीं शताब्दी के कुतुब शाही मकबरों का डिजिटल ट्विन** बनाया है।
  - इस **साइट पर गोलकुंडा के पूर्व सुल्तानों के सात मकबरे मौजूद** हैं।
  - इन मकबरों के निर्माण में **पर्शियन, पठान और हिंदू स्थापत्य की मिश्रित शैली का इस्तेमाल** किया गया है। इनमें प्लास्टर (स्टूको) की सजावट के साथ **ग्रे रंग के ग्रेनाइट का उपयोग** किया गया है।
  - यह दुनिया में अपनी तरह की अनोखी जगह है, जहां **एक राजवंश के सभी सदस्यों को एक ही स्थान पर दफनाया** गया है।

3.10.15. डिजिटल क्रिएटर इकॉनमी (Digital Creator Economy)

- केंद्र सरकार ने 'नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड' के प्रथम संस्करण की घोषणा की।
- इस अवार्ड का उद्देश्य भारत की **डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी में भारत की संवृद्धि और संस्कृति को बढ़ावा देने तथा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने** वाली विविध सोच एवं प्रतिभाओं को सम्मानित करना है।
- डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी **व्यक्तियों द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है, जो किसी कंटेंट, उत्पाद या सेवाओं का निर्माण** करते हैं। साथ ही, अलग-अलग **डिजिटल प्लेटफार्म्स के माध्यम से इनका मुद्रीकरण** करते हैं।
- **नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के बारे में**
  - इसके तहत कई श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। इनके माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों में **उत्कृष्टता और प्रभाव डालने वालों को सम्मानित** किया जाएगा। इन क्षेत्रों में **स्टोरी टेलिंग, सामाजिक बदलाव के पैरोकार, पर्यावरणीय संधारणीयता, शिक्षा** आदि शामिल हैं।
  - **चयन प्रक्रिया:** पुरस्कार विजेताओं का चयन जूरी के मत और जनता के वोटों के आधार पर किया जाएगा।
  - **पुरस्कार देने वाली संस्था:** MyGov India है।
- **भारतीय क्रिएटर इकोनॉमी की वर्तमान स्थिति:**
  - भारत में लगभग **80 मिलियन क्रिएटर्स और नॉलेज प्रोफेशनल्स** हैं।

- भारत में लगभग **1,50,000 प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो अपने डिजिटल कंटेंट/ उत्पाद और सेवाओं के माध्यम से मुद्रा** अर्जित कर रहे हैं।

भारत में क्रिएटर इकोनॉमी के विकास के लिए उत्तरदायी कारण

पहुंच में वृद्धि: अब अधिक लोगों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि हुई है तथा इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन कंटेंट की विश्व भर में मांग है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म और मुद्रीकरण: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रसार बढ़ रहा है। ये मुद्रा अर्जित करने के अवसर प्रदान कर रहे हैं।

रोजगार की पारंपरिक अवधारणा में बदलाव: अब लोग घर से या कहीं से भी तथा हाइब्रिड तरीके (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) से कार्य कर रहे हैं। इससे क्रिएटर्स के पास कंटेंट बनाने के लिए अधिक समय एवं संसाधन प्राप्त हो जाते हैं।

कोविड–19 महामारी: कोरोना महामारी का प्रभाव भले ही पीड़ादायक रहा हो, लेकिन इसने अलग–अलग स्तरों पर तथा स्थानीय भाषाओं में क्रिएटिविटी को **असीमित एवं व्यापक तौर पर उभारने** में मदद की है।

- **क्रिएटर इकोनॉमी में अवसर:**
  - **व्यक्तियों के लिए:** आय अर्जित करने के कई विकल्प मिल रहे हैं; रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्लेटफॉर्म प्राप्त हो रहा है; वर्क-मॉडल लचीला हो गया है; विश्व के लोगों तक पहुंच बनाने का अवसर मिल रहा है आदि।
  - **व्यवसायियों के लिए:** उत्पादों के प्रचार के लिए सस्ता और सुलभ डिजिटल माध्यम (ऑर्गैनिक मार्केटिंग) उपलब्ध हो गया है; अपने ब्रांड के लिए सोशल मीडिया पर समुदाय बनाने में मदद मिल रही है आदि।
  - **समाज और अर्थव्यवस्था के लिए:**
    - डिजिटल कंटेंट के माध्यम से सांस्कृतिक विशेषता को अभिव्यक्ति मिल रही है;
    - सामाजिक समूह संगठित हो रहे हैं,
    - कौशल विकास संभव हो रहा है,
    - उद्यमशील मानसिकता का विकास हो रहा है आदि।
- **चुनौतियां:**
  - ऑनलाइन उपलब्ध कंटेंट/ उत्पाद या सेवा की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के बारे में संदेह बना रहता है,
  - ऑनलाइन अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी और थकान की समस्या** देखी जा रही है,
  - **कंटेंट और प्लेटफॉर्म के एक्सेस को सीमित करने (गेटकीपिंग) तथा प्लेटफॉर्म द्वारा एल्गोरिदम के जरिए कंटेंट प्रसारित** करने जैसी अन्य चुनौतियां मौजूद हैं।

3.10.16. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन (Input Service Distribution: ISD)

- **अंतरिम बजट 2024-25 में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाली कंपनियों** (कई शहरों में शाखाओं वाली) को **ISD के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने का प्रस्ताव** किया गया है।
  - **इनपुट टैक्स क्रेडिट:** यह वह कर है, जो एक व्यवसायी किसी वस्तु या सेवा की खरीद पर चुकाता है, फिर तैयार वस्तु या सेवा की बिक्री करते समय अपनी GST देनदारी से उसे समायोजित कर लेता है।
- ISD एक ऐसी व्यवस्था (ऑफिस) है, जो **कई शाखाओं वाली एक कंपनी को एक जगह पर ही अपनी साझी इनपुट सेवाओं की बिलिंग की अनुमति** प्रदान करता है। बाद में, वह इसे अलग GST पंजीकरण वाली अपनी शाखाओं में वितरित कर देता है।
- इस कदम से **विवादों में काफी कमी आने की संभावना** है।

3.10.17. तीन नए प्रमुख रेलवे आर्थिक गलियारों की घोषणा की गई (Three New Major Railway Corridors Announced)

- अंतरिम बजट 2024-25 में घोषित तीन नए प्रमुख रेलवे आर्थिक गलियारा कार्यक्रमों के लिए पी.एम. गति शक्ति का उपयोग किया जाएगा।
- ये नए गलियारा कार्यक्रम **मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी** को बढ़ावा देंगे। **अंतरिम बजट में घोषित तीन नए रेलवे आर्थिक गलियारे निम्नलिखित हैं:**
  - ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा;
  - पोर्ट कनेक्टिविटी गलियारा और
  - उच्च यातायात घनत्व वाला गलियारा।
- **इन गलियारों का महत्त्व:**
  - ये **लॉजिस्टिक्स की दक्षता** में वृद्धि करेंगे तथा **रेल यातायात** से संबंधित **लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी** भी करेंगे।
  - ये रेल मार्गों पर **रेल गाड़ियों की भीड़ को कम** करेंगे।
  - इनसे सड़क परिवहन की जगह **रेल और तटीय पोत परिवहन साधनों को बढ़ावा** मिलेगा।
  - ये लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक में **कार्बन फुटप्रिंट को कम** करेंगे।

पी.एम. गति शक्ति के 6 स्तंभ

व्यापकता (Comprehensiveness): प्रत्येक विभाग अब पोर्टल पर महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराकर एक–दूसरे की गतिविधियों के बारे में जान सकेगा। इससे परियोजनाओं की प्लानिंग और उन्हें लागू करने में आसानी होगी।

प्राथमिकता (Prioritization): इसके माध्यम से, विभिन्न विभाग अलग–अलग क्षेत्रकों के साथ संवाद स्थापित कर अपनी परियोजनाओं की प्राथमिकता तय कर सकेंगे।

इष्टतमीकरण / अनुकूलन (Optimization): इसकी मदद से महत्वपूर्ण कमियों के बारे में जाना जा सकेगा, जिससे परियोजनाओं की प्लानिंग में विभिन्न मंत्रालयों को सहायता मिलेगी। यह योजना वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए समय और लागत के मामले में सबसे अच्छा मार्ग चुनने में मदद करेगी।

सामंजस्य / समन्वय (Synchronization): इससे प्रत्येक विभाग के साथ–साथ गवर्नेंस के विभिन्न स्तरों की गतिविधियों के बीच तालमेल स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार से, यह उनके कामकाज के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा।

विश्लेषणात्मक (Analytical): यह योजना GIS आधारित स्थानिक योजना और एनालिटिकल टूल्स के साथ एक ही स्थान पर सभी आंकड़े प्रदान करेगी, जिसमें 200 से अधिक परतें होंगी।

गतिशीलता (Dynamic): यह मास्टर प्लान को बेहतर और अपडेट करने के लिए डेटा को नियमित आधार पर अपडेट करने में सक्षम बनाएगी।

- **पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP) के बारे में:**
    - इसे **2021 में लॉन्च** किया गया था। इसका उद्देश्य अलग-अलग आर्थिक क्षेत्रों में **मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए अवसंरचना** का विकास करना है।
    - यह योजना केंद्र सरकार और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की अलग-अलग अवसंरचना एवं आर्थिक मंत्रालयों/ विभागों की ट्रंक व यूटिलिटी अवसंरचना, मौजूदा व भविष्य की परियोजनाओं का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करती है।
        - **ट्रंक अवसंरचनाओं** में सड़कें और सेवाएं, पानी, बिजली, सीवरेज, जल निकासी इत्यादि शामिल हैं।
    - इस डेटा को **GIS-आधारित पी.एम. गति शक्ति प्लेटफॉर्म** के साथ जोड़ा गया है। इससे एक ही पोर्टल पर **अगली पीढ़ी की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी** की जा सकेगी।
    - इसकी मदद से **2025 तक आत्मनिर्भर होने और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।
    - इस योजना में **7 इंजनों (क्षेत्रकों) द्वारा संचालित आर्थिक संवृद्धि** पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
        - ये क्षेत्रक हैं: **रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, मास-ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना।**
    - इस योजना में **भारतमाला, सागरमाला, उड़ान (UDAN)** जैसी अलग-अलग अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं।

3.10.18. परिवहन ईंधन के रूप में LNG पर नीति आयोग की रिपोर्ट (NITI Aayog Report On LNG as a Transportation Fuel)

- नीति आयोग ने "मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों (M&HCV) के लिए परिवहन ईंधन के रूप में LNG" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की।
- यह रिपोर्ट **एनर्जी ट्रांजिशन और डीकार्बोनाइजिंग एजेंडा पर नीति आयोग व नीदरलैंड दूतावास के बीच द्विपक्षीय सहयोग** पर आधारित है।
- तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) वास्तव में **प्राकृतिक गैस का साफ, रंगहीन और गैर-विषाक्त तरल** रूप है।
    - प्राकृतिक गैस को **शिपिंग और भंडारण उद्देश्यों से लगभग -162 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करके तरल अवस्था** में लाया जाता है। प्राकृतिक गैस की यही तरल अवस्था LNG है।
- **M&HCV में LNG के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है?**
    - कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन में कमी लाकर **2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य** प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
    - **तेल आयात पर निर्भरता कम** होगी।
    - भारत का **ट्रकिंग बाजार (ट्रक परिवहन) तेजी से बढ़ रहा** है। इसके **2022 से 2050 के बीच चौगुना** हो जाने का अनुमान है।
    - इससे **भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था** बनाने में योगदान मिलेगा।
        - गौरतलब है कि सरकार ने **2030 तक प्राथमिक एनर्जी मिक्स में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15%** करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **LNG को अपनाने में चुनौतियां:**
    - प्रारंभ में पारंपरिक डीजल ट्रकों की तुलना में LNG अपनाने में अधिक लागत आती है,
    - LNG रिटेल आउटलेट्स की कमी है,
    - इसे अपनाने को लेकर बाजार में दुविधा है आदि।

- **रिपोर्ट में की गई सिफारिशें:**
    - **LNG-आधारित वाहनों की मांग** वाले क्षेत्रक समूहों को पहचानने की जरूरत है। इससे उच्च मात्रा में LNG उत्पादन संभव हो सकेगा और लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी।
    - **LNG अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन** दिए जाने चाहिए। इन प्रोत्साहनों में **LNG को GST के तहत लाना, संशोधित मूल्यह्रास कार्यक्रम, टोल शुल्क में छूट, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन** की शुरुआत आदि शामिल हैं।
    - **गैर-वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए** जैसे कि प्रेफरेंशियल राइट ऑफ वे, "ECO" लेबल, प्राइऑरटी लेन एक्सेस, फ्यूल कार्ड आदि।

LNG को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- 2017 में **केंद्रीय मोटर वाहन नियम (1989) को संशोधित करके LNG को परिवहन ईंधन** के रूप में शामिल किया गया।
- **परिवहन और खनन क्षेत्रक में LNG का उपयोग** बढ़ाने के लिए LNG नीति का मसौदा तैयार किया गया है।
- **डीजल वाहनों को LNG–ईंधन वाले वाहनों में बदलने के लिए रेट्रोफिटिंग की अनुमति** दी गई है।

3.10.19. शुद्धिपत्र (Errata)

- दिसंबर, 2023 की मासिक समसामयिकी के आर्टिकल 3.9.1. नेशनल स्टार्ट-अप एडवाइजरी काउंसिल में डिज़ाइन त्रुटि के कारण इन्फोग्राफिक में गलत स्पेलिंग और लोगो का उपयोग किया गया था। कृपया अपडेटेड इन्फोग्राफ़िक देखें।

NATIONAL STARTUP ADVISORY COUNCIL

राष्ट्रीय स्टार्ट–अप सलाहकार परिषद (NSAC)

उत्पत्ति: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने 2020 में NSAC को अधिसूचित किया था। यह विभाग **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** के तहत आता है।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य **नवाचार और स्टार्ट–अप्स को बढ़ावा** देने के लिए सरकार को सलाह देना है, ताकि सतत आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करते हुए रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न किए जा सकें।

संरचना: **वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता** की जाती है। इसमें संबंधित **मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के सदस्यों के साथ–साथ गैर–सरकारी सदस्य** भी शामिल होते हैं।

- गैर–सरकारी सदस्यों का कार्यकाल **दो वर्ष या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो)** तक होता है।

मुख्य कार्य: NSAC की **बैठक नियमित रूप से आयोजित** की जाती है। यह निम्नलिखित विषयों से संबंधित **उपायों का सुझाव देती है:**

- नागरिकों और छात्रों के बीच **नवाचार की संस्कृति** को बढ़ावा देना;
- भारतीय स्टार्ट–अप्स में **निवेश के लिए वैश्विक पूंजी** जुटाना;
- **स्टार्ट–अप्स का नियंत्रण शुरुआती प्रमोटर्स के पास** बनाए रखना;
- भारतीय स्टार्ट–अप्स की **वैश्विक बाजारों तक पहुंच** सुनिश्चित करना आदि।

QUIZ SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

- किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए
- न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है
- टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- **स्रोत:** इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- **भाग:** इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- **प्रमुख सुर्ख़ियां:** इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- **अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व:** इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- **प्रमुख सुर्ख़ियां:** इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- **सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व:** इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- **स्मरणीय तथ्य:** इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- **प्रश्नोत्तरी:** प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- **रिसोर्सेज:** वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

4. सुरक्षा (Security)

4.1. ग्रे-जोन युद्ध (Grey-zone Warfare)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** ने **रायसीना डायलॉग** के 9वें संस्करण में अनौपचारिक युद्धों पर चर्चा के दौरान **ग्रे-जोन युद्ध** के मुद्दे पर प्रकाश डाला।

अन्य संबंधित तथ्य

- **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** ने कहा कि **इसका इस्तेमाल दक्षिण चीन सागर** और भारत की उत्तरी सीमाओं पर किया जा रहा है।
- कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, **चीन ताइवान के खिलाफ भी ग्रे-जोन युद्ध रणनीति का उपयोग कर रहा है।**
- अमेरिका और यूरोपीय विशेषज्ञों ने हाल ही में कुछ रूसी और चीनी कार्रवाइयों को **ग्रे-जोन युद्ध के उदाहरण** के रूप में पहचाना है।

अन्य तरीकों की तुलना में ग्रे-जोन युद्ध को प्राथमिकता क्यों दी जाती है?

- **परमाणु युग में पारंपरिक संघर्ष की लागत बहुत अधिक बढ़ गई है** और इसके परिणाम का जोखिम भी बहुत अधिक है। इसलिए कुछ देश **ग्रे-जोन युद्ध** के माध्यम से अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
- जिन राष्ट्रों के पास बड़े पैमाने पर **संसाधनों या शक्ति तक पहुंच नहीं** है, **वे इस प्रकार के युद्ध को अधिक पसंद करते हैं।**

ग्रे-जोन युद्ध के बारे में

- ग्रे-जोन युद्ध में युद्ध के पारंपरिक तरीकों से अलग **गैर-परंपरागत युद्ध-नीति और रणनीतियों का उपयोग** किया जाता है। इसलिए, इसे पारंपरिक युद्ध की सीमा से नीचे रखा गया है।
    - इसका उद्देश्य किसी प्रतिद्वंद्वी को **खतरा महसूस कराए बिना** या उस पर **हमला किए जाने का एहसास कराए बिना** उसे नुकसान पहुंचाना है।
    - इसका सबसे अच्छा उदाहरण चीन की **सलामी स्लाइसिंग (Salami slicing)** रणनीति है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें बहुत ही **क्रमिक रूप से सीमा क्षेत्र पर कब्जा किया जाता है** और इससे प्रतिद्वंद्वी की अधिकतम सहन सीमा का परीक्षण भी हो जाता है।
        - इसका इस्तेमाल कथित तौर पर चीन द्वारा **दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विस्तार के लिए किया गया है।**
- ग्रे जोन युद्ध की गतिविधियों पर आम तौर पर **कम नोटिस किया जाता** है और ये कपटपूर्ण भी होती हैं।
    - इसका कोई नियम नहीं होता है और युद्ध की फ्रंटलाइन हर जगह होती है। सरल भाषा में, यह युद्ध कई जगहों या स्तरों पर लड़ा जाता है।
- ग्रे-जोन युद्ध में जो कार्रवाईयां की जाती हैं, उनका लाभ/ प्रभाव काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलता है।
- ग्रे-जोन युद्ध के जरिए **कई आयामों को अपने दायरे में** लाया जा सकता है। इससे स्थिति न चाहते हुए भी कई बार **गंभीर रूप** ले लेती है।

प्रमुख पहलें जिनसे भारत को ग्रे-ज़ोन युद्ध का मुकाबला करने में मदद मिली है

- **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ:** इससे भारतीय सशस्त्र बलों के बीच **समन्वय**, तीनों रक्षा बलों की प्रभावशीलता और युद्ध क्षमताओं के समग्र एकीकरण में सुधार करने में मदद मिली है।
- **आधुनिकीकरण:** सरकार अपनी **युद्ध प्रणालियों में प्रौद्योगिकी के समावेश को बढ़ावा** दे रही है, जिसमें पैदल सेना, मशीनीकृत बलों, तोपखाने, वायु रक्षा, विमानन, इंजीनियर, सिग्नल, लॉजिस्टिक्स आदि के लिए विभिन्न फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है।
    - सेना **iDEX (इनोवेशन्स फॉर डिफेंस एक्सीलेंस) पहल के तहत जीवंत स्टार्ट-अप परिवेश का भी लाभ उठा रही है।**
- **रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता:** सरकार, रक्षा खरीद प्रक्रिया (DAP)[72], 2020 आदि की सहायता से रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है।
- **समान विचारधारा वाले देश के साथ सहयोग:** उदाहरण के लिए- भारत ने अमेरिका के साथ जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA) जैसे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **अन्य:** साइबर सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए **"इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (CERT-In)"** नामक एक नोडल एजेंसी की स्थापना की गई है, आदि।

---

[72] Defence Procurement Procedure

प्रमुख गतिविधियां/ घटक

- **साइबर ऑपरेशन:** इसमें हैकिंग और डेटा चोरी करना, डेटा को करप्ट करना, दुष्प्रचार फैलाना, साइबर जासूसी करना आदि शामिल है।
    - यह प्रत्यक्ष व भौतिक नुकसान पहुंचाए बिना महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, राजनीतिक प्रणालियों या अर्थव्यवस्था को बाधित करता है। उदाहरण के लिए- महाराष्ट्र में पावर ग्रिड पर साइबर हमला।
- **इन्फॉर्मेशन वार: मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन्स** का उपयोग **जनता की राय को आकार देने,** समाज में विभाजन पैदा करने और लक्षित राष्ट्र के भीतर संस्थानों में विश्वास को कम करने के लिए किया जाता है।
    - जैसे- दुष्प्रचार, अफवाहें और फर्जी खबरें, सोशल मीडिया पर हेरफेर, आदि।
- **छद्म बलों को समर्थन[73]:** इसके तहत गैर-राज्य अभिकर्ताओं, विद्रोहियों या सैन्य समूहों को समर्थन प्रदान किया जाता है। यह दुश्मनों को आधिकारिक तौर पर प्रत्यक्ष संघर्ष में शामिल किए बिना अपने उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम बनाता है।
    - जैसे- भारत में इंसर्जेंट व नक्सली समूहों को विदेशी एजेंसियों से मिलने वाला समर्थन।
- **आर्थिक दबाव:** इसमें लक्षित देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए प्रतिबंध लगाना, व्यापार प्रतिबंध, या वित्तीय बाजारों में हेर-फेर करना या सैन्य कार्रवाई का सहारा लिए बिना नीति में बदलाव करवाना आदि शामिल है।
    - जैसे- चीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के रूप में और अधिक व्यापार प्रतिबंध लगाए।
- **राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देना:** यह राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर करता है। इसमें चुनावों को प्रभावित करने, राजनीतिक प्रक्रियाओं में हेर-फेर करने आदि जैसे गुप्त तरीके शामिल हैं।
    - जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में रूस की संलिप्तता का आरोप
- **अन्य:** अनियमित युद्ध (जैसे- गुरिल्ला युद्ध), कानूनी और कूटनीतिक पैंतरेबाज़ी, सैन्य धमकी आदि।

आगे की राह: वे उपाय जो भारत को ग्रे जोन युद्ध से निपटने में मदद करेंगे

- **थिएटर कमांड का गठन:** "थिएटर कमांड" का गठन संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल में योगदान देगा और अलग-अलग कमांड के बीच एकता सुनिश्चित करेगा।
- **क्षमता को बढ़ावा देना:** इन्फॉर्मेशनल वारफेयर क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए और विशेष ऑपरेशन्स, साइबर एवं अंतरिक्ष कमांड को जल्द से जल्द स्थापित किया जाना चाहिए।
- **सक्रिय निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की स्थापना:** ग्रे ज़ोन प्रयासों के शुरुआती संकेतों का पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए विभिन्न डोमेन (जैसे- साइबर, सूचना, राजनीतिक, आदि) पर नज़र रखना आवश्यक है। इसके लिए एडवांस सिस्टम विकसित करना चाहिए।
- **क्षमता प्रदर्शन के जरिए अपनी ताकत दिखाना:** विरोधियों को रोकने के लिए साइबर, इंफॉर्मेशन, आर्थिक, अन्य डोमेन में क्षमताओं का नियमित आधार पर प्रदर्शन किया जा सकता है।
    - भारत को कुछ अस्वीकार्य गतिविधियों की अधिकतम सीमा तय करने और उनके परिणामों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
- **अन्य:** दुष्प्रचार से निपटना, इंसर्जेंट समूहों के वित्त-पोषण को रोकना, आदि।

रायसीना डायलॉग के बारे में

- यह **भू-राजनीति (Geopolitics)** और **भू-अर्थशास्त्र (Geo-economics)** के संबंध में भारत द्वारा आयोजित एक प्रमुख सम्मेलन (डायलॉग) है। रायसीना डायलॉग वैश्विक समुदाय द्वारा सामना किये जाने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इसकी मेजबानी **विदेश मंत्रालय की साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन** द्वारा की जाती है।
- 2024 के संस्करण की थीम **"चतुरंगा: संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, सृजन[74]"** है।

---

[73] Support to Proxy Forces

[74] Chaturanga: Conflict, Contest, Cooperate, Create

4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.2.1. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी (US Approved Sale of 31 Predator Drones to India)

- अमेरिका की **डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी** ने भारत सरकार को **MQ-9B स्काईगार्डियन ड्रोन** और संबंधित उपकरणों की संभावित सैन्य बिक्री के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया।
- **ड्रोन** मानव निर्मित और नियंत्रित हवाई वाहन होते हैं। ये हवा में स्वयं से संचालित हो सकते हैं या व्यक्ति द्वारा रिमोट से संचालित किए जा सकते हैं। ये अपने साथ **घातक या गैर-घातक पेलोड्स** लेकर उड़ सकते हैं।

- **MQ-9B स्काईगार्डियन ड्रोन्स के बारे में:**
  - इन्हें **उपग्रहों की मदद** से संचालित किया जा सकता है। ये एक बार में **30 घंटे से अधिक समय तक आकाश में** उड़ान भर सकते हैं।
  - इन्हें **असैन्य (सिविल) विमानन के साथ सुरक्षित रूप से एकीकृत** किया जा सकता है। इससे संयुक्त बलों और सिविल अधिकारियों को रियल टाइम आधार पर परिस्थितियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इससे त्वरित कार्रवाई में मदद मिल जाती है।
  - ये **समुद्री खुफिया सूचनाएं जुटाने, टोह लेने और निगरानी करने** (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance: ISR) की क्षमताओं से लैस हैं।
  - यह **महासागर की सतह के ऊपर और नीचे रियल टाइम में खोज करने व गश्त** लगाने की क्षमताओं से भी लैस है।
- **रक्षा क्षेत्र में ड्रोन्स तकनीक का महत्त्व:**
  - **रणनीतिक (Strategic)**: ये ड्रोन **ISR से संबंधित** रियल टाइम विज़ुअल्स और डेटा उपलब्ध कराते हैं। इससे शीघ्र **निर्णय लेने में मदद** मिलती है।
    - इनकी मदद से ऑपरेशन में शामिल कार्मिकों पर **खतरा कम** हो जाता है। साथ ही, पारंपरिक मानव चालित विमानों की तुलना में ये **किफायती** भी हैं आदि।
  - **सामरिक (Tactical): ये सटीक हमला** करते हैं। इससे प्रभावित लक्ष्य के **आस-पास कम नुकसान** होता है। ये दुर्गम इलाकों में कार्मिकों के बीच बेहतर समन्वय करने और लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में भी उपयोगी हैं आदि।
- **ड्रोन से जुड़ी चुनौतियां:**
  - भारत में विमानन क्षेत्रक के प्रबंधन का फ्रेमवर्क जटिल है,
  - तेज हवाओं जैसी **प्रतिकूल मौसमी स्थितियों में ड्रोन का संचालन कठिन** हो जाता है,
  - **निजता और सुरक्षा का उल्लंघन होने का खतरा** रहता है आदि।

4.2.2. अभ्यास-हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट {Abhyas- High-Speed Expendable Aerial Target (HEAT)}

- **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने अभ्यास-हीट** का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया।
- **अभ्यास-हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (हीट/ HEAT) के बारे में:**
  - इस यान को ऑटो-पायलट की सहायता से **स्वायत्त उड़ान के लिए डिजाइन** किया गया है।
  - इसे DRDO के **वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE)** ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है।
  - यह हथियार चलाने के लिए आवश्यक **रडार क्रॉस सेक्शन, विज़ुअल और इन्फ्रारेड ऑग्मेंटेशन सिस्टम** से लैस है।
    - इसमें **लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम** भी है।
  - अभ्यास के लिए **न्यूनतम लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता** होती है। साथ ही, यह आयात किए जा रहे अन्य यानों की तुलना में **लागत प्रभावी** भी है।

4.2.3. INS संधायक (INS Sandhayak)

- **INS संधायक** को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह **सर्वे वेसल लार्ज (SVL) श्रेणी का पहला पोत** है।
- **INS संधायक के बारे में:**

- यह प्रस्तावित **चार SVL जहाजों** की श्रृंखला में पहला है।
- यह अत्याधुनिक **हाइड्रोग्राफिक उपकरणों** से लैस है। इनमें गहरे और उथले जल के **मल्टी-बीम इको-साउंडर्स, ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल** आदि शामिल हैं।
- यह **सीमित रक्षा क्षमताएं** भी प्रदान कर सकता है। साथ ही, **युद्धकाल या आपात स्थिति के दौरान हॉस्पिटल पोत** के रूप में भी काम कर सकता है।
- इसमें लागत की दृष्टि से **80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल** किया गया है।

4.2.4. पैट्रियट मिसाइल (Patriot Missile)

- रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेनी युद्ध बंदियों को ले जा रहे विमान की दुर्घटना में **संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई पैट्रियट मिसाइलों** का इस्तेमाल किया गया था।
- पैट्रियट/ PATRIOT से आशय है- **फेज्ड ऐरे ट्रैकिंग रडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट।**
    - यह **थिएटर-वाइड सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली** है।
    - इसे **अमेरिकी शस्त्रागार में सबसे अत्याधुनिक वायु-रक्षा प्रणालियों में से एक** माना जाता है।
        - इसका उपयोग **1991 के खाड़ी युद्ध और 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के दौरान** भी किया गया था।
    - यह आमतौर पर **शक्तिशाली रडार, एक कंट्रोल स्टेशन, एक पावर जनरेटर, एक लॉन्च स्टेशन** आदि से लैस होती है।

4.2.5. सुर्ख़ियों में रहे सैन्य अभ्यास (Exercises in News)

- **सदा तनसीक (SADA TANSEEQ):** यह **भारत और सऊदी अरब** के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका प्रथम संस्करण **29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान के बीकानेर में आयोजित** किया गया।
- **मिलन 2024:** मिलन भारत द्वारा आयोजित एक **बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास** है।
- **अभ्यास 'दोस्ती-16': भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 16वां द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास 'दोस्ती-16'** शुरू हुआ।
    - इसमें **बांग्लादेश ने पर्यवेक्षक** के रूप में हिस्सा लिया।
- **"स्टीडफास्ट डिफेंडर 24" अभ्यास: नाटो** (NATO) ने शीत युद्ध के बाद अपना **सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास "स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024"** शुरू किया।

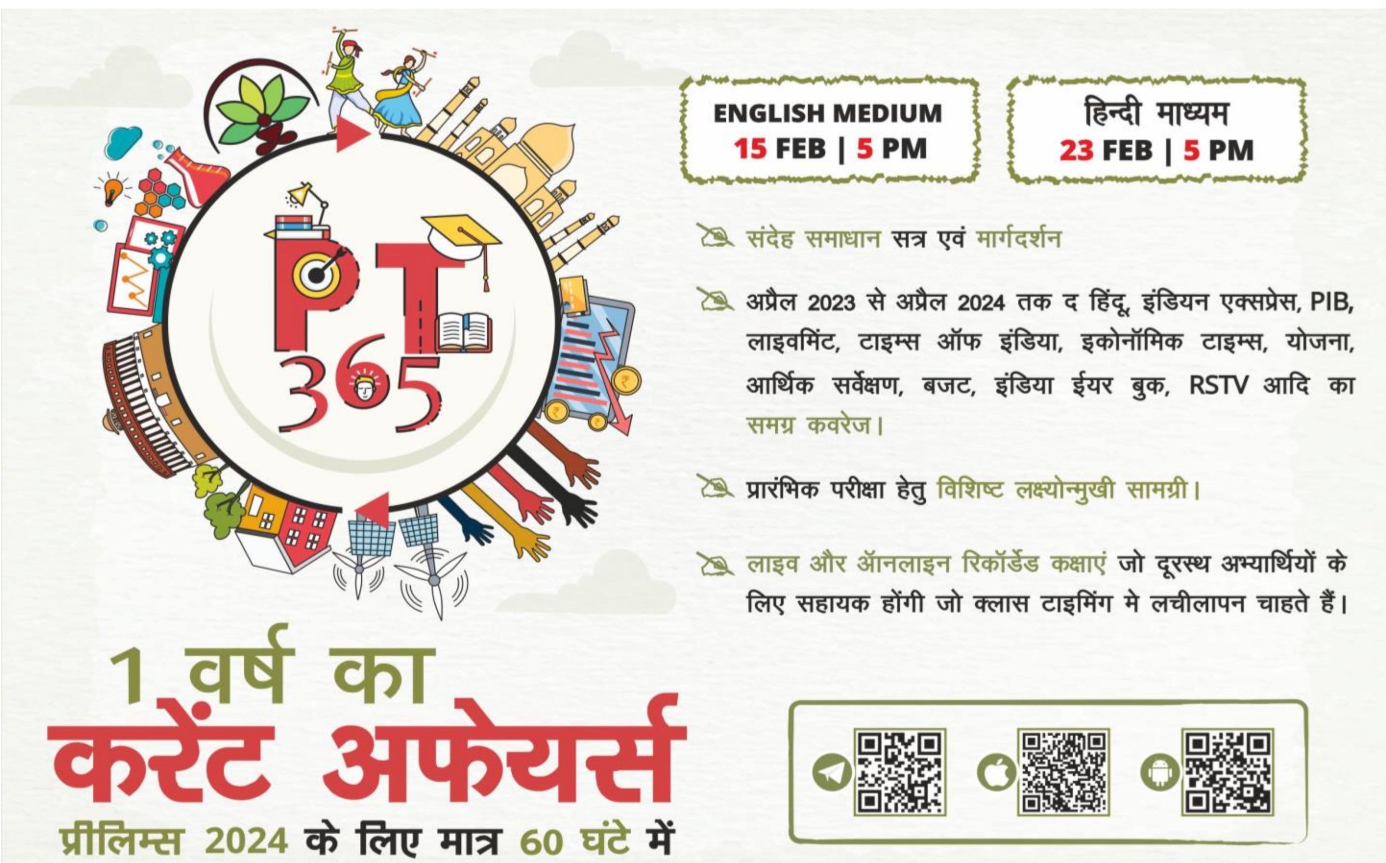

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण (Conservation of Migratory Species: CMS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वन्य प्राणियों की **प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS)**[75] के **पक्षकारों के सम्मेलन** की **चौदहवीं बैठक (COP 14)** उज्बेकिस्तान के **समरकंद** में आयोजित की गई।

वन्य प्राणियों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS) या बॉन कन्वेंशन के बारे में

- यह **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)**[76] के तहत एक **अंतर सरकारी संधि** है।
- यह **प्रवासी प्राणियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग** के लिए एक **वैश्विक मंच** के रूप में कार्य करता है।
- इसे 1979 में पेश किया गया था और यह 1983 में लागू हुआ।
- **सदस्यता:** इसमें अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया से 133 पक्षकार शामिल हैं। **भारत 1983 से इसका सदस्य है।**
- **CMS परिशिष्ट:**
  - **परिशिष्ट I:** इसमें एंडेंजर्ड मानी जाने वाली प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं। निकट भविष्य में जिस प्रजाति के विलुप्त होने की संभावना बहुत अधिक होती है, उसे एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा जाता है।
  - **परिशिष्ट II:** इसमें ऐसी प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं जिनकी **संरक्षण स्थिति प्रतिकूल या बहुत अच्छी नहीं** है तथा उनके संरक्षण और प्रबंधन **के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते अनिवार्य हैं।**

भारत और CMS

- भारत ने निम्नलिखित के संरक्षण और प्रबंधन पर CMS के साथ एक **गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता** ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं:
  - साइबेरियाई क्रेन (1998), समुद्री कछुए (2007), डुगोंग (2008), और रैप्टर्स (2016)
- भारत ने 2020 में गांधीनगर (गुजरात) में **CMS** के **COP-13** की मेजबानी की थी।
- भारत CMS की 2 विशेष प्रजाति पहलों, यथा- **मध्य एशियाई फ्लाईवे**[77] और **मध्य एशियाई स्तनधारी पहल**[78] का हिस्सा है।
- **जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI)** ने पहली बार CMS के तहत COP-13 से पहले भारत की प्रवासी प्रजातियों की सूची संकलित की थी।

CMS के COP-14 के बारे में

- **प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन (COP):**
  - यह **कन्वेंशन का निर्णय लेने वाला प्रमुख निकाय** है।
  - इसकी बैठक **हर 3 साल में** होती है। इस बैठक में अगले तीन वर्षों के लिए बजट और प्राथमिकताएं तय की जाती हैं।
  - यह **परिशिष्टों में संशोधन** पर भी निर्णय लेता है और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करता है।

विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति

- **CMS का COP-14:** इसके तहत **पहली बार** "विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति[79]" रिपोर्ट जारी की गई।
- **इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - **गिरावट: CMS** के तहत सूचीबद्ध लगभग **44% प्रवासी प्रजातियों** की आबादी में गिरावट देखी जा रही है।
  - **विलुप्ति:** CMS के तहत सूचीबद्ध **22%** से अधिक प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है।
  - **मछली:** CMS के तहत सूचीबद्ध लगभग **97% मछली प्रजातियों** पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है।
  - **कवरेज का अभाव:** विश्व स्तर पर **399** प्रवासी प्रजातियां जो **थ्रेटंड (संकटग्रस्त) या नियर थ्रेटंड (विलुप्त होने के निकट) हैं,** वर्तमान में CMS के तहत सूचीबद्ध नहीं हैं।

---

[75] Convention on the Conservation of Migratory Species

[76] United Nations Environment Programme

[77] Central Asian Flyway

[78] Central Asian Mammals Initiative

[79] State of the World's Migratory Species

©Vision IAS

- **COP-14 के मुख्य आउटकम्स:**
    - प्रवासी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए **कई नए उपाय अपनाए गए** हैं।
    - **नारा (Slogan):** "नेचर नोज़ नो बॉर्डर्स (Nature knows no borders)"
    - **CMS परिशिष्ट में 14 प्रजातियों को शामिल किया गया** है, जिनमें यूरेशियाई लिंक्स, पलास कैट और सैंड टाइगर शार्क आदि शामिल हैं।
    - **नए समन्वित प्रयास[81]:** इसके तहत चिंपांज़ी, स्ट्रॉ-कलर्ड फ्रूट बैट और ब्लू शार्क सहित **छह** प्रजातियों को शामिल किया गया है।
    - **एकल प्रजाति कार्य योजना (SSAPs)[82]: यह** अटलांटिक हंपबैक डॉल्फिन, हॉक्स बिल टर्टल और एंजेल शार्क जैसी जलीय प्रजातियों के लिए शुरू की गई हैं।
    - **एग्रीमेंट ऑन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे (CAF):** इसके तहत प्रवासी पक्षियों की 30 रेंज कंट्रीज को शामिल किया गया है। साथ ही, भारत में एक **समन्वय इकाई** की स्थापना का भी प्रस्ताव है।
    - **ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी (GPEC)** को शुरू किया गया है।
    - इसका उद्देश्य प्रवासी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बनाए रखना, उसे बेहतर करना और उनका पुनरुद्धार करना है।

प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत में की गई पहल

- **मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (2018-2023):**
    - **उद्देश्य:** आबादी में गिरावट को रोकने के लिए, प्रवासी पक्षी प्रजातियों के पर्यावासों की रक्षा और उनका संरक्षण करना।
- **महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBAs)[80] कार्यक्रम:**
    - **शुरू किया गया:** बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा।
    - **उद्देश्य:** दुनिया के पक्षियों और संबंधित जैव विविधता के संरक्षण के लिए IBAs के वैश्विक नेटवर्क का संरक्षण करना।
- **राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना (2021-2026):**
    - **उद्देश्य:** स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए समुद्री कछुओं और उनके पर्यावासों का संरक्षण करना।

प्रवासी प्रजातियों के बारे में

- **परिभाषा:** वन्य प्राणियों की ऐसी प्रजातियां जिनकी पूरी आबादी या भौगोलिक रूप से आबादी का एक हिस्सा **अलग-अलग समय पर चक्रीय (Cyclically)** या **सामयिक (Predictably)** रूप से एक या अधिक देशों की सीमाओं को पार करते हैं, उन्हें प्रवासी प्रजाति कहा जाता है।
    - **'चक्रीय'** शब्द किसी भी प्राकृतिक चक्र से संबंधित है, जैसे- खगोलीय (सर्कैडियन, वार्षिक आदि), जीवन चक्र या जलवायु, और कोई अन्य समय।
    - **'सामयिक'** का तात्पर्य निश्चित परिस्थितियों में प्रवास की संभावना से है, हालांकि जरूरी नहीं कि प्रवास नियमित रूप से घटित हो।

आगे की राह

- **पर्यावास का संरक्षण, पुनरुद्धार और उन्हें कनेक्ट करना:** इसके तहत महत्वपूर्ण पर्यावास और साइट्स जैसे कि प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों (KBAs)[83] की पहचान की जानी चाहिए।

---

[80] Important Bird Areas

[81] New Concerted Actions

[82] Single Species Action Plans

[83] Key Biodiversity Areas

- **अत्यधिक दोहन को रोकना:** उदाहरण के लिए- **बायोडायवर्सिटी बियोंड नेशनल जूरिडिक्शन (BBNJ) संधि** को लागू करना चाहिए (हाई सी में बड़े पैमाने पर समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना)।
- **पर्यावरण प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करना:** इसमें प्रकाश प्रदूषण को कम करने संबंधी रणनीतियों को अपनाना, समुद्री प्रजातियों के लिए जल के नीचे मशीनों के शोर को रोकना, विषाक्त सीसा गोला-बारूद को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटना आदि शामिल है।
- **जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों और क्रॉस कटिंग प्रभावों से निपटना:** पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली संबंधी लक्षित प्रयासों के माध्यम से प्रवासी प्रजातियों को बदलती जलवायु के साथ अनुकूलन में मदद करना, उदाहरण के लिए- कुनमिंग घोषणा-पत्र।
- **CMS परिशिष्ट संरक्षण कार्रवाई की आवश्यकता वाली सभी प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए:**
    - इनमें उन प्रजातियों को शामिल करना चाहिए, जो **विलुप्त होने की कगार पर हैं लेकिन अभी तक CMS में सूचीबद्ध नहीं हैं।**
    - **'डेटा की कमी'** वाली प्रवासी प्रजातियों पर शोध को प्राथमिकता देनी चाहिए।

5.2. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 {The Water (Prevention And Control Of Pollution) Amendment Act, 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024** पारित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके जरिए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन किया गया है।
- **लागू होना:** वर्तमान में, जल संशोधन अधिनियम, 2024 केवल **हिमाचल प्रदेश, राजस्थान** और **केंद्र शासित प्रदेशों** पर लागू होगा। गौरतलब है कि उपर्युक्त दोनों राज्यों ने अधिनियम में किए गए संशोधन को स्वीकार करने के लिए संकल्प पारित कर दिया है।
- जल 'राज्य सूची' का एक विषय है तथा इसका उचित उपयोग और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- हालांकि, **संविधान का अनुच्छेद 252** संसद को किसी भी ऐसे मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है जिसके संबंध में उसके पास विधायी शक्ति का अभाव है।
    - अनुच्छेद 252 के अनुसार, **दो या दो से अधिक राज्यों के विधान-मंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वे राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधि बनाएं।** ऐसी विधियों का विस्तार **अन्य राज्यों पर तभी होगा जब संबंधित राज्य के विधान-मंडल इस आशय से संकल्प पारित** करेंगे।
    - साथ ही, **ऐसे अधिनियम को केवल संसद द्वारा ही संशोधित या निरस्त किया जा सकता** है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Boards: CPCB)

CPCB नई दिल्ली

उत्पत्ति: यह एक **सांविधिक निकाय** है। इसका गठन 1974 में **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 के तहत** किया गया था।

CPCB के बारे में: CPCB को **वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत **शक्तियां और कार्य** सौंपे गए है।

मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

अध्यक्ष: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

प्रमुख कार्य:
- जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन द्वारा राज्यों के अलग–अलग क्षेत्रों में जल निकायों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना।
- वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन करना।

प्रमुख पहलें:
- **राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP)**
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए **प्राण/PRANA** पोर्टल का संचालन।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के बारे में

- यह अधिनियम **जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण** तथा देश में **पानी के स्वच्छता को बनाए रखने या उसे रिस्टोर करने का प्रावधान करता** है।
- मूल अधिनियम **25 राज्यों में लागू** है।
- इससे पहले मूल अधिनियम में **दो बार** (वर्ष 1988 और 2003 में) संशोधन हो चुका है।

- **विनियामक निकाय: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** (CPCB)[84] और **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** (SPCB)[85] का गठन किया गया है।
- **अनुमति:** औद्योगिक इकाइयों को फैक्ट्रियां स्थापित करने से पहले **अपने संबंधित राज्य बोर्डों से अनुमति लेना अनिवार्य** है।

प्रमुख संशोधन {जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024}

प्रमुख पहलू	**जल अधिनियम, 1974**	**जल संशोधन अधिनियम, 2024**
SPCB के चेयरमैन	अधिनियम में कहा गया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन को **राज्य सरकार द्वारा नामित** किया जाएगा।	चेयरमैन के नामांकन के तौर-तरीके और सेवा-शर्तें **केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।**
उद्योग स्थापित करने हेतु अनुमति से छूट	अधिनियम ने राज्य सरकार को "कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को **नए आउटलेट और डिस्चार्ज** पर प्रतिबंध से छूट" देने का अधिकार दिया था। • किसी उद्योग की स्थापना करने या मंजूरी प्रदान करने आदि से संबंधित मामलों पर **राज्यों को दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार** है।	इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि **केंद्र सरकार, CPCB के परामर्श से, कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को** ऐसी अनुमति हासिल करने से **छूट दे सकती है।** • इसमें यह भी कहा गया है कि **केंद्र सरकार** SPCB द्वारा दी गई अनुमति को मंजूरी देने, उसे अस्वीकार करने या रद्द करने के लिए **दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।**
अपराधों के लिए जुर्माना	इसमें प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों को बिना ट्रीटमेंट के खुले में छोड़ने पर **6 साल तक की कैद** का प्रावधान है।	अधिनियम **कई तरह के उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है** और इसके बदले ₹10,000 से ₹15 लाख के बीच **जुर्माने का प्रावधान** करता है।
सरकारी विभागों द्वारा किए जाने वाले अपराध	सरकारी विभागों द्वारा किए गए **अपराधों के लिए विभागाध्यक्ष को दोषी माना जाएगा;** बशर्ते कि वे साबित करें कि इस तरह के उल्लंघन से बचने के लिए उसने सभी सार्थक प्रयास किए थे।	अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि यदि कोई सरकारी विभाग अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो **विभाग के प्रमुख को उसके मूल वेतन के एक महीने के बराबर जुर्माना देना होगा।**

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 के अन्य प्रमुख प्रावधान:

- **मॉनिटरिंग उपकरणों से छेड़छाड़:** पानी के मीटर या गेज जैसे मॉनिटरिंग उपकरणों में **जानबूझकर हेरफेर करने या उनमें गड़बड़ी पहुंचाने** पर **10,000 रुपये से 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।**
- **निर्णय लेने वाला अधिकारी:** संशोधित अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी (Adjudicating officer) नियुक्त करने की अनुमति देता है।
    - यह अधिकारी केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव स्तर का होना चाहिए।
- न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा लगाया गया जुर्माना **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत स्थापित **पर्यावरण संरक्षण कोष**[86] में जमा किया जाएगा।
- **अपील:** लगाए गए जुर्माने का 10% जमा करने के बाद, न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)**[87] के समक्ष अपील की जा सकती है।

महत्त्व

- **विश्वास-आधारित शासन के लिए गैर-अपराधीकरण को बढ़ावा देना: छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर और तर्कसंगत बनाकर,** यह संशोधन छोटी-मोटी चूक के लिए कारावास के डर के बिना जीवनयापन और आसानी से व्यवसाय के संचालन को बढ़ावा देता है।

---

[84] Central Pollution Control Boards

[85] State Pollution Control Boards

[86] Environment Protection Fund

[87] National Green Tribunal

- **कई सारे नियमों के पालन के बोझ में कमी:** उद्योगों की स्थापना के लिए कई तरह के नियम-कानून के पालन में छूट देने से **विनियामकीय एजेंसियों पर निगरानी के दोहराव और अनावश्यक बोझ में कमी आती है।** इससे उद्योगों को पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखते हुए व्यवसायों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है।
- **नियुक्ति संबंधी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना: समान योग्यताओं और प्रक्रियाओं** के साथ राज्य बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति को सुव्यवस्थित करने से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। इससे अयोग्य व्यक्तियों का राजनीतिक प्रभाव के कारण लंबे समय तक पद पर बने रहना मुश्किल होगा।
- **विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करना:** संशोधन का उद्देश्य दीर्घकालिक समृद्धि के लिए **महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संधारणीयता के बीच संतुलन** बनाना है।

संशोधन की आलोचना

- **जुर्माने की अप्रभाविता:** घाटों पर कूड़ा-कचरा फैलाने जैसे छोटे-मोटे अपराधों के लिए जुर्माना लागू करना सांस्कृतिक कारणों से चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है।
- **जल प्रदूषण संबंधी मुद्दे का बने रहना: पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट-2023** से पता चला कि **गंगा सहित भारत की 46% नदियां प्रदूषण की समस्या** से जूझ रही हैं।
- **जलवायु एवं जल संकट की उपेक्षा:** बढ़ते तापमान के कारण भू-जल की कमी से भारत की खाद्य और जल सुरक्षा को खतरा है। **नीति आयोग का अनुमान है** कि संदूषित पानी के कारण **सालाना 4,00,000 मौतें होती** हैं।
- **भविष्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव:** संधारणीय आर्थिक विकास के लिए जल संरक्षण के महत्त्व को पहचानना बहुत आवश्यक है।
- **संघवाद पर प्रभाव:** संशोधन अधिनियम SPCB के संचालन के लिए राज्य की अधिकांश मौजूदा शक्तियों को छीनने का प्रयास करता है, जो कि संघवाद के सिद्धांत के विरुद्ध है।

निष्कर्ष

संशोधनों को और बेहतर बनाने के लिए एवं इससे जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्यावरण विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज संगठनों के साथ परामर्श कर सभी हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम पर्यावरण नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ा सकते हैं।

5.3. वन की परिभाषा (Definition of Forest)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1996 में **टी.एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ वाद** में दिए गए फैसले में निर्धारित “वन” की परिभाषा का पालन करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि: वन भूमि की परिभाषा से संबंधित इतिहास

अधिनियम/ निर्णय	विवरण
भारतीय वन अधिनियम, 1865	• इसमें वन को **पेड़ों, झाड़ियों और जंगल से ढकी भूमि** के रूप में परिभाषित किया गया था।
वन अधिनियम, 1878	• वनों को पुनः परिभाषित किया गया। परिभाषा का विस्तार करते हुए **इसमें किसी भी भूमि को शामिल किया गया जिसे इस उद्देश्य के लिए नामित किया जा सकता** है। • **वनों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया:** राज्य या आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन।
भारतीय वन अधिनियम, 1927	• इसमें पिछले अधिनियम के सभी प्रमुख प्रावधानों को शामिल किया गया। इसमें संशोधन कर **लकड़ी पर प्रशुल्क लेना** शामिल किया गया।
वन संरक्षण अधिनियम, 1980	• **वन भूमि को गैर-वन उपयोग के लिए हस्तांतरित करने से पहले** केंद्र सरकार की **मंजूरी अनिवार्य कर दी गई।** • ये प्रावधान मुख्य रूप से **राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त वन भूमि के हिस्सों पर लागू होते हैं।**

टी.एन. गोदावर्मन वाद (1996)	• **"वन"** की परिभाषा का विस्तार करते हुए **इसमें निम्नलिखित को भी शामिल किया गया:** ○ स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण के निरपेक्ष, **किसी भी सरकारी (संघ और राज्य) रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में दर्ज** सभी क्षेत्र। ○ वे सभी क्षेत्र जो **'शब्दकोश'** में वन के अनुरूप हैं। ○ वे क्षेत्र जिन्हें 1996 के आदेश के बाद राज्य सरकारों द्वारा गठित **विशेषज्ञ समितियों द्वारा 'वन' के रूप में निर्धारित किया** गया है।
वन संरक्षण (संशोधन) (FCA) अधिनियम, 2023	• वन भूमि से आशय है- ○ भारतीय वन अधिनियम, 1927 या अन्य कानूनों के तहत **वन के रूप में घोषित/ अधिसूचित भूमि।** ○ **1980** या उसके बाद **सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि।** ▪ इसमें वह भूमि शामिल नहीं है जिसे 1996 में या उससे पहले **आधिकारिक तौर पर वन उपयोग से गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग में बदल दिया गया** है।
वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023	• नियम 16 के अनुसार, राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को एक वर्ष की अवधि के भीतर **ऐसी भूमियों का एक समेकित रिकॉर्ड** तैयार करना होगा, **जिस पर वन संरक्षण (संशोधन) (FCA) अधिनियम, 2023 के प्रावधान लागू** होते हैं। ○ इसके तहत वन क्षेत्र में शामिल है- इस प्रयोजन के लिए गठित **विशेषज्ञ समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्र, अवर्गीकृत वन भूमि या सामुदायिक वन भूमि** आदि।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

- **टी.एन. गोदावर्मन फैसले के सिद्धांतों को बरकरार रखना: वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम 16** के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा प्रक्रिया पूरी होने तक टी.एन. गोदावर्मन मामले में कोर्ट द्वारा स्पष्ट किए गए सिद्धांतों का **पालन जारी रखा जाना** चाहिए।
- **वन का व्यापक अर्थ:** राज्य सरकारें और UT प्रशासन टी.एन. गोदावर्मन निर्णय के अनुसार "वन" के अर्थ के दायरे का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसमें वे भूमि भी शामिल हो सकती हैं जो संरक्षण के योग्य हैं।
- **अन्य प्रमुख दिशा-निर्देश:**
  - **डेटाबेस का निर्माण करना:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों को विशेषज्ञ समितियों (टी.एन. गोदावर्मन निर्णय के अनुसार गठित) द्वारा **"वन" के रूप में दर्ज की गई सभी भूमि का एक समेकित रिकॉर्ड केंद्र सरकार को प्रस्तुत** करना चाहिए।
    - इन रिकॉर्ड्स को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा **मेन्टेन किया जाएगा** और **उसे डिजिटल रूप प्रदान** किया जाएगा। साथ ही, अप्रैल, 2024 तक इस रिकॉर्ड को **MoEF&CC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया** जाएगा।
  - **चिड़ियाघर के निर्माण में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय:** किसी भी सरकार या प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर या सफारी की स्थापना के लिए अंतिम मंजूरी देने से पहले कोर्ट की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।
    - FCA अधिनियम, 2023 ने संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य वन क्षेत्रों में **चिड़ियाघर या सफारी की स्थापना** को **गैर-वन उद्देश्यों की परिभाषा से बाहर रखा है।**

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निहितार्थ

- **वन भूमि की सुरक्षा:** वन की परिभाषा को सीमित करने से लगभग 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि 'वन' के दायरे से बाहर हो सकती थी।
- **FCA, 1980 की भावना के अनुरूप:** गैर-वन उद्देश्यों (जैसे- चिड़ियाघरों की स्थापना) के तहत अधिक गतिविधियों को शामिल करने से वनों की अधिक कटाई को बढ़ावा मिल सकता है।
- **वन की परिभाषा पर आम सहमति:** गोदावर्मन फैसले को 28 वर्षों तक प्रभावी रहने के बावजूद, राज्य "वन" शब्द की अलग-अलग व्याख्या करते रहे हैं।
- **संधारणीय विकास को प्रोत्साहित करना:** सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने पर समान जोर दिया गया है।

वन संरक्षण संशोधन अधिनियम (2023) के अन्य प्रमुख प्रावधान

- **नया नाम:** "वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980"
- **प्रस्तावना को जोड़ा गया:** इसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और अन्य राष्ट्रीय लक्ष्य शामिल हैं।
- **गैर-वन उद्देश्यों की परिभाषा से बाहर की गई गतिविधियां:**
  - संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य वन क्षेत्रों में **वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत **चिड़ियाघर और सफारी की स्थापना करना;**
  - क्षेत्र की योजनाओं में शामिल **इको-पर्यटन सुविधाएं;**
  - **सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन,** जिसमें रिजनरेशन ऑपरेशंस भी शामिल है; और
  - **केंद्र सरकार** द्वारा निर्धारित कोई अन्य उद्देश्य।
- **निम्नलिखित कैटेगरी की भूमि को इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन नहीं रखा गया है:**
  - किसी शहरों या कस्बों को कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले प्रोजेक्ट या रेलवे प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय महत्त्व की और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं।
- राज्य सरकारों को सरकारी संस्थाओं (पहले केवल निजी संस्थाओं के लिए आवश्यक) को **पट्टे के माध्यम से या अन्य तरीके से वन भूमि आवंटित करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक** है।

5.4. जैव विविधता विरासत स्थल (Biodiversity Heritage Site)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ओडिशा** के **कोरापुट जिले** में **गुप्तेश्वर वन** को राज्य का चौथा **जैव विविधता-विरासत स्थल (BHS)** घोषित किया गया है।

गुप्तेश्वर वन के बारे में

- यह 350 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह गुप्तेश्वर शिव मंदिर के नजदीक अवस्थित है। मंदिर **चूना पत्थर** से बनी प्राकृतिक गुफा में है।
- यह ओडिशा के सबसे दक्षिणी भाग और पूर्वी घाट का हिस्सा है।
- अपने पवित्र उपवनों के कारण इसका **अत्यधिक सांस्कृतिक महत्त्व** है।
- इस जगह पर कई तरह की वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं।
  - **प्रमुख जीव-जंतु प्रजातियां:** मगर क्रोकोडाइल, कांगेर घाटी रॉक गेको, साधारण पहाड़ी मैना, सफेद पेट वाला कठफोड़वा, बैंडेड बे कोयल आदि।
  - **प्रमुख वनस्पति प्रजातियां:** यहां इंडियन ट्रम्पेट, इंडियन स्नैकरूट, कुम्बी गम, गार्लिक पियर जैसे **औषधीय पादप** पाए जाते हैं। हालांकि ये पादप **संकटग्रस्त** हैं।

जैव विविधता-विरासत स्थल (BHS) के बारे में

- BHS **अपने विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र और समृद्ध जैव-विविधता के लिए जाने जाते हैं। ये स्थल पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील होते हैं,** जिसमें स्थलीय, तटीय और अंतर्देशीय जलीय और समुद्री पारितंत्र आदि शामिल होते हैं।
- **जैव-विविधता अधिनियम (BDA)[88], 2002 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श** से जैव-विविधता महत्त्व वाले क्षेत्र को BHS के रूप में अधिसूचित कर सकती है।
  - इसके अलावा, **राज्य सरकार केंद्र सरकार के परामर्श से BHS के प्रबंधन और संरक्षण के लिए नियम बना** सकती है।

[88] Biological Diversity Act

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)[89] BDA की **धारा 37 के तहत विरासत स्थलों के चयन और प्रबंधन में राज्य सरकार को सलाह प्रदान** करता है।
    - NBA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अधीन एक **स्वायत्त तथा सांविधिक निकाय है।**
    - NBA की स्थापना केंद्र सरकार ने **2003 में की** थी। इसका काम भारत के **जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों** को लागू करना है। इसका **मुख्यालय चेन्नई** में है।
- NBA के अनुसार, **फरवरी 2024 तक भारत में कुल 45 BHS हैं।**

BHS के निर्धारण के लिए मानदंड

- **प्राकृतिक, अर्ध-प्राकृतिक या मानव निर्मित क्षेत्र,** जहां संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण जैव विविधता मौजूद है।
- ऐसे क्षेत्र, जहां की कृषि पद्धतियों में **घरेलू जैव विविधता घटक और/ या स्थानीय एग्रो-इकोसिस्टम** शामिल है।
- **जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र,** जैसे पवित्र उपवन/ पेड़ और स्थल या समुदाय द्वारा संरक्षित अन्य क्षेत्र।
- ऐसे क्षेत्र जो **दुर्लभ, संकटापन्न एवं मूल (स्थानिक) जंतुओं और वनस्पतियों के लिए पर्यावास या गलियारा** प्रदान करते हैं, जैसे- समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्र या शहरी हरित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमि।
- **सभी प्रकार की वैध भूमि,** जिसमें सरकारी या निजी भूमि क्षेत्र की कुछ श्रेणियों को सम्मिलित किया जा सकता है।
- ऐसे क्षेत्र जो कि **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के संशोधन अनुसार संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किए** गए हैं।
- **आहार और प्रजनन के लिए मौसमी प्रवासी प्रजातियों के पर्यावास वाले क्षेत्र।**
- वे क्षेत्र जिन्हें वन विभाग के अनुसंधान डिविजन द्वारा संरक्षित भू-खंड के रूप में बनाए रखा गया है।
- **औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र।**

BHS के उद्देश्य

- **पारंपरिक रूप से प्रबंधित क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करना** और बेहतर रूप से प्रबंधित क्षेत्रों में जैव विविधता के क्षरण को रोकना।
- **प्रकृति, संस्कृति, समाज और प्रौद्योगिकी के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना, वन्य और घरेलू जैव विविधता के बीच संबंधों** को बेहतर बनाते हुए संरक्षण कार्य एवं आजीविका संबंधी सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- **समाज के सभी वर्गों में संरक्षण संबंधी नैतिकता विकसित करना और उसको बढ़ावा देना।**
    - इस तरह **प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन** और पर्यावरणीय क्षरण से जुड़े कार्य को रोका जा सकता है।
- **स्थानीय समुदायों की जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना।**

BHS का प्रबंधन

- जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC) की अनुपस्थिति में संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित BMC या अन्य उपयुक्त संस्था, प्रत्येक BHS का प्रबंधन कर सकती है।

जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC)[90] के बारे में

- **जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41(1) के तहत,** राज्य के प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करने का उपबंध किया गया है।
- **संरचना:** BMC में **7 सदस्य होते** हैं। इनका चुनाव संबंधित स्थानीय निकाय की आम सभा में किया जाता है।
    - समिति में **कम-से-कम 1/3 महिलाएं और कम-से-कम 18% अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोग** होने चाहिए।
- **कार्य:**
    - स्थानीय लोगों के परामर्श से **जन जैव विविधता रजिस्टर (PBR)[91] तैयार** करना।
        - PBR में स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता और उनसे जुड़े ज्ञान की व्यापक जानकारी का संकलन होता है।
    - नागोया प्रोटोकॉल के प्रावधानों के अनुरूप **पहुंच और लाभ साझाकरण को सुगम बनाना।**
    - यदि कोई व्यक्ति BMCs के अधिकार क्षेत्र में व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु जैव संसाधन एक्सेस/ संग्रह करता है तो BMCs के पास संबंधित व्यक्ति से संग्रहण शुल्क के रूप में शुल्क वसूलने का अधिकार है।

---

[89] National Biodiversity Authority

[90] Biodiversity Management Committee

[91] Peoples' Biodiversity Register

- जहां भी **BHS का विस्तार एक से अधिक स्थानीय निकायों में** है, वहां **BHS के प्रबंधन की जिम्मेदारी BMC द्वारा गठित प्रबंधन समिति या BMC के अस्तित्व** में नहीं होने की स्थिति में स्थानीय निकायों से जुड़े अन्य संबंधित स्थानीय संस्थानों की होगी। हालांकि, स्थानीय संस्थानों के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB)[92] से मंजूरी आवश्यक है।

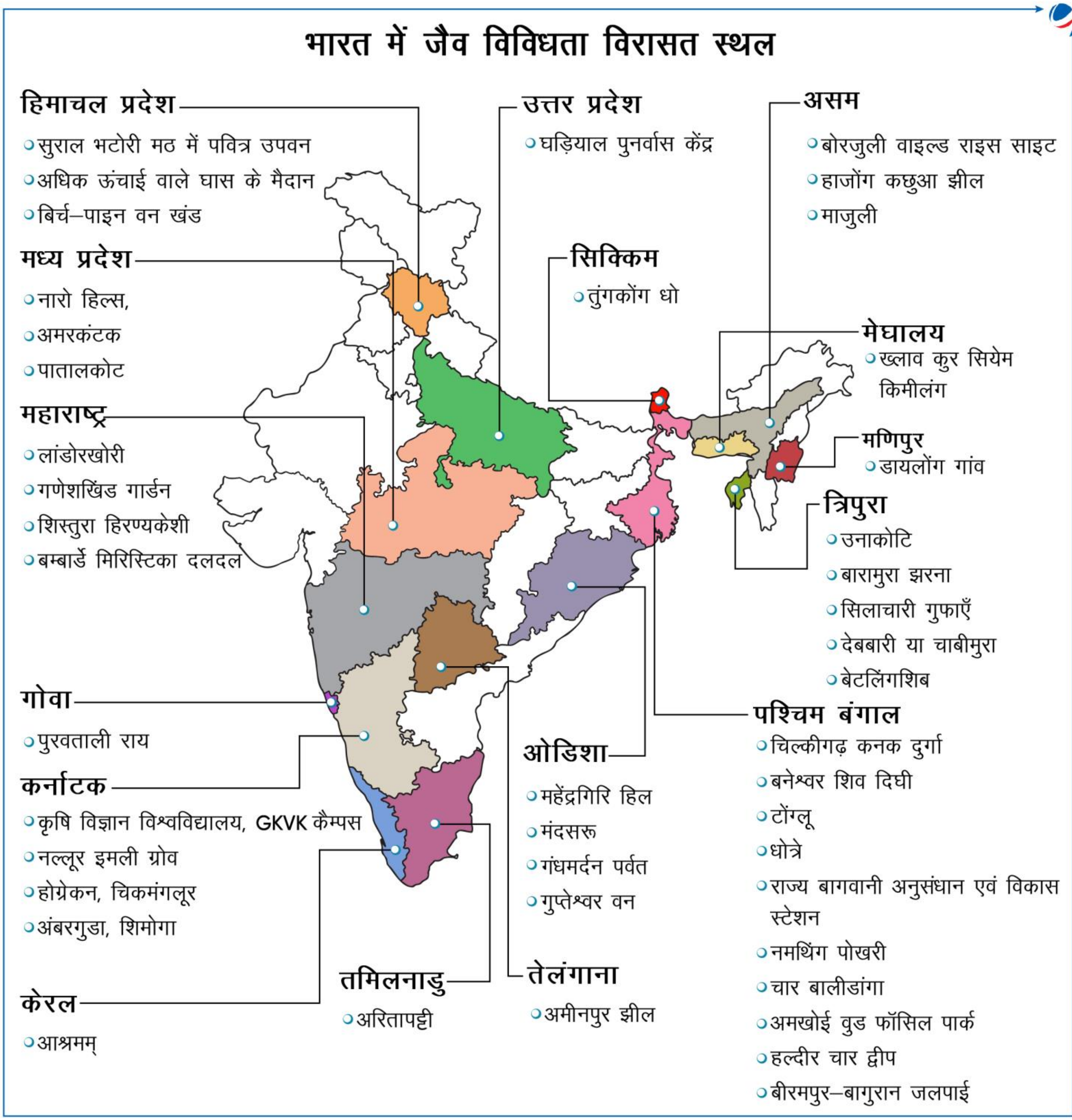

- **BHS के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार समिति में स्थानीय समुदायों के सभी वर्गों के प्रतिनिधि** शामिल हो सकते हैं। स्थानीय समुदायों में विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे अधिक निर्भर और परंपरागत रूप से क्षेत्र का संरक्षण करते आ रहे लोग शामिल हैं।

---

[92] State Biodiversity Board

- BHS के लिए प्रबंधन योजना बनाने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी BMC/ BHS प्रबंधन समिति की होती है। इस तरह के योजना की **अवधि पांच से दस साल होनी चाहिए।**
    - BHS के अंतिम प्रबंधन में राज्य जैव विविधता बोर्ड सहायता प्रदान करती है। इसके कार्यों में नष्ट या विखंडित पारिस्थितिक तंत्र और जीवों के समूह का पुनरुद्धार **या पुनः प्राप्ति, खतरे में/ स्थानीय रूप से विलुप्त वन्यजीवों की पुनर्बहाली** आदि शामिल हैं।
- आम तौर पर, प्रस्तावित BHS के चलते **प्रचलित पद्धतियों से संसाधनों के उपयोग के लिए समुदाय पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता** है।

5.5. रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में **भारत की 5 आर्द्रभूमियों (Wetlands) को जोड़ा** गया है। इससे भारत में **रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 80** हो गई है।

रामसर कन्वेंशन के बारे में

- **रामसर कन्वेंशन को 1971 में अपनाया** गया था।
- यह एक **अंतर-सरकारी संधि** है।
- यह **आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग** के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है।
- रामसर स्थल घोषित होने के लिए किसी **आर्द्रभूमि को 9 मानदंडों में से कम-से-कम 1 को पूरा** करना होता है। जैसे कि नियमित रूप से **20,000 या अधिक जल पक्षियों को आश्रय प्रदान करना या जैविक विविधता का संरक्षण करना** आदि।
- भारत ने **1982 में इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि** की थी। दो नए स्थलों के शामिल होने के साथ भारत में **तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक** हो गई है।

5.6. भारत में तेंदुओं की स्थिति (Status of Leopards in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने **"भारत में तेंदुओं की स्थिति[94], 2022"** रिपोर्ट जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह तेंदुओं की आबादी की गणना का **पांचवां चक्र** था। इसका आयोजन **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण** (NTCA)[95] और **भारतीय वन्यजीव संस्थान** (WII)[96] ने मिलकर किया था।
  - तेंदुओं की आबादी की गणना **राज्य वन विभागों के सहयोग** से किया था। यह गणना **प्रत्येक चार वर्ष पर "बाघ, सह-शिकारी, शिकार और उनके पर्यावास की निगरानी"[97]** कार्यक्रम के तहत की जाती है। इस गणना में **बाघों के पर्यावास वाले 18 राज्यों में तेंदुओं के वन-पर्यावासों** को शामिल किया गया था।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **तेंदुओं की आबादी:** भारत में तेंदुओं की अनुमानित संख्या 2022 में बढ़कर 13,874 हो गई थी, जो 2018 में 12,852 थी। यह 2018 की तुलना में प्रति वर्ष **1.08% की वृद्धि** है।
  - **मध्य भारत और पूर्वी घाट** में तेंदुओं की आबादी में **सबसे अधिक वृद्धि** दर्ज की गई। वहीं **शिवालिक और गंगा के मैदानी इलाकों में इनकी संख्या में गिरावट** दर्ज की गई है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- **उत्पत्तिः** इसकी स्थापना टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश पर **2005** में की गई थी।
- **NTCA के बारे में:** यह MoEF&CC के अधीन एक **सांविधिक निकाय** के रूप में कार्य करता है। इसका गठन **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के प्रावधानों के तहत किया गया है।
- **NTCA का उद्देश्य:**
  - **प्रोजेक्ट टाइगर को सांविधिक प्राधिकार** प्रदान करना, ताकि इसके निर्देशों का अनुपालन वैध हो सके।
  - टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले **स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़े हितों का समाधान** करना।
- **शक्तियां एवं कार्य:**
  - **टाइगर रिजर्व के बफर और कोर क्षेत्र में** पर्यटन गतिविधियों के लिए मानक एवं **बाघ परियोजना के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना** और उनका उचित अनुपालन सुनिश्चित करना।
  - **राष्ट्रीय उद्यानों,** अभयारण्यों या टाइगर रिजर्व के **बाहर स्थित वन क्षेत्रों में सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए** मानव-वन्य जीव संघर्षों का समाधान करने के उपाय प्रदान करना।

भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)[93]

- **उत्पत्ति:** 1982
- **मुख्यालय:** देहरादून
- **WII के बारे में:** यह MoEF&CC के तहत एक स्वायत्त संस्था है।
- **मिशन:** वन्यजीव विज्ञान (Wildlife Science) के विकास तथा हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक परिवेश के अनुरूप वन्यजीवों के संरक्षण में इसके उपयोग को बढ़ावा देना।
- **सौंपे गए कार्य:** वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से क्षमता निर्माण करना।

---

[93] Wildlife Institute of India

[94] Status of Leopards in India

[95] National Tiger Conservation Authority

[96] Wildlife Institute of India

[97] Monitoring of Tiger, Co-predators, prey and their Habitat

* तेंदुओं की **सबसे अधिक आबादी मध्य प्रदेश** में है। उसके बाद **महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु** का स्थान है।
    * **तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी वाला टाइगर रिज़र्व: नागर्जुनसागर एवं श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना)** है। इसके बाद **पन्ना और सतपुड़ा** (मध्य प्रदेश) टाइगर रिज़र्व हैं।

भारतीय तेंदुए[99] के बारे में

* **पोषी पिरामिड (Trophic pyramid)** में **बाघ, शेर** एवं **ढोल** के साथ **तेंदुए** का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये पर्यावास एवं आहार संबंधी प्राथमिकताओं में अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करते हैं।
* तेंदुओं को **प्राचीन संस्कृतियों** (जैसे- मिस्र, अफ्रीकी और भारतीय संस्कृति) **में बहुत सम्मान प्राप्त था।** इन संस्कृतियों में तेंदुआ शक्ति, स्फूर्ति एवं कुलीनता का प्रतीक था।
* **पर्यावास का वितरण:** ये **भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान** के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये **मैंग्रोव वनों और मरुस्थलों** में नहीं पाए जाते हैं।
* **तेंदुए का महत्त्व:**
    * ये अपने पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र का **पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में** महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    * ये अपने आहार हेतु **शाकाहारी प्रजातियों का शिकार करके उनकी आबादी को नियंत्रित करते** हैं। इसके परिणामस्वरूप औषधीय पौधों के अत्यधिक दोहन, पर्यावरण के लिए अति महत्वपूर्ण वनस्पति को बचाए रखने एवं अतिचारण को रोकने में मदद में मदद मिलती है।
    * तेंदुए पर्यटन की दृष्टि से लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं**,** जिससे **स्थानीय समुदायों को आय अर्जन** में मदद मिलती है।

तेंदुए के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें

* **इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA):** इसका **मुख्यालय भारत** में है। इसका उद्देश्य **सात बड़े विडाल वंशियों** (बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा) **की प्रजातियों एवं उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना** है।
    * प्यूमा और जगुआर को छोड़कर, **भारत में सभी पांच बिग कैट पाए जाते हैं।**
* **वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (WWF-India):** WWF-इंडिया संरक्षित क्षेत्रों में तेंदुए की आबादी और वन्यजीव गलियारों के माध्यम से उनकी आवाजाही का अध्ययन करता है। ये अवैध शिकार विरोधी कार्रवाई का समर्थन करते हैं, मानव- वन्यजीव संघर्षों का कम करने का प्रयास करते हैं और तेंदुए के संरक्षण हेतु जागरूकता को बढ़ावा देते हैं।
* **सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट:** यह एक लैंडस्केप बेस्ड एप्रोच है जिसका उद्देश्य हिमालय के **अधिक ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और उसका संरक्षण करना है।**
    * यह **MoEF&CC** और **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** की **एक संयुक्त परियोजना** है। इस परियोजना को **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)[98] द्वारा वित्त-पोषित** किया जा रहा है।

तेंदुओं के समक्ष मौजूद खतरे

* **पर्यावास का नुकसान:** मानव जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण, **कृषि संबंधी गतिविधियों, पशुओं की चराई एवं अवसंरचना के विकास के लिए भूमि पर दबाव बढ़ रहा है।** इसके परिणामस्वरूप वन क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं और तेंदुओं के लिए आहार की भी कमी हो रही है।
* **अवैध शिकार:** पारंपरिक चिकित्सा एवं विलासिता की विभिन्न वस्तुओं में **तेंदुओं की खाल, हड्डियों एवं शरीर के अन्य हिस्सों** का उपयोग किया जाता है। इससे **तेंदुए के अंगों का अवैध व्यापार बढ़** गया है।
* **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** तेंदुओं के पर्यावासों पर मानव के अतिक्रमण के कारण दोनों के मध्य संघर्ष बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि तेंदुए **पालतू पशुओं का शिकार करते हैं, जिससे चरवाहे जवाबी कार्रवाई करते** हैं।
* **जलवायु परिवर्तन** जैसे कि पिघलते ग्लेशियर, बदलते मौसम के पैटर्न और वनस्पतियों के विकास में परिवर्तन, तेंदुओं के पर्यावास और आहार को प्रभावित कर रहे हैं।

---

98 Global Environment Facility

99 Panthera pardus fusca)/ पैंथेरा पार्डस फुस्का

5.6.1. भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति (Status of Snow Leopards in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने **"भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति"** रिपोर्ट जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट **'भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन** (SPAI)[100] **प्रोग्राम'** का एक आउटकम है। यह प्रोग्राम 2019 से 2023 तक चलाया गया था।
  - इस प्रोग्राम के तहत हिम तेंदुए की आबादी का **वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाने** हेतु पहला प्रयास किया गया है।
  - हिम तेंदुए की आबादी का आकलन कार्यक्रम के लिए **भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)** राष्ट्रीय समन्वयक संस्था है। इस कार्यक्रम को प्राकृतिक रूप से **हिम तेंदुए वाले सभी देशों** और **दो संरक्षण भागीदारों,** नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, मैसूर और विश्व वन्यजीव कोष (WWF)[101]-इंडिया के सहयोग से किया आयोजित गया था।

भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन (SPAI) के बारे में

- **SPAI प्रोग्राम** को MoEF&CC ने 2019 में शुरू किया था। इसे **ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम (GSLEP)** के तहत **पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ वर्ल्डस स्नो लेपर्ड (PAWS) प्रोग्राम** के हिस्से के रूप में शुरू किया था।
  - इसे **2013 में बिश्केक घोषणा-पत्र** के जरिए स्थापित किया गया था। GSLEP वस्तुतः **हिम तेंदुआ के प्राकृतिक पर्यावास वाले सभी 12 देशों** और कुछ गैर-सरकारी भागीदारों का एक गठबंधन है।
- SPAI ने **देश में ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में हिम तेंदुए की 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र को कवर** किया है। इन क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- भारत में हिम तेंदुओं के **70% पर्यावास अभी भी संरक्षित नहीं है।**
- **हिम तेंदुए की आबादी की गणना के समक्ष चुनौतियां:**
  - उनके **पर्यावास** का अधिकांश भाग (जो 10,500 से 17,000 फीट की ऊंचाई के बीच है) **दुर्गम स्थानों** पर स्थित है।
  - बाघों, जेब्रा या यहां तक कि तेंदुओं के विपरीत, **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर के द्वारा भी हिम तेंदुओं की सही जानकारी नहीं मिल पाती** हैं।

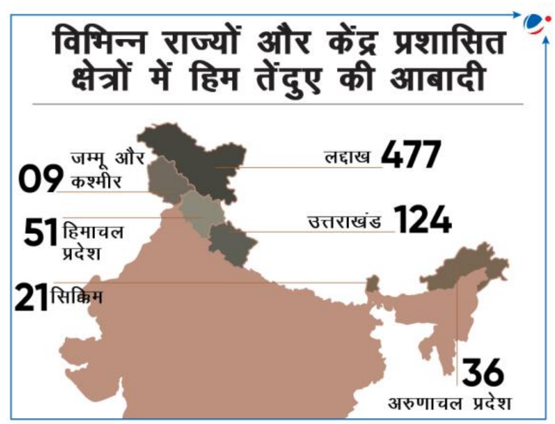

हिम तेंदुए[102] के बारे में:

- इसे **लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु घोषित** किया गया है।
- **अन्य प्रमुख विशेषताएं:**
  - इन्हें **मध्यम आकार के कैट्स की श्रेणी** में रखा गया है और इनका वजन लगभग 30-55 किलोग्राम होता है।
  - इनकी त्वचा पर धुएं जैसे रंग से भरे फर होते हैं जिन पर बहुत हल्के क्रीम और पीले रंग भी होते हैं। फर पर काले धब्बे भी होते हैं। इन धब्बों को **रोसेट** कहा जाता है, जो प्रत्येक हिम तेंदुए में भिन्न-भिन्न होते हैं।

---

[100] Snow Leopard Population Assessment in India

[101] World Wildlife Fund

[102] Panthera Uncia/ पेंथेरा अनसिया

- **पर्यावास (Habitat):** हिम तेंदुए प्राकृतिक रूप से **12 देशों** में पाए जाते हैं। ये हैं- अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
- **खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024** के लिए **हिम तेंदुए को शुभंकर के रूप में** अपनाया है। इसे **"शीन-ए-शी"** या लद्दाख क्षेत्र में शान नाम दिया गया है।

हिम तेंदुए के संरक्षण हेतु पहलें

- **GSLEP के अंतर्गत तीन भू-भाग:** बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिम तेंदुए की प्रजातियों की बहाली के लिए, भारत ने तीन भू-भाग या क्षेत्रों की पहचान की है। ये तीन हैं- लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में **हेमिस-स्पीति,** उत्तराखंड में **नंदा देवी-गंगोत्री** और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में **कंचनजंगा तवांग**।
- **प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड:** इसका लक्ष्य सहभागितापूर्ण नीतियों और कार्यों के माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देकर **भारत में उच्च ऊंचाई में रहने वाली वन्यजीव आबादी एवं उनके पर्यावासों की अद्वितीय प्राकृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण करना** है।
- **अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस:** इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। हिम तेंदुओं के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है।
- **पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग** में शुरू किया गया **स्नो लेपर्ड ब्रीडिंग प्रोजेक्ट,** दक्षिण पूर्व एशिया में हिम तेंदुओं के सबसे सफल प्रजनन कार्यक्रमों में से एक है।

हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए रिपोर्ट की गई प्रमुख सिफारिशें

- **स्नो लेपर्ड सेल:** रिपोर्ट में हिम तेंदुआ की आबादी पर दीर्घकालिक निगरानी को प्राथमिक देने के लिए **MoEF&CC के तहत WII में एक समर्पित स्नो लेपर्ड सेल की स्थापना** पर जोर दिया गया है।
- **आवधिक आबादी आकलन:** राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हिम तेंदुए की प्राकृतिक पर्यावास वाले क्षेत्रों में **आवधिक आबादी आकलन दृष्टिकोण** (प्रत्येक चौथे वर्ष) अपनाने पर विचार कर सकते हैं। इससे हिम तेंदुए के समक्ष मौजूद चुनौतियों का पता लगाने, खतरों का समाधान करने एवं प्रभावी संरक्षण रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।
- हिम तेंदुओं से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रबंधन के लिए लैंडस्केप-स्तरीय प्रबंधन योजना को अपनाने का भी प्रस्ताव किया गया है।
- हिम तेंदुए के लिए महत्वपूर्ण पर्यावासों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने और दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उचित प्रशिक्षण, समर्पित प्रोग्राम के माध्यम से पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन) की सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों की सहायता लेनी चाहिए।

5.7. ग्रीनवाशिंग (Greenwashing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)[103] ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम[104], 2019 के तहत ग्रीनवाशिंग की रोकथाम और विनियमन[105] पर प्रस्तावित मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। CCPA ने इन मसौदा दिशा-निर्देशों के संबंध लोगों से सुझाव मांगे हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- ग्रीनवाशिंग के तहत कोई कंपनी अपने उत्पादों, गतिविधियों या नीतियों से जुड़े वास्तविक तथ्यों को छिपाकर इन्हें पर्यावरण के अनुकूल या हितैषी दिखाने का प्रयास करती है। इसके लिए बढ़ा-चढ़ाकर अस्पष्ट, झूठे या आधारहीन दावे भी किए जाते हैं।
- **इस मसौदे में शामिल कुछ मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र:**
    - इसमें ग्रीनवाशिंग को परिभाषित किया गया है और उसे प्रतिबंधित भी किया गया है।

[103] Central Consumer Protection Authority

[104] Consumer Protection Act

[105] Guidelines on Prevention and Regulation of Greenwashing

- **किस पर लागू होगा:** यह **विज्ञापन के लिए ली जाने वाली सभी सेवाओं** पर लागू होगा। उदाहरण के लिए- **सभी प्रकार के विज्ञापन, सेवा प्रदाता (Service providers), विज्ञापनदाता (Advertiser), एंडोर्स करने वाले (Endorsers)** आदि।
- **सूचना प्रकटीकरण (Information disclosure):** यह जानबूझकर चुनिंदा डेटा को प्रस्तुत करने पर रोक लगाता है। साथ ही, इसमें विज्ञापनों हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले 'हरित (Green)', 'पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly)', 'पर्यावरण-संवेदनशील (Eco-consciousness)' जैसे आकर्षक शब्दों सहित **पर्यावरणीय दावों का पूर्ण रूप से प्रकट करने का प्रावधान किया गया है।**
- **दावों का सत्यापन (Verification of claims): विश्वसनीय प्रमाणीकरण, विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य और तृतीय-पक्ष के तटस्थ सत्यापन के** जरिए पर्यावरणीय दावों की पुष्टि करना अनिवार्य है।
- **भविष्य के लिए पर्यावरणीय दावों हेतु शर्तें: भविष्य के लिए पर्यावरणीय दावा** तभी किया जाए, जब उन दावों को हासिल करने के लिए **स्पष्ट और कार्रवाई योग्य योजनाएं विकसित की गई** हों।

ग्रीनवाशिंग को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों हैं?

- **आम लोगों का टूटता विश्वास: भ्रामक मार्केटिंग और संधारणीयता के झूठे दावे लोगों को भ्रमित करते हैं।** इसके चलते लोगों को सोच-समझकर खरीदारी करने संबंधी निर्णय **लेना भी मुश्किल होता है।**
  - उदाहरण के लिए- 2015 में, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने **वोक्सवैगन को लेकर एक खुलासा किया था। इसमें वोक्सवैगन ने अपनी स्वच्छ डीजल से चलने वाली कारों में उत्सर्जन संबंधी परीक्षणों में हेरफेर करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग** किया था।
- **जलवायु परिवर्तन से निपटने में बाधाएं:** झूठे पर्यावरणीय दावों के चलते जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले **वास्तविक समाधानों को अपनाने में देरी होती है। साथ ही, इनके चलते उपभोक्ता असंधारणीय उत्पादों** का उपयोग भी करते रहते हैं।
- **नवाचार पर प्रभाव:** झूठे या आधारहीन पर्यावरण अनुकूल प्रयासों के लिए संसाधन आवंटित करने से **वास्तविक और संधारणीय लाभ की दिशा में नवाचार हेतु संसाधनों का अभाव हो सकता है।**

ग्रीनवाशिंग को रोकने के लिए की गई पहलें

- **भारत में:**
  - **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)**[106]: BIS ने उत्पादों और सेवाओं की इको-लेबलिंग के लिए IS/ISO 14024:1999 नामक मानक विकसित किया है।
  - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: इसके तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण** (CCPA) की स्थापना की गई है। यह उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार पद्धतियों और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करता है।
  - **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI)**[107]: ASCI के दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यावरण अनुकूल या हरित दावे करने वाले विज्ञापन स्पष्ट, सटीक होने के साथ-साथ भ्रामक नहीं होने चाहिए।

---

[106] Bureau of Indian Standards

[107] Advertising Standards Council of India

- ○ **ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट (GRP):** सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) का GRP निर्धारित क्षेत्रक के भीतर औद्योगिक इकाइयों को उनकी पर्यावरण अनुकूलता के आधार पर रेटिंग करता है।
- ○ **इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC):** IGBC एक **गैर-लाभकारी संगठन है,** जिसने **हरित इमारतों के लिए रेटिंग प्रणाली विकसित की है।**

- **वैश्विक स्तर पर:**
  - ○ **यूनाइटेड नेशन हाई-लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट-जीरो एमिसन कमिटमेंट्स ऑफ़ नॉन-स्टेट एंटिटी[108]:** इसकी स्थापना 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा की गई थी।
    - ▪ एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट 'इंटिग्रिटी मैटर्स" में कंपनियों द्वारा जवाबदेह रूप से निवल-शून्य प्रतिबद्धताओं के लिए **दस सिफारिशें प्रदान की हैं। ये सिफारिशें कंपनियों को सार्थक लगने वाली निवल-शून्य प्रतिबद्धता की घोषणा करने, निवल-शून्य लक्ष्य निर्धारित करने, ट्रांजिशन योजना बनाना आदि में मदद करती हैं।**
  - ○ **ग्रीनवाशिंग टेक-स्प्रिंट:** इसका आयोजन **वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क द्वारा किया** गया था। इसका **उद्देश्य विनियामकों को वित्तीय सेवाओं में ग्रीनवाशिंग से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए एक साधन विकसित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक** भी इसमें भाग लिया था।

आगे की राह

- **पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना:** प्रत्येक संगठन के **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का वार्षिक प्रकाशन बेसलाइन डेटा** और तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण के साथ होना चाहिए।
- **मीडिया अभियान और उपभोक्ता जागरूकता:** ग्रीनवाशिंग का पता लगाने और उससे बचने के लिए ग्रीनवाशिंग से जुड़ी सामान्य रणनीति को समझना भी महत्वपूर्ण है।
- **नई तकनीकों का उपयोग करना:** किसी **परियोजना के प्रभाव के पैमाने को मापने** के साथ-साथ **ग्रीनवाशिंग से निपटने की गति और क्षमता को AI, नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग की मदद से बढ़ाया जा सकता है।**
- **सीमा पार सहयोग और भागीदारी: कंपनियों, सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों** के बीच सहयोग संधारणीयता को बढ़ावा देने तथा ग्रीनवाशिंग को रोकने में मदद कर सकता है।
- **जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना:** इससे वास्तविक पर्यावरणीय लाभ हासिल होंगें और न्यायसंगत ट्रांजिशन संभव हो सकेगा।

5.8. जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन 2024 (Climate and Clean Air Conference 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन (CCAC)[109] की वार्षिक बैठक **जलवायु तथा स्वच्छ वायु सम्मेलन** केन्या के नैरोबी में संपन्न हुई।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह सम्मेलन **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA)[110] के छठे सत्र के** मौके पर आयोजित किया गया था।
- **इस सम्मेलन का उद्देश्य: ग्लोबल मीथेन प्लेज, क्लियर एयर फ्लैगशिप** तथा **किगाली अमेंडमेंट के कार्यान्वयन को और अधिक गति** के तरीकों पर प्रकाश डालना है।

---

108 UN's High-Level Expert Group on Net-Zero Emissions Commitments of Non-State Entities

109 Climate and Clean Air Coalition

110 United Nations Environment Assembly

2024 के CCAC के इस सम्मेलन के परिणामों पर नज़र

- **क्लीन एयर फ्लैगशिप का शुभारंभ:** इसे परस्पर सहयोग को बढ़ावा देकर और प्रदूषक के उत्सर्जन को कम करके जीवन बचाने एवं जलवायु परिवर्तन की रफ़्तार को धीमा करने के लिए शुरू किया गया है।
    - इसका उद्देश्य सरकारों को यथाशीघ्र क्लीन एयर स्वच्छ वायु दशाओं को संभव बनाने में सहायता करना है, जो WHO के वायु गुणवत्ता संबंधी अंतरिम टार्गेट्स के अनुरूप हो।
- **'यूज्ड हेवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड एनवायरमेंट' रिपोर्ट:** इसे UNEP और CCAC द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें मानकीकरण, निगरानी और हरित रणनीतियों के माध्यम से क्षेत्रक आधारित उत्सर्जन को कम करने के लिए रोडमैप का खाका प्रस्तुत किया गया है।
- **CCAC का प्रौद्योगिकी और आर्थिक मूल्यांकन पैनल:** इसका उद्देश्य जलवायु वित्त को बढ़ाने के लिए बाधाओं को दूर करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करके प्रौद्योगिकियों और वित्त के बीच अंतर को कम करने में मदद करना है।
- एक प्रमुख **निष्क्रियता लागत अध्ययन शुरू** किया गया, जो **अल्पावधि तक बने रहने वाले जलवायु प्रदूषक (SLCPs)** पर कार्रवाई करने के लिए आर्थिक मामले का समर्थन करता है, ताकि खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु आपदाओं को सीमित किया जा सके।

CLIMATE & CLEAN AIR COALITION TO REDUCE SHORT-LIVED CLIMATE POLLUTANTS
a UNEP convened initiative

क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन (CCAC)

CCAC के बारे में: यह **एकमात्र ऐसा वैश्विक गठबंधन** है, जो विशेष रूप से **अल्पकालिक अवधि (जीवन काल) तक बने रहने वाले जलवायु प्रदूषकों (SLCPs)** में कमी लाने के प्रति समर्पित है।

उत्पत्ति: इसे 2012 में UNEP के नेतृत्व में स्थापित किया गया था।

सदस्यता: यह 160 **से अधिक सरकारों, अंतर-सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों की स्वैच्छिक भागीदारी है।**

- **भारत** इसमें 2019 में शामिल हुआ था।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

- यह **ग्लोबल मीथेन प्लेज (GMP)** को सचिवालयी सहायता प्रदान करता है। साथ ही, यह **लोवरिंग ऑर्गेनिक वेस्ट मीथेन इनिशिएटिव** के लिए समन्वयक समूह के रूप में भी कार्य करता है।
    - GMP को **COP-26** में **यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका** ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य **2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर की तुलना में कम-से-कम 30% तक कम** करना है।

अल्पावधि तक बने रहने वाले जलवायु प्रदूषक (SLCPs)[111] क्या होते हैं?

- ये जलवायु को प्रभावित करने वाले काफी शक्तिशाली कारक होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में **बहुत कम समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं, फिर भी वायुमंडल को गर्म करने की उनकी क्षमता कई गुना अधिक हो सकती है।**

SLCPs के प्रभाव

- **ग्लोबल वार्मिंग:** CO_2 के बाद मानव-जनित जलवायु ग्लोबल वार्मिंग में SLCPs **दूसरे सबसे बड़े कारक हैं। ये आज तक ग्लोबल वार्मिंग के 45% तक के लिए उत्तरदायी हैं।**
- **मानव स्वास्थ्य पर:**
    - धरातलीय ओजोन के संपर्क में आने से फेफड़ों में सूजन, अस्थमा और एलर्जी हो सकती है।

अल्पकालिक अवधि तक बने रहने वाले जलवायु प्रदूषक (Short-Lived Climate Pollutants: SLCPs)

पदार्थ	मानवजनित स्रोत	वायुमंडल में बने रहने की अवधि
ब्लैक कार्बन (कालिख)	जीवाश्म ईंधन, औद्योगिक उत्पादन, कृषि अवशेष और अपशिष्ट को जलाना	4-12 दिन
मीथेन (CH4)	कृषि, जीवाश्म ईंधन, लैंडफिल, खुले डंप साइट और अपशिष्ट जल	12 साल
क्षोभमंडलीय (या धरातलीय) ओजोन (O_3)	वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOX) के साथ सूर्य के प्रकाश की परस्पर क्रिया से निर्मित **द्वितीयक प्रदूषक**	कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs)	कूलिंग, एयर कंडीशनिंग, इंसुलेटिंग फोम और एयरोसोल प्रणोदक	15 साल

[111] Short-Lived Climate Pollutants

- ○ घर के अंदर और बाहर, दोनों जगह वायु प्रदूषण के लिए ब्लैक कार्बन प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है।
- **मौसम के पैटर्न पर:** समतापमंडलीय ओजोन बादल के निर्माण को प्रभावित करते हैं, जिससे क्षेत्रीय मौसम और विशेष रूप से वर्षा के पैटर्न में बदलाव होता है।
- **हिमावरण का तेजी से पिघलना:** हिमावरण पर ब्लैक कार्बन के जमा होने से हिमावरण का अल्बेडो कम हो जाता है। इससे हिमावरण की पिघलने की दर में तेजी हो जाती है और वायुमंडलीय का तापमान भी बढ़ाता है।
- **कृषि पर: समतापमंडलीय ओजोन पत्तियों को नुकसान पहुंचता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इससे पादप का जनन और विकास बाधित होता है और पादप कम मात्रा में CO_2 का** अवशोषण कर पाते हैं एवं फसल की पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

SLCPs को कम करने के लिए क्षेत्रक आधारित समाधान

- **कृषि**
  - पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए **फार्म-स्केल एनारोबिक डाइजेशन तकनीक को बढ़ावा** देना चाहिए।
  - ब्लैक कार्बन के स्तर को कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए विनियमन और किसान शिक्षा के माध्यम से **कृषि अपशिष्ट को खुले में जलाने के प्रचलन को समाप्त करना चाहिए।**
- **जीवाश्म ईंधन**
  - **खनन पूर्व डी-गैसीकरण** और मीथेन की पुनर्प्राप्ति तथा ऑक्सीकरण करना।
  - ब्लैक कार्बन को कम करने के लिए तेल और गैस उत्पादन में **फ्लेरिंग दक्षता को बेहतर करना चाहिए।**
- **अपशिष्ट**
  - **मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए नगरपालिका के बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को पृथक करना और उसका उपचार करना** चाहिए। साथ ही, इसे खाद या बायोएनर्जी में परिवर्तित करना चाहिए।
  - **नगरपालिका की अपशिष्ट संग्रहण** सेवाओं में सुधार और उसका विस्तार करना चाहिए। साथ ही, ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए नगरपालिका अपशिष्ट को खुले में जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
- **घरेलू ऊर्जा: ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन के स्थान पर स्वच्छ ईंधन** और सौर, बायोगैस, बिजली जैसी कुकस्टोव तकनीक का उपयोग करना चाहिए।
- **परिवहन:** ब्लैक कार्बन का शमन करने के लिए अल्ट्रा-लो सल्फर वाले डीजल और कम-से-कम यूरो 6/VI उत्सर्जन मानकों को अपनाना चाहिए।

5.9. मीथेन उत्सर्जन (Methane Emissions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इसरो (ISRO) के वैज्ञानिकों ने उपग्रह आधारित डेटा का उपयोग करके भारत के कई स्थानों पर **मीथेन (CH_4)** के उत्सर्जन से संबंधित अपनी तरह का पहला व्यापक अध्ययन-पत्र जारी किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- मीथेन की **ग्लोबल वार्मिंग क्षमता अत्यधिक** होती है। इसे ध्यान में रखते हुए मीथेन उत्सर्जन के स्रोत स्थानों की निगरानी की जाती है।
- इस अध्ययन में नासा (NASA) के **अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन (EMIT)** और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के **सेंटिनल-5P ट्रोपोमी** के डेटा का उपयोग किया गया।
  - EMIT नामक उपकरण **पृथ्वी के शुष्क धूल स्रोत के क्षेत्रों** का अध्ययन करके **सतही खनिज विज्ञान** का आकलन करता है।
  - ट्रोपोमी उपकरण एक **अंतरिक्ष-जनित, नाडिर-व्यूइंग, इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर** है, जो **पराबैंगनी और शॉर्टवेव इन्फ्रारेड** के मध्य की तरंग दैर्ध्य बैंड को कवर करता है।

- यह अध्ययन-पत्र मीथेन उत्सर्जन के स्रोतों की प्रभावी ढंग से पहचान और निगरानी करने के लिए **अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणालियों की क्षमता** को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है।
    - इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ यह है कि इससे मीथेन उत्सर्जन के अत्यधिक स्थानीकृत स्रोतों का भी पता लगाया जा सकता है। इसका उपयोग स्थानीकृत स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।

अध्ययन-पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **स्थानीय उत्सर्जन हॉटस्पॉट:** महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और असम जैसे राज्यों में **17 प्रमुख उत्सर्जन क्षेत्रों** की पहचान की गई है।
- **उत्सर्जन स्रोत बिंदु:** इसमें ठोस अपशिष्ट लैंडफिल साइट, सीवेज उपचार संयंत्र, आर्द्रभूमि/ दलदली कृषि क्षेत्र, शहरी सीवेज आउटलेट, तेल और गैस क्षेत्र, तेल रिफाइनरी और कपड़ा उद्योग के क्षेत्र आदि शामिल हैं।
- **नगरपालिका ठोस अपशिष्ट लैंडफिल से मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि:** नगरपालिका ठोस अपशिष्ट लैंडफिल से होने वाला भारत का निवल वार्षिक उत्सर्जन 2015 में लगभग 1084 Gg (गीगा-ग्राम) तक था। **1999-2000** की अवधि में यह 404 Gg था।

धान के खेत से मीथेन उत्सर्जन को कम करने की तकनीकें

- ICAR ने नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (NICRA) परियोजना के तहत **धान के खेतों से मीथेन उत्सर्जन को कम करने की क्षमता वाली कई प्रौद्योगिकियां** विकसित की हैं।
    - **राइस इंटेंसीफिकेशन प्रणाली**: यह सिंचित धान के उत्पादन के प्रबंधन की एक प्रणाली है। इसमें **धान के बहुत छोटे पौधों को एक वर्गाकार ग्रिड पैटर्न में अलग-अलग लगाया** जाता है। उपज की संपूर्ण विकास अवधि के दौरान **मृदा को नम लेकिन बेहतर जल निकासी से युक्त** बनाए रखा जाता है।
        - इस तकनीक में पारंपरिक रूप से रोपे गए धान की तुलना में लगभग **22-35% तक कम पानी की आवश्यकता** होती है। इसके साथ ही इसमें **धान की उपज को 36-49% तक बढ़ाने की क्षमता** है।
    - **सीधी बुआई वाली धान की किस्म**[112]**:** यह प्रणाली मीथेन उत्सर्जन को कम करती है क्योंकि इसमें **धान की नर्सरी तैयार करने, और धान की रोपाई के लिए खेतों को जल से भरने की आवश्यकता नहीं** होती है।
        - रोपाई के जरिए की गई धान की खेती के विपरीत, **इस प्रणाली में खेतों को पानी से भरने की आवश्यकता नहीं** होती है।

- **कार्बन उत्सर्जन में योगदान:** भारत में कुल कार्बन उत्सर्जन में से, **14.43% के लिए CH_4 उत्तरदायी** है।
    - इसका एक बड़ा हिस्सा **आंत्रीय किण्वन (Enteric fermentation) और कृषि क्षेत्रक में धान की खेती वाले क्षेत्रों** से उत्सर्जित होता है।

मीथेन के बारे में

- मीथेन (CH_4) एक हाइड्रोकार्बन है जो **प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक** है।
- यह एक **शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस** (GHG) भी है। यह वर्तमान में **लगभग एक-तिहाई वार्मिंग के लिए जिम्मेदार** है।
- यह एक शक्तिशाली और अल्पकालिक GHG है। यह वायुमंडल में लगभग एक दशक तक बनी रहती है। **IPCC के अनुसार,** वायुमंडल में 20 वर्षों तक बने रहने पर इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की तुलना में लगभग 80 गुना अधिक होगी।
- मीथेन उत्सर्जन से धरातलीय ओजोन प्रदूषण होता है, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष समय से पहले होने वाली लगभग दस लाख मौतों के लिए उत्तरदायी है और फसल उत्पादकता एवं पारिस्थितिकी तंत्र को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- **मानव-जनित मीथेन उत्सर्जन का अधिकांश हिस्सा तीन मुख्य क्षेत्रकों** से होता है:
    - **कृषि (40%):** चावल की खेती और पशुपालन संबंधी आंत्रीय किण्वन।
    - **जीवाश्म ईंधन (35%):** प्राकृतिक गैस, तेल और गैस क्षेत्र, खनन, आदि से होने वाला उत्सर्जन।
    - **ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल (20%):** डंप साइट, लैंडफिल साइट आदि।
- **प्रमाणित प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों** को अपनाकर **2030 तक** प्रमुख क्षेत्रकों से होने वाले **मीथेन उत्सर्जन को लगभग 45% तक कम** किया जा सकता है।
    - विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रक में अधिकांश तकनीकी समाधान शून्य लागत या कम लागत पर अपनाए जा सकते हैं।

[112] Direct Seeded Rice

- **मीथेन उत्सर्जन के लिए अंतरिक्ष आधारित निगरानी की क्षमता:** लगातार बदलती परिस्थितियों और प्रबंधन पद्धतियों के कारण आमतौर पर ठोस अपशिष्ट निपटान स्थलों, तेल एवं गैस उद्योग, खनन क्षेत्रों आदि सहित मानवजनित उत्सर्जन स्रोतों की सटीक मात्रा का निर्धारण करना चुनौतीपूर्ण है।
    - रिमोट सेंसिंग के जरिए इन संवेदनशील स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन की पूरी निगरानी की जा सकती है। साथ ही, इससे मीथेन उत्सर्जन संबंधी डायनेमिक्स के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हो सकती है।
    - इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर से **मीथेन के अत्यधिक-स्थानीयकृत स्रोतों का पता लगाने** में मदद मिलती है। इसका उपयोग अत्यधिक स्थानीयकृत स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन का पता लगाने के लिए किया जा सकता है।

अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणालियों की सीमा

- **स्पेक्ट्रल इन्टरफ़ेरेन्स:** मीथेन का **स्पेक्ट्रल अब्सॉर्प्शन बैंड** अन्य वायुमंडलीय घटकों, विशेष रूप से **जल वाष्प** के सामान होता है।
    - मीथेन के **स्पेक्ट्रल इन्टरफ़ेरेन्स** को अन्य गैसों से अलग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से आर्द्र वातावरण में।
- **कम स्थानिक और टेम्पोरल रिज़ॉल्यूशन:** ट्रोपोमी, SCIAMACHY, AIRS, GOSAT जैसे उपकरण वैश्विक स्तर पर मीथेन की निगरानी के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें छोटे पैमाने पर मीथेन स्रोतों का पता लगाने या उत्सर्जन स्थानों का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए आवश्यक स्थानिक रिज़ॉल्यूशन नहीं है।
    - **कम टेम्पोरल रिज़ॉल्यूशन या रीविजिट की कम आवृत्ति** के कारण मीथेन उत्सर्जन में तेजी से होने वाले बदलावों की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है।
- **जमीनी स्तर पर सत्यापन:** यद्यपि अंतरिक्ष और हवाई इमेजरी दोनों के लिए जमीनी स्तर पर मापन की भी आवश्यकता होती है, जो लागत को बढ़ा सकती है।
    - भले ही मीथेन के उत्सर्जन का पता लगा लिया गया हो, लेकिन अतिरिक्त डेटा के बिना इसके स्रोत का निर्धारण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **उपकरणों की सीमाएं:** उपकरण चाहे जमीन-आधारित हों या रिमोट प्लेटफ़ॉर्म आधारित हों उनकी मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने की क्षमता, संवेदनशीलता तथा विशेषताएं सीमित होती हैं। इसलिए यह अलग-अलग परिस्थितियों में मीथेन उत्सर्जन का विश्वसनीय रूप से पता की उपकरणों की क्षमता प्रभावित कर सकती है।
- **वायुमंडलीय परिवर्तनशीलता:** उपग्रह उन क्षेत्रों से मीथेन के उत्सर्जन का पता लगाने में विफल हो सकता है जहां अक्सर बादल छाए रहते हैं।
- **सामायिक मापन:** मीथेन का वायुमंडलीय जीवनकाल अपेक्षाकृत कम होता है, जिसका अर्थ है कि इसकी सांद्रता में समय और स्थान के साथ तेजी से बदलाव हो सकता है।
    - उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से समझने और प्रबंधित करने के लिए इस परिवर्तनशीलता का **लगातार एवं सटीक तरीके से मापन** करने की आवश्यकता होती है।
- **बैकग्राउंड मीथेन कंसन्ट्रेशन:** चूंकि मीथेन पूरे वायुमंडल में मौजूद है, इसलिए स्थानीयकृत वृद्धि या 'प्लम्स' का पता लगाने के लिए इन्हें बैकग्राउंड लेवल से अलग करके मापना आवश्यक है। यह छोटे उत्सर्जन या उच्च बैकग्राउंड मीथेन कंसन्ट्रेशन वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

आगे की राह

डेटा के एकीकरण पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसके तहत उपग्रह, हवाई एवं जमीन-आधारित मापन सहित विभिन्न स्रोतों से डेटा को जुटाना चाहिए। इससे स्थानीय स्तर से वैश्विक स्तर तक **मीथेन उत्सर्जन का अधिक एकीकृत और सटीक निर्धारण करने में मदद मिल सकती है।** मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने, उसकी मात्रा निर्धारित करने और उसका प्रबंधन करने संबंधी क्षमता को बेहतर करने हेतु **सेंसर प्रौद्योगिकी, डेटा एनालिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में प्रगति हासिल करना** महत्वपूर्ण है।

- **वैश्विक पहलें:**
    - **अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला (IMEO)[113]:** इसे UNEP द्वारा मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए **ओपन और कार्रवाई योग्य** डेटा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है।
    - **मीथेन अलर्ट और रिस्पांस सिस्टम (MARS):** इसे IMEO के तहत लॉन्च किया गया है। MARS दुनिया भर में बहुत बड़े पैमाने पर होने वाले मीथेन के उत्सर्जन पर कार्रवाई योग्य डेटा प्रदान करने वाला **पहला ग्लोबल सेटेलाइट डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन सिस्टम** है।

[113] International Methane Emissions Observator

- ○ **वैश्विक मीथेन संकल्प**[114]: इसके तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका के नेतृत्व में 150 देशों द्वारा 2020 के स्तर की तुलना में 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में कम-से-कम 30% की कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- ○ **तेल और गैस मीथेन साझेदारी पहल**[115]: यह 2014 में शुरू किया गया UNEP और स्वच्छ वायु गठबंधन (CCA)[116] का फ्लैगशिप आयल एंड गैस रिपोर्टिंग एवं मिटिगेशन प्रोग्राम है।
- ○ **ग्लोबल मीथेन एलायंस (GMA):** इसे 2030 तक तेल और गैस क्षेत्रक से मीथेन उत्सर्जन में काफी कटौती करने के लिए UNEP और CCAC द्वारा शुरू किया गया है।

- **भारत द्वारा की गई पहलें:**
  - ○ **राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (NMSA)**
  - ○ **गोबर (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज)-धन योजना**
  - ○ **राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम**

5.10. सोलर रूफटॉप पावर (Solar Rooftop Power)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए **पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना** को मंजूरी प्रदान की।

पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में

- **योजना के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - ○ **संबंधित मंत्रालय:** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
  - ○ **उद्देश्य:** इसके तहत **एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली** प्रदान की जाएगी।
  - ○ **सब्सिडी संरचना:** आवासीय रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता	सब्सिडी सहायता
1 – 2 kW	30,000 से 60,000 रुपये तक
2 – 3 kW	60,000 से 78,000 रुपये तक
3kW से अधिक	78,000 रुपये

  - ○ **आवासीय रूफटॉप सोलर पैनल को स्थापित करने के लिए ऋण:** आवासीय परिसरों में 3 किलोवाट तक के **रूफटॉप सोलर पैनल्स** को स्थापित करने के लिए लगभग **7% की ब्याज दर पर और बिना किसी जमानत के ऋण** उपलब्ध कराया जाएगा।
- **योजना की अन्य विशेषताएं:**
  - ○ **मॉडल सोलर विलेज:** ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर पैनल क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इसे **देश के प्रत्येक जिले** में एक रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।

---

114 Global Methane Pledge

115 Oil & Gas Methane Partnership Initiative

116 Climate and Clean Air Coalition

- स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन: शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को अपने क्षेत्रों में **रूफटॉप सोलर पैनल्स** को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
    - **राष्ट्रीय पोर्टल:** यह परिवारों को **सब्सिडी के लिए आवेदन** करने और **रूफटॉप सोलर पैनल्स** स्थापित करने के लिए एक **उपयुक्त विक्रेता का चयन** करने की सुविधा प्रदान करेगा।
    - **नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO)[117] आधारित मॉडल के लिए भुगतान संबंधी सुरक्षा** घटकों के साथ-साथ RTS में नवीन परियोजनाओं के लिए भी फंड का प्रावधान किया गया है।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए की गई अन्य पहलें

- **ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम:** ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप परियोजनाओं को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत **मार्च 2026 तक 40,000 मेगावाट (MW) की संचयी क्षमता स्थापित** करने के लक्ष्य रखा गया है।
- **उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन योजना:** इसका उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पी.वी. मॉड्यूल के निर्माण के लिए बेहतर माहौल बनाना है। इससे आयात पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा।
- **सौर पार्क योजना:** इसके तहत सौर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए हब के रूप में कार्य करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और सौर ऊर्जा विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देंगे।
- **प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM):** इसका लक्ष्य मार्च, 2026 तक 34.8 GW की अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
- **प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना:** इस योजना का उद्देश्य **निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को रूफटॉप सोलर पैनल** की स्थापना के जरिए बिजली प्रदान करना है।

- **PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का महत्त्व:**
    - **बचत:** बिजली के बिल में कमी आने से 1 करोड़ परिवारों के लिए **हर साल 15,000 करोड़ रुपये की बचत** होगी।
    - **आय सृजन:** लाभार्थी अपने क्षेत्र की **बिजली वितरण कंपनियों (DISCOM/ डिस्कॉम) को अतिरिक्त बिजली बेचकर** आय प्राप्त कर सकते हैं।
    - **सौर क्षमता का विस्तार:** इस योजना के परिणामस्वरूप आवासीय क्षेत्रकों में RTS के जरिए **30 GW की अतिरिक्त सौर क्षमता** का विस्तार होगा।
    - **रोजगार सृजन:** यह योजना **अधिक मात्रा में EV चार्जिंग को बढ़ावा देगी** और बड़ी संख्या में विक्रेताओं के लिए **उद्यमिता संबंधी अवसर** पैदा करेगी।
    - **कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी: लगभग 720 मिलियन टन CO_2 के बराबर कार्बन उत्सर्जन** में कमी आएगी।
    - **ऊर्जा क्षेत्रक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।**

सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में

- रूफटॉप सोलर पैनल **किसी इमारत की छत पर स्थापित फोटोवोल्टिक पैनल होते हैं।** ये मुख्य बिजली आपूर्ति इकाई से जुड़े हुए होते हैं।
    - एक रूफटॉप सोलर प्रणाली में आमतौर पर **सौर मॉड्यूल, सौर इन्वर्टर और अन्य विद्युत घटक** जैसे कि मीटर, केबल आदि शामिल होते हैं।
    - सोलर रूफटॉप पैनल **सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे उपयोगी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।**
- **भारत की वर्तमान रूफटॉप सोलर क्षमता:**
    - वर्तमान में, भारत ने **11 गीगावाट की सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित कर ली** की है। इसमें से **2.7 गीगावाट आवासीय क्षेत्रक** से संबंधित है।
    - **गुजरात, देश में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन (82%) में अग्रणी है।** इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान आता है।

सोलर रूफटॉप सिस्टम को बढ़ावा देने में आने वाली चुनौतियां

- **ग्रिड एकीकरण:** इस संबंध में **सौर ऊर्जा की परिवर्तनशीलता और अप्रत्याशितता** के कारण ग्रिड की स्टेबिलिटी और ऊर्जा भंडारण एक समस्या है।
    - उदाहरण के लिए- जलवायु संबंधी कारक (तापमान और सौर विकिरण) सीधे सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित करते हैं।
- **उच्च लागत: अनुसंधान एवं विकास, आधुनिक विकास सुविधाओं और विनिर्माण अवसंरचना में कमी** के कारण सौर पैनल उपकरणों एवं इनवर्टर का विकास प्रभावित होता है। इससे **अन्य देशों से आयात में वृद्धि होती है,** जिससे रूफटॉप सोलर प्रणाली की लागत बढ़ जाती है।
- **डिस्कॉम (DISCOM) की भागीदारी में कमी:** छत पर सोलर सिस्टम लगाने से उपभोक्ताओं के बिल में कमी आती हैं। इससे DISCOM कंपनियों को बिजली के बिल का अत्यधिक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं का आधार कम हो जाता है। अतः इस प्रणाली को बढ़ावा देने में DISCOM कंपनियों की भागीदारी कम होती है।

[117] Renewable Energy Service Company

- **कम नेट मीटरिंग:** भारत में रूफटॉप सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने में प्रमुख बाधा उप-राष्ट्रीय स्तर पर नेट मीटरिंग संबंधी नीतियों का खराब और अकुशल कार्यान्वयन है।
    - नेट मीटरिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत उपभोक्ता के आवासीय परिसरों की छतों पर सौर पी.वी. डिलीवरी प्रणाली स्थापित की जाती है और अतिरिक्त बिजली को बेचा जाता है।
- **जागरूकता की कमी:** सोलर रूफटॉप प्रणालियों में शामिल विशिष्ट उत्पादों, प्रक्रियाओं और अनुमोदन प्रणालियों के बारे में लोगों के पास सटीक जानकारी का अभाव है।

आगे की राह

- सोलर रूफटॉप की स्थापना के लिए **समयबद्ध अनुमोदन** और कमीशनिंग प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए।
- ग्रिड के एकीकरण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिष्ठित, सूचीबद्ध और निरीक्षण एजेंसियों से **तृतीय-पक्ष निरीक्षकों** की नियुक्ति करनी चाहिए।
- अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर धूप के अत्यधिक घंटों के दौरान, ग्रिड की उपलब्धता और गुणवत्ता बढ़ाकर **ग्रिड संबंधी अवसंरचना में सुधार** करना चाहिए।
- **नेट मीटरिंग संबंधी नीतियों को संशोधित करना चाहिए** और क्षमता संबंधी बाधाओं को दूर करना चाहिए।
- रूफटॉप पीवी की स्थापना संबंधी पूरे इकोसिस्टम के लिए **सिंगल-विंडो सुविधा सुनिश्चित** की जानी चाहिए।

5.11. क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग (Climate Resilient Farming)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति[118] ने **"प्रमोशन ऑफ़ क्लाइमेट रेसिलिएंट फार्मिंग"** शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **भारत में जलवायु परिवर्तन:**
    - **तापमान में वृद्धि: 1901 और 2018 के बीच लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस** की वृद्धि हुई है।
    - **हिंद महासागर का गर्म होना:** 1951 से 2015 तक औसत समुद्री सतह तापमान (SST) में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जबकि वैश्विक स्तर पर SST में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।
    - **वर्षा में परिवर्तन:** वर्ष 1951 और 2015 के बीच वर्षा में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। यह विशेष रूप से सिंधु-गंगा के मैदानों और पश्चिमी घाटों पर देखी गई है।
    - **सूखे में वृद्धि:** मध्य भारत, दक्षिण पश्चिम तट, दक्षिणी प्रायद्वीप और उत्तर-पूर्वी जैसे क्षेत्रों में सूखे की घटनाएं बढ़ी हैं।

जलवायु पर कृषि का प्रभाव

- कृषि क्षेत्रक भारत के लगभग 14% उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है।
    - यह **मीथेन** (CH_4) और **नाइट्रस ऑक्साइड** (N_2O) जैसी **ग्रीन हाउस गैसों (GHGs)** के उत्सर्जन की काफी मात्रा के लिए उत्तरदायी है।
    - GHG उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से **आंत्रीय किण्वन** (54.6%), **धान की खेती** (17.5%), खेतों में उर्वरक का उपयोग (19.1%), **खाद प्रबंधन** (6.7%) और **कृषि अवशेषों को जलाना** (2.2%) जिम्मेदार हैं।

- **भारत की कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:**
    - **फसलों पर:** 2050 तक वर्षा आधारित चावल, गेहूं, खरीफ के मक्के की पैदावार में गिरावट होने का अनुमान है।
        - साथ ही, पाले की घटनाओं में कमी के कारण चना, कपास और अरहर जैसी अन्य फसलों पर लाभकारी प्रभाव पड़ने का भी अनुमान है।
    - **बागवानी पर:** यह भी अनुमान लगाया गया है कि सेब और अन्य समशीतोष्ण फसलों के क्रॉप जोन स्थानांतरित होंगे।
        - बाढ़ के चलते टमाटर और प्याज की खेती पर काफी असर पड़ता है।

---

[118] Standing Committee on Agriculture, Animal husbandry and Food processing

- **पशुधन पर:** भारत में मवेशियों और भैंसों पर हीट स्ट्रेस के कारण वार्षिक दूध उत्पादन में लगभग 1.8-2 मिलियन टन की कमी हो सकती है।
    - विशेष रूप से वेक्टर, परजीवी और प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोगों के उद्भव तथा पुनः उद्भव से पशु स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **मत्स्यन पर:** IPCC के अनुसार, यदि **समुद्र की सतह का तापमान (SST)** बढ़ता है तो तटीय जलक्षेत्र में प्लवक की मात्रा में कमी आएगी। इसके चलते मछली के लार्वा और वयस्क मछली की कुल आबादी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
    - मछली की प्रजातियां जो पहले केवल गंगा नदी के मध्य भाग में पाई जाती थीं, अब गंगा नदी के जल के तापमान में वृद्धि के कारण हरिद्वार के आसपास के ठंडे जल क्षेत्र वाले हिस्से में भी पाई जाती हैं।

क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग के बारे में

- इसके तहत कृषि में **अनुकूलन, शमन और अन्य पद्धतियों** को शामिल किया जाता है। इसके चलते जलवायु संबंधी व्यवधानों (सूखा, बाढ़ और गर्मी आदि) का सामना करने में कृषि प्रणाली की क्षमता बढ़ जाती है।
- इसमें सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों, जैसे- भूमि, जल, मिट्टी और आनुवंशिक संसाधनों का **विवेकपूर्ण तथा बेहतर प्रबंधन** किया जाता है।
- **इसका महत्त्व:**
    - इससे आने वाली मानव पीढ़ियों के लिए जलवायु परिवर्तन की स्थिति में **भुखमरी और निर्धनता** को कम किया जा सकता है।
    - **यह प्रणाली** मौजूदा स्थिति को नई दिशा देते हुए स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक कृषि उत्पादन को बनाए रख सकती हैं।

क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को अपनाने के समक्ष चुनौतियां

- **बहुआयामी हस्तक्षेप:** इसमें अलग-अलग स्तरों पर सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है, इसलिए यह एक जटिल मुद्दा बन जाता है।
    - इसके अलावा, विविध हितधारकों को अलग-अलग पृष्ठभूमि और तरीकों वाली टीमों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके चलते मानव संसाधन और नीतिगत चुनौतियां सामने आती हैं।
- **कौशल संबंधी मुद्दे:** इस संबंध में कृषि और अनुसंधान के मध्य अपर्याप्त लिंकेज के कारण किसानों में ज्ञान एवं उनके लिए प्रशिक्षण का अभाव, कौशल संबंधी अभाव और अधिकांश किसानों की निरक्षरता एक बड़ी बाधा है।
- **संरचनात्मक मुद्दे:** इसमें वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता, बीजों की अपर्याप्त आपूर्ति, छोटे आकार के खेत और फसल कटाई के बाद के लिए अपर्याप्त अवसंरचना जैसी स्थितियां शामिल हैं।
- **सकारात्मक नतीजों में देरी:** कुछ संधारणीय प्रणालियों के परिणाम सामने आने में समय लगता है। इसके लिए निरंतर प्रेरणा और समर्थन की आवश्यकता होती है।
- **नीतिगत मुद्दे:** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सब्सिडी वाले उर्वरक जैसी नीतियों से एकल फसल प्रणाली, जल के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा मिलता है। साथ ही, इससे मृदा के स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक परागणकों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी का गठन करना:** जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों और कृषि पर पड़ने वाले इसके प्रभावों को राष्ट्रीय स्तर पर **एक ही प्राधिकरण** द्वारा देखना चाहिए।
- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए रणनीतियां और प्रौद्योगिकियां:**
    - **प्रौद्योगिकी:** AI-संचालित एनालिटिक्स और निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने वाली प्रणालियां किसानों को मौसम के पैटर्न एवं मृदा की स्थिति के बारे में तथ्य आधारित बेहतर फैसले लेने में मदद करेंगी। उदाहरण के लिए- वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम (विंड्स/ WINDS)।

- ○ **गर्मी को सहने में सक्षम किस्मों को अपनाना:** उदाहरण के लिए- इसमें पंजाब के किसानों द्वारा HDCSW-18, DBW-187 (गेहूं की किस्में) आदि को अपनाना और चावल की उन्नत किस्मों (CR धान 201, NICRA एरोबिक धान 1, CR धान 412 आदि) को अपनाना शामिल है।
- ○ **बेहतर पशुधन आहार प्रबंधन:** कुछ बेहतर आहार विधियों में शामिल हैं-
  - ▪ आहार समय या फ्रीक्वेंसी में बदलाव,
  - ▪ आहार के कम्पोजीशन में बदलाव,
  - ▪ विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए आहार के उत्पादन और संरक्षण में उत्पादकों को प्रशिक्षण देना आदि।
- ○ **जल प्रबंधन:** इसमें भूजल पुनर्भरण तकनीक; वैज्ञानिक जल संरक्षण विधियों को अपनाना; उर्वरक डालने और सिंचाई करने के समय में तालमेल बिठाना; फसल की बुवाई के समय को जलवायु के अनुसार समायोजित करना आदि शामिल है।

- **प्रमाणित रेजिलिएंट प्रणाली को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए- NICRA परियोजना के तहत स्थापित क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज (CRVs) मॉडल को राष्ट्रव्यापी स्तर पर अपनाना चाहिए।

क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग के लिए उठाए गए कदम

- **नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (NICRA):** इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा शुरू किया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय अर्ध–शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT):** इसका उद्देश्य कृषि–खाद्य प्रणालियों में सुधार करना और पर्यावरणीय क्षरण से निपटना है।
- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए **परम्परागत कृषि विकास योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है।**
- **प्रति बूंद अधिक फसल:** इसे जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना** के तहत आरंभ किया गया है।
- **राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (NMSA):** इसके तहत वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD) योजना लागू की जा रही है।
- **फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन (फास्ट / FAST) साझेदारी:** इसे COP27 (शर्म अल–शेख, मिस्र) में लोगों, जलवायु और प्रकृति के लिए कृषि तथा खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करने के लिए शुरू किया गया।

- **कृषि से GHG की कटौती से संबंधित उपायों को अपनाना:** उदाहरण के लिए- राइस इंटेंसीफिकेशन सिस्टम (RIS) 22-35% तक कम जल का उपयोग करते हुए चावल की उपज को 36-49% तक बढ़ाने की क्षमता रखता है।
- **पंचायत स्तर पर जागरूकता:** एक जागरूक सरपंच क्लाइमेट रेजिलिएंट उपायों को अपनाने की प्रवृति को काफी बढ़ावा दे सकेगा। साथ ही, वह कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में सक्रिय किसानों को शिक्षित भी कर सकेगा।

5.12. भारतीय घड़ियाल (Indian Gharial)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 75 वर्षों के अंतराल के बाद **ग्रेटर काजीरंगा (असम) में भारतीय घड़ियाल** देखा गया।

घड़ियाल के बारे में

- **वैज्ञानिक नाम:** *गेवियलिस गैंगेटिकस (Gavialis gangeticus)*
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - ○ **IUCN:** क्रिटिकली एंडेंजर्ड

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I
- **CITES:** परिशिष्ट-I

- **विशेषताएं:**
  - **घड़ियाल का नाम 'घड़ा'** शब्द से लिया गया है। घड़ा एक भारतीय शब्द है जिसका इस्तेमाल एक बर्तन के लिए किया जाता है। यह नाम उनके थूथन के अंत में **एक बल्बनुमा नॉब** की मौजूदगी के कारण दिया गया है।
  - केवल परिपक्व नर में ही बल्बनुमा नॉब होता है।
  - घड़ियाल **लैंगिक द्विरूपता (Sexual Dimorphism)** प्रदर्शित करते हैं। इसका आशय यह है कि एक ही प्रजाति के नर और मादा में आकार और शारीरिक बनावट संबंधी अंतर होता है।
  - अन्य मगरमच्छों के विपरीत, घड़ियाल आहार हेत गर्म रक्त वाली प्रजातियों पर निर्भर करते हैं और यहां तक कि सबसे बड़े वयस्क घड़ियाल भी विशेष रूप से भोजन हेतु मछली पर निर्भर रहते हैं।
  - घड़ियाल आदमखोर नहीं होता है। यह **जीव अपने जबड़ों के कारण इंसान सहित किसी भी बड़े स्तनपायी को खा नहीं** सकता हैं।
- **पर्यावास:**
  - ये विशेष रूप से **गहरे, साफ व तीव्र प्रवाही जल और खड़े एवं रेतीले किनारों वाली नदी के पर्यावासों** में पाए जाते हैं।
  - मादाएं खड़ी, रेतीली नदी के किनारों पर अपने अंडे देती हैं।
- **वितरण:**
  - ऐतिहासिक रूप से, घड़ियाल के प्राकृतिक पर्यावास का विस्तार भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी-ब्राह्मणी-वैतरणी नदी प्रणालियों तक है।
  - ये मुख्य रूप से **गंगा नदी की तीन सहायक नदियों** में पाए जाते हैं। ये 3 नदियां हैं- **भारत में चंबल और गिरवा और नेपाल में राप्ती-नारायणी।**
    - कुछ संख्या में इनकी आबादी केन नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, घाघरा नदी और भागीरथी-हुगली नदी में भी पाई जाती है।
- **यह जीव निम्नलिखित खतरों का सामना कर रहा है:**
  - पर्यावास में बदलाव,
  - शिकार के आधार में कमी (अत्यधिक मत्स्यन के कारण)
  - पर्यावास का विनाश,
  - अंडों की चोरी
  - अवैध शिकार (दवा के रूप में इसके शरीर के अंगों का उपयोग)।
- **संरक्षण के प्रयास:**
  - **प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल**: इसकी **शुरुआत 1975 में** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम[119] और कृषि एवं खाद्य संगठन (FAO) की सहायता से की गई थी।
  - भारत में घड़ियाल रिज़र्व तीन राज्यों **(उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान)** में स्थित हैं।
  - **जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय और WWF-इंडिया ने मिलकर** से जल के भीतर मुक्त विचरण करने वाले घड़ियाल के व्यवहार एवं आसपास के वातावरण को समझने के लिए घड़ियाल बायो-लॉगिंग साइंस पर एक अध्ययन शुरू किया है।

5.13. ट्रिपल डिप ला-नीना (Triple Dip La-Nina)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि दुर्लभ परिघटना **"ट्रिपल डिप ला-नीना"** से भारतीय प्रायद्वीपीय और उत्तर भारत की वायु गुणवत्ता असामान्य रूप से प्रभावित हुई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- हालिया **ट्रिपल-डिप ला नीना दशाओं** (2020-2023) के चलते वैश्विक स्तर पर महासागर और जलवायु व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं।
- 2022-23 की सर्दियों में ट्रिपल डिप ला-नीना अंतिम चरण के दौरान **भारत की वायु गुणवत्ता में एक नयी प्रवृत्ति देखने को मिली है:**

[119] United Nations Development Programme

- ○ **प्रायद्वीपीय भारत में खराब वायु गुणवत्ता:** धरातल के नजदीक अपेक्षाकृत मंद पवन प्रवाह और उच्च स्तरीय तीव्र उत्तरी पवनों (उत्तर दिशा से आने वाली) के द्वारा अपने साथ उड़ा कर लाए गए प्रदूषकों के चलते विशेष रूप से PM2.5 की सांद्रता बढ़ जाती है।
- ○ **उत्तर भारत की वायु गुणवत्ता में सुधार:** कमजोर पछुआ विक्षोभ और वर्षा तथा बादल रहित तीव्र वेग वाली पवन प्रणाली के कारण उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

- **यह अवलोकन हाल के दशकों में देखे गए रुझानों के विपरीत थे,** जहां सर्दियों में देश के उत्तरी हिस्सों में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि देखी जाती थी।

ट्रिपल डिप ला-नीना के बारे में

- ट्रिपल-डिप ला नीना एक **दुर्लभ परिघटना** है यह तब घटित होती है जब **ला-नीना का प्रभाव लगातार तीन वर्षों तक बना** रहता है।
- ला-नीना वस्तुतः **अल-नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO)**[120] का ही एक चरण है।

अल-नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO)[121] के बारे में

- ENSO एक व्यापक और प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली वाली **जलवायु परिघटना** है। इसमें **मध्य और पूर्वी विषुवतरेखीय प्रशांत महासागर (एल-नीनो और ला-नीना के रूप में जाना जाता है)** के तापमान में उतार-चढ़ाव और इन क्षेत्रों के वायुमंडल में बदलाव (दक्षिणी दोलन के रूप में जाना जाता है) होना शामिल है।

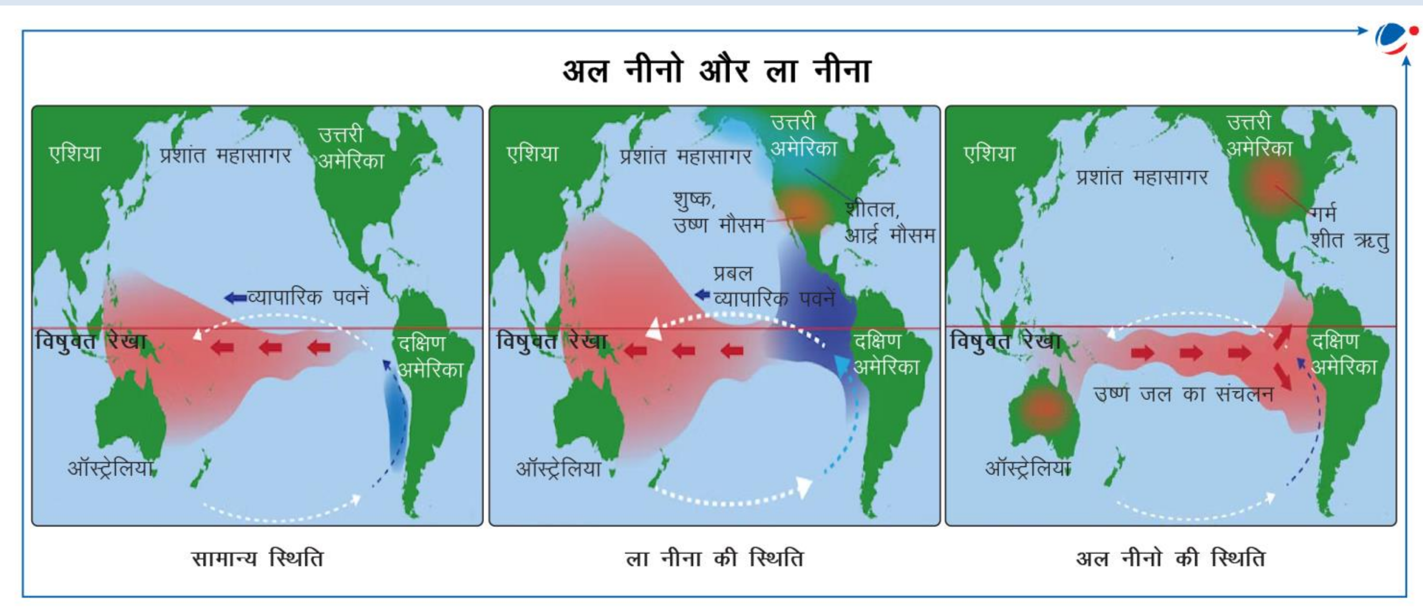

- **ENSO के 3 चरण होते हैं:**
  - ○ **ला-नीना:** इस दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत **महासागर में औसत से कम समुद्री सतह तापमान (SST)**[122] के साथ समुद्री सतह तुलनात्मक रूप से ठंडी होती है।
    - ▪ ला-नीना के कारण **जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर खिसक जाती है और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के ऊपर यह कमजोर** हो जाती है।
    - ▪ विषुवत रेखा पर **सामान्य व्यापारिक पवनें, प्रबल** हो जाती हैं।
    - ▪ सामान्य तौर पर, **महासागर का तापमान जितना ठंडा होगा, ला नीना उतना ही मजबूत** होगा (ठीक उसी प्रकार महासागर का तापमान जितना गर्म होगा, ला नीना उतना ही कमजोर होगा)।
    - ▪ **प्रभाव:**
      - ▪ इसके चलते **पेरू और इक्वाडोर के तट पर पोषक तत्वों से संपन्न ठंडा जल** तल से ऊपर सतह की ओर गति करता है।

---

120 El Niño Southern Oscillation

121 El Niño Southern Oscillation

122 Sea Surface Temperatures

 ©Vision IAS

        - इसके चलते **भारत में मानसून सामान्य से बेहतर** रहता है और कभी-कभी बाढ़ की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं।
  - **अल-नीनो:** यह **ला-नीना के ठीक विपरीत** स्थिति है। इस दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में औसत से अधिक SST के साथ समुद्री सतह तुलनात्मक रूप से गर्म होती है।
    - इसके कारण विषुवत रेखा के साथ व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं या कुछ दशाओं में ये पछुवा पवनों की तरह हो जाती हैं।
    - सामान्य तौर पर, महासागर का तापमान जितना गर्म होगा, अल नीनो उतना ही मजबूत होगा (और इसके विपरीत)।
    - **प्रभाव**
      - इसके परिणामस्वरूप पेरू और इक्वाडोर के तट पर तल से सतह की ओर आने वाला पोषक तत्वों से संपन्न ठंडे जल का बहाव रुक जाता है।
      - इसके चलते **भारतीय मानसून कमजोर** हो जाता है और **कभी-कभी सूखे की घटनाएं** भी देखने को मिल सकती हैं।
  - **सामान्य:** इस दौरान न तो अल नीनो या न ही ला नीना घटित होता है। इस समय अक्सर **उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के SSTs औसत के करीब** होते हैं।
    - हालांकि, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जब लगता है कि महासागर में **अल नीनो या ला नीना की स्थिति** है, लेकिन **वायुमंडल में इस स्थिति के सामान दशा नहीं होती** है (या इसके विपरीत)।
- जब **ENSO चक्र आम तौर पर 9 से 12 महीने** तक चलता है और हर 2-7 साल में रुक-रुक कर फिर से सक्रिय होता है, तब **ट्रिपल डिप ला नीना की स्थिति लगातार तीन वर्षों** तक बनी रहती है।
  - इससे पहले ट्रिपल-डिप ला नीना की परिघटना वर्ष **1998-2001, 1973-1976 और 1954-1956** में घटित हुई थी।

2020-2023 के ट्रिपल-डिप ला नीना की विशिष्टता के लिए उत्तरदायी कारक

- 2020-2023 के दौरान का **ट्रिपल-डिप ला नीना कुछ अलग** था क्योंकि इसके साथ मजबूत अल नीनो की घटना देखने को नहीं मिली थी। इसके चलते शोधकर्ताओं को लगातार तीन वर्षों तक बने रहने वाले ला नीना के विकास के बारे में वर्तमान समझ पर फिर से विचार करना पड़ा।
  - अब तक, यह माना जाता था कि **मजबूत अल नीनो** के चलते विषुवतरेखीय प्रशांत **महासागर से वायुमंडल और उच्चतर अक्षांशों तक ऊष्मा** की काफी मात्रा स्थानांतरित होती है।
    - इससे महासागर में **ऊष्मा की काफी कमी हो जाती है जिसे सामान्य होने में कई साल** लग सकते हैं।
- **2020-23 ट्रिपल डिप ला नीना के लिए संभावित स्पष्टीकरण**
  - **ENSO की इंटर-बेसिन इंटरेक्शन:** ENSO को पहले मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर बेसिन में होने वाली प्रक्रियाओं द्वारा संचालित माना जाता था। हालांकि, ENSO **हिन्द महासागर और अटलांटिक महासागरों से जुड़ी इंटर-बेसिन इंटरेक्शन के प्रति** अधिक संवेदनशील है।
  - **उत्तर और दक्षिण प्रशांत महासागर:** कई हालिया अध्ययनों ने यह भी तर्क दिया है कि उत्तर और दक्षिण प्रशांत महासागर के प्रभाव लंबे समय तक चलने वाली ला नीना घटनाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
  - **ऑस्ट्रेलिया में बुशफायर की घटना:** यह भी मत सामने आए है कि **2019-2020 में ऑस्ट्रेलिया की भीषण बुशफायर** के धुएं के चलते हालिया ला नीना अधिक समय तक बरकरार रहा होगा।
  - **जलवायु परिवर्तन: 1998-2001 और 2020-2023 ट्रिपल-डिप ला नीना** के हालिया तुलनात्मक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि **संभवतः जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर और वायुमंडल में बदलती दशाएं अल नीनो एवं ला नीना परिघटनाओं** की विशेषताओं को बदल सकती हैं।
    - इस तरह के **बदलाव के चलते और अधिक मजबूत बहुवर्षीय ला नीना परिघटनाएं** देखने को मिल सकती हैं।

निष्कर्ष

2020-2023 की ट्रिपल-डिप ला नीना और इस पर हालिया अध्ययन इस विचार को उजागर करते हैं कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के बाहर उत्पन्न होने वाले **ENSO परिवर्तनशीलता के महत्वपूर्ण स्रोत** हो सकते हैं। हमें ENSO चक्र विविधताओं को समझने और भविष्यवाणी करने के लिए अधिक वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

5.14. भीड़ संबंधी आपदा प्रबंधन (Crowd Disaster Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली के कालकाजी मंदिर का एक मंच ढह गया, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए।

क्या आप जानते हैं?

> इतिहास में दर्ज **भगदड़ संबंधी सबसे भयानक त्रासदी** द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान **चोंगकिंग (चीन)** में हुई थी। जून, **1941** में जापानियों ने इस शहर पर बमबारी की थी, जिससे हवाई हमले वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दहशत फैल गई थी और लगभग 4,000 लोग मारे गए थे।

भीड़ संबंधी आपदा के बारे में

- आम तौर पर भावनाओं के आधार पर और **एक साझा उद्देश्य के लिए एकत्र हुए लोगों के समूह को "भीड़"** कहा जाता है।
- **भीड़ की गतिविधियों** में **स्वैच्छिक और अनैच्छिक,** दोनों गतिविधियां शामिल होती हैं:
    - **स्वैच्छिक स्थिति:** जब भीड़ बहुत अधिक होती है, तो लोगों की गतिविधियां **सामाजिक ताकतों** (सामाजिक संपर्क के लिए एक भौतिक प्रतिक्रिया) द्वारा नियंत्रित होती है।
    - **अनैच्छिक:** जब भीड़ जोखिम पूर्ण स्थित में पहुंच जाता है, तो लोगों की गतिविधियां **अनैच्छिक ताकतों** द्वारा नियंत्रित होती है जिसमें लोग अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली स्थिति में एक-दूसरे को धक्का देने लगते हैं।
        - **लोगों की अनियंत्रित भीड़ या धक्का-मुक्की** के परिणामस्वरूप **भीड़ संबंधी आपदा या भगदड़ पैदा** हो सकती है।
- भारत में भगदड़ संबंधी अधिकांश आपदाएं **धार्मिक स्थानों, संगीत समारोहों के स्थानों, नाइट क्लबों** और **शॉपिंग मॉल** में हुई हैं।

भारत में आपदा प्रबंधन

- भारत में **आपदाओं के प्रबंधन के लिए** एक अच्छी तरह से व्यवस्थित प्रशासनिक संरचना मौजूद है, **जिसका विस्तार ग्रामीण स्तर तक है।**
- **केंद्र सरकार** आपदा के दौरान भौतिक और वित्तीय संसाधनों के लिए **सहायक की भूमिका निभाती** है तथा परिवहन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली आदि के लिए **पूरक की भूमिका** में रहती है।
- **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005,** आपदा प्रबंधन के लिए **त्रि-स्तरीय संस्थान का प्रावधान** करता है:
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)**[123]**:** प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में NDMA भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। NDMA को आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया गया है।
    - **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMAs)**[124]**:** संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में; और NDMA के समान ही कार्य करता है।
    - **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMAs)**[125]**:** जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में; आपदा प्रबंधन के लिए जिला नियोजन, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है।
- यह अधिनियम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में **क्षमता विकास के लिए** एक प्रमुख संस्थान के रूप में **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान** (NIDM)[126] की भी स्थापना करता है।

भीड़ संबंधी आपदाओं को प्रेरित करने वाले कारक इस प्रकार हैं

- **संरचनात्मक:** इसमें अवसंरचनाओं के ढहने से उत्पन्न आपदा शामिल हैं, उदाहरण के लिए- गुजरात में मच्छू नदी पर बने **मोरबी पुल का ढहना।**
- **आग/ बिजली:** घरों या दुकान में आग लगना, अग्निशामक यंत्र की अनुपलब्धता, विद्युत जनरेटर से शॉर्ट सर्किट, आदि। उदाहरण के लिए- फायर संबंधी नॉर्म्स का पालन न करने से 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लग गई थी।
- **प्रशासनिक अथवा प्रबंधकीय उपाय:** दर्शकों/ कर्मचारियों/ सेवाओं को कम महत्त्व देना, निकास का बंद/ लॉक होना, प्रवेश द्वार का अचानक खुलना, आदि।

---

[123] National Disaster Management Authority

[124] State Disaster Management Authorities

[125] District Disaster Management Authority

[126] National Institute of Disaster Management

 ©Vision IAS

- **भीड़ का व्यवहार:** बाहर निकलने/ पार्किंग स्थान तक पहुंचने की भीड़भाड़, ट्रेन के आगमन/ प्रस्थान के लिए अंतिम समय में प्लेटफॉर्म में बदलाव, आदि। उदाहरण के लिए- **1954 में महाकुंभ मेले में उत्पन्न हुई भगदड़।**

- **सुरक्षा:** सुरक्षा एजेंसी द्वारा फायरिंग/ आंसू गैस के गोले/ बल के प्रयोग से लोगों में दहशत फैलाना, भीड़ में हथियार लहराना, निषेधाज्ञा आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने में पुलिस बल की अक्षमता आदि।
  - उदाहरण के लिए- **सियोल भीड़ त्रासदी (2022)** मुख्यतः सुरक्षा सावधानियों की कमी एवं पुलिस बल की कुछ गलतियों के कारण हुई थी।
- **हितधारकों के बीच समन्वय का अभाव: सौंपे गए कर्तव्यों की** समझ की कमी, **संचार में देरी,** एजेंसियों के बीच **समन्वय का अभाव** आदि।

भीड़ प्रबंधन (Crowd Management)

- **जोखिम प्रबंधन के लिए योजना:**
  - भीड़ प्रबंधन प्रक्रिया का पहला उद्देश्य **किसी भी गंभीर स्थिति को उत्पन्न होने से रोकना** है।
  - फ्रुइन (भीड़ व्यवहार के एक प्रसिद्ध सिद्धांतकार) ने भीड़ के व्यवहार और भगदड़ के कारणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए FIST मॉडल का सुझाव दिया। FIST का तात्पर्य है-
    - **F:** भीड़ की ताकत;
    - **I:** वह जानकारी जिस पर भीड़ कार्य करती है;
    - **S:** भौतिक स्थान, जिसमें भीड़ की सघनता और बड़े पैमाने पर आर्किटेक्चर सुविधा, दोनों शामिल हैं;
    - **T:** घटना की अवधि का समय
  - यह मॉडल किसी **आयोजन के संचालकों** और **कार्यक्रम के आयोजकों** के लिए **काफी उपयोगी** है। यह विशेषकर तब उपयोगी हो जाता है जब **कार्यक्रम जोखिम प्रबंधन योजना** के दौरान FIST मॉडल के चारों तत्वों का समाधान करने के लिए **सक्रिय रणनीतियां विकसित** की जाती हैं।
- **प्रशासन:** चूंकि भीड़/ भगदड़ संबंधी आपदाएं **स्थानीय घटनाएं** हैं, इसलिए इनके प्रबंधन की **प्राथमिक ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से आयोजकों और स्थानीय/ जिला प्रशासन** की है। इस प्रक्रिया में राज्य और राष्ट्रीय अधिकारियों का समर्थन एवं दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए।

NIDM की भीड़ प्रबंधन रणनीतियां और व्यवस्था

- **आगंतुकों एवं हितधारकों को समझना:** भीड़ के प्रकार (उम्र, जेंडर, क्षेत्र आदि) को जानना, **आगंतुकों के उद्देश्यों** (सामाजिक, मनोरंजन) को जानना, **मीडिया कर्मियों** को समय पर जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करना।
- **भीड़ प्रबंधन की रणनीतियां और व्यवस्था:**
  - **क्षमता संबंधी प्लानिंग:**
    - **इन्फ्रास्ट्रक्चर: अवसंरचनाओं के विकास के लिए** दीर्घकालिक नज़रिए की आवश्यकता होती है और यह लोकप्रियता, घटनाओं की आवृत्ति, मौसम, भू-भाग, स्थानीय आबादी आदि पर निर्भर करेगा।
    - **स्टेजिंग पॉइंट (कतार परिसर):** उन **भौतिक या आभासी स्थानों** की योजना बनाना, जहां से **प्रत्येक आगंतुक को गुजरना** होगा।

  - बच्चों, महिलाओं आदि जैसे कमजोर समूहों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए **कई मार्ग तैयार** करना।
- **भीड़ के व्यवहार को समझना:** भीड़ में व्यक्तिगत आचरण अक्सर दूसरों के आचरण से प्रभावित होता है। इसलिए **समस्या पैदा करने वाले व्यक्तियों की जल्द-से-जल्द पहचान करना और उन्हें अलग करना** आवश्यक है।
  - अनुसंधान से पता चला है कि भीड़ के व्यवहार की समझ ने बल आधारित नियंत्रण के बजाय **भीड़ नियंत्रण के लिए समुदाय-आधारित दृष्टिकोण** को प्रेरित किया है।
- **भीड़ पर नियंत्रण:** भीड़ के व्यवहार को प्रतिबंधित या सीमित करके व्यवस्था को लागू या पुनर्स्थापित किया जाता है। इसके लिए:
  - **भीड़ को नियंत्रित करने वाले कर्मचारियों की उच्च दृश्यता** सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें **आयोजकों/ मंदिर ट्रस्टों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सामुदायिक हितधारकों** (NGOs, व्यापार संघ आदि) **सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल** करना चाहिए।

- **जोखिम विश्लेषण और तैयारियां: योजनाओं के क्रियान्वयन के मॉक ड्रिल** से व्यवस्थाओं में मौजूद **कमियों की पहचान करने** और उन्हें पहले से ही ठीक करने में भी मदद मिल सकती है।
- **अन्य उपाय:**
  - **हितधारकों के बीच समय पर सूचनाओं के प्रसार और प्रबंधन पर जोर देना।**
  - **सुरक्षा एवं रक्षा संबंधी उपाय लागू करना,** जैसे- संपूर्ण भीड़ की CCTV से निगरानी करना, VIP लोगों के लिए विशेष योजना तैयार करना, अग्नि सुरक्षा से जुड़े हुए मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना आदि।
  - **स्वास्थ्य, स्वच्छता और चिकित्सा सेवाएं तैयार रखना,** क्योंकि किसी घातक घटना के बाद तत्काल रूप से चिकित्सा पर ध्यान देकर लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है।
  - **जितना हो सके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना** तथा अवांछित भीड़ और यातायात के कारण उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम करना।

निष्कर्ष

बड़े पैमाने पर लोगों के जमा होने वाले स्थानों, जैसे धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन और खेल/ समाजिक/ राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन स्थल, पर बार-बार होने वाली भगदड़ राष्ट्र के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। हालांकि, भीड़ संबंधी आपदाएं मूल रूप से मानव निर्मित होती हैं, ऐसे में इन्हें समग्र योजना और कुशल निष्पादन के साथ रोका जा सकता है।

5.15. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.15.1. नीति आयोग ने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल शुरू किया (Niti Aayog Launches Grow Report and Portal)

- नीति आयोग ने "ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो-फॉरेस्ट्री (GROW) रिपोर्ट" का अनावरण किया।
- यह रिपोर्ट **बंजर भूमि को उत्पादक कृषि-वानिकी (Agroforestry) क्षेत्रों में बदलने की क्षमता** पर जोर देती है।
  - इसने **भारत के सभी जिलों में कृषि-वानिकी गतिविधियों के उपयुक्त होने की संभावना का मूल्यांकन** करने के लिए **रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीकों** का इस्तेमाल किया है।
    - रिपोर्ट में, कृषि-वानिकी को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता देने के लिए एक **कृषि-वानिकी उपयुक्तता सूचकांक (ASI)**[127] पेश किया गया है।
  - नीति आयोग ने **भुवन पर "GROW-सूटेबिलिटी मैपिंग"** पोर्टल भी लॉन्च किया है। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल से **राज्य और जिला-स्तरीय डेटा** प्राप्त कर सकता है।
    - **भुवन,** इसरो (ISRO) का एक **जियोपोर्टल** है।
- **बंजर भूमि (Wasteland)** ऐसी भूमि होती है, जो **खेती के लिए न तो उपजाऊ होती है न ही उपयुक्त** होती है। साथ ही, ऐसी भूमि **चराई और अन्य आर्थिक गतिविधियों** के लिए भी उपयोगी नहीं होती है।
  - भारत के **बंजर भूमि एटलस 2019** के अनुसार, 2015-16 में **भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 16.96% हिस्सा बंजर भूमि** था।
- कृषि-वानिकी **भूमि-उपयोग प्रणालियों का एक सामूहिक नाम** है। इसमें कृषि भूमियों पर **फसलों और/ या पशु पालन के साथ-साथ वृक्षों का प्रबंधन** भी किया जाता है।
  - वर्तमान में, **कृषि-वानिकी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.65% कवर** करती है।

[127] Agroforestry Suitability Index

- **कृषि-वानिकी के निम्नलिखित तीन मुख्य प्रकार हैं:**
  - **एग्रीसिल्वीकल्चरल सिस्टम:** इस प्रणाली में समान भूखंड पर फसलें भी उगाई जाती हैं और पेड़ भी उगाए जाते हैं।
  - **सिल्वोपास्टोरल सिस्टम:** इसमें **चरागाहों या कृषि भूमि में वानिकी** भी की जाती है और **पालतू पशुओं को भी पाला** जाता है।
  - **एग्रोसिल्वोपास्टोरल सिस्टम:** इसमें समान भूखंड पर **पेड़ों को उगाना, पशुओं को पालना और फसलों की खेती** एक साथ की जाती है।

- **कृषि-वानिकी का महत्त्व:**
  - यह **माइक्रोक्लाइमेट मॉडरेशन और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन** के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करती है।
  - यह उत्पादकता व मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि और मिट्टी के संरक्षण में सहायक है।
  - इसमें कृषि योग्य भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होता है।

5.15.2. तराई आर्क लैंडस्केप (Terai Arc Landscape: TAL)

- तराई आर्क लैंडस्केप (TAL) को 'यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप' के रूप में मान्यता दी गई।
- TAL के साथ **6 अन्य पहलों** को भी मान्यता दी गई है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - मान्यता प्राप्त पहलें **संयुक्त राष्ट्र की ओर से तकनीकी व वित्तीय सहायता** के लिए पात्र होंगी।
  - 2022 में **नमामि गंगे पहल** को भी इसके अंतर्गत मान्यता दी गई थी।

- **तराई आर्क लैंडस्केप (TAL) के बारे में:**
  - यह एक **ट्रांस-बाउंड्री बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट** है। TAL कार्यक्रम को **2001 में लॉन्च** किया गया था।
    - TAL **बाघों, गैंडों, हाथियों** आदि के लिए महत्वपूर्ण पर्यावास (Critical habitats) है।
  - इसका लक्ष्य **तराई और चुरिया पहाड़ियों के पारिस्थितिकी-तंत्र का संरक्षण** करना है।
    - इसमें **कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व, राजाजी नेशनल पार्क** जैसे कई संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं।
  - TAL **पूर्व में बागमती नदी (नेपाल) से पश्चिम में यमुना नदी (भारत) तक 900 कि.मी. से अधिक** क्षेत्र में फैला हुआ है।
    - यह **5.10 मिलियन हेक्टेयर** में फैला हुआ है और सात मिलियन से अधिक लोग इस पर निर्भर हैं।
- **वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के बारे में:**
  - इस कार्यक्रम को **2022** में शुरू किया गया था।
  - यह **पारिस्थितिकी-तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-30)** के तहत मान्यता प्राप्त है।
  - इसका नेतृत्व **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** तथा अन्य भागीदार संगठन कर रहे हैं।

- **उद्देश्य:** प्रत्येक महाद्वीप और महासागर में पारिस्थितिक-तंत्र के क्षरण को रोकना, नियंत्रित करना और पूर्व की स्थिति बहाल करना।
- **चयन संबंधी मानदंड:** भौगोलिक और सफलता की संभावना के मानदंड के आधार पर।
- **फ्रेमवर्क फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन मॉनिटरिंग** के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है।

5.15.3. वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) परिषद की बैठक {Global Environment Facility (GEF) Council Meeting}

- पहली वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष (GBFF) परिषद के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) परिषद की बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुई।
- GBFF का लक्ष्य **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के कार्यान्वयन के लिए वित्त-पोषण** को बढ़ावा देना है।
  - GBFF को अगस्त 2023 में **वैंकूवर, कनाडा में सातवीं GEF-असेंबली में लॉन्च** किया गया था। यह **186 देशों द्वारा अनुसमर्थित** है।
  - GBFF परिषद के **निर्णय आम सहमति से** लिए जाएंगे।
  - **विश्व बैंक को GBFF के ट्रस्टी के रूप में सेवाएं देने** के लिए आमंत्रित किया गया है।
- **बैठक के मुख्य निष्कर्ष:**
  - GEF की सदस्य सरकारें **जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति नवीकरण और प्रदूषण नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए 1.1 बिलियन डॉलर का निवेश** करने पर सहमत हुई हैं।
  - उन्होंने **21 जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के लिए 203 मिलियन डॉलर** का समर्थन किया। ये परियोजनाएं **अल्प विकसित देशों के कोष (LDCF) और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)** द्वारा वित्त पोषित हैं।
  - **स्पेन ने कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और जापान द्वारा घोषित अनुदान में योगदान करते हुए GBFF को 10 मिलियन यूरो** देने की घोषणा की है।
  - उपलब्धता के आधार पर **डोनर फंड** आवंटित करने के लिए **GBFF रिसोर्स एलोकेशन पॉलिसी और प्रोजेक्ट साइकिल पॉलिसी** को मंजूरी दी गई।
- **KMGBF के बारे में:**
  - KMGBF को **मॉन्ट्रियल में आयोजित जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (COP-15)** में अपनाया गया था।
  - KMGBF ने **23 लक्ष्य** निर्धारित किए हैं, जिन्हें **2030 तक प्राप्त** किया जाना है। इनमें **30 प्रतिशत भूमि और समुद्र का संरक्षण, आक्रामक प्रजातियों में 50 प्रतिशत तक की कमी, प्रति वर्ष कम-से-कम 200 बिलियन डॉलर की राशि जुटाना** आदि शामिल हैं।

GEF के बारे में

gef

HQ वाशिंगटन डी.सी.

उत्पत्ति: इसे **1992 में रियो अर्थ समिट** में स्थापित किया गया था। यह दुनिया के **सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने के लिए 18 एजेंसियों की साझेदारी** है।

सदस्य: GEF में **186 सदस्य देश शामिल हैं।**

क्या भारत इसका सदस्य है? ✔

गवर्नेंस: GEF की **मुख्य गवर्निंग बॉडी अर्थात् 'परिषद (Council)'** में कुल **32 सदस्य** होते हैं। ये सभी GEF के सदस्य देशों के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें **14 विकसित देशों** का; **16 विकासशील देशों** का तथा **2 ट्रांजिशन वाली अर्थव्यवस्थाओं का** प्रतिनिधित्व करते हैं।

कार्य: GEF **निम्नलिखित पांच कन्वेंशंस के लिए "वित्तीय तंत्र"** के रूप में कार्य करता है:
- जैव विविधता पर कन्वेंशन
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन
- दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन
- मरुस्थलीकरण की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
- पारे पर मिनामाता कन्वेंशन

5.15.4. स्पीशीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रेस्टोरेशन (STAR) मेट्रिक {Species Threat Abatement and Restoration (STAR) Metric}

- **STAR मेट्रिक** कार्यक्रम को **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)** ने शुरू किया है। इसे अन्य संगठनों व विशेषज्ञों की भागीदारी में आरंभ किया गया था। इसका अब **समुद्री क्षेत्रों** में उपयोग करने के लिए विस्तार किया गया है।

- इसे **स्थलीय क्षेत्रों** में उपयोग करने के लिए पहली बार **2021** में प्रस्तुत किया गया था।

- **STAR मेट्रिक** प्रजातियों द्वारा सामना किए जाने वाले विलुप्ति के जोखिम व खतरों को परिमाणित करता है। इसके लिए यह **संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची से मौजूदा डेटा का उपयोग** करता है।
  - STAR अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों में योगदान करने हेतु **विशेष अवस्थितियों पर विशिष्ट कार्रवाई की क्षमता का आकलन** करता है।
  - STAR **निम्नलिखित दो प्रकार की कार्रवाइयों के योगदान** का आकलन करता है-
    - खतरा उन्मूलन और
    - पर्यावास पुनर्स्थापन।

5.15.5. कंजर्वेशन रिज़र्व (Conservation Reserve)

- तेलंगाना राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL) ने **ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व और कवल टाइगर रिज़र्व के बीच स्थित गलियारा क्षेत्र** को कंजर्वेशन रिज़र्व के रूप में मंजूरी प्रदान की है।
  - **SBWL** की स्थापना **वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन (WPA) अधिनियम, 2002** के तहत की गई है। इनकी अध्यक्षता **राज्य के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के मामले में वहां के प्रशासक** करते हैं।
- **कंजर्वेशन रिज़र्व के बारे में:**
  - कंजर्वेशन रिजर्व **'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WPA), 1972** के तहत स्थापित एक **संरक्षित क्षेत्र** होता है।
    - इसकी स्थापना के लिए **'वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम (WPA), 2002' के तहत प्रावधान** किए गए हैं।
  - यह राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर **बफर जोन या कनेक्टर** होता है। साथ ही, वन्य जीवों की आवाजाही के लिए उनके बीच गलियारे के रूप में भी कार्य करता है।
  - इसकी **स्थापना की अधिसूचना राज्य सरकार** द्वारा जारी की जाती है। इसके लिए वह केंद्र सरकार और स्थानीय समुदायों से परामर्श करती है।
- इसका प्रशासन **कंजर्वेशन रिज़र्व प्रबंधन समिति** की मदद से किया जाता है।

5.15.6. एनर्जी चार्टर ट्रीटी (Energy Charter Treaty)

- **यूनाइटेड किंगडम** ने जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने वाली एक पुरानी संधि अर्थात् **'एनर्जी चार्टर ट्रीटी'** को त्यागने का निर्णय लिया है।
- **एनर्जी चार्टर ट्रीटी के बारे में:**
  - यह ऊर्जा सहयोग के लिए एक ऐसा **बहुपक्षीय फ्रेमवर्क प्रदान** करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विशिष्ट है।
  - यह संधि **कानूनी रूप से अप्रैल 1998 में लागू** हुई थी।
  - इस संधि का उद्देश्य **खुले व प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बाजारों** के संचालन के जरिए **ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा** देना है। साथ ही इसमें, ऊर्जा संसाधनों पर सतत विकास और संप्रभुता के सिद्धांतों का भी सम्मान किया जाता है।
  - वर्तमान में, संधि के **53 हस्ताक्षरकर्ता और अनुबंधकर्ता पक्षकार** हैं।

5.15.7. ब्रूमेशन (Brumation)

- शीत ऋतु में **अमेरिका के एलीगेटर्स (घड़ियाल)** ब्रूमेशन की स्थिति में चले जाते है। ब्रूमेशन एक प्रकार की **शीतनिद्रा (Hibernation)** की स्थिति है।
  - शीतनिद्रा की अवधि में जानवर बहुत कम सक्रिय रहते हैं। यह जीवों को भोजन की कमी और चरम मौसमी परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम बनाती है।
- **ब्रूमेशन के बारे में:**
  - यह **ठंड के महीनों** की एक विशेष अवधि है। इसमें **सरीसृप और उभयचर जानवर सुषुप्त अवस्था** में चले जाते है।
    - **सरीसृप एक्टोथर्मिक** होते हैं। **एक्टोथर्मिक** ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। ये ऐसे जानवर हैं, जिनके शरीर के तापमान का नियंत्रण बाहरी स्रोतों (जैसे सूरज की रोशनी) पर निर्भर करता है। यही कारण है कि उन्हें ब्रूमेशन की आवश्यकता होती है।
  - इस अवधि में, **सरीसृप भूमिगत बिलों या चारों ओर से घिरे स्थलों** में चले जाते हैं।
  - **शीतनिद्रा के अन्य प्रकार:**
    - **डाइपॉज:** यह एक शारीरिक अवस्था है जो हाइबरनेटिंग या ग्रीष्मकालीन निष्क्रियता वाले आर्थ्रोपोड्स में तब घटित होती है, जब वे प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। इस दौरान उनकी वृद्धि और जनन काफी धीमा रहता है।
    - **एस्टीवेशन:** गर्मियों में **अकशेरुकी जीवों और मछलियों** की कम सक्रियता।
    - **टॉरपोर:** इसमें जीव (स्कंक आदि) बहुत कम समय के लिए शारीरिक गतिविधियां करते हैं।

5.15.8. सफेद गैंडे (White Rhinos)

- दुनिया में पहली बार सफेद गैंडे के इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF)-गर्भाधान से नॉर्दर्न व्हाइट राइनो उप-प्रजाति को बचाने की उम्मीद उत्पन्न हुई।
- वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार मादा सफेद गैंडे में भ्रूण स्थानांतरण में सफलता पाई है। इस विधि से **क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी की नॉर्दर्न व्हाइट राइनो उप-प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया** जा सकता है।
    - **अब केवल दो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो बचे हैं, और दोनों मादा हैं।**
- **प्रजातियों के संरक्षण के लिए अन्य जैव प्रौद्योगिकियां**
    - **बायो-बैंक:** इसमें भविष्य में अनुसंधान के लिए और आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने हेतु पूर्तिकर (Backup) संसाधनों के रूप में **जैविक नमूने (कोशिका, ऊतक आदि) संग्रहित** किए जाते हैं।
    - **जैवसंश्लेषण (Biosynthesis):** इसके तहत लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए प्रिंटेड DNA तकनीक से **सुरक्षित कवकनाशी जैसे पशु-जनित उत्पादों के विकल्प** तैयार किए जाते हैं।
    - **जीन ड्राइव:** इस तकनीक का इस्तेमाल किसी जगह से **चूहों जैसी आक्रामक प्रजातियों (Invasive species) को समाप्त करने** के लिए किया जा सकता है। यह बहुत दक्षता वाली तकनीक है और इसमें **देशज वन्यजीवों को कम नुकसान** पहुंचता है।
- **गैंडे के बारे में:**
    - **वर्तमान में गैंडों की पांच प्रजातियां हैं: अफ्रीका से दो** (सफेद गैंडा व काला गैंडा) तथा **एशिया से तीन** {विशाल एक सींग वाला गैंडा (भारतीय गैंडा), सुमात्राई गैंडा और जावा गैंडा}।
    - **खतरा:** पर्यावास को नुकसान, सींग के लिए गैंडे का अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन आदि।
- **सफेद गैंडे और भारतीय गैंडे में अंतर:**

विशेषताएं	**सफेद गैंडा (अफ्रीकी गैंडा)**	**भारतीय गैंडा (एशियाई गैंडा)**
आकार	हाथी के बाद **दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी** जीव है।	यह **एशियाई गैंडों की सभी प्रजातियों में सबसे बड़ी** प्रजाति है।
दिखावट व विशेषताएं	सपाट पीठ और बैरल के आकार का शरीर **2 सींग** मटमैला सा दिखाई देता है	**गांठदार त्वचा** जो कवच जैसी प्रतीत होती है। **एक सींग** **अच्छे तैराक**
पर्यावास	लंबी और छोटी घास वाली घास भूमियों के **सवाना क्षेत्र में**	**उष्णकटिबंधीय** और **उपोष्णकटिबंधीय** घास के मैदान, **सवाना** और **झाड़ी-युक्त मैदान**
पर्यावास क्षेत्र	नामीबिया, युगांडा, रवांडा आदि।	**भारत** (असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश), नेपाल आदि।
संरक्षण स्थिति	**नियर थ्रेटेंड (IUCN रेड लिस्ट):** सदर्न व्हाइट राइनो उप-प्रजाति "नियर थ्रेटेंड" है।	**वल्नरेबल** (IUCN रेड लिस्ट) **अनुसूची-1** (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972)

नोट: नदर्न व्हाईट, ब्लैक, जावा और सुमात्राई गैंडों को IUCN रेड लिस्ट के तहत क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में रखा गया है।

5.15.9. इंडियन स्कीमर (Indian Skimmers)

- भारत और बांग्लादेश ने **'कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज'** (CMS) के तहत इंडियन स्कीमर को सूचीबद्ध करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इंडियन स्कीमर को **इंडियन सिजर्स बिल** भी कहा जाता है।
- **इंडियन स्कीमर पक्षी के बारे में:**
    - इंडियन स्कीमर पश्चिमी और पूर्वी भारत के तटीय इलाकों में नदी मुहाने पर पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से **बड़ी, रेतीली, समुद्र के निकटवर्ती नदियों, झीलों और उनके निकटवर्ती दलदली क्षेत्रों, मुहानों और तटों** के आसपास देखे जाते हैं।
    - ये **बड़े, जल से ऊपर उठे बालू वाले तटों (सैंडबार) और द्वीपों** पर कॉलोनी ब्रीडिंग करते हैं।
        - कॉलोनी ब्रीडिंग के तहत बड़ी संख्या में पक्षी ब्रीडिंग के लिए तटों पर आते हैं।
    - इनका आहार जल की सतह पर तैरने वाली **मछलियां, छोटे क्रस्टेशियंस और कीड़ों** के लार्वा हैं।
- **संरक्षण की स्थिति:**
    - **IUCN रेड लिस्ट:** इंडेजर्ड
    - **CITES:** सूचीबद्ध नहीं
    - **WPA, 1972:** अनुसूची I

5.15.10. नीम का वृक्ष (एजाडिरेक्टा इंडिका ए. जस) {Neem Tree (Azadirachta Indica A. Juss)}

- हाल ही में, नीम समिट का आयोजन **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR)-केंद्रीय कृषि-वानिकी अनुसंधान संस्थान** के सहयोग से किया गया है।

- **नीम के वृक्ष के बारे में:**
  - नीम भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक प्रजाति है।
  - **जलवायु:** यह शुष्क, अर्ध-शुष्क व आर्द्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है। यह **49 डिग्री सेल्सियस** तक का उच्च तापमान सहन कर सकता है।
  - **प्रकार:** सदाबहार वृक्ष (शुष्क क्षेत्रों में पर्णपाती)।
  - **लाभ:**
    - यह **औषधीय गुणों** से समृद्ध है।
    - यह **अत्यधिक प्रभावकारी वृक्ष** है। नीम का पेड़ धूल के कणों को अपनी पत्ती आदि पर चिपका लेता है। इसके अलावा, नीम गैसीय प्रदूषकों को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार, यह **प्राकृतिक एयर फिल्टर** के रूप में काम करता है।
    - **अन्य-** कीटनाशक, मच्छरों को दूर भगाने, उर्वरक (नीम लेपित यूरिया) आदि के रूप में उपयोगी है।

5.15.11. हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमान (Hyperlocal Weather Forecasting)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने दीर्घकालिक, **हाइपरलोकल मौसम डेटा** सृजित करने के लिए **मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम (WINDS)**[128] शुरू किया है।

विंड्स/ WINDS के बारे में

- इसके तहत देश के **विभिन्न मौसम अवलोकन प्रणालियों** से एकत्र किए गए मौसम संबंधी डेटा को **राष्ट्रीय स्तर के WINDS पोर्टल पर एकीकृत** किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के तहत **2 लाख से अधिक ग्राउंड स्टेशन** स्थापित किये जाएंगे।
  - इससे **मौसम आधारित डेटा के बेहतर उपयोग में मदद मिल सकती है।** इस प्रकार यह मौसम का पूर्वानुमान करने तथा संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार कर सकता है।

हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमान के बारे में

- हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमानों से मौसम से संबंधित **विस्तृत** और **स्थानीयकृत जानकारी प्राप्त होती है।**
  - इससे किसानों को उनकी लोकेशन के अनुसार और रियल टाइम मौसम संबंधी डेटा से रोपण, सिंचाई एवं कटाई संबंधी निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
- इस मॉडल में उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता है, जैसे- उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले मौसम आधारित मॉडल, वेदर सेंसर और डेटा एनालिटिक्स।

भारत में हाइपरलोकल मौसम पूर्वानुमान की आवश्यकता क्यों है?

- **मानसून में परिवर्तनशीलता:** उष्णकटिबंधीय जलवायु **अधिक परिवर्तनशील** होती है और इसलिए इसका पूर्वानुमान **करना अधिक कठिन** होता है। इसके विपरीत **अमेरिका और ब्रिटेन** में अधिक व्यवस्थित मौसम प्रणालियां पाई जाती हैं।
- **आपदा संबंधी तैयारी और कार्रवाई: आपदा प्रबंधन** से संबंधित निर्णय लेने के लिए वर्षा, चक्रवात, लू और सूखे का सटीक पूर्वानुमान करना महत्वपूर्ण है।
- **अर्बन हिट आईलैंड का प्रभाव:** शहरी क्षेत्रों में आस-पास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक तापमान होता है। स्थानीय स्तर पर ताप में होने वाली यह वृद्धि **तापमान संबंधी पूर्वानुमान को कठिन बना देती है** और इसके लिए स्थानीय स्तर पर मौसम संबंधी पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है।

5.15.12. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (Flood Management and Border Areas Programme: FMBAP)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP)" को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की।
- मंत्रिमंडल ने **2021-22 से 2025-26 तक अर्थात् पांच वर्ष की अवधि** के लिए FMBAP को मंजूरी प्रदान की है।
  - इस योजना की शुरुआत **11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)** के दौरान की गई थी।
- FMBAP का उद्देश्य बाढ़ के प्रकोप से मानव जीवन, भूमि और संपत्ति की रक्षा में **राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता** प्रदान करना है। इसके लिए FMBAP राज्यों को **तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता** प्रदान करता है।
  - इसके अलावा, योजना के अंतर्गत पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में **द्विपक्षीय सहयोग** को बढ़ावा देने का प्रावधान भी है।
- **योजना की मुख्य विशेषताएं:**
  - **योजना का प्रकार:** यह एक **"केंद्र प्रायोजित योजना"** है।
  - **मंत्रालय:** जल शक्ति मंत्रालय।
  - **उप-घटक:**
    - **बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (FMP):**
      - इसमें बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री अपरदन-रोधी आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।

[128] Weather Information Network and Data System

- **फंडिंग पैटर्न:** केंद्र और 8 पूर्वोत्तर राज्यों एवं पहाड़ी राज्यों के बीच **90:10 के अनुपात में वित्त-पोषण साझा** किया जाता है।
    - ✓ शेष राज्यों के लिए यह अनुपात 60:40 है।
    - ✓ इस योजना के तहत अब तक 427 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इससे 4.99 mha भूमि को लाभ हुआ है और 53.57 मिलियन लोगों को सुरक्षा मिली है।
- **नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र (RMBA):**
    - ✓ इसके तहत पड़ोसी देशों के साथ साझा सीमा करने वाली नदियों पर **बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी** कार्य किए जाते हैं।
    - ✓ जल विज्ञान संबंधी पर्यवेक्षण किए जाते हैं और बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जाता है।
    - ✓ इसमें पड़ोसी देशों के साथ साझा सीमा करने वाली नदियों पर **संयुक्त जल संसाधन परियोजनाओं की जांच और निर्माण-पूर्व गतिविधियां** शामिल हैं।
- **फंडिंग पैटर्न:** 100% केंद्रीय सहायता।

5.15.13. एटमोस्फियरिक रिवर (Atmospheric River)

- कैलिफोर्निया (संयुक्त राज्य अमेरिका) लगातार दो **एटमोस्फियरिक रिवर** तूफानों से प्रभावित हुआ है।
- **एटमोस्फियरिक रिवर:**
    - यह वायुमंडल में एक निश्चित पट्टी में प्रवाहित होने वाली **संघनित जलवाष्प की अत्यधिक मात्रा** है। यह मुख्यतः **बहिरूष्ण (Extra-tropical) कटिबंधीय चक्रवातों** से संबंधित होती है।
    - यह **बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवातों** के शीत वाताग्र के आगे निचले वायुमंडल में प्रबल वेग से चलने वाली जेट स्ट्रीम के क्षेत्र में मौजूद होती है।
    - इसे पृथ्वी पर **ताजे जल के सबसे बड़े परिवहन तंत्र** के रूप में माना जाता है।
    - जब यह पर्वतों जैसे भौगोलिक अवरोधों से टकराकर ऊपर उठने के बाद दूसरी तरफ नीचे उतरती है, तो इससे अत्यधिक मात्रा में वर्षण (Precipitation) होता है। जिसके परिणामस्वरूप भीषण बाढ़ और भूस्खलन जैसी विपदाएं घटित हो सकती हैं।

5.15.14. अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (Atlantic Meridional Overturning Circulation: AMOC)

- शोधकर्ताओं ने **AMOC के क्षरण** का पता लगाने के लिए एक **'अर्ली वार्निंग इंडिकेटर'** विकसित किया है।
    - गौरतलब है कि AMOC जलवायु प्रणाली के **महत्वपूर्ण टिपिंग पॉइंट्स में से** एक है। **क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स** वे सीमाएं हैं, जिन्हें पार करने पर वैश्विक जलवायु को प्रभावित करने वाले कई ऐसे बदलाव आएंगे, जिन्हें रोका नहीं जा सकेगा।
- **AMOC के बारे में:**
    - AMOC **अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं** की एक प्रणाली है। यह **उष्ण कटिबंध से उत्तरी ध्रुव की ओर गर्म जल धाराओं को प्रसारित** करती है। साथ ही **ठंडे, खारे व सघन जल को उष्ण कटिबंध तथा दक्षिण ध्रुव की ओर विस्तारित** करती है।
        - यह दुनिया के ऊष्मा के पुनर्वितरण और समुद्री जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के संचरण में महत्वपूर्ण भमिका निभाता है।
    - यह प्रणाली **तापमान और लवणता की मात्रा में भिन्नता से संचालित** होती है।
    - इस प्रणाली का **ग्रीनलैंड के ग्लेशियरों और आर्कटिक की बर्फ की चादरों के अनुमान से अधिक तेजी से पिघलने के कारण क्षरण** हो रहा है।
- **AMOC के क्षरण के प्रभाव:**
    - अटलांटिक महासागर के जलस्तर में वृद्धि हो सकती है;
    - अमेजन क्षेत्र में आर्द्र और शुष्क मौसम में उतार-चढ़ाव हो सकता है;
    - तापमान में अधिक अनियमित उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है;
    - दक्षिणी गोलार्ध के तापमान में वृद्धि हो सकती है।

5.15.15. रिप करंट्स (RIP Currents)

- **भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** द्वारा रिप करंट्स की निगरानी करने एवं इसके बारे में पूर्वानुमान अलर्ट जारी करने का कार्य किया जाएगा।

- **रिप करंट्स के बारे में:**
  - रिप करंट्स वस्तुतः **तट (Beach) से वापस खुले महासागर, समुद्र या झील की ओर प्रवाहित होने वाला** जल का तीव्र प्रवाह है।
  - इन करंट्स की **चौड़ाई 10 या 20 फीट तक संकरी** हो सकती हैं। हालांकि, वे **चौड़ाई में दस गुना तक बड़ी** हो सकती हैं।
  - वे संयुक्त राज्य अमेरिका के **पूर्वी भाग, खाड़ी और पश्चिमी तटों के साथ-साथ ग्रेट लेक्स** के तटों पर भी प्रवाहित होती है।
  - रिप करंट्स का प्रवाह **जल निकाय में मौजूद लोगों को जल के अंदर नहीं खींचता,** बल्कि लोगों को किनारे से दूर धकेलता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार (Senior Care Reforms in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग ने **"भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार करना: वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना[129]"** नामक अध्ययन-पत्र जारी किया है।

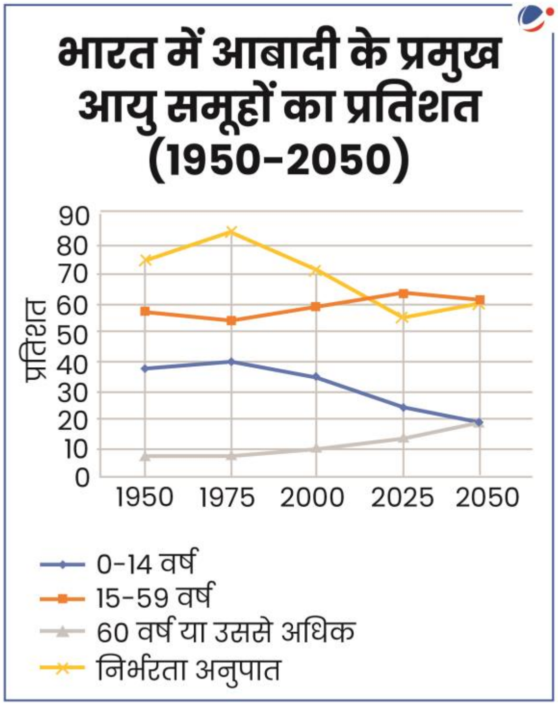

वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल- एक नज़र में

- **जनसांख्यिकीय विशेषताएं:** भारत में वरिष्ठ नागरिक उन्हें कहा जाता है, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। उनकी आबादी वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या के **10% से थोड़ा अधिक** अर्थात **लगभग 104 मिलियन** है।
  - **वरिष्ठ नागरिकों की कुल जनसंख्या का 58% महिलाएं** हैं, जिनमें से **54% विधवाएं** हैं।
  - प्रत्येक **10 में से 7 वरिष्ठ नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों** में रहते हैं।
- **स्वास्थ्य:** 75 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक एक या अधिक क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित हैं, जबकि भारत में लगभग 20% वरिष्ठ नागरिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों का सामना कर रहे हैं।
- **आहार:** भारत में वृद्धि आबादी में खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है।
- **पेंशन:** 78% वृद्ध आबादी बिना पेंशन कवर के जीवन व्यतीत करती है।
- **स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी वित्त तक पहुंच:** वर्तमान में केवल 18% वरिष्ठ नागरिक ही स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किए गए हैं।
  - स्वास्थ्य संबंधी खर्च भारत की शहरी आबादी में ऋणग्रस्तता का प्राथमिक कारण है। 26% शहरी आबादी स्वास्थ्य संबंधी खर्च के कारण ऋणग्रस्त है।

वरिष्ठ नागरिकों के समक्ष चुनौतियां और मुद्दे:

- **स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां:** बुजुर्गों को **गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान** करना एक चुनौती बनी हुई है। ऐसा इस कारण, क्योंकि कई सेवा प्रदाता जैसे नर्सिंग एजेंसियां, फिजियोथेरेपिस्ट आदि बिना परस्पर समन्वय के स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
  - वर्तमान में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली **प्रजनन, मातृ एवं संचारी रोगों और गैर-संचारी रोगों पर केंद्रित** है। इस प्रणाली में वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों के प्रबंधन **को कम प्राथमिकता** दी गई है।
- **सामाजिक क्षेत्र:**
  - **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अंतराल** बना हुआ है। उदाहरण के लिए, केवल 12% बुजुर्ग लोग **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 तथा अन्नपूर्णा योजना** के बारे में जानते हैं।
  - **क्षेत्रीय विभाजन:** ग्रामीण-शहरी असमानता बनी हुई है। ग्रामीण वासियों को प्राप्त सेवाएं अपर्याप्त हैं।

भारत दुनिया भर के उदाहरणों से क्या सीख सकता है:

- **जापान: जापान में स्मार्ट वॉक, स्मार्ट डाइट, स्मार्ट ब्रेथ (धूम्रपान रहित) और स्मार्ट चेक-अप** के माध्यम से एक्टिव एजिंग (बुढ़ापा) को बढ़ावा देने के लिए **"स्वस्थ जापान 21 कार्यक्रम"** चलाया जा रहा है।
- **यूनाइटेड किंगडम:** यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के माध्यम से सभी नागरिकों को मुफ्त लोक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है।
- **जर्मनी:** यहां **स्वास्थ्य देखभाल मुख्य रूप से निजी बीमा कंपनियों** द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि **सरकार नीति-निर्माण में भूमिका** निभाती है।

[129] Senior Care Reforms in India: Reimagining the Senior Care Paradigm

- **लैंगिक असमानता:** पुरुषों की तुलना में वृद्ध महिलाओं की वृद्धावस्था ज्यादा दयनीय होती है, क्योंकि सेवाओं व संसाधनों तक उनकी पहुंच तुलनात्मक रूप से कम होती है।
    - **वृद्ध आबादी के लिए अपर्याप्त अवसंरचना:** जैसे-जैसे लोग वरिष्ठ होते जाते हैं, उन्हें अपर्याप्त अवसंरचना और आर्थिक संसाधनों से संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सुलभ परिवहन, दिव्यांग अनुकूल शौचालय और भवनों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण बुजुर्गों को अक्सर सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। ये सुविधाएं या तो उपलब्ध नहीं हैं या उनका रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है।
- **आर्थिक चुनौतियां:** कई वयस्क दीर्घकालिक देखभाल या जीवन यापन के लिए आवश्यक **पर्याप्त बचत, बीमा या सार्वजनिक या निजी पेंशन नहीं करने की वजह से** बुढ़ापे में समस्या का सामना करते हैं।
    - भारत में लगभग 70% बुजुर्ग अपने दैनिक भरण-पोषण के लिए अपने परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों पर निर्भर हैं।
    - बुजुर्गों के वित्तीय शोषण को **सामाजिक-आर्थिक और लोक स्वास्थ्य की बढ़ती समस्या** के रूप में पहचाना गया है।
- **डिजिटल वर्ल्ड के कारण उत्पन्न चुनौतियां:** बुजुर्गों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक डिजिटल पहुंच की कमी और डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल की अपर्याप्तता है।
    - **एज वेल फाउंडेशन** के एक सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले लगभग 85.8% व्यक्ति डिजिटल रूप से साक्षर नहीं थे और उन्हें कंप्यूटर का उपयोग करना भी नहीं आता था।
- **देखभाल कार्य और देखभाल कर्मियों के योगदान की उपेक्षा:** भारत में देखभाल कार्य और देखभाल कर्मियों को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता है और उन्हें इसके बदले पारिश्रमिक भी कम मिलता है। देखभाल के कार्य को अक्सर कम कौशल वाले कार्य के रूप में देखा जाता है और यह कार्य ज्यादातर महिलाएं करती हैं।

अध्ययन-पत्र में की गई मुख्य सिफारिशें:

- **स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के सशक्तीकरण और वरिष्ठ नागरिकों तथा उनकी देखभाल करने वालों का समावेश** सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:
    - **वरिष्ठ नागरिकों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ावा** देना चाहिए। इससे वृद्धावस्था संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं और इनसे जुड़े जोखिमों के बारे में उनकी समझ बढ़ सकेगी।
    - **स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच बढ़ानी चाहिए।** जैसे स्वास्थ्य शिविरों, घर में देखभाल, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों और अन्य सुलभ प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देना।
    - **निवारक स्वास्थ्य (जिन रोगों को शुरुआत में रोका जा सकता है) उपायों को प्रोत्साहित करना चाहिए।** जैसे स्वास्थ्य जांच, वार्षिक स्वास्थ्य निगरानी और टीकाकरण आदि को बढ़ावा।
    - वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल में अनुसंधान को मजबूत करना चाहिए। साथ ही, वृद्धावस्था स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के **ज्ञान भंडार को बढ़ाने के लिए अनुसंधान संस्थान स्थापित** करना चाहिए।
    - अवसंरचना से जुड़ी कमी को दूर करने के लिए कम लागत वाले/ वाली स्वास्थ्य सेवा वितरण मॉडल/ पद्धतियों को विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही, वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से **सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच तालमेल बढ़ाना** चाहिए।
- **सामाजिक सशक्तीकरण और समावेश सुनिश्चित करने का प्रयास करना:**
    - **जागरूकता:** बुजुर्गों द्वारा अनुभव की जाने वाली जरूरतों और चुनौतियों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इससे उनके सामाजिक समावेशन को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।
    - **कानूनी सुधार:** बुजुर्गों की चिंताओं को दूर करने के लिए कानूनी सुधार भी लागू किए जाने चाहिए। साथ ही, उन्हें उनके **अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए कानूनी जागरूकता** को भी मजबूत किया जाना चाहिए।
    - इसके अलावा, **जीवन सहायक सुविधाओं (ALFs)** के प्रावधान होने चाहिए, जो बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता कर सकते हैं। जैसे **वयस्क डे-केयर और आवासीय देखभाल सुविधाओं** की उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि।
    - **बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक मॉडल का विकास:** पीयर सपोर्ट ग्रुप्स की स्थापना करनी चाहिए, जहां वरिष्ठ नागरिक अलग-अलग समस्याओं के बारे में अपने-अपने अनुभव और सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं।
    - **'वन-स्टॉप' केंद्रीकृत पोर्टल का निर्माण:** वरिष्ठ नागरिक देखभाल सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया जाना चाहिए।

- **आर्थिक सशक्तीकरण और समावेशन सुनिश्चित करने के प्रयास करना:**
    - **बुजुर्ग आबादी को पुन:कौशल प्रदान करना:** आयु-अनुकूल श्रम बाजारों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पहल की जानी चाहिए।
    - **सार्वजनिक धन और अवसंरचना का विस्तार बढ़ाना:** इसके लिए असंगठित क्षेत्र के बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन सहायता प्रदान करना और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए पेंशन राशि को बढ़ाना जरूरी है।
- **डिजिटल सशक्तीकरण और समावेशन सुनिश्चित करने के प्रयास करना:**
    - **डिजिटल उपकरणों तक वरिष्ठ नागरिकों की पहुंच** को बेहतर बनाने के कई तरीके हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल डिवाइस के मूल्य में छूट प्रदान करके उन्हें अधिक किफायती बनाना।
    - इसके अतिरिक्त, विशेषकर बुजुर्ग आबादी के बीच **डिजिटल साक्षरता बढ़ाने पर ध्यान** देना चाहिए।
- इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वृद्ध नागरिक देखभाल केंद्रों के विकास, निजी क्षेत्र बीमा और कौशल-विकास कार्यक्रमों जैसे क्षेत्रों में **सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल (PPP) और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)**[130] **निधि** का उपयोग किया जा सकता है।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सहायता फ्रेमवर्क

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 41:** राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता आदि की दशाओं में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा।
- **भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची:** राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 9 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20, 23 व 24 वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा तथा आर्थिक और सामाजिक नियोजन से संबंधित है।

कानूनी उपाय:

- **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20** संतान के लिए अपने वृद्ध माता-पिता को भरण-पोषण प्रदान करना अनिवार्य बनाती है।
- **आयकर अधिनियम** वरिष्ठ नागरिकों को कर में छूट प्राप्त करने का दावा करने की अनुमति देता है।
- वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007** बनाया गया है।
- **राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) (वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सेवाएं) योजना, 2016** कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले बुजुर्ग नागरिकों को सहायता प्रदान करती है।

नीतिगत समर्थन:

- **वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPOP);**
- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP),** जिसमें इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना (IGNDPS) शामिल हैं;
- **अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY):** यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम है आदि।

कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम:

- **सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक पुनः रोजगार (SACRED)**[131] **पोर्टल:** इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को निजी क्षेत्र के नियोजकों से जोड़ना है।
- **सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पहल:** इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल संबंधी उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया है।

अन्य कल्याणकारी उपाय: अन्य उपायों में वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष; वयोश्रेष्ठ सम्मान; सुगम्य भारत अभियान; राष्ट्रीय वयोश्री योजना आदि शामिल हैं।

भारत में वृद्धजनों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #84: भारत में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी का सशक्तीकरण

[130] Corporate Social Responsibility

[131] Senior Able Citizens for Re-Employment in Dignity

6.2. मासिक धर्म अवकाश नीति (Menstrual Leave Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पिछले कुछ दिनों में भारत में सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश यानी पेड मेंस्ट्रुअल लीव प्रदान करने की नीति के संबंध में कई चर्चाएं हुई।

मासिक धर्म अवकाश नीति क्या है?

यह नीति एक प्रकार का अवकाश प्रदान करती है, जहां महिलाओं और ट्रांस महिलाओं के पास **मासिक धर्म की अवधि के दौरान अपने कार्यस्थल से सवैतनिक छुट्टी** लेने का विकल्प प्राप्त होता है।

भारत में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रदान करने का महत्त्व

- **मूल अधिकारों के अनुरूप:** मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के अनुरूप हो सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, संविधान के **अनुच्छेद 15(3)** के तहत राज्य को **महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान** करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना:** मासिक धर्म के दौरान कई प्रकार के गंभीर लक्षण जैसे ऐंठन और थकान आदि देखे जाते हैं, जो महिलाओं के दैनिक जीवन को प्रभावित करते है।
  - इसके अलावा, कार्यस्थल पर स्वच्छता संबंधी समुचित सुविधाओं में कमी होने से महिलाओं की स्वच्छता और प्रजनन स्वास्थ्य प्रभावित हो सकते हैं।

शब्दावली को जानें

- **प्रेसेंटीज़्म (Presenteeism):** यह उत्पादकता (Productivity) में आने वाली कमी को दर्शाता है। उत्पादकता में यह कमी तब होती है, जब कोई **कर्मचारी** किसी बीमारी, चोट या अन्य परिस्थितियों के कारण **कार्यस्थल पर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं** कर पाता है।

- **उपस्थितिवाद (Presenteeism) को कम करता है:** यह समाज और नियोक्ताओं को एक अवसर प्रदान करेगा, कि वे कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहने से जुड़ी सोच और कार्य के प्रति नैतिकता के दृष्टिकोण की फिर से समीक्षा कर सकें।
  - प्रेजेंटिज्म उस खोई हुई उत्पादकता को कहा जाता है जो तब उत्पन्न होती है जब कर्मचारी किसी बीमारी, चोट या अन्य स्थिति के कारण कार्यस्थल पर पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है।
- **उत्पादकता को बढ़ावा देना:** यह कार्य करने के लिए एक सकारात्मक वातावरण और कार्य संस्कृति का निर्माण करने, समग्र उत्पादकता को बढ़ाने और कार्यस्थल पर स्वस्थ विचारों को बढ़ावा देने में सहायता करेगा।
- **महिलाओं के स्वास्थ्य पर चर्चा न करने संबंधी "मानसिकता" को समाप्त करना:** सभी कर्मचारियों के बीच मासिक धर्म के बारे में चर्चा महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों के लिए समर्थन को बढ़ावा दे सकती है।

भारत में मासिक धर्म अवकाश नीति की स्थिति

- **राष्ट्रीय स्तर पर:**
  - भारत में मासिक धर्म अवकाश को विनियमित करने वाला कोई **कानून नहीं** है और **भारत में 'सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश' के लिए कोई केंद्रीकृत दिशा-निर्देश भी नहीं है।**
  - **मासिक धर्म स्वच्छता नीति-2023 का मसौदा:** यह लैंगिक भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करने और कार्य के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता को पहचानती है, साथ ही यह मासिक धर्म के दौरान छुट्टियों और घर से काम करने के विकल्पों का समर्थन करती है।
  - **महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का अधिकार और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त पहुंच विधेयक, 2022:** यह एक निजी विधेयक है, जो सरकार के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में तीन दिनों का **मासिक धर्म अवकाश** प्रदान करने का प्रस्ताव करता है।
- **राज्य स्तर पर:**
  - **1992: बिहार सरकार** ने एक नीति पेश की, जिसमें महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म की अवधि में हर महीने दो दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जाता है।
  - **2023: केरल सरकार** ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली महिला छात्रों को मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने का प्रावधान किया।
- निजी कंपनियों जैसे **ज़ोमैटो, स्विगी, बायजूज** और कई अन्य कंपनियों ने सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया है, इस प्रकार उन्होंने बेहतर औद्योगिक उदाहरणों के लिए मानक स्थापित किए हैं।

मासिक धर्म अवकाश से संबंधित चुनौतियां

- **कार्यस्थल पर संभावित भेदभाव:** मासिक धर्म के लिए अवकाश प्रदान करने से अनजाने में महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता को जन्म दे सकती है। इससे नियुक्ति, पदोन्नति और समग्र करियर पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **लैंगिक मान्यताओं और अभिवृत्तियों को कायम रखना:** मासिक धर्म अवकाश नीति **लैंगिक रूढ़िवादिता और जैविक नियतिवाद की धारणाओं** को कायम रख सकती है, जैसे यह धारणा होना कि महिलाएं कार्यस्थल के लिए अयोग्य हैं। इस प्रकार यह नीति समाज में लैंगिक भेदभाव को उचित ठहरा सकती है।
- **कर्मचारियों के बीच नाराजगी:** मासिक धर्म की छुट्टियों को समायोजित करने से कार्य बाधित हो सकता है, टीम के अन्य सदस्यों पर काम का बोझ बढ़ सकता है, या उन कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ सकती है जिन्हें समान लाभ नहीं मिल पाता है।
- **नियोक्ता पर वित्तीय बोझ:** अतिरिक्त अवकाश का लाभ प्रदान करने से कंपनी की संचालन लागत में वृद्धि हो सकती है, जिससे बजट और लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव विशेष रूप से लघु व्यवसायों और स्टार्टअप पर पड़ सकता है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र में लागू करना:** अनौपचारिक श्रमिकों, फ्रीलांसरों और गिग श्रमिकों को अक्सर स्थायी कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए मासिक धर्म अवकाश नीति का लाभ ऐसे कर्मियों को देना मुश्किल हो सकता है।
- **सामाजिक कलंक:** मासिक धर्म अवकाश का लाभ प्रदान करने के बावजूद भी सार्वजनिक रूप से मासिक धर्म के मुद्दों पर चर्चा को सामाजिक कलंक समझने के कारण महिला कर्मचारी लाभ लेने में झिझक महसूस कर सकती हैं।

आगे की राह

- **निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देना:** निजी कंपनियों को मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करके और उन्हें महिला भागीदारी को बढ़ावा देने से प्राप्त लाभों से अवगत करवाकर **मासिक धर्म अवकाश नीतियों को लागू** करना चाहिए।
- **कार्यस्थल पर लचीलापन प्रदान करना: ऐसे विकल्पों की तलाश करना जो** महिलाओं को कार्यस्थल पर **लचीलापन प्रदान कर सके** जैसे घर से काम करना, लचीली कार्य अवधि आदि।
- **कार्यस्थल पर मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को बढ़ावा:** स्वच्छता संबंधी सुविधाओं, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए स्थान, और सैनिटरी पैड, टैम्पोन, हीटिंग पैड जैसी आवश्यक आपूर्तियों का भंडारण सुनिश्चित करके **कार्यस्थल पर समावेशी वातावरण स्थापित करना चाहिए।**
- **शिक्षा व जागरूकता:** मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता पर शिक्षा व जागरूकता अभियानों के माध्यम से **मासिक धर्म से जुड़ी गलत मानसिकता को समाप्त करने का प्रयास** करना चाहिए।
- **स्वस्थ कार्य संस्कृति का निर्माण:** बीमारी, बच्चों के लिए पैरेंटल छुट्टी और घूमने के लिए अवकाश आदि के लिए नीतियां बनाकर स्वस्थ कार्य संस्कृति विकसित करने पर विचार किया जाना चाहिए, जो अतिरिक्त सवैतनिक अवकाश के प्रावधान सहित कर्मियों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हो।

मासिक धर्म अवकाश नीति पर वैश्विक पहलें

- **जापान (1947): श्रम कानून** के तहत मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की गई, जहाँ **अनुरोध पर** मासिक धर्म अवकाश दिया जाता है।
- **दक्षिण कोरिया (2001):** श्रम कानून के तहत मासिक **"फिजियोलॉजिकल अवकाश"** का प्रावधान करता है, जिसके तहत सभी महिला कर्मियों को हर महीने एक दिन की छुट्टी मिल सकती है।
- **इंडोनेशिया (2003):** यहां मासिक धर्म में दर्द का अनुभव करने वाली महिला श्रमिकों को उनके मासिक धर्म चक्र के पहले दो दिनों में छुट्टी लेने की अनुमति है।
- **मासिक धर्म अवकाश के प्रावधान वाले अन्य देश:** जाम्बिया, वियतनाम, ताइवान आदि।

6.3. सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2024 {Surrogacy (Regulation) Amendment Rules, 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022** में **संशोधन** कर **सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2024** अधिसूचित किए हैं।

क्या आप जानते हैं?

➤ **मेयर–रोकितांस्की–कुस्टर–हॉसर (MRKH)** एक **जन्मजात दुर्लभ रोग है।** यह **रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र को प्रभावित** करता है और **बंध्यता (Infertility)** का कारण बनता है।

सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के बारे में

- **पृष्ठभूमि:**
  - मार्च, 2023 में **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022** में एक संशोधन किया गया, जिसने **दाता युग्मकों (Donor gametes) के उपयोग पर रोक लगा दी गई थी।** संशोधन में कहा गया था कि सरोगेसी के जरिए बच्चा प्राप्त करने के लिए इच्छुक दंपति के मामले में इच्छुक दंपति (पुरुष और महिला) में किसी एक का युग्मक (शुक्राणु और अंडाणु) होना अनिवार्य है।
    - सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के **नियम 7** के तहत **दाता युग्मकों के उपयोग पर प्रतिबंध** लगा हुआ था।
  - हालांकि, **अक्टूबर 2023** में **अरुण मुथुवेल बनाम भारत संघ वाद** में सुप्रीम कोर्ट ने मेयर-रोकितांस्की-कुस्टर-हॉसर (MRKH) सिंड्रोम वाली एक महिला को डोनर से प्राप्त अंडाणु के साथ सरोगेसी की अनुमति दे दी।
    - न्यायालय ने कहा कि 2022 का **संशोधन** इच्छुक दंपति को सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने से रोकता है और **प्रथम दृष्टया** सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के उद्देश्य के विपरीत है।

सरोगेसी के प्रकार

- **परोपकारी (Altruistic) सरोगेसी:** इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अतिरिक्त, सरोगेट मां को **कोई मौद्रिक लाभ नहीं दिया जाता है।**
- **वाणिज्यिक सरोगेसी:** इसमें सरोगेसी या इससे संबंधित ऐसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो **मौद्रिक लाभ या इनाम (नकद या वस्तु के रूप में) के लिए की जाती हैं,** जो मूल चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज से अधिक होती है।
  - गौरतलब है कि **सरकार ने 2015 से भारत में विदेशी नागरिकों के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया है।**

- **हालिया संशोधन:** 2024 में **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022** में किया गया हालिया संशोधन **एक दाता युग्मक का उपयोग करके सरोगेसी की अनुमति** देता है।
  - यदि **जिला चिकित्सा बोर्ड** यह प्रमाणित करता है कि **इच्छुक दंपत्ति** चिकित्सकीय रूप से संतान पैदा करने में असमर्थ है तथा उसे किसी अन्य **डोनर** के **युग्मक (शुक्राणु या अंडाणु)** की आवश्यकता होगी, तो ऐसे में डोनर से प्राप्त युग्मक (Gamete) का उपयोग करके सरोगेसी की जा सकती है। हालांकि, सरोगेसी के जरिए पैदा होने वाले बच्चे में इच्छुक दंपत्ति में से किसी न किसी एक का युग्मक जरुर होना चाहिए।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के बारे में

भारत में सरोगेसी को **सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021** और इस अधिनियम के तहत बनाए गए **नियमों** के तहत विनियमित किया जाता है।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **सरोगेसी की परिभाषा:** यह अधिनियम सरोगेसी को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है, जहां **एक महिला एक इच्छुक जोड़े के लिए बच्चे को जन्म देती है** और जन्म के बाद बच्चे को संबंधित जोड़े को वापस कर देने का इरादा रखती है।
- **सरोगेसी का विनियमन:**
  - यह अधिनियम परोपकारी (Altruistic) सरोगेसी की अनुमति देते हुए **व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध** लगाता है।

- इसमें सरोगेसी क्लीनिकों के लिए **अनिवार्य पंजीकरण** का प्रावधान है।
- **सरोगेसी के लिए स्वीकार्य कारणों का निर्धारण:**
  - सरोगेसी की अनुमति ऐसे इच्छुक दंपति को दी जाती है जिनके चिकित्सीय लक्षण **जेस्टेशनल सरोगेसी को आवश्यक बनाते हैं।**
  - **परोपकारी सरोगेसी उद्देश्यों** के लिए,
  - यह अनुमति **बिक्री, वेश्यावृत्ति या किसी अन्य प्रकार के शोषण** के लिए बच्चे पैदा करने के लिए नहीं दी जाती है।
  - यह विनियमों के तहत वर्णित **किसी भी विकार या बीमारी** के होने पर भी किया जा सकता है।

- **सरोगेट मां के लिए पात्रता मानदंड:**
  - सरोगेट मां **25 से 35 वर्ष की उम्र के बीच** की **इच्छुक और विवाहित महिला** होनी चाहिए और उसका **अपना एक बच्चा** होना चाहिए।
  - किसी भी महिला को **अपने जीवनकाल में केवल एक बार सरोगेट मां बनने की अनुमति** है।
  - सरोगेट मां के पास किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से सरोगेसी के लिए **चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र** होना चाहिए।
- **सरोगेसी के माध्यम से संतान के इच्छुक दंपतियों के लिए पात्रता मानदंड:** इच्छुक दंपति के पास उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी **"अनिवार्यता का प्रमाण-पत्र"** और **"पात्रता का प्रमाण-पत्र"** होना चाहिए (इन्फोग्राफिक देखें)।
- अधिनियम के मुताबिक, **35 से 45 साल के बीच की भारतीय विधवा या तलाकशुदा भारतीय महिलाएं** भी अन्य शर्तें पूरी करने पर **सरोगेसी का विकल्प चुन सकती** हैं।
- **सरोगेट बच्चे के अधिकार: सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे को इच्छुक दंपति या इच्छुक महिला का जैविक बच्चा माना जाता है** और वह प्राकृतिक रूप से जन्मे बच्चे के लिए उपलब्ध सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है।
- **गर्भपात का निषेध:** कोई भी व्यक्ति, संगठन, सरोगेसी क्लिनिक, प्रयोगशाला या नैदानिक प्रतिष्ठान सरोगेट मां को सरोगेसी के किसी भी चरण में गर्भपात के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। हालांकि यह निर्धारित शर्तों के तहत किया जा सकता है।
- **सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी के लिए राष्ट्रीय बोर्ड:** इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा की जाती हैं। इसके कार्यों में शामिल हैं-
  - सरोगेसी से संबंधित नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना,
  - कानून को लागू करने के लिए समीक्षा और निगरानी करना,
  - सरोगेसी क्लीनिकों के लिए आचार संहिता स्थापित करना,
  - सरोगेसी संबंधी प्रतिष्ठानों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भौतिक अवसंरचना, प्रयोगशाला और नैदानिक उपकरणों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना और उपयोग किये जाने वाले विशेषज्ञ मानव संसाधन की योग्यता निर्धारित करना,
  - कानून के तहत गठित अलग-अलग संस्थाओं के प्रदर्शन की निगरानी करना;
  - राज्य द्वारा सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों के काम-काज का पर्यवेक्षण करना।
- **राज्य द्वारा सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड:** राज्य स्तर और विधान-मंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य द्वारा सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाता है।

भारत में सरोगेसी विनियमन फ्रेमवर्क से जुड़े मुद्दे

- **व्यावसायिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध:** यह व्यावसायिक सरोगेसी को बिना लाइसेंस वाले एक चोरी-छिपे व्यवसाय में बदल सकता है।
  - व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध, महिलाओं को वित्तीय लाभ के लिए अपनी प्रजनन क्षमताओं का उपयोग करने से रोकता है।
  - 2016 में, **देविका विश्वास बनाम भारत संघ वाद** में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) में प्रजनन का अधिकार भी शामिल है।
- **परोपकारी सरोगेट माताओं की सीमित उपलब्धता:** सीमित उपलब्धता के कारण सरोगेसी प्रक्रिया से गुजरने के इच्छुक परोपकारी सरोगेट्स को ढूंढना मुश्किल हो सकता है।
- **पितृसत्तात्मक मानदंडों की बढ़ावा:** इसके अतिरिक्त, परोपकारी सरोगेसी की प्रथा पितृसत्तात्मक मानदंडों को मजबूत कर सकती है क्योंकि इससे परिवारों के भीतर कमजोर महिलाओं को सरोगेट बनने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
  - इस प्रकार, इससे महिलाओं के प्रजनन संबंधी विकल्पों पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण मजबूत हो सकता है।

आगे की राह

- **जागरूकता का प्रसार:** सरोगेट माताओं के शोषण को रोकने के लिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उन्हें अपने अधिकारों और संबंधित खतरों के बारे में पूरी जानकारी हो ताकि वे उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपनी सहमति दे सकें।
- **शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना:** "करीबी रिश्तेदार" और "बंध्यता" जैसी शब्दावलियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, बंध्यता की परिभाषा का विस्तार किया जाना चाहिए और इसमें संतान के इच्छुक माता-पिता की चिकित्सा स्थितियों और बीमारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- **आयु सीमा कम करना:** सरोगेसी को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, सरोगेसी के लिए इच्छुक महिलाओं की आयु सीमा को घटाकर न्यूनतम 35 वर्ष से कम किया जाना चाहिए।
- **अधिक समावेशी बनाना:** सरोगेसी की प्रक्रिया में अविवाहित महिलाओं, समलैंगिक जोड़ों तथा अविवाहित और सिंगल पुरुषों को भी शामिल करने की संभावना की खोज की जानी चाहिए।

6.4. राष्ट्रीय आयुष मिशन (National Ayush Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने **राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) पर एक व्यापक रिपोर्ट** जारी की है।

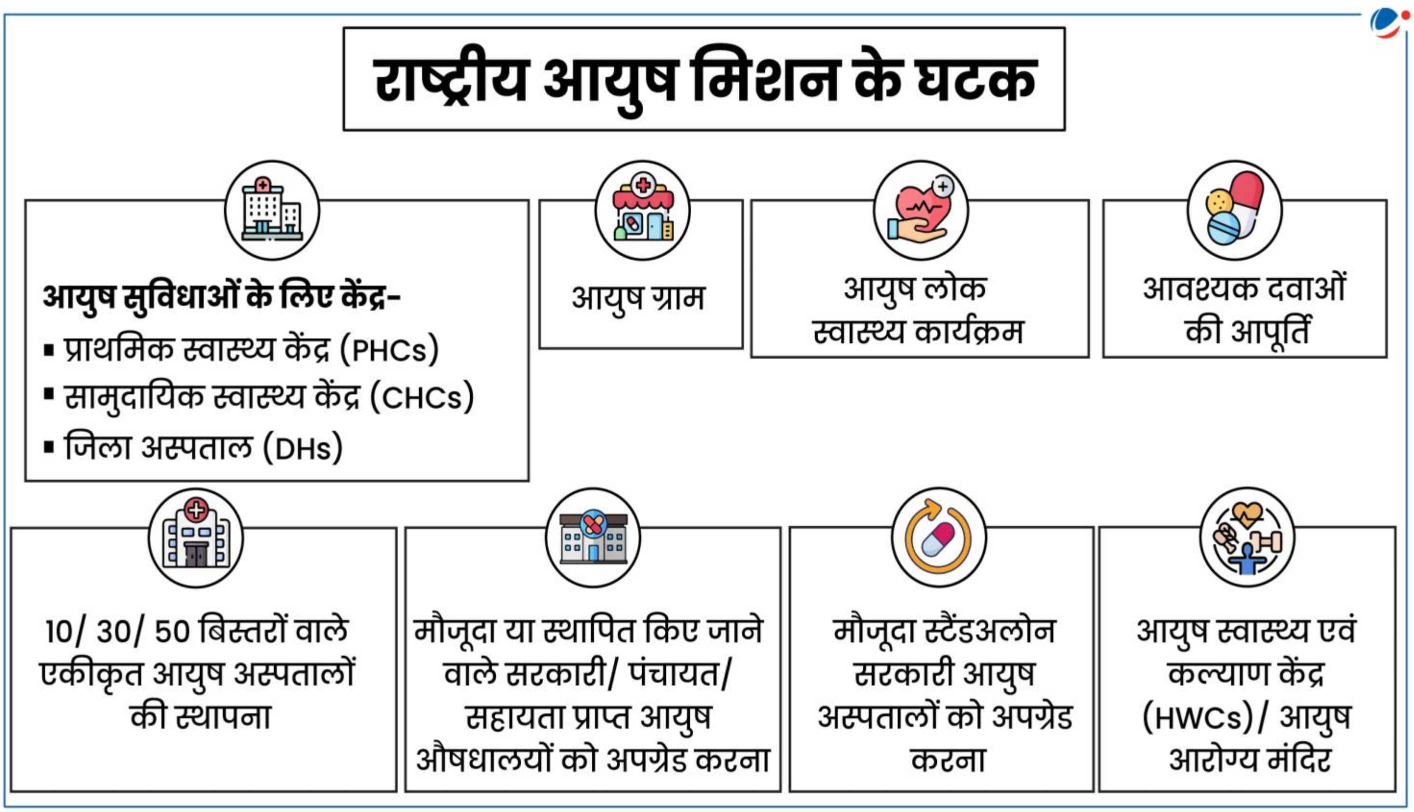

राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) के बारे में

- यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- इसकी शुरुआत **2014 में आयुष मंत्रालय** ने की थी। इसका उद्देश्य **भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों** - आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी (AYUSH) - के विकास, शिक्षा और प्रचार-प्रसार पर ध्यान केंद्रित करना है।
- **उद्देश्य:**
  - आयुष सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना।
  - इन चिकित्सा पद्धतियों में प्रयुक्त होने वाले औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना।

- आयुष के लिए शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करना।
- आयुष पद्धतियों के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

- **अवधि:** 2026 तक
- **राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) की उपलब्धियां:** 2020-21 में 1.50 करोड़ लाभार्थी थे, जो बढ़कर 2022-23 में 8.42 करोड़ हो गए।

रिपोर्ट में बताई गई चुनौतियां

- **आवंटित निधि का पूर्ण उपयोग नहीं करना:** 2022-23 के संशोधित अनुमान के अनुसार, केवल 85% निधि का उपयोग आयुष मिशन के लिए किया गया।
- **दवाओं की गुणवत्ता से संबंधित चिंताएं:** मिशन के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आयुष दवाओं में उच्च धात्विक सामग्री के उपयोग को लेकर चिंताएं जताई गई है। यह उच्च धात्विक सामग्री लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है।
- **अवसंरचना का अभाव:** NAM के तहत स्वीकृत एकीकृत आयुष अस्पतालों में से 69% अभी भी या तो निर्माणाधीन हैं या फिर निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा, **स्वीकृत A-HWCs में से अब तक केवल 65% ही स्थापित किए गए हैं।**
- **प्रशासनिक देरी:** मिशन के तहत कई कार्यों में देरी की प्रवृत्ति देखी गई है, जैसे- वित्त के आवंटन में देरी, संस्थाओं के बीच ओवरलैपिंग, कार्यों और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स (UCs) जमा करने में देरी इत्यादि।
- **आयुष के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक अवसरंचना का अभाव:** मौजूदा हालत यह है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो आयुष का एक अलग विभाग तक नहीं है।
- **सोवा रिग्पा पद्धति को राष्ट्रीय आयुष मिशन से बाहर करना।**

आगे की राह: रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों पर एक नज़र

- **गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण को गहन बनाना:**
  - **इसके लिए उन्नत विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं** और ठोस परीक्षण प्रोटोकॉल में **निवेश करने की** आवश्यकता है।
  - आयुष दवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की नकारात्मक घटना की रिपोर्ट करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों और उपभोक्ताओं के लिए **यूजर-फ्रेंडली सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए।**
  - आयुष दवाओं का निरंतर क्लिनिकल ट्रायल्स और उनकी प्रभावकारिता की निगरानी के लिए आयुष दवाओं की **सुव्यवस्थित तरीके से बाजार में आने के बाद भी निगरानी करने की जानी चाहिए।**
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्मित बेंचमार्क्स के साथ **आयुष गुणवत्ता के मानकों का सामंजस्य** स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।
- **अनुसंधान और साक्ष्य-आधारित पद्धतियों को बढ़ावा देना:**
  - आयुष थैरेपी की प्रभावशीलता और सुरक्षा हेतु **उच्च गुणवत्ता वाले क्लिनिकल रिसर्च के लिए वित्त को बढ़ावा** देने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ चिकालिक रोगों और निवारक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने की भी जरूरत है।
  - **आयुष और एलोपैथिक शोधकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए।**

- **स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों से रोगी-डेटा लिया जाना चाहिए।** इस डेटा का इस्तेमाल उन्नत अवसरंचना, अनुसंधान कौशल में आयुष चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने और डेटा संग्रह को मानकीकृत करने जैसे उपायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर महामारी विज्ञान का अध्ययन करने हेतु करना चाहिए।
- **एकीकरण अंतराल को खत्म करना:**
  - आयुष और एलोपैथिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के बीच स्पष्ट **रेफरल मार्ग और सहयोगात्मक प्रोटोकॉल** विकसित करना।
  - **आयुष चिकित्सकों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए टीम** और सामुदायिक स्वास्थ्य अभियानों में एकीकृत करना।
- प्रशासनिक देरी की समस्या का समाधान करने के लिए A-HWCs के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं बनाई जा सकती है।

  साथ ही, मौजूदा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते है। इसके अलावा, बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके इस समस्या से निपटा जा सकता है।
- **उपभोक्ता के विश्वास और समर्थन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की आवश्यकता है-**
  - आयुष प्रणाली के **साइंटिफिक बेसिस** और इसके लाभों पर प्रकाश डालने के लिए एक **राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान** चलाने की आवश्यकता है।
  - आयुष दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के बारे में **उत्तरदायी विज्ञापन और रोगी शिक्षा को बढ़ावा दिए** जाने की जरूरत है।

केस स्टडी: चीन की पारंपरिक चीनी चिकित्सा (TCM)[132] नीति से सीख

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ एकीकरण:** TCM बीमा कवरेज और एक आवश्यक दवा सूची का हिस्सा है। इसके अलावा, TCM को आधुनिक चिकित्सा उपचार सुविधाओं के साथ भी एकीकृत किया गया है।
- **नवाचार:** चीन के अंदर आधुनिक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में पहले से ही TCM शिक्षा शामिल है। इसके अतिरिक्त, विविध विषयों के साथ अग्रणी TCM विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
- **वैश्वीकरण:** TCM का वैश्वीकरण चीन की विदेश नीति का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस बात का प्रमाण यह है कि चीन के बाहर के शैक्षणिक संस्थान TCM में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दे रहे हैं।

6.5. उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-2022 {All-India Survey On Higher Education (AISHE) 2021-2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2021-2022 जारी किया है।

उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) के बारे में

- AISHE का आयोजन पहली बार 2011 में किया गया था।
- यह सर्वेक्षण बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बाद से निरंतर जारी किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का आयोजन उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (**HESPIS**)[133] योजना के तहत किया जाता है।
- इसका उद्देश्य देश में **उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को कवर** करना है।

AISHE के तहत संस्थानों को निम्नलिखित तीन व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है:

- **विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान:** इसके अंदर ऐसे संस्थान शामिल किए गए है जिन्हें संसद या राज्य विधान-मंडल के किसी अधिनियम के तहत **डिग्री देने का अधिकार** है।
- **कॉलेज/ संस्थान:** इसके अंदर ऐसे **कॉलेज/** संस्थान शामिल किए गए है जिन्हें **अपने नाम पर डिग्री देने का अधिकार नहीं** है और इन्हें **किसी विश्वविद्यालयों से संबद्ध/ मान्यता प्राप्त है।**
- **स्टैंड-अलोन संस्थान (विश्वविद्यालयों से संबद्ध नहीं):** इन संस्थानों द्वारा आम तौर पर **डिप्लोमा/ PG डिप्लोमा** स्तर के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसके लिए उन्हें एक या अन्य वैधानिक निकायों से मान्यता की आवश्यकता होती है, जैसे- पॉलिटेक्निक कॉलेज।

- सर्वेक्षण में पहली बार, उच्चतर शिक्षा के सभी प्रमुख हितधारकों ने डेटा जुटाने के कार्य में हिस्सा लिया। प्रमुख हितधारकों में अग्रलिखित शामिल है- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद और राज्य सरकारें।

---

[132] Traditional Chinese Medicine

[133] Scheme Higher Education Statistics and Public Information System

- सर्वेक्षण का आयोजन **इलेक्ट्रॉनिक मोड** के जरिए किया गया था। इस कार्य के लिए एक **समर्पित पोर्टल** भी बनाया गया है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

संस्थानों की संख्या	• पंजीकृत विश्वविद्यालयों/ विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की कुल संख्या **1,168** है। **कॉलेजों की कुल संख्या 45,473 है और स्टैंड अलोन संस्थानों की कुल संख्या 12,002** है। • 17 विश्वविद्यालय (इनमें से 14 राज्य स्तरीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं) और 4,470 कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं। • **कुल विश्वविद्यालयों का 58.6% सरकारी विश्वविद्यालय** हैं। गौरतलब है कि कुल नामांकन में 73.7% हिस्सा **सरकारी विश्वविद्यालयों** का है जबकि 26.3% हिस्सा निजी विश्वविद्यालयों का है।

छात्र नामांकन	• उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन **2020-21 में 4.14 करोड़** था। **यह 2021-22 में बढ़कर लगभग 4.33 करोड़** हो गया।
	  ○ भारत में 18-23 वर्ष के आयु वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा में अनुमानित सकल नामांकन अनुपात **(GER)**[134] 28.4 है।
	  ○ HEIs में GER का कुल वैश्विक औसत 40% है। भारत का GER वैश्विक औसत की तुलना में काफी कम है।
	  ○ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए, GER क्रमशः 25.9 और 21.2 है।
	• **लिंग समानता सूचकांक (GPI)**[135] **2021-22** के अनुसार, पुरुष GER की तुलना में **महिला GER** का अनुपात **1.01** है।
	  ○ 2017-18 से GPI लगातार 1 से ऊपर बना हुआ है। इसका तात्पर्य है कि लगातार पांचवें साल महिला GER, पुरुष GER की तुलना में अधिक बना हुआ है।
	• स्नातक स्तर पर नामांकन दर कला संकाय **(34.2%)** में सर्वाधिक है। इसके बाद **विज्ञान (14.8%)**, वाणिज्य (13.3%) और इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (11.8%) का स्थान है।
	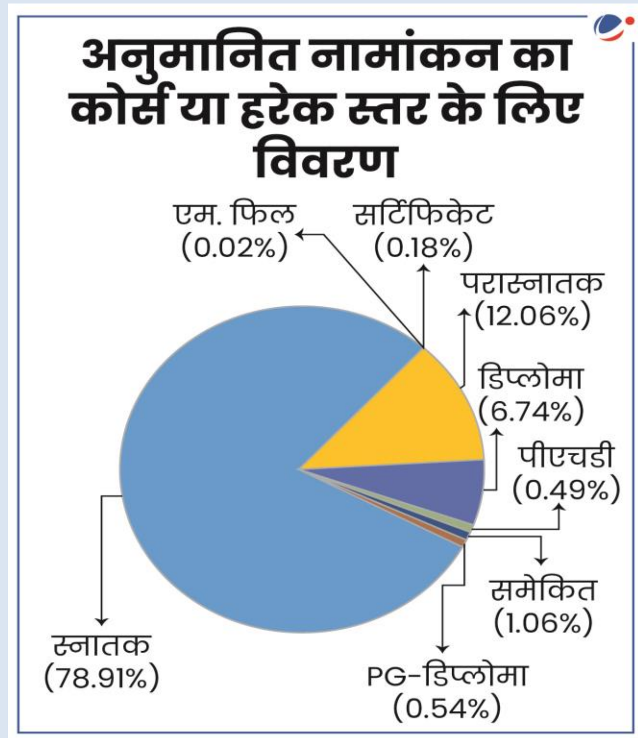

संस्थानों के लिए अवसंरचना की उपलब्धता	• 2020-21 में HEIs में विभिन्न अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता:
	  ○ पुस्तकालय (97%)
	  ○ प्रयोगशालाएं (88%)
	  ○ कंप्यूटर सेंटर्स (91%); 2019-20 में यह 86 प्रतिशत था।
	  ○ कौशल विकास केंद्र (61%); 2019-20 में यह 58 प्रतिशत था।
	  ○ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से कनेक्टिविटी (56%); 2019-20 में यह 34 प्रतिशत था।

विदेशी छात्रों का प्रतिनिधित्व	• भारत के अंदर 46,878 विदेशी छात्र अध्ययनरत हैं। सबसे ज्यादा प्रतिशत (28%) नेपाली छात्रों का है। इसके बाद **अफगानिस्तान (6.7%) का स्थान** है। • सबसे अधिक संख्या में विदेशी छात्र **स्नातक पाठ्यक्रमों (74.8%) में नामांकित** हैं। इसके बाद **स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (15.8%) का स्थान** आता है।

[134] Gross Enrolment Ratio

[135] Gender Parity Index

संबंधित सुर्ख़ियां

HEIs के लिए प्रत्यायन प्रणाली (Accreditation System for HEIs)

- सरकार HEIs के लिए प्रत्यायन प्रणाली में व्यापक बदलाव करने की योजना बना रही है।
- हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने **डॉ. राधाकृष्णन समिति** की सिफारिश के अनुसार HEIs की प्रत्यायन प्रणाली में प्रस्तावित सुधारों को स्वीकार कर लिया है।
  - गौरतलब है कि **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में इस बात की परिकल्पना की गई थी कि HEIs के मूल्यांकन और प्रत्यायन** को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
  - **प्रत्यायन** दरअसल शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन है।
- **डॉ. राधाकृष्णन समिति की प्रमुख सिफारिशों पर एक नजर:**
  - **समग्र मूल्यांकन प्रणाली (CAS)**[136]**:** इसका उद्देश्य कार्यक्रम-प्रत्यायन और संस्थागत-प्रत्यायन को एक एकीकृत ढांचे में मिलाना है।
  - **समिति ने बाइनरी प्रत्यायन** का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत संस्थानों को मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
    - राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) की कार्यकारी समिति ने इसे **अगले चार महीनों में लागू** करने का निर्णय लिया है।
    - इसके बाद वर्तमान पद्धति के अनुसार कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  - **मैच्योरिटी-आधारित ग्रेडेड प्रत्यायन:** इसके तहत HEIs को लेवल 1 से लेवल 5 के बीच वर्गीकृत किया जाएगा। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य HEIs को विभिन्न विषयों में गहराई या व्यापक रूप से विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करना है।।
  - NAAC ने इसे **दिसंबर 2024** तक लागू करने का फैसला किया है।
  - **वन नेशन वन डेटा प्लेटफॉर्म:** समिति ने इसकी सिफारिश संस्थागत डेटा के संचालन में अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की है।
  - **हितधारक का सत्यापन:** इसका उद्देश्य प्रत्यायन और रैंकिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हितधारकों को प्रभावी ढंग से एकीकृत करना है।
  - **अन्य प्रस्ताव:** समिति ने विविध उपयोगकर्ताओं के लिए एक विकल्प आधारित रैंकिंग प्रणाली का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त, समिति ने प्रक्रिया को अधिक कुशल और कम बोझिल बनाने के लिए HEIs के लिए पुनः प्रत्यायन की आवधिकता पर फिर से विचार करने की सिफारिश की है।

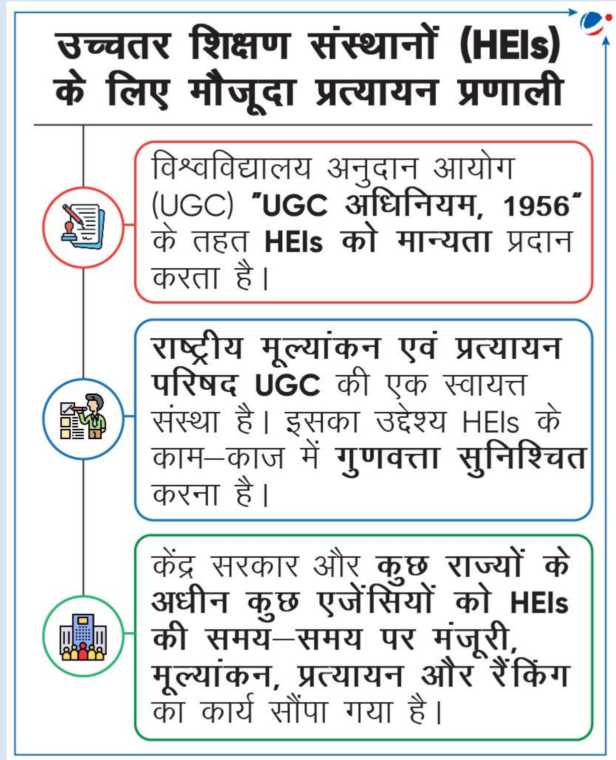

भारत में उच्चतर शिक्षा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #57: भारत में उच्चतर शिक्षाः हमारे भविष्य की बुनियाद

6.6. एलायंस फॉर ग्लोबल गुड- जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी (Alliance for Global Good-Gender Equity and Equality)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत ने "एलायंस फॉर ग्लोबल गुड- जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी" की घोषणा की।

---

[136] Composite Assessment System

"एलायंस फॉर ग्लोबल गुड- जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी" के बारे में

- यह एलायंस सरकारों, उद्योग और विकास संगठनों का एक समूह है।
- यह पहल/ एलायंस **G-20 लीडर्स घोषणा-पत्र** में की गई **प्रतिबद्धताओं और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत के समर्पण** पर आधारित है।
- **उद्देश्य**: वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को एक साथ लाना; ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना तथा महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम जैसे प्रमुख क्षेत्रकों में निवेश को आकर्षित करना।
- **एलायंस/ गठबंधन के मुख्य भागीदार:**
  - **नेटवर्क भागीदार:** विश्व आर्थिक मंच
  - **संस्थागत भागीदार:** इन्वेस्ट इंडिया
  - **समर्थन:** बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
  - **एंकर/ संचालन:** कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) सेंटर फॉर वीमेन लीडरशिप
    - कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर फॉर वीमेन लीडरशिप की शुरुआत 2023 में **भारत सरकार** ने **नई दिल्ली** में CII की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में की थी। इसे **बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन** के साथ साझेदारी में बनाया गया था।
- यह गठबंधन **एंगेजमेंट ग्रुप** की गतिविधियों और **G-20 फ्रेमवर्क की पहलों** का अनुसरण करेगा-
  - **बिजनेस 20 (B20):** B-20 की स्थापना 2010 में वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G-20 संवाद मंच के रूप में की गई थी। **2023** में **बिजनेस 20** शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी।
  - **वीमेन 20:** यह लैंगिक समानता पर केंद्रित G-20 का आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप है।
  - **महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तीकरण और प्रगति के लिए G-20 गठबंधन**[137]: यह G-20 बिजनेस लीडर्स और सरकारों का गठबंधन है, जिसे 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्रक में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तीकरण को बढ़ाना है।

संबंधित सुर्ख़ियां

स्वाति (SWATI) पोर्टल

- भारत सरकार के **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने "साइंस फॉर वीमेन-ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन (SWATI)"** पोर्टल शुरू किया है।
  - यह **STEMM**[138] विषयों से जुड़ी भारतीय महिलाओं व लड़कियों के लिए **एकल ऑनलाइन पोर्टल** के रूप में कार्य करेगा।
  - **उद्देश्य:** प्रत्येक भारतीय महिला वैज्ञानिक को इससे जोड़ने के कार्य में तेजी लाना। साथ ही समानता, विविधता और समावेशिता पर आधारित दीर्घकालिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।
  - इसका विकास, होस्टिंग और रख-रखाव **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च (NIPGR), नई दिल्ली** करेगा।

[137] G-20 Alliance for the Empowerment and Progression of Women's Economic Representation: G-20 EMPOWER

[138] Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Medicine/ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा

6.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.7.1. दत्तक ग्रहण (Adoption)

- दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि “बच्चे को गोद लेने का अधिकार” संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार नहीं है।
- साथ ही, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि "गोद लेने के अधिकार" को उस स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता, जिसमें भविष्य में गोद लेने के इच्छुक माता-पिता (PAPs)[139] **अधिकार के रूप में यह मांग करे** कि वे किस बच्चे को गोद लें।
- इसलिए, **कोर्ट ने दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की धारा 5(7) को बरकरार** रखा है।
    - **धारा 5(7)** के तहत दो या दो से अधिक जैविक बच्चों (खुद के बच्चे) वाले दंपति केवल **विशेष जरूरतों वाले (Special needs) बच्चों और हार्ड टू प्लेस बच्चे** को गोद ले सकते हैं। यह प्रावधान **कानून बनने से पहले से लागू** माना गया है।
        - **विशेष जरूरतों वाले बच्चे** से आशय उस बच्चे से है, जो **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में उल्लिखित किसी भी दिव्यांगता श्रेणी** के हैं।
        - **हार्ड टू प्लेस बच्चे** से आशय ऐसे बच्चे से है, जिसे शारीरिक दोष या मानसिक विकारों की वजह से उल्लिखित प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी अभी तक गोद नहीं लिया गया है।
    - **धारा 5(2)** के तहत अन्य PAPs (जिनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) जिनके जैविक बच्चे (बेटा या बेटी) हैं या नहीं हैं, **निम्नलिखित शर्तों के तहत बच्चा गोद ले सकते हैं:**
        - दंपत्ति के मामले में पति और पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है
        - सिंगल महिला लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकती है।
        - सिंगल पुरुष लड़की को गोद नहीं ले सकता है।
- 2022 के विनियम **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act 2015)** के तहत जारी किए गए हैं।

JJ एक्ट 2015 (2021 में संशोधित) के बारे में

- JJ अधिनियम, 2015 एक **पंथ-निरपेक्ष अधिनियम** है। इसका अर्थ है कि यह कानून किसी भी धर्म के व्यक्ति को गोद लेने की अनुमति देता है। यह कानून **अनाथ / परित्यक्त / सुपुर्द किए गए (Surrendered) बच्चों को गोद लेने से संबंधित प्रक्रिया** निर्धारित करता है।
    - **हिंदू दत्तक ग्रहण भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA)** भी भारत में गोद लेने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, लेकिन यह केवल **हिंदुओं पर ही लागू** होता है
- इस कानून के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)** की स्थापना की है।
    - CARA भारतीय बच्चों के **देश में ही या किसी अन्य देश के व्यक्ति द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी और विनियमन** करने के लिए **नोडल संस्था** है।

[139] Prospective Adoptive Parents

6.7.2. घर पोर्टल (Ghar Portal)

- **घर/ GHAR (गो होम एंड रि-यूनाइट) पोर्टल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)** ने लॉन्च किया था।
    - यह पोर्टल **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015** के तहत जारी प्रोटोकॉल के अनुसार **बालकों के पुनर्वास और घर-वापसी की डिजिटल माध्यम से निगरानी** करता है।
- **NCPCR के बारे में:**
    - यह **बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा** के लिए सर्वोच्च संस्था है।
    - इसे **बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत गठित** किया गया है।
        - यह एक सांविधिक संस्था है।
    - इसमें **1 अध्यक्ष और 6 सदस्य** होते हैं।
    - यह अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रति वर्ष **केंद्र सरकार** को प्रस्तुत करता है।
    - NCPCR को **POCSO अधिनियम (2012) तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)** के तहत भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
    - **POCSO अधिनियम:** लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम।

6.7.3. शिक्षा मंत्रालय (MoE) - AICTE निवेशक नेटवर्क {Ministry of Education (MOE) - AICTE Investor Network}

- शिक्षा मंत्रालय ने **MoE-AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क** लॉन्च किया है। इसे AICTE और MoE के **इनोवेशन सेल (MIC)** ने संयुक्त रूप से स्थापित किया है।
    - **AICTE:** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद।
- इसका उद्देश्य **नवाचार की संस्कृति को मजबूत करने और स्टार्ट-अप फंडिंग के मुद्दे के समाधान के लिए छात्रों, शिक्षकों, निवेशकों और बाजार को एक प्लेटफॉर्म** पर लाना है।

* यह **छात्रों या शिक्षकों के नेतृत्व वाले प्रारंभिक चरण के स्टार्ट-अप्स को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता, सलाह और रणनीतिक मार्गदर्शन** प्रदान करेगा।

6.7.4. विदेश में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों को सहायता (Upport To Students for Participating In Competitions Abroad: SSPCA)

* SSPA को **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)** ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य **भारतीय छात्रों को तकनीकी शिक्षा में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु सक्षम बनाना** है।
* **उद्देश्य:** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **वैज्ञानिक कार्यक्रमों से जुड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए न्यूनतम 2 से 10 बैचलर छात्रों की एक टीम को यात्रा सहायता पंजीकरण शुल्क** प्रदान करना।
* **पात्रता:**
    * तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में **छात्रों की एक टीम जो AICTE द्वारा मंजूरी प्राप्त तकनीकी संस्थान में AICTE द्वारा अधिसूचित तकनीकी कोर्स में** दाखिला लिए हुए है।
* **अनुदान:** संपूर्ण राशि, जिसकी अधिकतम सीमा **1 लाख रुपये प्रति छात्र** है, प्रतियोगिता पूरी होने के बाद छात्र को दी जाएगी।

6.7.5. डिजिटल डिटॉक्स (Digital Detox)

* **कर्नाटक** सरकार ने **ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम (AIGDF) और NIMHANS** के सहयोग से "डिजिटल डिटॉक्स पहल" का शुभारंभ किया है।
* **डिजिटल डिटॉक्स** उस समय-अवधि को कहते हैं, जिसके दौरान कोई व्यक्ति मोबाइल, लैपटॉप जैसे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जानबूझकर कम समय बिताता है।
* इस पहल का उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से **रिस्पॉन्सिबल गेमिंग** सुनिश्चित करना है:
    * जागरूकता बढ़ाकर,
    * व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए डिजिटल डिटॉक्स केंद्रों की स्थापना करके,
    * कार्यशालाओं के माध्यम से सामुदायिक कनेक्शन आदि।
* **डिजिटल डिटॉक्स की आवश्यकता क्यों है?**
    * मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए,
    * किसी कार्य पर सही से फोकस न कर पाने की समस्या के समाधान के लिए, और
    * प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण वास्तविक दुनिया के संबंधों में आए तनाव को दूर करने के लिए आदि।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

wwww.visionias.in
8468022022, 9019066066

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

PT365 की विशेषताएं

व्यापक कवरेज
- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी
- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

QR आधारित स्मार्ट क्विज
- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स
- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

सरकारी योजनाएं और नीतियां
- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

नया क्या है?
- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्त्व

रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्ख़ियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. क्रिटिकल टेक क्षेत्रक (Critical Tech Sectors)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)[140] ने **क्रिटिकल टेक क्षेत्रक के लिए ड्राफ्ट रोडमैप्स** जारी किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

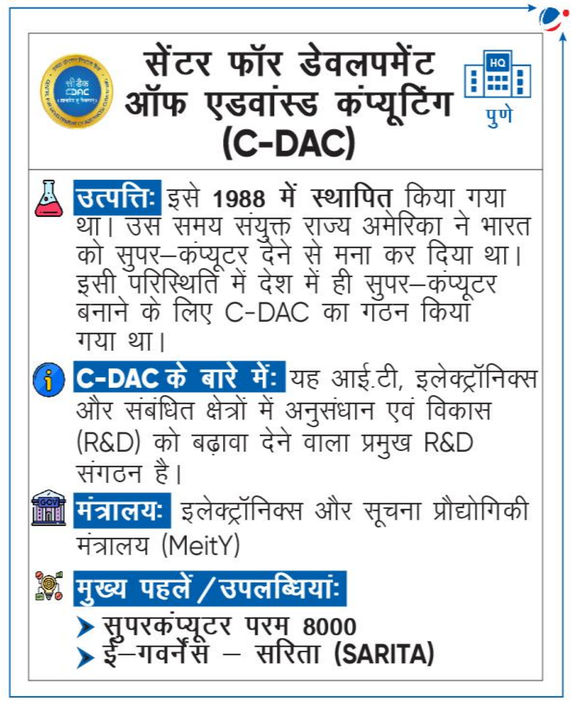

- ये ड्राफ्ट रोडमैप्स **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC)** द्वारा तैयार किए गए हैं। इसके तहत **क्रिटिकल क्षेत्रकों में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के स्वदेशीकरण** पर जोर दिया गया है।
- इनका **लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ यानी 2047 तक कई मुद्दों को हल करना है।** साथ ही, इसमें **विशिष्ट घरेलू शोध लक्ष्यों को भी रेखांकित किया गया है।**
- ये रोडमैप्स हितधारकों के प्रयासों में तालमेल बिठाने का लक्ष्य रखते हैं, ताकि इन **प्रयासों को नीति आयोग की अनुसंधान एवं विकास रणनीति के अनुरूप** रखा जा सके।

क्रिटिकल टेक क्षेत्रक क्या हैं?

- **क्रिटिकल टेक ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जिन्हें सरकार द्वारा देश की-**
    - भावी आर्थिक संवृद्धि,
    - राष्ट्रीय सुरक्षा, और
    - तकनीकी उन्नति के लिए **'महत्वपूर्ण' के रूप में चिन्हित किया जाता है।**
- **इनमें अक्सर शामिल होते हैं:**
    - अत्याधुनिक अनुसंधान,
    - नवाचार, और
    - सामरिक महत्त्व।
- आम तौर पर **सरकार** इन क्षेत्रकों की **अधिक निगरानी करती** है। साथ ही इनसे संबंधित प्रौद्योगिकी में निवेश के माहौल में सुधार होता है।
- क्रिटिकल टेक **राज्य के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में शामिल होते** हैं।
    - ऐसा इसलिए है, क्योंकि ये **सुरक्षित, लागत प्रभावी और विश्वसनीय सेवा प्रदान करते हैं।** साथ ही, ये संभावित विफलताओं की भविष्यवाणी के लिए एक **पूर्वानुमान उपकरण के रूप में कार्य कर सकते हैं।**
- **क्रिटिकल टेक क्षेत्रकों के उदाहरणों** में **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन** शामिल हैं।

क्रिटिकल टेक क्षेत्रकों का महत्त्व:

- **वैश्विक भागीदारी:** ये क्षेत्रक **भारत को टेक्नोलॉजी से संबंधित नेतृत्व में आगे** ले जाते हैं। इनसे साझा तकनीकी लाभों को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए भागीदारों के साथ सहयोग करने में मदद मिलती है। इससे **भारत वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी भागीदार** बन सकेगा।
- **स्वदेशीकरण:** क्रिटिकल टेक से विदेशी शत्रु ताकतों को **आर्थिक जासूसी करने से रोकने में मदद मिलती है और प्रमुख प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा मजबूत होती है।**

---

[140] Ministry of Electronics and Information Technology

- अवैध रूप से टेक्नोलॉजी के देश से बाहर जाने से **राष्ट्रीय और औद्योगिक हितों को होने वाले नुकसान से बचा** जा सकता है।

- **आर्थिक संवृद्धि:** ये प्रमुख उद्योगों में **नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देते हैं तथा रोजगार के अवसर** पैदा करते हैं। इससे **सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बढ़ावा** मिलता है।
- **मोबाइल सुरक्षा और निजता को मजबूती:** व्यवसायों के लिए **उनकी बौद्धिक संपदा, ग्राहक डेटा** और परिचालन निरंतरता की सुरक्षा के लिए **एंटरप्राइज़-ग्रेड सुरक्षा प्रणालियां** विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं।
- **क्रिप्टोग्राफी: संवेदनशील डेटा की सुरक्षा, ऑनलाइन लेनदेन को सुरक्षित करने और डिजिटल इंटरैक्शन में विश्वास बनाए रखने के** लिए मजबूत क्रिप्टोग्राफ़िक तकनीक आवश्यक हैं।
- **IoT सुरक्षा:** क्रिटिकल सेवाओं को बाधित करने जैसे जोखिमों को कम करना और **IoT परिवेश में लचीलापन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।**

क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्रक में अन्य देशों के साथ सहयोग:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत क्रिटिकल और उभरती प्रौद्योगिकी पहल (iCET)** में शामिल किए गए प्राथमिकता वाले छह क्षेत्रक हैं-
  - रक्षा, अंतरिक्ष, क्वांटम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और दूरसंचार।
- **भारत और ऑस्ट्रेलिया** ने जून 2020 में **साइबर और साइबर-सक्षम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौते** पर हस्ताक्षर किए।
- **भारत और यूरोपीय संघ** ने भी 2022 में **हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन** पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **2023 में, भारत और जापान** सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर **एक सहयोग ज्ञापन (MoC)** में भागीदार बने।

क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्रकों के विकास में चुनौतियां

- **शिक्षा और कौशल में अंतर:** बड़ी संख्या में STEM में स्नातक तैयार करने के बावजूद, **प्रशिक्षित कौशल** और **उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल के बीच अक्सर अंतर** पाया जाता है।
- **प्रतिभा पलायन: भारत को AI एल्गोरिदम और हार्डवेयर एक्सेलेरेटर** में प्रतिभा पलायन का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण बहुत लोगों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त करना है।
- **अनुसंधान और विकास निधि:** हालांकि, भारत ने अनुसंधान एवं विकास (R&D) में प्रगति की है, फिर भी नवाचार और तकनीकी सफलताओं को बढ़ावा देने के लिए R&D में धन व निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा: भारत को चीन, अमेरिका जैसे** अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, खासकर AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएं:** प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के विकास के लिए ऊर्जा खपत, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ विनिर्माण प्रथाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आगे की राह: रोडमैप की मुख्य विशेषताएं

क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्रक	रोडमैप	लक्ष्य
क्वांटम टेक्नोलॉजीज	• **सुपरकंडक्टिंग सामग्री विकसित करने पर ध्यान देना** • **मुख्य सार्वजनिक अवसंरचना**	• 2023 से 2028 तक • 2023 से 2034 तक
क्रिप्टोग्राफी	• **क्रिप्टोग्राफी के लिए उत्कृष्टता केंद्र** बनाना • **क्वांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी, नवीन नॉन-लीनियरिटी योजनाओं** आदि पर ध्यान देना	• 2034 तक • 2024 से 2034 तक
मोबाइल सुरक्षा	• **सुरक्षित OS और मोबाइल हार्डवेयर** के लिए स्वदेशी इकोसिस्टम बनाना	• 2030 तक

	• मोबाइल सिस्टम के लिए "आत्म-रक्षा सुरक्षा" और "क्वांटम-समर्थित सुरक्षा" तैनात करना	• 2047 तक
इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सुरक्षा	• एक **IoT सैंडबॉक्स,** IoT नेटवर्क सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, और स्वचालन विकसित करना • **जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, नई चिप डिजाइन और मानकों** पर काम करना	• 2024 से 2047 तक • 2029 से 2047 तक
साइबर फोरेंसिक	• **'सोशल मीडिया एनालिटिक्स'** विकसित करना • डीप फेक्स, UPI ऐप्स जैसे क्षेत्रकों के लिए **'डार्क वेब फोरेंसिक' तथा 'फोरेंसिक टूल'** बनाना। साथ ही, CCTV फुटेज से **घटनाओं को फिर से तैयार करने के लिए टूल विकसित करना**	• 2026 तक • 2030 तक

7.2. ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (Brain-computer Interface: BCI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एलन मस्क की कंपनी **न्यूरालिंक** ने एक मानव रोगी के मस्तिष्क में **वायरलेस 'ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस' (BCI)** को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 2023 में, अमेरिकी **फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA)** ने एलन मस्क की **न्यूरालिंक (Neuralink) को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी** दी थी।
- न्यूरालिंक का लक्ष्य वर्तमान में FDA द्वारा स्वीकृति प्राप्त उपकरणों की तुलना में **कम-से-कम 100 गुना अधिक ब्रेन कनेक्शन वाले अगली पीढ़ी के मस्तिष्क प्रत्यारोपण (Brain Implant)** का निर्माण करना है।
- परीक्षण के शुरुआती नतीजों में **न्यूरॉन स्पाइक का पता** लगा है जो काफी सकारात्मक है।
    - मस्तिष्क और शरीर को कोई कार्य करने के लिए निर्देश देने हेतु भेजे जाने वाले **विद्युत तथा रासायनिक संकेतों** को स्पाइक कहा जाता है।
    - न्यूरालिंक ने यह भी कहा है कि उनके इस पहले उत्पाद का नाम **टेलीपैथी (Telepathy)** होगा।

टेलीपैथी के बारे में

- यह ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) की सुविधा प्रदान करेगा।
- इसमें मौजूद अल्ट्रा-फाइन तार मस्तिष्क से सिग्नल प्रसारित करने में मदद करेंगे।
    - यह उपयोगकर्ताओं को केवल सोच कर कंप्यूटर या फोन को नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- इसका उद्देश्य मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार मार्ग टूटने से खोई हुई कार्यप्रणाली को बहाल करना है।

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) के बारे में

- यह एक प्रकार की संचार प्रणाली है। इसके तहत कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क से सीधे संकेत भेज कर अपनी इच्छानुसार बाह्य उपकरणों या किसी एप्लिकेशन को संचालित कर सकता है। इसके जरिए व्यक्ति अपने मस्तिष्क से सीधे संकेत भेज कर अपने आस-पास की किसी चीज़ को बदल सकता है, उसे स्थानांतरित या नियंत्रित कर सकता है या उसके साथ परस्पर संवाद स्थापित कर सकता है।
    - दूसरे शब्दों में, BCI के जरिए हम केवल अपने मस्तिष्क का उपयोग करके किसी एप्लिकेशन या डिवाइस को नियंत्रित कर सकते हैं।
    - **BCI का उपयोग करने पर आपको अपने आसपास के उपकरणों का उपयोग करने के लिए अपने हाथों या शरीर के उपयोग** की जरूरत नहीं पड़ती है। यह दिमाग के संकेतों को समझकर सीधे डिवाइस को चलाने का काम करता है।
- **इसके तीन मुख्य भाग हैं:**
    - मस्तिष्क से आने वाले संकेतों का पता लगाने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए **एक डिवाइस।**
    - मस्तिष्क के रिकॉर्ड किए गए संकेतों को प्रोसेस करने और उसका विश्लेषण करने के लिए **एक कंप्यूटर।**
    - **एप्लीकेशन/ डिवाइस,** जिसको आप नियंत्रित करना चाहते हैं।
- **फीडबैक देना BCI का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है:** यह प्रणाली किसी उपयोगकर्ता को यह बताती है कि कंप्यूटर किस निर्णय या इच्छित कार्रवाई की व्याख्या करने में सक्षम है।
- **BCIs के प्रकार:**
    - **नॉन-इनवेसिव:** इसमें दिमाग से उत्पन्न विद्युत क्षमता को मापने के लिए कपाल (Scalp) पर सेंसर लगाए जाते हैं।
        - जैसे- इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (EEG), फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (fMRI) आदि।

- **सेमी-इनवेसिव:** इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क की खुली सतह पर रखा जाता है।
    - जैसे- इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी (ECoG), जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स या मस्तिष्क की सतह के सीधे संपर्क में इलेक्ट्रोड रखकर मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है।
- **इनवेसिव:** चिप्स/ सेंसर सीधे कॉर्टेक्स में लगाए जाते हैं, जो एकल न्यूरॉन की गतिविधि को मापते हैं।
    - जैसे न्यूरालिंक का इम्प्लांट।

BCI के उपयोग

- **दिव्यांगजनों और वृद्धजनों की मदद करना:** BCI दिव्यांगों को प्राकृतिक मोटर कौशल प्रदान करके कृत्रिम अंगों के सटीक नियंत्रण करने में सक्षम बना सकता है। यह वृद्धजनों को उनकी मोटर और संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्रशिक्षित करने में भी मदद कर सकता है।
- **बीमारियों का उपचार:** BCI से पार्किंसंस रोग, मिर्गी और मेरुदंड की चोट आदि का उपचार किया जा सकता है।
- **मस्तिष्क/ दिमाग संबंधी शोध को आसान बनाना:** मस्तिष्क की समझ को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक BCI का उपयोग कर सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने बेहोशी या अल्प चेतन अवस्था में रोगियों की भावनाओं का पता लगाने के लिए BCI का उपयोग किया है।
- **मानवीय प्रदर्शन में सुधार:** संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बेहतर बनाने और मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ मानव-कंप्यूटर इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए BCI का उपयोग न्यूरो फीडबैक प्रशिक्षण उपकरण के रूप में किया जा सकता है।
    - BCI का उपयोग करके व्यक्ति की सतर्कता को प्रभावित करने के साथ-साथ मुश्किल काम करने में उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

BCI से जुड़ी चुनौतियां/ चिंताएं

- **तकनीकी और उपयोगकर्ता संबंधी चुनौतियां:** प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क के सिग्नल्स अलग-अलग होते हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से मापने में कठिनाई होती है। साथ ही, अगर BCI मस्तिष्क के सिग्नल्स को सही से नहीं समझ पाता है, तो इससे नुकसान हो सकता है।
- **डेटा की निजता और सुरक्षा:** BCI साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हैं क्योंकि हैकर्स डिवाइस द्वारा उत्पन्न मस्तिष्क-तरंग डेटा को बाधित करने के लिए मैलवेयर का उपयोग कर सकते हैं।
- **सामाजिक प्रभाव:** ऐसा अनुमान है कि पहनने योग्य BCIs की लागत सैकड़ों से हजारों डॉलर तक होती है। इससे तकनीक तक असमान पहुंच की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **नैतिक चिंताएं:** BCI के उपयोग से यह सवाल उठता है कि सहमति में क्या शामिल होंगे। साथ ही, यह प्रश्न भी उठता है कि मस्तिष्क को बेहतर बनाने से क्या अनुचित फायदा हो सकता है।
- **चिकित्सीय चिंताएं:** दिमाग में लगाए गए उपकरणों के छोटे-छोटे तार हिलकर दिमाग के दूसरे हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं और मिर्गी, सिरदर्द, मनोदशा में बदलाव या दिमाग कमजोर होने जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

निष्कर्ष

आने वाले कुछ दशकों में, BCI अनुसंधान और विकास निरंतर बढ़ने की संभावना है और हम लोगों के दैनिक जीवन में BCI का अधिक व्यापक उपयोग देख सकते हैं। साथ ही, BCI की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए इसकी सटीकता, विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता है।

न्यूरॉन्स के बारे में

- **मस्तिष्क लाखों कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं।** इन न्यूरॉन्स को तंत्रिका कोशिकाएं भी कहा जाता है।
    - ये **न्यूरॉन मिलकर बड़े नेटवर्क बनाते हैं जो शरीर की प्रक्रियाओं में समन्वय और नियंत्रण का काम** करते हैं।
    - ये हमारे देखने, सुनने, सूंघने, चखने आदि को समझने में काम आते हैं।
- **न्यूरॉन्स सूचना के संदेशवाहक होते हैं।**
    - न्यूरॉन्स मस्तिष्क के अलग-अलग भागों के साथ-साथ मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और पूरे

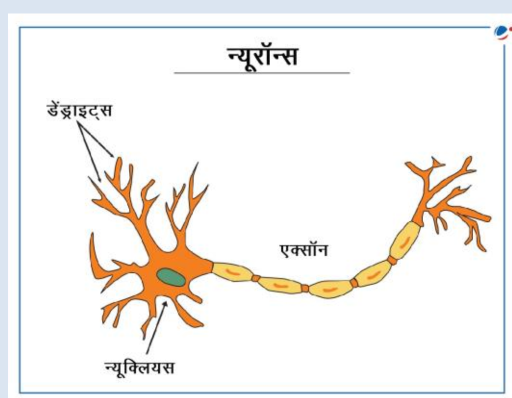

- शरीर में सूचना भेजने के लिए विद्युत तथा रासायनिक संकेतों का उपयोग करते हैं।
   - न्यूरॉन्स वस्तुतः तंत्रिकाक्ष (Axons) के माध्यम से विद्युत और रासायनिक संकेतों को अन्य कोशिकाओं तक भेजते हैं।
   - न्यूरॉन्स इन संकेतों को पेड़ की जड़ के समान दिखने वाले **द्रुमिका या डेंड्राइट** के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं।
- **न्यूरॉन्स तीन प्रकार के होते हैं:**
   - **सेंसरी न्यूरॉन्स:** ये ज्ञानेंद्रियों (जैसे- आंख और कान) से सूचना को मस्तिष्क तक ले जाते हैं।
   - **मोटर न्यूरॉन्स:** ये शारीरिक मांसपेशियों की स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे- चलना, बात करना तथा मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं से मांसपेशियों तक सूचना पहुंचाना।
   - **इंटरन्यूरॉन्स:** ये **सेंसरी** न्यूरॉन्स और अन्य **इंटरन्यूरॉन्स** से लेकर मोटर न्यूरॉन्स और अन्य **इंटरन्यूरॉन्स** तक संकेत भेजते हैं।
- **न्यूरॉन को संरचना के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है, जैसे-**
   - **मल्टीपोलर न्यूरॉन्स** (एकल एक्सॉन और सममितीय डेंड्रिट्स),
   - **यूनिपोलर न्यूरॉन्स** (एकल एक्सॉन),
   - **बाइपोलर न्यूरॉन्स** (एक सिरे के अंत में एक्सॉन है और दूसरी ओर डेंड्राइट्स), आदि।

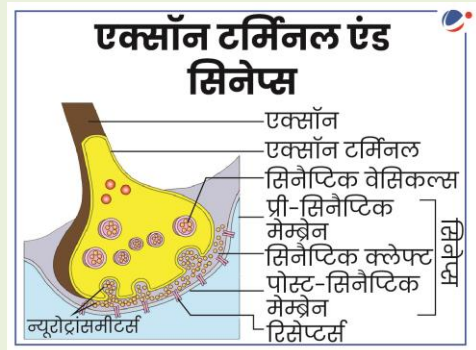

न्यूरॉन कैसे काम करते हैं?

- एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक **तंत्रिका आवेग (Impulse) सिनेप्स (Synapses) नामक जंक्शनों के माध्यम से पहुंचाया** जाता है।
- इन सिनेप्स पर आवेगों के संचरण में **न्यूरोट्रांसमीटर (Neurotransmitters) नामक रसायन** शामिल होते हैं।
- मुक्त किए गए **न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट-सिनेप्टिक मेम्बरेन (Post-synaptic membrane)** पर मौजूद अपने विशिष्ट रिसेप्टर्स (Receptors) से जुड़ जाते हैं।

7.3. इलेक्ट्रॉनिक स्याही (ई-इंक) {Electronic Ink (E-INK)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मिनिमल कंपनी ने **मिनिमल फोन** नामक एक नया क्राउडफंडेड फोन तैयार किया है। इस फोन में पावर-फ्रेंडली मोनोक्रोम ई-इंक डिस्प्ले का प्रयोग किया गया है।

ई-इंक डिस्प्ले के बारे में

- ई-इंक को **इलेक्ट्रोफोरेटिक स्याही** के रूप में भी जाना जाता है। यह एक **विशेष प्रकार का ई-पेपर डिस्प्ले** है।
   - **ई-पेपर असल कागज की तरह दिखने के लिए** डिज़ाइन किए गए **किसी भी डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल** किया जाने वाला एक व्यापक शब्द है।
- इसमें, **प्रिंटिंग उद्योग में उपयोग की जाने वाली स्याही का ही इस्तेमाल** किया जाता है, ताकि यह **साधारण स्याही जैसी ही लग सके**।
   - मूल रूप से, ई-इंक केवल **मोनोक्रोम** (केवल सफेद और काला) में ही उपलब्ध थी। हालांकि, **2010 से यह रंगीन ई-इंक में भी उपलब्ध** हो गया है।
- ये स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर तरल पदार्थ में सस्पेंड किए गए **धनात्मक रूप से आवेशित सफेद कणों और नकारात्मक रूप से आवेशित काले कणों** से भरे छोटे माइक्रोकैप्सूल का उपयोग करके काम करती हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

- ○ **स्क्रीन के विभिन्न भागों में** धनात्मक या नकारात्मक विद्युत **आवेश का प्रयोग करके,** सफेद या काले **कणों को सतह पर लाया जाता है।** इन कणों से **डिस्प्ले पर टेक्स्ट और छवियां दिखाई देती हैं।**

- इसे **मूल रूप से 1990 के दशक में MIT में विकसित** किया गया था। अब इसका स्वामित्व ई-इंक कॉर्पोरेशन के पास है।
- **उपयोग:** इसका उपयोग सेल फोन, साइन और अमेजन किंडल जैसे ई-रीडर में किया जाता है।

ई-इंक डिस्प्ले के लाभ

- **आंखों के लिए आरामदायक:** बैकलाइट का उपयोग करने वाले LCD और LED डिस्प्ले के विपरीत, ई-इंक डिस्प्ले कागज की तरह ही दिखाई पड़ता है। इससे लंबे समय तक **पढ़ने पर यह आंखों के लिए आरामदायक** होता है।
- **बाहरी क्षेत्रों में दृश्यता:** इसमें बैकलाइटिंग की कमी होती है, जिसका मतलब यह है कि इसे **तेज रोशनी में भी पढ़ना आसान होगा।** गौरतलब है कि LCD/ LED डिस्प्ले के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जिनमें तेज धूप में पढ़ना वास्तव में आसान नहीं होता है।
- **लंबी बैटरी लाइफ:** इसे बहुत कम बिजली का उपयोग करके चलाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके लिए बैकलाइट की आवश्यकता नहीं होती है और **केवल पेज बदलने पर ही ऊर्जा का उपयोग** होता है।

अन्य डिस्प्ले प्रौद्योगिकियों की कार्यप्रणाली

- **लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (LCD):** एक LCD में दो पारदर्शी इलेक्ट्रोड्स के बीच लिक्विड क्रिस्टल्स की एक परत होती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्रिस्टल उनके जरिए होकर गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए संरेखित हो जाते हैं। इससे स्क्रीन पर चित्र दिखाई देने लगती है।
- **लाइट एमिटिंग डायोड (LED):** यह एक अर्धचालक उपकरण है। यह विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है।
- **ऑर्गेनिक LED (OLED):** यह एक सतत प्रकाश उत्सर्जक तकनीक है। इसे दो कंडक्टरों के बीच **पतली ऑर्गेनिक फिल्मों की एक श्रृंखला** को रखकर बनाया जाता है। OLED डिस्प्ले, **LED डिस्प्ले के सिद्धांत का पालन करता है,** हालांकि यह थोड़े अलग तरीके से काम करता है।
  - ○ **एक LED** पैनल को प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक **समर्पित बैकलाइटिंग सेटअप की आवश्यकता** होती है। हालांकि, एक **OLED पैनल अपने लिए स्वयं प्रकाश उत्पन्न** कर सकता है।

7.4. सत्येंद्र नाथ बोस (Satyendra Nath Bose)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, प्रख्यात भौतिक विज्ञानी **एस.एन. बोस** को **उनकी 50वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया।**

एस.एन. बोस (1894-1974) के बारे में

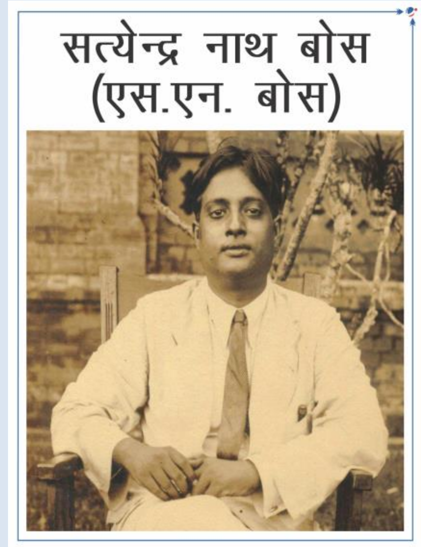

प्रारंभिक जीवन

- वह **पश्चिम बंगाल के नादिया** जिले से थे।
- उन्होंने **कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज** से अध्ययन किया।
    - उनके शिक्षकों में **प्रफुल्ल चंद्र रे** और **जगदीश चंद्र बोस** शामिल थे।
- **कलकत्ता विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग** में कार्य किया।

पुरस्कार और पहचान

- इन्हें **"फादर ऑफ गॉड पार्टिकल"** के रूप में जाना जाता है।
    - **मूलभूत कण 'बोसोन'** का नाम उनके नाम पर रखा गया था।
- **1954 में पद्म-विभूषण** से सम्मानित किया गया।
- **रवीन्द्रनाथ टैगोर** ने विज्ञान पर अपनी एकमात्र रचना **'विश्व परिचय'** एस.एन. बोस को समर्पित की थी।
- वे **1956-58** की अवधि में **विश्व-भारती के कुलपति** रहे थे।
- उनकी याद में 1986 में **एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज** (कोलकाता) की स्थापना की गई।

एस.एन. बोस का वैज्ञानिक योगदान

- **बोस-आइंस्टीन कंडेन्सेट्स (BEC):** यह क्वांटम दुनिया की एक अद्भुत घटना है जिसकी भविष्यवाणी सत्येन्द्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1925 में की थी। यह पदार्थ की एक विशेष अवस्था है, जो तब बनती है जब परमाण्विक या उप-परमाण्विक कणों को लगभग परम शून्य तापमान (लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन) तक ठंडा कर दिया जाता है।
    - इस बिंदु पर **सभी परमाणु एक इकाई बन जाते हैं** और क्वांटम गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। इस स्थिति में प्रत्येक कण मिलकर पदार्थ की एक तरंग की तरह कार्य करता है।
    - BEC को **'पदार्थ की पांचवीं अवस्था'** के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। वीमैन, कॉर्नेल और केटरले ने इसे प्रायोगिक तौर पर सिद्ध किया था जिसके लिए उन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
    - BEC के गुणों में शामिल हैं:
        - **सुपर फ़्लुइडिटी (Super fluidity):** BEC की श्यानता जीरो होती है और यह बिना प्रतिरोध के प्रवाहित हो सकता है।
        - **सुपर कंडक्टिविटी(Super conductivity):** शून्य प्रतिरोध से अधिकतम चालकता प्राप्त होती है।
        - **कोहेरेंस (Coherence):** BEC में सभी कण एक ही क्वांटम अवस्था में होते हैं और एक इकाई के रूप में व्यवहार करते हैं।
        - **मैक्रोस्कोपिक ऑक्यूपेशन:** BEC में कई कण एक ही क्वांटम स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिससे मैक्रोस्कोपिक वेव फंक्शन उत्पन्न होता है।

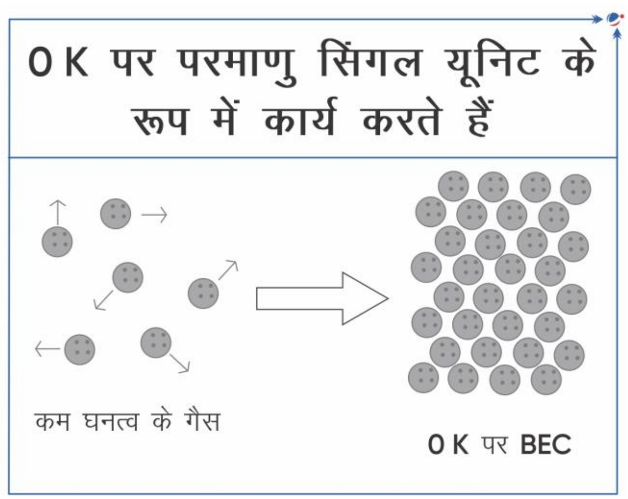

- **बोस-आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स**: यह एक सांख्यिकीय विधि है जिसका उपयोग समान कणों (पूर्णांक चक्रण वाले) से बनी क्वांटम प्रणाली की संभावित अवस्थाओं को गिनने के लिए किया जाता है। सन 1924 में वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने इसे प्रकाश कणों (फोटॉन) के लिए सबसे पहले प्रस्तावित किया था।
    - **बाद में आइंस्टीन द्वारा इस सांख्यिकी को गैस के अणुओं के लिए उपयोग** किया गया था।
    - जो कण बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी सिद्धांत का पालन करते हैं उन्हें **"बोसोन"** कहा जाता है।

- बोसॉन पूर्णांक स्पिन वाले कण होते हैं, जिनमें प्रकाश (फोटॉन), ग्लुऑन्स (नाभिक में बलवाहक कण), हिग्स बोसॉन और W तथा Z बोसॉन शामिल हैं।

- **एक्स-रे विवर्तन कैमरा:** एस.एन. बोस ने रोटेशन और पाउडर फोटोग्राफी के लिए इसे डिजाइन और निर्मित किया था।

7.5. भारत में खाद्य विनियमों को सुव्यवस्थित करना (Streamlining Food Regulations in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने **खाद्य सुरक्षा नियमों को सरल बनाने** की दिशा में **कई संशोधनों** को मंजूरी दी है।

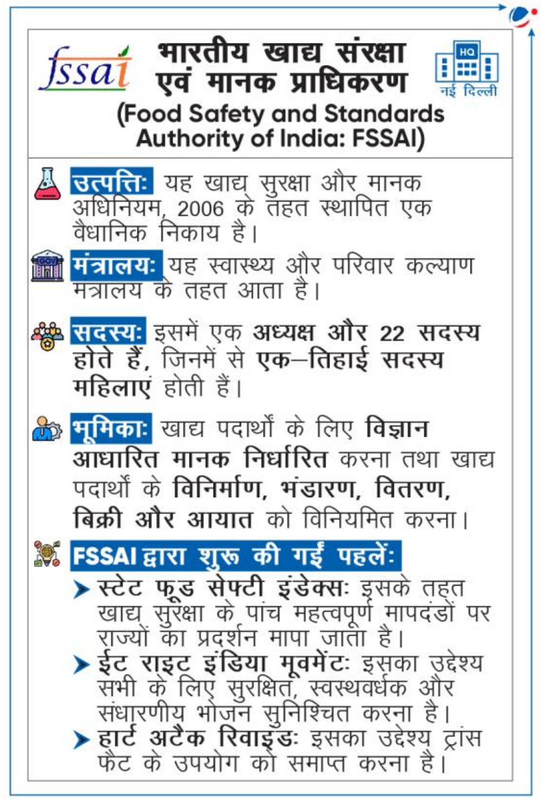

FSSAI द्वारा मंजूर किए गए संशोधन

- **एक से अधिक प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता को समाप्त करना:** इससे खाद्य व्यवसायों को अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए विभिन्न प्राधिकरणों के पास नहीं जाना पड़ेगा।
  - खाद्य उत्पादों के लिए **केवल FSSAI के प्रमाणीकरण को अनिवार्य** बनाया गया है।
  - खाद्य उत्पादों के लिए **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) या एगमार्क प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं** होगी।
    - वर्तमान में, **खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम 2011** ने BIS अधिनियम और एगमार्क योजना के तहत अनिवार्य प्रमाणीकरण निर्धारित किया है।
    - वर्तमान में, **कुछ खाद्य उत्पादों के लिए BIS प्रमाणीकरण अनिवार्य** है। जैसे कि शिशुओं के लिए फार्मूला उत्पाद (फॉर्मूला मिल्क), पैक्ड पेयजल, मिल्क पाउडर आदि।
    - **कुछ उत्पादों के लिए एगमार्क अनिवार्य** है, जैसे- मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल और फैट स्प्रेड्स।
- FSSAI ने खाद्य उत्पादों के लिए पहले एक व्यापक **मैनुअल** भी जारी किया था। इसमें उन तरीकों का विश्लेषण किया गया है, जिससे **खाद्य उत्पादों के लिए विनियमों का पालन** सुनिश्चित किया जा सके।
- **मानकों का विस्तार:**मानकों का विस्तार: जैसे **मीड (हनी वाइन)** और **अल्कोहलिक रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों** के मानक, दूध वसा उत्पादों के मानकों में संशोधन, **हलीम के लिए मानक** आदि।
- **भारत में खाद्य सुरक्षा नियमों के बारे में:**
  - **खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006:** यह खाद्य संरक्षा पर व्यापक कानून है। इसके तहत FSSAI को खाद्य संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है।
  - **खाद्य संरक्षा और मानक विनियम, 2011:** इसमें पैकेज्ड फूड, मंजूरी प्राप्त फूड एडिटिव्स, माइक्रोबायोलॉजिकल घटकों आदि के लिए लेबलिंग आवश्यकताएं व मानक शामिल हैं।
  - **FSSAI के अलग-अलग खाद्य संरक्षा मानक:** ये मानक **वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल्स** द्वारा विकसित किए गए हैं। **समिति और पैनल्स खाद्य संरक्षा मानकों के विकास के लिए FSSAI** की प्रमुख शाखाएं हैं।

एगमार्क (AGMARK) के बारे में

- एगमार्क **कृषि उपज को दिया जाने वाला एक प्रमाणन चिह्न** है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रमाणित **कृषि उपज (ग्रेडिंग मार्किंग) अधिनियम, 1937** के तहत **विपणन और निरीक्षण निदेशालय (DMI)** द्वारा अधिसूचित ग्रेड मानकों के अनुरूप हों।
- **प्रकृति:** FSSAI द्वारा **अनिवार्य बनाए गए कुछ वस्तुओं** को छोड़कर, एगमार्क प्रमाणन योजना स्वैच्छिक है।
- **संबंधित मंत्रालय:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

7.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.6.1. प्रोटॉन इंप्रूवमेंट प्लान (PIP-II) परियोजना {Proton Improvement Plan (PIP-II) Project}

- भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने "प्रोटॉन इंप्रूवमेंट प्लान (PIP-II)" परियोजना में योगदान के लिए निर्माण चरण शुरू किया।
- PIP-II संयुक्त राज्य अमेरिका का **पहला पार्टिकल एक्सेलरेटर** है। यह **फर्मिलैब** में स्थित है। इसे **अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के महत्वपूर्ण योगदान** से बनाया गया है।
    - **भारत, फ्रांस, इटली, पोलैंड और यूनाइटेड किंगडम** के संस्थान इसमें सहयोग कर रहे हैं। भारत अपने योगदान के तहत 140 मिलियन डॉलर मूल्य के उपकरण प्रदान करेगा।
    - यह **लॉन्ग-बेसलाइन न्यूट्रिनो फैसिलिटी (LBNF) में निर्माणाधीन डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट (DUNE)** के लिए दुनिया की सबसे उच्च-ऊर्जा युक्त न्यूट्रिनो बीम को पावर प्रदान करेगा।
- **पार्टिकल एक्सेलरेटर** प्रकाश की गति के बराबर **उच्च गति पर आवेशित कणों (प्रोटॉन, परमाणु नाभिक, इलेक्ट्रॉन आदि) को धकेलेगा।**
    - **एक्सेलेरेटर में निम्नलिखित चार प्रमुख घटक हैं-**
        - **पार्टिकल्स** के उत्पादन के लिए स्रोत,
        - उन्हें गति देने के लिए **कंपोजिट डिवाइस,**
        - मुक्त गति प्रदान करने के लिए निर्वात वाली **मेटल-ट्यूब, और**
        - बीम पार्टिकल्स को चलाने के लिए **इलेक्ट्रोमैग्नेट।**

कुछ बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर

- **लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC):** यह सबसे शक्तिशाली एक्सेलरेटर है। यह **जिनेवा** में सर्न/CERN में स्थित है।
    - **महत्वपूर्ण उपलब्धियां:** इसने **हिग्स बोसोन,** अज्ञात **हैड्रोन** आदि की खोज की है।
- **स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर (SLAC), संयुक्त राज्य अमेरिका:** यह दुनिया का सबसे लंबा **लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर** है।
    - **महत्वपूर्ण उपलब्धियां:** इसने **क्वार्क एवं टाउ लेप्टान** की खोज की है।
- **यूरोपियन सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन फ़ैसिलिटी (ESRF):** यह **ग्रेनोबल (फ्रांस)** में स्थित है। यह दुनिया में सबसे तीव्र **हार्ड एक्स-रे स्रोत** है।

7.6.2. पॉजिट्रोनियम की लेजर कूलिंग (Laser Cooling of Positronium)

- पहली बार सर्न (CERN) के वैज्ञानिकों ने पॉजिट्रोनियम की लेजर कूलिंग में सफलता प्राप्त की।
- **"एंटी-हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट: ग्रेविटी, इंटरफेरोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी (AEgIS)"** कॉलेबोरेशन के भौतिकविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने यह सफलता हासिल की है।

©Vision IAS

- ○ AEgIS, **सर्न की एंटीमैटर फैक्ट्री** में जारी कई **प्रयोगों में से एक** है। इसका लक्ष्य **एंटी-हाइड्रोजन पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण (g)** को प्रत्यक्ष रूप से मापना है।
- ○ AEgIS **यूरोप के कुछ देशों और भारत के भौतिकविदों का एक सहयोग-मंच** है।

- **पॉजिट्रोनियम (Ps) के बारे में:**
  - ○ इसे **1951** में खोजा गया था। यह **सबसे हल्का ज्ञात परमाणु** है। इसमें केवल **एक इलेक्ट्रॉन (e−) और एक पॉजिट्रॉन (e+)** शामिल हैं।
  - ○ पॉजिट्रोनियम का **जीवनकाल बहुत छोटा** होता है। इसके **इलेक्ट्रॉन और एंटीमैटर (यहां पॉजिट्रॉन)** आपस में टकराकर एक-दूसरे को नष्ट कर देते हैं और **गामा किरणें उत्सर्जित** करते हैं। यह पूरी घटना **एक सेकंड के 142 अरबवें हिस्से** में घटित होती है।
  - ○ इसमें **पॉइंट जैसे केवल दो पार्टिकल्स (इलेक्ट्रॉन और इसका एंटीमैटर)** शामिल होते हैं। इसलिए, यह **AEgIS के तहत प्रयोग करने के लिए एक आदर्श** प्रणाली है। हालांकि, इसे **उच्च सटीकता से मापने के लिए इसकी पर्याप्त कूलिंग** जरूरी है।

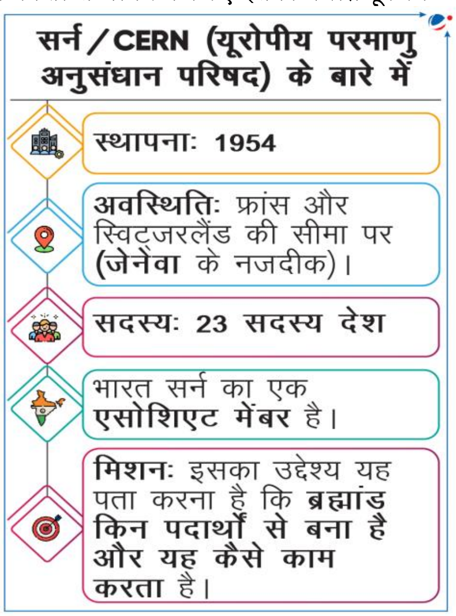

- **मैटर-एंटीमैटर:**
  - ○ गौरतलब है कि मैटर कई रूपों में मौजूद हैं, जैसे- **ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा**। इनमें **सब-एटॉमिक पार्टिकल्स** होते हैं, जो उन्हें **द्रव्यमान (Mass) और आयतन (Volume)** प्रदान करते हैं।
    - ▪ **सब-एटॉमिक पार्टिकल्स में निम्नलिखित शामिल हैं:**
      - ✓ **प्रोटॉन और न्यूट्रॉन:** इन्हें **बेरिऑन** भी कहा जाता है;
      - ✓ **इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो:** इन्हें **लेप्टॉन** भी कहा जाता है तथा
      - ✓ **अन्य पार्टिकल्स।**
  - ○ सभी सब-एटॉमिक पार्टिकल्स में या तो उनके **स्वयं के एंटी-ट्विन (एंटीक्वार्क, एंटीप्रोटॉन, एंटीन्यूट्रॉन और एंटीलेप्टॉन जैसे एंटीइलेक्ट्रॉन)** होते हैं या ये **मैटर और एंटीमैटर की सीमा के बीच फैले** होते हैं।
    - ▪ **एंटी-पार्टिकल्स मिलकर एंटी-एटम्स** बना सकते हैं। साथ ही, ये सैद्धांतिक रूप से **एंटी-मैटर से युक्त क्षेत्र भी बना** सकते हैं।

7.6.3. मौसम पूर्वानुमान उपग्रह INSAT-3DS (INSAT-3DS Weather Forecasting Satellite)

- इसरो ने मौसम पूर्वानुमान उपग्रह INSAT-3DS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
- यह **मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** (MoES) द्वारा **वित्त-पोषित** है।
- INSAT-3DS को **GSLV-F14 प्रक्षेपण यान** से लॉन्च किया गया। इस यान ने INSAT-3DS को पहले **जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट** में और फिर **भू-स्थिर कक्षा**[141] में स्थापित किया (बॉक्स देखिए)।
  - ○ इसे **श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च** किया गया।
- **INSAT-3DS उपग्रह के बारे में**
  - ○ यह **तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह की अगली कड़ी का मिशन** है।
  - ○ यह उपग्रह पहले से सेवा प्रदान कर रहे **INSAT-3D** और **INSAT-3DR** की सहायता करेगा। ये उपग्रह **मौसम अवलोकन संबंधी भूस्थैतिक उपग्रह** हैं।
  - ○ **उपग्रह के पेलोड्स हैं:** इमेजर पेलोड, साउंडर पेलोड, डेटा रिले ट्रांसपोंडर और SA&SR ट्रांसपोंडर।
  - ○ इस उपग्रह के निर्माण में **भारतीय उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान** रहा है।
- **GSLV-F14 के बारे में**
  - ○ GSLV-F14 भारत के **भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान** (GSLV)[142] की **16वीं उड़ान** थी। साथ ही, यह **स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ 10वीं उड़ान** थी।
  - ○ **GSLV तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान** है। इसका भार 420 टन है।
    - ▪ **पहले** चरण में एक **ठोस प्रणोदक मोटर** लगा होता है।
    - ▪ **दूसरे** चरण में **पृथ्वी पर भंडारण योग्य प्रणोदक** (लिक्विड) लगा होता है।
    - ▪ **तीसरा** चरण **क्रायोजेनिक चरण** है।

---
[141] Geo-stationary Orbit

[142] Geosynchronous Satellite Launch Vehicle

- GSLV से **संचार, नेविगेशन, पृथ्वी संसाधन सर्वेक्षण** और किसी अन्य प्रकार की सेवा प्रदान करने वाले अंतरिक्ष उपग्रह को प्रक्षेपित किया जा सकता है।

- **जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO):** ट्रांसफर ऑर्बिट अंतरिक्ष में एक **विशेष प्रकार की कक्षा** है। इसका उपयोग **एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उपग्रह को ले जाने के लिए** किया जाता है।
    - **जियोसिंक्रोनस** (और **भू-स्थैतिक**) **भू- कक्षाओं** में पहुँचने के लिए, एक अंतरिक्ष यान को लगभग 37,000 कि.मी. की **एपोप्सिस ऊंचाई** वाले एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लॉन्च किया जाता है। इसे **GTO** कहा जाता है।
        - एपोप्सिस वह बिंदु है जिस पर परिक्रमा करने वाली वस्तु उस पिंड से सबसे अधिक दूर होती है जिसकी वह परिक्रमा कर रही है।

- **भू-स्थैतिक कक्षा (GEO):** GEO में उपग्रह **पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा** करते हैं। इन उपग्रहों की गति पृथ्वी की गति के समान होती है।
    - इस वजह से **GEO में उपग्रह एक निश्चित स्थान पर 'स्थिर' दिखाई** देते हैं।

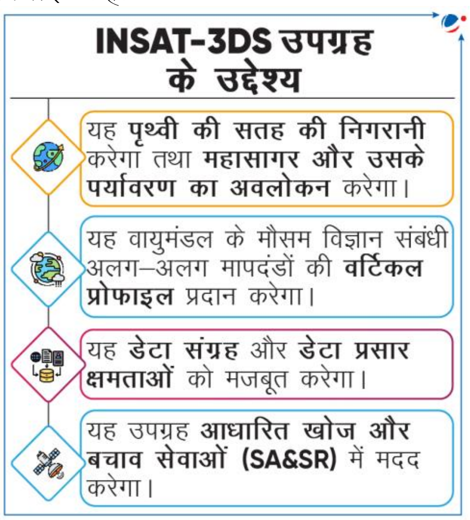

7.6.4. कार्टोसैट-2 (CARTOSAT-2)

- इसरो ने **कार्टोसैट-2 उपग्रह की सफल डी-ऑर्बिटिंग और वायुमंडल में पुनः प्रवेश** की पुष्टि की है। कार्टोसैट-2 की संचालन अवधि समाप्त हो जाने के बाद ऐसा किया गया है।
- **कार्टोसैट-2 के बारे में:**
    - इसे **2007** में लॉन्च किया गया था।
    - इसे सूर्य-तुल्यकालिक (Sun synchronous) कक्षा में स्थापित किया गया।
    - यह एक **अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह था।** यह **दृश्य-विशिष्ट स्पॉट इमेजरी** प्रदान करने में सक्षम था।
- **कार्टोसैट-2 की डी-ऑर्बिटिंग:** इसरो इसमें बचे हुए ईंधन का उपयोग करके इसकी **पेरिजी (Perigee) को नीचे** लाया था। **पेरिजी** उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु है, जहां यह **पृथ्वी के सबसे करीब** होता है।
    - **अंतरिक्ष मलबे की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों** का पालन करने के लिए डी-ऑर्बिटिंग की गई है।
- कार्टोसैट-2 की डी-ऑर्बिटिंग के द्वारा इसरो ने **बाह्य अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को लंबे समय तक जारी रखने** की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

7.6.5. क्षुद्रग्रहों पर जल की खोज की गई (Water Discovered on Asteroids)

- **आइरिस और मैसालिया** नामक क्षुद्रग्रहों पर विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के उत्सर्जन का पता चला है। यह उत्सर्जन "स्पष्ट रूप से" **जल के अणुओं की उपस्थिति** का संकेत देते हैं। इन दोनों क्षुद्रग्रहों पर पर्याप्त मात्रा में **सिलिकेट** मौजूद है।
    - यह खोज **सोफिया/ SOFIA द्वारा किए गए पर्यवेक्षण का अध्ययन** करने से हुई है।
        - सोफिया, नासा की एक **हवाई खगोलीय वेधशाला** थी। यह 2022 से संचालन में नहीं हैं।
- **क्षुद्रग्रह:**
    - वे **छोटे व चट्टानी खगोलीय पिंड** होते हैं। वे **सूर्य की परिक्रमा** करते हैं। इनका आकार ग्रहों की तुलना में काफी छोटा होता है।
    - **क्षुद्रग्रहों पर जल का महत्त्व:**
        - इससे यह पता चल सकता है कि **पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति** कैसे हुई।
        - **पृथ्वी से परे जीवन की खोज** में मददगार हो सकता है।

7.6.6. प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाइमेट, ओसियन इकोसिस्टम {Plankton, Aerosol, Climate, Ocean Ecosystem (PACE)}

- स्पेसएक्स (SpaceX) ने **नासा का PACE उपग्रह लॉन्च** किया है। यह उपग्रह **महासागर, वायुमंडल और जलवायु** का पर्यवेक्षण करेगा।
- PACE को **सूर्य-तुल्यकालिक (Sun-synchronous) कक्षा** में स्थापित किया गया है।
    - सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा एक विशेष प्रकार की **ध्रुवीय कक्षा** है। इस कक्षा में स्थापित उपग्रह **ध्रुवीय क्षेत्रों पर से गमन करते हुए, सूर्य के साथ समकालिक** होता है। इसका अर्थ यह है कि उपग्रह हमेशा समान स्थानीय समय पर समान स्थान पर जाता है।
- **उद्देश्य:**
    - इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि **समुद्र और वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान** कैसे करते हैं।
    - इससे यह भी जानकारी मिलेगी कि **एरोसोल महासागर की सतह पर पादप-प्लवक (Phytoplankton) के विकास** में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं।

 ©Vision IAS

- यह **महासागर के रंग, बादलों के गुणों और एरोसोल के नए वैश्विक मापन** में योगदान देगा।

7.6.7. युवा विज्ञानी कार्यक्रम (युविका) (Yuva Vigyani Karyakram: YUVIKA)

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ ISRO) स्कूली बच्चों के लिए **"युवा विज्ञानी कार्यक्रम" या 'युविका'** नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
- **युविका कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं:**
  - युवा छात्रों को **अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के अनुप्रयोगों** पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना।
  - अधिक-से-अधिक छात्रों को **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM)** के क्षेत्र में अनुसंधान करने तथा इसमें करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **इस कार्यक्रम में निम्नलिखित अवसर प्राप्त होंगे:**
  - कक्षा में प्रशिक्षण,
  - प्रयोगों का व्यावहारिक प्रदर्शन,
  - मॉडल रॉकेटरी के जरिए इसरो के वैज्ञानिकों के साथ वार्ता और
  - फील्ड विजिट
- **पात्रता:** भारत में कक्षा 9 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आवेदन करने के पात्र हैं।

7.6.8. WHO ने ट्रांस-फैट को समाप्त करने में प्रगति के लिए देशों को पुरस्कृत किया (WHO Awards Countries For Eliminating Trans-FAT)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पहली बार औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-फैट को समाप्त करने में प्रगति के लिए देशों को पुरस्कृत किया।
- WHO ने खाद्य पदार्थों में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-फैटी एसिड (iTFA) को समाप्त करने के लिए **डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब एवं थाईलैंड** को पहली बार सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रदान किया है।
  - अब **कुल 53 देशों में खाद्य पदार्थों में iTFA से निपटने** के लिए सर्वोत्तम पद्धति नीतियां लागू हैं। इससे **विश्व की 46% आबादी के लिए स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे।**
- iTFA के उन्मूलन के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदक देश को दर्शाना चाहिए कि:
  - देश में खाद्य पदार्थों में **iTFA के उन्मूलन के लिए सर्वोत्तम पद्धति नीति** अपनाई गई है; तथा
  - देश में **इस नीति को लागू करने और इस पर पर्याप्त निगरानी रखने की पर्याप्त प्रणालियां** मौजूद हैं।
- **iTFA उन्मूलन के लिए सर्वोत्तम पद्धति नीतियों हेतु WHO द्वारा निर्धारित मानदंड**
  - **राष्ट्रीय स्तर** पर सभी खाद्य पदार्थों में **प्रति 100 ग्राम फैट में iTFA की अधिकतम मात्रा 2 ग्राम** तक होनी चाहिए;
  - सभी खाद्य पदार्थों में एक घटक के रूप में **आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेलों (PHOs) के उपयोग या उत्पादन पर अनिवार्य राष्ट्रीय प्रतिबंध** हो; तथा
    - **PHOs ट्रांस-फैट के मुख्य स्रोत हैं।**
  - PHOs पर प्रतिबंध और iTFA की 2% सीमा का संयुक्त रूप से कार्यान्वयन होना चाहिए।

TFA को विनियमित करने के लिए उठाए गए कदम

- **भारत में:**
  - भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने **'ईट राइट इंडिया अभियान'** शुरू किया है।
  - FSSAI ने **पैकेजिंग पर न्यूट्रिशन लेबल पर TFA की मात्रा** घोषित करना अनिवार्य कर दिया है।
- **वैश्विक स्तर पर:**
  - WHO ने **विश्व को ट्रांस फैट-मुक्त बनाने के लिए रिप्लेस (REPLACE) रणनीति** अपनाई है-
    - iTF के आहार स्रोतों की **समीक्षा (Review)** करना।
    - iTF के स्वस्थ विकल्प को **बढ़ावा (Promote)** देना।
    - iTF को समाप्त करने के लिए **कानून बनाना (Legislate)।**
    - खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैट की मात्रा और आबादी में ट्रांस फैट की खपत में बदलाव का **आकलन (Assess)** करना।
    - iTF के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता का **सृजन (Create)** करना।
    - नीतियां व विनियम **लागू (Enforce)** करना।

- ट्रांस-फैट **वनस्पति तेलों से उत्पादित असंतृप्त (Unsaturated) वसा** है।
  - **ट्रांस-फैट दो प्रकार के हो सकते हैं-**
    - **प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ट्रांस-फैट:** कुछ डेयरी और मांस उत्पादों में ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं।
    - **औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-फैट:** यह **डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, खाना पकाने के तेल आदि में पाया जाता है।**
  - ट्रांस-फैट लोगों में होने वाले **गैर-संचारी रोगों** का प्रमुख कारण है। यह **दिल के दौरे तथा हृदय की धमनियों के रोग की संभावना को बढ़ाकर मृत्यु के खतरे को बढ़ाता है।**

7.6.9. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने "डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल (GIDH)" लॉन्च की {WHO Launched Global Initiative on Digital Health (GIDH)}

- इससे पहले, इस पहल की घोषणा **भारत में आयोजित G20-स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक** में की गई थी।
- GIDH, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रबंधित **"हितधारकों का नेटवर्क"** होगा। यह नेटवर्क एक ही जैसे प्रयास करने तथा "उत्पाद-

केंद्रित" डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चुनौतियों का समाधान करेगा।

- **GIDH का सचिवालय जिनेवा स्थित WHO मुख्यालय** में होगा।
- **GIDH के उद्देश्य हैं:**
  - **"डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति 2020-2025"** का समर्थन करने वाले प्रयासों में समन्वय स्थापित करना;
  - मानकों को विकसित करने और मजबूत करने के लिए **गुणवत्तापूर्ण तकनीकी सहायता** प्रदान करने में मदद करना;
  - **डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहायक साधनों** के उपयोग को बढ़ाने में मदद करना आदि।
- **GIDH के मूलभूत स्तंभ:**
  - **देशों के लिए आवश्यक ट्रैकर:** यह डिजिटल स्वास्थ्य में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है।
  - **राष्ट्र संसाधन पोर्टल:** यह संसाधनों के पारंपरिक और नवीन अवसरों की पहचान करने पर केंद्रित है।
  - **ट्रांसफॉर्मेशन टूलबॉक्स:** इसके माध्यम से राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के प्रबंधन में राष्ट्रों की क्षमता को मजबूत करने के लिए गुणवत्ता-सुनिश्चित की जाएगी।
  - **आयोजन और ज्ञान का आदान-प्रदान:** मजबूत सहयोग और ज्ञान आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **डिजिटल स्वास्थ्य की दिशा में भारत द्वारा लागू की गई पहलें:**
  - वर्ष 2021 में **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन** शुरू किया गया था।
    - इसका उद्देश्य **ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** के जरिए एक **"नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम"** स्थापित करना है। इससे हेल्थ इकोसिस्टम के भीतर अलग-अलग स्रोतों से स्वास्थ्य से संबंधित डेटा एकत्रित और उपयोग करने को बढ़ावा मिलेगा।
    - यह **आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) नंबर,** स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रजिस्ट्री जैसे घटकों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी **डेटा की इंटरऑपरेबिलिटी** को बढ़ावा देता है।

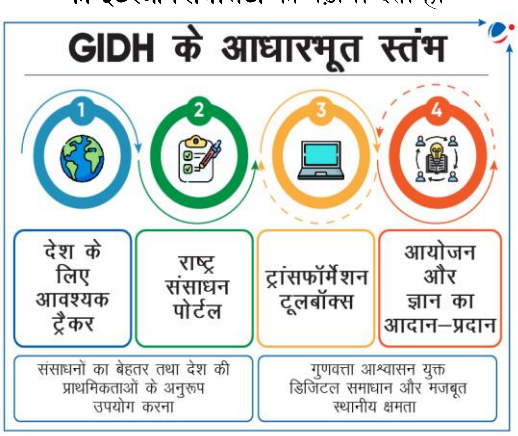

7.6.10. दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की सैंपलिंग (Sampling of Drugs, Cosmetics & Medical Devices)

- CDSCO ने दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की सैंपलिंग के लिए विनियामक दिशा-निर्देश अधिसूचित किए।
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य **दवाओं और सौंदर्य-प्रसाधनों (Cosmetics) की गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता** सुनिश्चित करना है। इसमें केंद्र और राज्यों के दवा विनियामक प्राधिकरणों के तहत नियुक्त ड्रग इंस्पेक्टर को **ड्रग सैंपलिंग का एक जैसा तरीका** अपनाने को कहा गया है।
  - **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 22 और 23** में दवाइयों की गुणवत्ता-परीक्षण के लिए **सैंपल एकत्रित करने की प्रक्रियाओं** का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह काम **ड्रग इंस्पेक्टर्स को नियमित रूप से करना** होता है।
- **मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नज़र:**
  - **'निम्न गुणवत्ता मानक वाली' या 'नकली दवाएं'** बेचने वाली दुकानों का एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार करना होगा।
  - **प्रत्येक ड्रग इंस्पेक्टर** को अपने **नियंत्रण प्राधिकारी** के परामर्श से **मासिक और वार्षिक आधार पर सैंपलिंग लेने की योजना** तैयार करनी होगी। इसमें अपने कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में **आने वाले ऐसे स्थलों की सूची बनाई जाएगी, जहां से सैंपल एकत्रित** किए गए हैं।

भारत में औषधि क्षेत्रक का विनियमन

- यह विनियमन **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (DC एक्ट), 1940 तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945** के तहत किया जाता है।

- DC एक्ट, 1940 ने **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत CDSCO** के गठन का प्रावधान किया है। CDSCO को भारत में दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों, निदान और उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है।
    - CDSCO का प्रमुख **भारत का औषधि महानियंत्रक** होता है। वह रक्त और रक्त उत्पादों, वैक्सीन जैसी दवा की निर्धारित श्रेणियों आदि के लिए लाइसेंस को मंजूरी देता है।

7.6.11. गिनी वर्म डिजीज (Guinea Worm Disease: GWD)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया GWD का उन्मूलन करने के लक्ष्य के काफी नजदीक है।
- **GWD (ड्रेकुनकुलियासिस) के बारे में:**
    - यह एक संक्रमण है, जो **ड्रैकुनकुलस मेडिनेन्सिस नामक परजीवी** के कारण होता है।
    - यह संक्रमण **गिनी वर्म लार्वा युक्त जल पीने** से फैलता है। किसी कृमि (वर्म) का अपरिपक्व रूप लार्वा कहलाता है।
    - यह रोग उन **ग्रामीण, वंचित और एकांकी समुदायों के लोगों को ज्यादा प्रभावित** करता है जो मुख्य रूप से तालाबों जैसे खुले स्थिर सतही जल स्रोतों पर निर्भर रहते हैं।
        - इसके अलावा **जानवरों, विशेषकर कुत्तों में भी संक्रमण** के मामले दर्ज किए गए हैं।
    - यह एक **'उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग'** है।
    - इस रोग की रोकथाम और इलाज के लिए **कोई टीका व दवा उपलब्ध नहीं** है।
    - **भारत ने सन 2000 में GWD का सफलतापूर्वक उन्मूलन** कर दिया था।

7.6.12. रोडामाइन-B (Rhodamine-B)

- **तमिलनाडु** में कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में, कैंडी के सैम्पल्स में **कृत्रिम कलरिंग एजेंट** के रूप में विषाक्त औद्योगिक डाई **"रोडामाइन-B"** के उपयोग का पता चला था। इसके बाद इसे प्रतिबंधित किया गया है।
    - भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने **खाद्य उद्योग में इस रसायन के उपयोग को प्रतिबंधित** कर दिया है।
- **रोडामाइन-B के बारे में**
    - रोडामाइन-B एक प्रकार का **कार्बनिक क्लोराइड साल्ट** है। इसका उपयोग **वस्त्र, पेपर, चमड़ा और पेंट उद्योग में डाई के लिए कलरिंग एजेंट** के रूप में किया जाता है।
- **मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव**
    - **तत्काल प्रभाव:** पेट भरा-भरा लगना, खुजली और सांस लेने में समस्या।
    - **संभावित दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव:** लीवर में विकार, आंत का कैंसर, न्यूरोटॉक्सिसिटी और किडनी फेल होना।

7.6.13. कालाजार (Kala Azar)

- भारत कालाजार के उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति के नजदीक पहुंच गया है। 2023 में देश में **पहली बार सभी प्रखंडों में प्रति 10,000 जनसंख्या पर कालाजार का एक से भी कम मामला** दर्ज किया गया था।
- **कालाजार के बारे में:**
    - इस रोग को **ब्लैक फीवर या विसेरल लीशमैनियासिस** के रूप में भी जाना जाता है। यह एक **प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग** है।
    - **संक्रमण फैलाने वाला एजेंट:** संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाई मक्खी।
    - **लक्षण:** अनियमित बुखार, वजन घटना, प्लीहा व लिवर का बढ़ना और एनीमिया।
    - भारत में, यह रोग **बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल** में स्थानिक है।
    - **संक्रमित क्षेत्र:** ब्राज़ील, पूर्वी अफ्रीका और भारत।

7.6.14. मैग्लेव (मैग्नेटिक लेविटेशन) {Maglev (Magnetic Levitation)}

- हाल ही में, **चीन की मैग्लेव ट्रेन ने 623 km/h के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़** दिया है।
- **मैग्लेव एक प्रणाली** है। इसमें वाहन या ट्रेन **गाइडवे से हवा में थोड़ा ऊपर गमन** करती है। गाइडवे पारंपरिक रेलगाड़ियों की पटरियों के समान होता है।
    - मैग्लेव प्रणाली में सुपरकंडक्टिंग चुंबक ट्रैन को U आकार के कंक्रीट के गाइडवे से थोड़ा ऊपर हवा में बनाए रखते हैं।
    - साधारण चुंबक की तरह ही ये चुंबक भी एक-दूसरे को प्रतिकर्षित (एक-दूसरे से चिपकने की बजाये हटना) करते हैं। इसके लिए इनके समान ध्रुवों को आमने-सामने कर दिया जाता है।
- **मैग्लेव प्रणाली के लाभ:**
    - इंजन न होने के कारण इनसे **ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं** होता है।
    - गाइडवे व ट्रेन के बीच **घर्षण न होने की वजह से ट्रेन अधिक गति** से गमन करती है।
    - एक ही रूट पर चलने वाली ट्रेनें एक-दूसरे से नहीं टकरा पाती हैं।

 ©Vision IAS

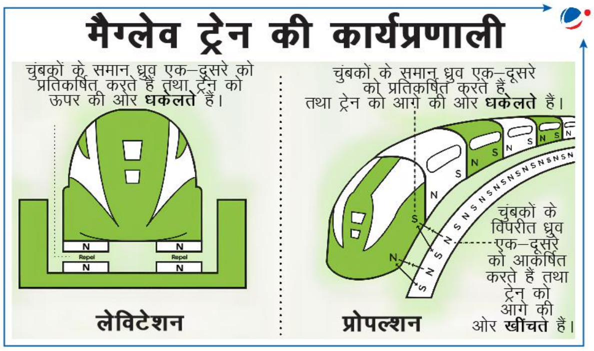

7.6.15. C-बॉट (C-Bot)

- **गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने C-बॉट नामक एक स्वायत्त अंडरवाटर व्हीकल** लॉन्च किया है।
- C-बॉट उन्नत सुविधाओं वाला एक **रोबोट** है। इसका उपयोग **प्रवाल भित्तियों की निगरानी** बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
    - यह **जल के भीतर 200 मीटर की गहराई तक यात्रा** कर सकता है।
    - इससे भारतीय नौसेना को **बेथीमेट्री अध्ययन (समुद्र नितल का मानचित्रण)** करने में मदद मिलेगी। इस अध्ययन से **नेविगेशन चैनल्स की योजना** बनाने में सहायता प्राप्त होगी।
    - यह **सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट्स खोजने** में मदद करेगा। हाइड्रोथर्मल वेंट्स से समुद्र नितल के नीचे से भू-तापीय रूप से **गर्म जल का रिसाव** होता है।

7.16.16. शुद्धिपत्र (Errata)

जनवरी, 2024 की मासिक समसामयिकी के आर्टिकल 7.11.1. - **स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी (SKAO) प्रोजेक्ट -** में, "भारत में उठाए गए कदम" वाला बॉक्स इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, कृपया इस बॉक्स को नजरअंदाज करें।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

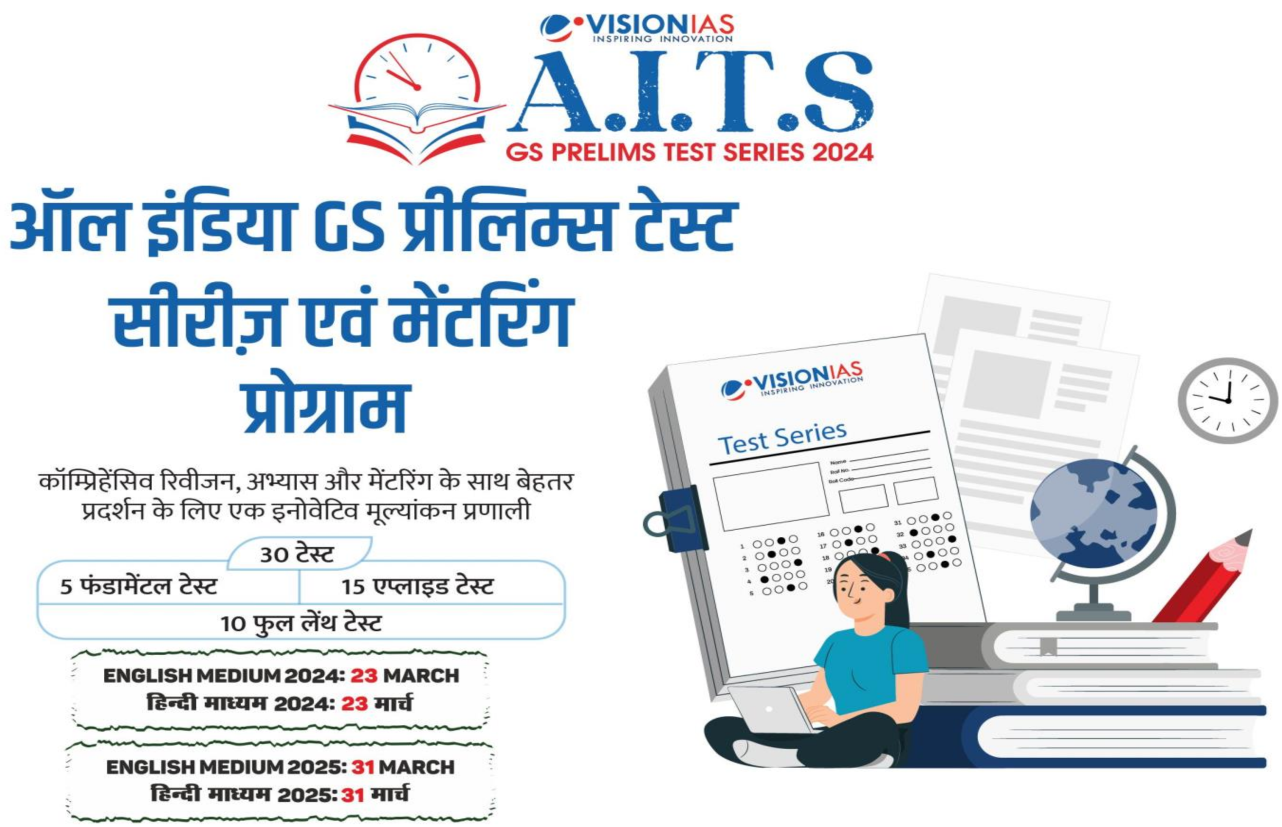

8. संस्कृति (Culture)

8.1. माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर (Maa Kamakhya Access Corridor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **असम** में **माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर** की आधारशिला रखी।

माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर के बारे में

- यह कॉरिडोर मंदिर तक **श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुंच और सुविधा प्रदान करने** तथा क्षेत्र में **पर्यटन को बढ़ावा देने** के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।
- इसे **काशी (उत्तर प्रदेश)** और **महाकाल (मध्य प्रदेश) कॉरिडोर की तर्ज पर डिजाइन** किया गया है।
- इस परियोजना को **"प्रधान मंत्री-पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास पहल (PM-DevINE)[143]" योजना के तहत मंजूरी** दी गई है।
    - पी.एम.-डिवाइन (PM-DevINE) **"केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना"** है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी।
    - **पी.एम.-डिवाइन योजना के उद्देश्य** हैं:
        - अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त-पोषित करना,
        - **पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक विकास को बढ़ावा देना,**
        - **युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर** सृजित करना, तथा
        - **विकास संबंधी कमियों को दूर करना।**
    - **मंत्रालय:** केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय।

कामाख्या मंदिर

क्या आप जानते हैं?

> **उमानंद देवालोई** (पीकॉक द्वीप पर स्थित) एक शिव मंदिर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में उमानंद द्वीप पर स्थित है।

माँ कामाख्या मंदिर के बारे में

- **माँ कामाख्या मंदिर भारत में स्थित महाशक्ति पीठों में से एक है।**
- यहां की अधिष्ठात्री देवी **माँ कामाख्या/ कामेश्वरी** हैं। इन्हें मातृत्व शक्ति और इच्छा की देवी माना जाता है।
- **भौगोलिक अवस्थिति:** यह मंदिर असम में गुवाहाटी के बाहरी इलाके में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है और इसके पास ब्रह्मपुत्र नदी बहती है।
- **इतिहास:**
    - हमलावर **काला पहाड़** द्वारा मूल मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद **1562 में कोच राजवंश के राजा नर नारायण के आदेश पर** इसका पुनर्निर्माण किया गया था।
    - इस मंदिर का उल्लेख **समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ** लेख में भी मिलता है।
    - यह मंदिर **मां शक्ति के अलग-अलग रूपों, जैसे- सुंदरी, त्रिपुरा, तारा, भुवनेश्वरी, बगलामुखी और छिन्नमस्ता** को समर्पित है।

तंत्रवाद के बारे में

- तंत्रवाद एक आध्यात्मिक साधना है जिसमें **आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने** के लिए **मंत्रों** (पवित्र शब्दांशों का जाप), **मंडल** (प्रतीकात्मक चित्र) और **करघा** (तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित गूढ़ अनुष्ठान) का उपयोग किया जाता है।
- तांत्रिक परंपरा **हिंदू और बौद्ध, दोनों में मौजूद** है।
    - हिंदू धर्म में तंत्रवाद को **शैववाद और शाक्त में विभाजित** किया गया है, जहां क्रमशः **भगवान बैरवा** और **काली या योगिनियों की उपासना** की जाती है।
    - **बौद्ध धर्म में वज्रयान** अपने तांत्रिक झुकाव के लिए जाना जाता है। इसमें **तारा, महाकाल, यमंतका आदि की उपासना** की जाती है।

---

[143] Prime Minister's Development Initiative for North Eastern Region

- **वास्तुकला:**
  - इस मंदिर का पुनर्निर्माण **वास्तुकला की नीलाचल शैली में** किया गया है।
  - यह **दो अलग-अलग शैलियों- नागर शैली** (उत्तर भारतीय) और **सारासेनिक शैली** (मुगल) **का संयोजन** है।
  - ईंटों से बना इसका गुंबद **सोलह भुजाओं वाला एक बहुभुज** है। इसे **क्षैतिज पट्टियों से सजाया गया** है।
  - मंदिर परिसर में **तीन प्रमुख कक्ष** हैं।
    - **पश्चिमी कक्ष आयताकार** है, जबकि **मध्य कक्ष वर्गाकार** है और **तीसरा कक्ष गुफा के रूप में** है।
    - **मध्य कक्ष नर नारायण (कोच राजा) के शिलालेखों और चित्रों से सुसज्जित है,** जबकि तीसरा कक्ष एक प्राकृतिक गुफा है, **जिसके आधार में योनि आकार का एक कुंड है** और एक **प्राकृतिक झरना है।**
- **उत्सव:**
  - मंदिर परिसर में हर साल जून में एक सप्ताह तक चलने वाला **'अंबुबाची मेला'** लगता है। प्रतिवर्ष यह मेला उस वक्त लगता है जब **मां कामाख्या ऋतुमती (रजस्वला) रहती हैं।**
    - इस उत्सव के दौरान, **हिंदू पंचांग के 'आषाढ़' माह के सातवें से दसवें दिन तक मंदिर का कपाट बंद रहता है,** क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी **कामाख्या रजस्वला** के वार्षिक चक्र से गुजरती हैं।
    - यह एक पारंपरिक मान्यता है कि **धरती माता के रूप में पूजी जाने वाली देवी** इस अवधि के दौरान अपने वार्षिक **रजस्वला** चक्र में प्रवेश करती हैं।
    - इसलिए, इस उत्सव के दौरान **फसलों की कटाई, जुताई, बुआई और रोपाई जैसे सभी कृषि कार्य निषिद्ध** होते हैं।
- **तंत्र विद्या का केंद्र:** इस मंदिर को देश में **तांत्रिक शक्ति** का प्रमुख केंद्र माना जाता है।
  - तंत्रवाद ज्ञान की एक शाखा है जो अपने साधकों की रक्षा और मुक्ति दोनों करती है।
  - इसे तीन प्रमुख धाराओं में विभाजित किया गया है; **आगम, निगम और यामल।**
    - **आगम:** इस ज्ञान को भगवान शिव की उक्ति माना जाता है,
    - **निगम:** वह ज्ञान जो शक्ति से आता है,
    - **यामल**: वह ज्ञान जो न तो भगवान शिव और न ही शक्ति से आता है।

नीलाचल पहाड़ियों में अन्य प्रसिद्ध मंदिर-

- नीलाचल पहाड़ियों में स्थित कामाख्या मंदिर परिसर **कई अन्य मंदिरों से घिरा हुआ है।** इन मंदिरों में **भुवनेश्वरी, काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगला, भैरवी, धूमावती, मातंगी और कमला** शामिल हैं।
  - कामाख्या मंदिर सहित इन सभी मंदिरों को **सामूहिक रूप से दस-महाविद्या** के रूप में जाना जाता है।

शक्ति पीठ के बारे में

- **शक्ति पीठ सती या शक्ति को समर्पित उपासना स्थल हैं।**
- **कुल 51 शक्ति पीठ हैं** और ये **भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका** में स्थित हैं। इनमें से **18 को महाशक्ति पीठ** कहा जाता है।
- भारत के बाहर स्थित कुछ मुख्य शक्ति पीठ हैं-
  - **गुह्येश्वरी शक्ति पीठ (नेपाल),**
  - **कोट्टारी देवी शक्ति पीठ (पाकिस्तान),**
  - **इंद्राक्षी शक्ति पीठ (श्रीलंका),**
  - **दक्षिणायनी देवी शक्ति पीठ (तिब्बत, चीन), और**
  - **मां भवानी शक्ति पीठ (बांग्लादेश)**

- इन मंदिरों के अलावा, नीलाचल पहाड़ियों के साथ **भगवान शिव के पांच मंदिर मौजूद** हैं। ये मंदिर हैं - कामेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, अमरतोकेश्वर, अघोरा और कौटिलिंग मंदिर।
  - ये सभी मंदिर मिलकर **कामाख्या मंदिर परिसर** बनाते हैं।

8.2. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स (Maratha Military Landscapes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनेस्को (UNESCO) की विश्व विरासत सूची, 2024-25 के लिए भारत "मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स" का नामांकन करेगा। ये वास्तव में मराठा सैन्य किले हैं जिन्हें **"मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया"** शीर्षक से नामांकित किया जाएगा।

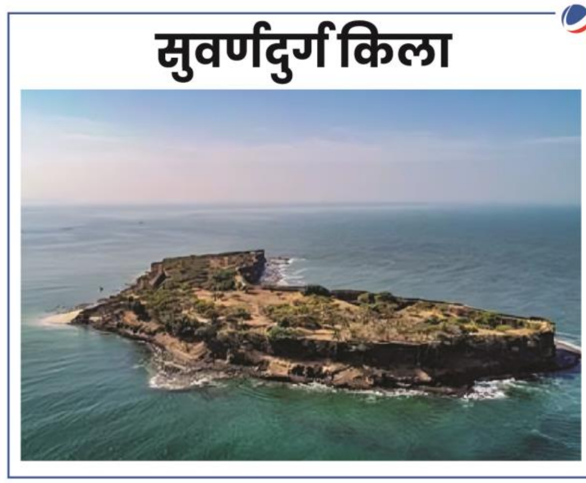

मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के बारे में

- गौरतलब है कि **मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स 2021 से विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची** में शामिल हैं।
- ये मराठा शासकों की **असाधारण किलेबंदी और सैन्य व्यवस्था** का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को **सांस्कृतिक मानदंडों की श्रेणी में नामांकित** किया गया है।
- मराठा सैन्य व्यवस्था और सिद्धांत की शुरुआत **17वीं शताब्दी में** छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान हुई थी।
  - आगे यह व्यवस्था अलग-अलग शासकों के दौरान विकसित होती हुई 1818 ई. तक पेशवाओं के शासन तक जारी रही।
- मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ किले शामिल हैं।
- इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट लैंडस्केप्स, भू-भाग और भौगोलिक विशेषताएं सम्मिलित हैं-
  - **सह्याद्रि पर्वत श्रृंखला,**
  - **कोंकण तट,**
  - **दक्कन का पठार, और**
  - **भारतीय प्रायद्वीप में पूर्वी घाट।**

महाराष्ट्र में अन्य विश्व धरोहर स्थल

- **सांस्कृतिक-** अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलीफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस), और **मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेंबल।**
- **प्राकृतिक- पश्चिमी घाट (2012)** (गौरतलब है कि पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के अलावा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और गुजरात में भी विस्तृत है)।

मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के किलों की मुख्य विशेषताएं	
पहाड़ी किले	
साल्हेर	• इस जगह 1672 में मराठों और मुगलों के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था।
शिवनेरी किला	• महाराज छत्रपति शिवाजी का जन्म इसी किले में हुआ था।
लोहागढ़	• यह किला भज (Bhaje) में बौद्ध गुफाओं के नजदीक स्थित है।
रायगढ़	• छत्रपति शिवाजी ने इसे अपनी स्थायी राजधानी बनाया।
राजगढ़	• यह **'हिन्द स्वराज'** के **प्रथम राजनीतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है।** यह किला मुरुम्बदेव नामक पर्वत पर बना है, इसलिए इसे पहले मुरुम्बदेव के नाम से जाना जाता था। • यह मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। • यह उन 17 किलों में से एक था जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने **1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करते समय अपने पास रखा था।**

 ©Vision IAS

जिंजी किला (तमिलनाडु)	• इसमें तीन अलग-अलग पहाड़ी किले तथा मोटी दीवारों और चट्टानों की एक विशाल चारदीवारी है।
द्वीपीय किले	
सिंधुदुर्ग	• यह अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है।
सुवर्णदुर्ग	• इसका निर्माण संभवतः 16वीं शताब्दी में बीजापुर के शासकों ने कराया था।
खंडेरी किला	• इसका निर्माण मुरुद-जंजीरा किले में **सिद्दियों पर नजर रखने के लिए 1679 ई.** में मराठा राजा शिवाजी के शासनकाल के दौरान करवाया गया था।
पहाड़ी-वन किले	
प्रतापगढ़	• यह किला **शिवाजी और अफजल खान के बीच हुई लड़ाई** के लिए प्रसिद्ध है।
पहाड़ी-पठार किले	
पन्हाला किला	• **ताराबाई के समय यह मराठा साम्राज्य की राजधानी** थी।
तटीय किले	
विजय दुर्ग	• शिवाजी ने यह किला बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से छीना था और बाद में इसका नाम बदलकर "विजय दुर्ग" कर दिया। • इसे **"पूर्व का जिब्राल्टर"** भी कहा जाता था।

मराठा साम्राज्य एक नज़र में	
स्थापना	• मराठा साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत 1674 में **छत्रपति शिवाजी** के उदय के साथ हुई। ○ 1674 में ही शिवाजी का नाम **छत्रपति** रखा गया था। 6 जून, 1674 छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। • 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक बड़े हिस्से पर मराठों का प्रभुत्व था।
राजधानियां	• रायगढ़ किला, जिंजी, सतारा और पुणे
शासन क्षेत्र	• अपने चरमोत्कर्ष काल में मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर में पेशावर से लेकर दक्षिण में तंजावुर तक था।
प्रशासन	• शिवाजी ने प्रभावी शासन के लिए **'अष्टप्रधान'** नामक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की थी। • यह **आठ मंत्रियों** की एक परिषद थी। • ये आठ मंत्री पद थे- **पेशवा** (प्रधान मंत्री), **अमात्य** (वित्त मंत्री), **सचिव** (सेक्रेटरी), **मंत्री** (गृह मंत्री), **सेनापति** (कमांडर-इन-चीफ), **सुमंत** (विदेश मंत्री), **न्यायाध्यक्ष** (मुख्य न्यायाधीश), और **पंडितराव** (न्याय और धर्मार्थ अनुदान के प्रभारी)।

राजस्व नीति	• मराठा साम्राज्य में **सरदेशमुखी और चौथ मुख्य कर** थे।
	  ○ **सरदेशमुखी-** यह संपूर्ण मराठा साम्राज्य के राजस्व पर लगाया गया 10% का अतिरिक्त शुल्क था।
	  ○ **चौथ-** कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था।
	    ▪ चौथ की वसूली उन पड़ोसी शासकों से की जाती थी जिनके क्षेत्र मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे।

पेशवा का प्रभुत्व और पतन	• 1749 में **शाहूजी महाराज (प्रथम)** की मृत्यु के बाद, **पेशवा बालाजी बाजीराव** मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए। • पानीपत की तीसरे युद्ध (1761 में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ) में हार के साथ ही पेशवा का पतन आरंभ हो गया। • अंत में, मराठा साम्राज्य पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया।

निष्कर्ष

मराठा साम्राज्य ऐसे समय एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा जब मुगल शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अपने मजबूत दुर्गों और रणनीति की मदद से मराठे अपने दुश्मनों को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए थे। इन दुर्गों/ किलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किए जाने से उनके संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

विश्व धरोहर स्थलों (WHS) के बारे में

- ये **यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल क्षेत्र या संरचनाएं (ऑब्जेक्ट्स) हैं।**
- ये स्थल 1972 के **वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन** के तहत **उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य** के रूप में नामित होते हैं।
- इन स्थलों को तीन श्रेणियों- **सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित** - के अंतर्गत नामित किया जाता है।
  - **भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं।** इनमें से **34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक** और **1 मिश्रित प्रकार** के हैं।
- WHS का नामांकन सदस्य देशों द्वारा सौंपी गई अस्थायी सूची के आधार पर किया जाता है।
  - विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए, **किसी स्थल को चयन के दस मानदंडों में से किसी एक को पूरा** करना होता है।

8.3. भारत रत्न (Bharat Ratna)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, लालकृष्ण आडवाणी और **कर्पूरी ठाकुर** को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न" से सम्मानित किया गया है।

भारत रत्न के बारे में

- यह भारत का **सर्वोच्च नागरिक सम्मान** है। इसे भारत के **राष्ट्रपति** द्वारा व्यक्तियों को किसी भी क्षेत्र में **'उत्कृष्ट सेवा के लिए'** दिया जाता है, भले ही वह व्यक्ति किसी भी जाति, व्यवसाय, पद या जेंडर से संबंधित हो।
- **नाम की सिफारिश:** किसी व्यक्ति को यह सम्मान देने की सिफारिश भारत के प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है। गौरतलब है कि इसके लिए **कोई औपचारिक सिफारिश करने की जरूरत नहीं** होती है।
- **सम्मान:** भारत रत्न प्राप्तकर्ता को सम्मान के रूप में **एक पदक** और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाण-पत्र) दी जाती है। इस सम्मान के तहत **किसी प्रकार की मौद्रिक राशि नहीं** दी जाती है।
- **स्थापना:** भारत रत्न सम्मान की स्थापना 2 जनवरी, 1954 को **पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद** ने की थी।
- **विनियमन:** संविधान के **अनुच्छेद 18** के अनुसार, इस सम्मान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति **अपने नाम के आगे या पीछे या उपाधि के रूप** भारत रत्न शब्दावली नहीं जोड़ सकते।
  - हालांकि, सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटरहेड आदि में **"राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित"** या "भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ता" शब्दावली का इस्तेमाल कर सकता है।
- **भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले आरंभिक व्यक्ति:** पहली बार यह सम्मान **1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन** और **डॉ. सी.वी. रमन** को दिया गया था।
  - यह सम्मान **दूसरे देशों के नागरिकों को भी** दिया जाता है। **मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला** जैसे विदेशियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है।
- **अन्य संबंधित तथ्य:**
  - **आरंभ में यह सम्मान व्यक्ति के मरणोपरांत नहीं** दिया जाता था। हालांकि, **1966 में लाल बहादुर शास्त्री को यह सम्मान उनकी मृत्यु के उपरांत** दिया गया, **तब से मरणोपरांत व्यक्तियों को भी** यह सम्मान दिया जाने लगा।

- 2014 में **सचिन तेंदुलकर** को भारत रत्न सम्मान दिया गया था। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले **सबसे कम उम्र के व्यक्ति और प्रथम खिलाडी (स्पोर्ट्सपर्सन)** थे।
- प्रत्येक वर्ष **अधिकतम तीन पुरस्कार दिए जा सकते हैं।** हालांकि**,** अपवाद-स्वरूप **2024 और 1999 में** क्रमशः **पांच और चार** व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ।

भारत रत्न पदक का डिजाइन

- **आकार और लेख:** इस पदक का डिजाइन पीपल के पत्ते जैसा है। इसमें एक तरफ सूर्य की चमकदार आकृति के नीचे देवनागरी लिपि में 'भारत रत्न' अंकित है।
- **दूसरा भाग:** पदक के दूसरे भाग पर भारत का राजचिन्ह (अशोक स्तम्भ) उत्कीर्ण है तथा इसके नीचे देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' लिखा हुआ है।
- **सामग्री:** भारत रत्न पदक पर लगा प्रतीक, सूर्य और किनारा प्लैटिनम से बने हैं, जबकि लेख चमकदार कांस्य से तैयार किया जाता है।
- निर्माण: इस पदक का निर्माण **कोलकाता की अलीपुर टकसाल** में किया जाता है।

पी.वी. नरसिम्हा राव के बारे में

- **व्यक्तिगत जीवन जीवन:** पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून, 1921 को वर्तमान तेलंगाना राज्य में हुआ था। उन्होंने विधि और साहित्य में उच्चतर शिक्षा प्राप्त की। श्री राव तेलुगु, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी सहित कई भाषाओं में पारंगत थे।
- **राजनीतिक सफर:** पी.वी. नरसिम्हा राव का कई दशकों का प्रभावशाली राजनीतिक सफर रहा है।
  - उनके आरंभिक नेतृत्व कौशल के बारे में **1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री** के रूप में उनके कार्यकाल से पता चलता है।
  - केंद्र सरकार के स्तर पर, उन्होंने **विदेश, गृह, रक्षा और मानव संसाधन विकास सहित कई मंत्री पदों** को संभाला।
  - वे **1991 से 1996 के बीच भारत के प्रधान मंत्री रहे**। उनका कार्यकाल महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों और राजनयिक पहलों के लिए जाना जाता है।
- **पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा किए गए सुधार:**
  - **आर्थिक सुधार: उन्होंने भारत में लाइसेंस राज की व्यवस्था को खत्म किया तथा आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया।** नरसिम्हा राव ने भारतीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और बाजार-उन्मुख संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय प्रस्तुत किए।
  - **संवैधानिक सुधार:** उनके कार्यकाल में **73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम** सहित कई महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन किए गए। **73वें और 74वें संशोधनों** ने शासन का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया।
  - **राजनयिक पहलें:** उन्होंने भारत की विदेश नीति को नए आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नरसिम्हा राव ने **1983 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सातवें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।** इसके अलावा, फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समस्या का समाधान करने के लिए **पश्चिम एशिया में एक विशेष गुटनिरपेक्ष मिशन का नेतृत्व किया। पी.वी. नरसिम्हा राव ने ही इजरायल के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित** किए। उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को अधिक प्रगाढ़ करने के लिए **'लुक ईस्ट पॉलिसी'** की शुरुआत की।
  - **भारत-अमेरिका संबंधों में सुधार:** उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर बनाने तथा व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम किया।

चौधरी चरण सिंह के बारे में

- **व्यक्तिगत जीवन:**
  - उनका जन्म 23 दिसंबर, 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर ग्राम में हुआ था।
  - उनका पालन-पोषण एक किसान परिवार में हुआ।
  - चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व पर **आर्य समाज के जातिविहीन हिंदू समाज के आदर्श** और **ग्रामीण विकास पर गांधीजी की शिक्षाओं** का काफी असर था।
- **राजनीतिक सफर:**
  - वे **दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे; पहली बार** 1967 से 1968 तक तथा बाद में 1970 में।

- चौधरी चरण सिंह **1951 से लेकर 1967 तक उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल** में कई विभागों के मंत्री रहे। इस दौरान, उन्होंने राजस्व, भूमि, कृषि, वन और कानून और व्यवस्था से संबंधित अधिनियम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।
- वे **जुलाई 1979 से 1980 तक की अल्पावधि के लिए भारत के प्रधान मंत्री** भी रहे। वे एक साल से भी कम समय तक प्रधान मंत्री रहे।

- **चौधरी चरण सिंह द्वारा किए गए सुधार:**
  - **ऋण मुक्ति विधेयक (1939):** वे उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के मुख्य प्रवर्तक थे। उन्होंने ऋण मुक्ति विधेयक 1939 को तैयार किया और उसे अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई। इस कानून से ग्रामीण कर्जदारों को बड़ी राहत मिली।
  - उन्होंने **अप्रैल 1939 में भूमि उपयोग विधेयक का मसौदा** तैयार किया। यह विधेयक कृषि जोतों का मालिकाना हक काश्तकारों को हस्तांतरित करने के लिए लाया गया था।
  - **उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में भूमिका:** यह उनके ही प्रयासों का परिणाम था कि **उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1952** जैसे कानूनों के चलते राज्य भर में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन संभव हुआ।
  - **उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953:** इस कानून ने अधिक समृद्ध और अपेक्षाकृत कम समृद्ध किसानों की भूमि जोत की चकबंदी का मार्ग प्रशस्त किया।

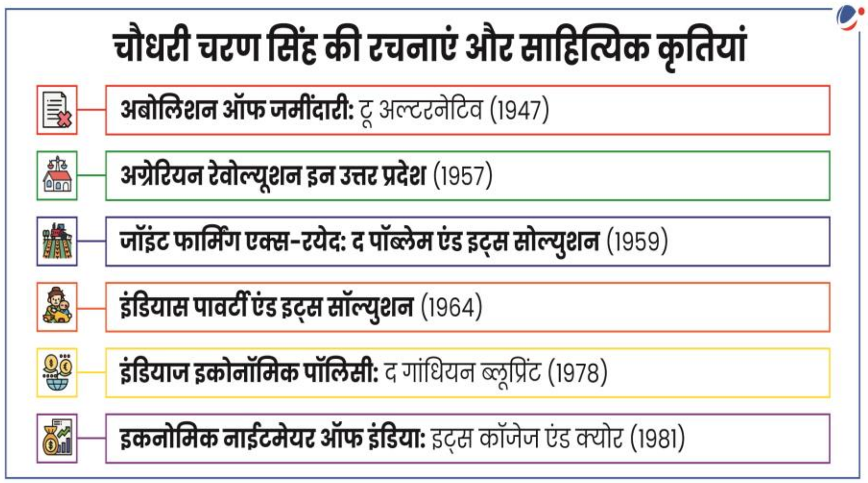

  - **उत्तर प्रदेश मृदा संरक्षण अधिनियम, 1954:** इसका उद्देश्य **मृदा अपरदन और मृदा की उत्पादकता** में होने वाली गिरावट पर नियंत्रण लगाना था।
  - **भू धारण अधिनियम, 1960:** इसका उद्देश्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भूमि जोत धारण की सीमा को कम करके इसे सभी के लिए एक समान बनाना था।

अन्य संबंधित तथ्य: पद्म पुरस्कार

- राष्ट्रपति ने 2024 के लिए **132 पद्म पुरस्कार देने को मंजूरी** प्रदान की।
- **पद्म पुरस्कारों को 1954 में स्थापित** किया गया था। इनकी घोषणा **गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या** पर की जाती है। 1978, 1979 और 1993 से 1997 के दौरान आए कुछ व्यवधानों को छोड़कर ये पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाते हैं।
- **ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं:**
  - **पद्म विभूषण-** असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए;
  - **पद्म भूषण-** उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए; तथा
  - **पद्म श्री-** विशिष्ट सेवा के लिए।
- ये पुरस्कार विशिष्ट कार्यों को मान्यता प्रदान करते हैं तथा **सभी विषयों/ गतिविधियों के क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं।**
- ये पुरस्कार **'पद्म पुरस्कार समिति' द्वारा की गई सिफारिशों के आधार** पर प्रदान किए जाते हैं।
  - इसकी अध्यक्षता **कैबिनेट सचिव** द्वारा की जाती है। इसमें **गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और चार से छह प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल** होते हैं।
  - समिति द्वारा चयनित लोगों की सूची अनुमोदन के लिए प्रधान मंत्री और फिर भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
- पद्म पुरस्कार सभी **जाति, व्यवसाय, पद या जेंडर के लोगों को बिना किसी भेदभाव के** दिए जाते हैं।
  - हालांकि, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर, **सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों में काम करने वाले और सरकारी** कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।
- **किसी व्यक्ति को उच्चतर श्रेणी का पद्म पुरस्कार तभी प्रदान** किया जा सकता है जब कमतर श्रेणी में दिए गए पद्म पुरस्कार के **पांच वर्ष पूरे हो गए हों**। हालांकि, अत्यधिक पात्र मामलों में पुरस्कार समिति द्वारा इस अवधि में छूट प्रदान की जा सकती है।
- पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा **हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाण-पत्र) और एक पदक** प्रदान किया जाता है।
- एक वर्ष में पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या (मरणोपरांत और अप्रवासियों को छोड़कर) 120 तक सीमित है।
- यह **संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कोई "उपाधि" नहीं है।**

©Vision IAS

8.4. रानी चेन्नम्मा (Rani Chennamma)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में हुए **कित्तूर** या **कित्तुरु विद्रोह** की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई।

रानी चेन्नम्मा

रानी चेन्नम्मा के बारे में

- उनका जन्म 1778 में काकती गांव (वर्तमान कर्नाटक) में हुआ था।
- उन्होंने कित्तूर के **राजा मल्लसर्ज** से शादी की थी जिन्होंने 1816 तक प्रांत पर शासन किया।
- 1816 में मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद, उनके सबसे बड़े बेटे शिवलिंगरुद्र सर्ज सिंहासन पर बैठे थे। हालांकि, कुछ ही समय के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई।
- इसके बाद **रानी चेन्नम्मा** ने एक **बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद लिया** और उसे राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाया।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) के साथ संघर्ष

क्या आप जानते हैं?

> **रानी चेन्नम्मा** ने छत्रपति **शिवाजी** के दूसरे पुत्र **राजाराम** को तब शरण दी थी, जब वे मुगल सेना से बचकर भाग रहे थे।

- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने **डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स** यानी **व्यपगत का सिद्धांत** के तहत, उनके दत्तक पुत्र को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया। साथ ही उन्हें अपने दत्तक पुत्र को निर्वासित करने का भी आदेश दिया।
  - यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा आधिकारिक रूप से **डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स** सिद्धांत की घोषणा किए जाने से भी पहले, 1824 में इस सिद्धांत को लागू करने का पहला मामला था (बॉक्स देखें)।
- इसके बाद रानी चेन्नम्मा ने अपने गोद लिए हुए बच्चे को निर्वासित करने के EIC's के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने कित्तूर के मामले से जुड़े इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे के तत्कालीन लेफ्टिनेंट-गवर्नर लॉर्ड **एलफिंस्टन** को पत्र लिखा, लेकिन उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।
- अंग्रेजों ने उनके खजाने और आभूषणों को जब्त करने की कोशिश की, इसके खिलाफ **कित्तूर में विद्रोह** हो गया।

कित्तूर विद्रोह (1824) के बारे में

- इसे ब्रिटिश EIC के खिलाफ **पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह** माना जाता है। साथ ही, यह **महिलाओं के नेतृत्व में किए गए आरंभिक उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्षों** में से एक था।
- अक्टूबर 1824 में हुई पहली लड़ाई में ब्रिटिश सेना की करारी हार हुई थी।
  - इस युद्ध में ब्रिटिश अधिकारियों को भी बंधक बना लिया था।
  - अंग्रेजों द्वारा युद्ध समाप्त किए जाने का वादा करने के बाद उन्होंने युद्ध-बंदियों को रिहा कर दिया।
  - लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें धोखा दिया और युद्ध-बंदियों को रिहा होने के बाद युद्ध फिर से शुरू कर दिया।
- ब्रिटिश सेना ने कित्तूर के किले पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। साथ ही रानी चेन्नम्मा और उनके परिवार वालों को **बैलहोंगल** के किले में कैद कर दिया गया, जहां 1829 में उनकी मृत्यु हो गई।
- उनके लेफ्टिनेंट, **सांगोली रायन्ना** ने युद्ध में मुख्य भूमिका निभाई थी।

विलय या हड़प की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स

- यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की **विलय की प्रमुख नीतियों में से एक** थी।
  - विलय या हड़प संबंधी अन्य नीतियां थीं- **रिंग ऑफ फेंस की नीति** और **सहायक संधि।**
- इस नीति के तहत, यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च-सत्ता के अधीन आने वाला किसी देशी राज्य या क्षेत्र का शासक यदि **"शासन करने में अक्षम हो** या **स्पष्ट पुरुष उत्तराधिकारी के बिना ही मर जाए"** तो उसकी रियासत या क्षेत्र पर **ब्रिटिश शासन का** स्वतः **कब्जा** हो जाता था।
- इस सिद्धांत के तहत बिना उत्तराधिकारी वाले भारतीय शासकों के उत्तराधिकारी चुनने के **लंबे समय से स्थापित अधिकार** को समाप्त कर दिया गया।
- सतारा (1848), जैतपुर (1849), संबलपुर (1849), बघाट (1850), उदयपुर (1852), झाँसी (1853) और नागपुर (1854) जैसी रियासतों को इसी सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।
- 1857 के विद्रोह के बाद इस सिद्धांत को त्याग दिया गया।

निष्कर्ष

रानी चेन्नम्मा का विद्रोह सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नहीं था बल्कि यह उस सामाजिक व्यवस्था के भी खिलाफ था, जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। उनके विद्रोह और बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय जागृति का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

8.5. महर्षि दयानंद सरस्वती (Maharshi Dayanand Saraswati)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रख्यात सामाजिक और धार्मिक सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई।

महर्षि दयानंद सरस्वती (1824-1883) के बारे में

- **प्रारंभिक जीवन:**
  - उनका जन्म गुजरात राज्य के टंकारा में हुआ था।
  - उनके पिता का नाम करसन जी तिवारी और माता का नाम अमृतबाई था।
  - उनके बचपन का नाम **मूलशंकर** था। उन्हें **दयाराम** भी कहा जाता था।

क्या आप जानते हैं?

> महर्षि दयानंद सरस्वती ने **"वेदों की ओर लौटो"** का आह्वान किया था।

- **शिक्षा और ज्ञान:**
  - शिवरात्रि के दिन उपवास करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
  - 14 साल की उम्र में ही उन्होंने यजुर्वेद और अन्य वेदों की ऋचाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।
  - उन्होंने मथुरा में गुरु विरजानन्द जी से शिक्षा प्राप्त की।

<table>
<tr><th colspan="2">दयानंद सरस्वती का योगदान तथा वर्तमान परिदृश्य में उनके विचारों और सिद्धांतों की प्रासंगिकता</th></tr>
<tr><th>योगदान</th><th>प्रासंगिकता</th></tr>
<tr><td colspan="2">सामाजिक-धार्मिक</td></tr>
<tr><td>• महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों को ईश्वर से प्रेरित होने के कारण उन्हें हिंदू धर्म की आधारशिला और अचूक (कभी गलत न होने वाला) मानते थे।
• उनका मुख्य लक्ष्य वेदों की शिक्षाओं को पुनर्जीवित करना था।
• उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। इसका उद्देश्य उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना था जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर दूसरे धर्म को अपना लिया था।
• 1875 में, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। यह एक सुधारवादी संगठन था।
  ○ आर्य समाज की पहली इकाई मुंबई में स्थापित की गई और बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया।
  ○ आर्य समाज बहुदेववाद, मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, पशु बलि, मंदिर में चढ़ावे जैसे कर्मकाण्ड और पुरोहितवाद का विरोध करता है।
  ○ इस संगठन ने विधवा पुनर्विवाह जैसे कार्यों का भी समर्थन किया वहीं बाल विवाह का विरोध किया।
  ○ आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित दस सिद्धांतों पर आधारित है जो वेदों की शिक्षाओं में निहित हैं।
  ○ इसके अतिरिक्त, इसने दलित वर्गों के उत्थान पर जोर दिया।</td><td>• उन्होंने अंधविश्वास जैसी कई कुप्रथाओं की आलोचना की, जिनमें से कई अभी भी प्रचलित हैं। ये कुप्रथाएं वैज्ञानिक सोच के खिलाफ हैं। इसलिए दयानन्द सरस्वती के विचारों को प्रसारित करके लोगों को जागरूक करना जरूरी है।
• 19वीं शताब्दी में, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के विचार का समर्थन किया। दुर्भाग्य से अभी भी बड़ी संख्या में लोग विधवा पुनर्विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि, दयानंद सरस्वती के नेक विचारों को बढ़ावा देकर ऐसी संकीर्ण और पितृसत्तात्मक मानसिकता को सुधारा जा सकता है।
• आज भी, उनकी शिक्षाएं बहुत प्रासंगिक हैं क्योंकि समाज भ्रष्टाचार और जाति-आधारित भेदभाव जैसी कई सामाजिक बुराइयों का सामना कर रहा है।</td></tr>
</table>

शिक्षा	
• उन्होंने **गुरुकुल** और **कन्या गुरुकुल** की स्थापना की। • 1886 में, उनके विजन को पूरा करने के लिए **डी.ए.वी (दयानंद एंग्लो वैदिक)** स्कूलों की स्थापना की गई। • पहला डी.ए.वी स्कूल **लाहौर में** खोला गया, जिसके प्रधानाध्यापक महात्मा हंसराज थे।	• उनका मानना था कि **शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए** क्योंकि यह **समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाती है। • वर्तमान परिदृश्य में, उनका विजन समाज के हाशिये पर मौजूद अनुसूचित जाति जैसे वर्गों को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है।
राजनीतिक चेतना	
• उन्होंने **राष्ट्रीय जागृति को बढ़ावा** देने की दिशा में भी काम किया। • वह 1876 में **"भारत भारतीयों के लिए"** के रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे।	• वैसे तो **राष्ट्रीय जागृति** का विचार आज भी प्रासंगिक है, लेकिन इसका उद्देश्य बदल गया है। • उस समय हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज हमें सांप्रदायिकता, आतंकवाद, गरीबी जैसे ज्वलंत मुद्दों से लड़ना है।
साहित्यिक रचनाएं	
• सत्यार्थ प्रकाश, संस्कारविधि, यजुर्वेद भाष्यम, वेद भाष्य भूमिका आदि। • उन्होंने **आर्य पत्रिका** नामक पत्रिका का संपादन भी किया। यह पत्रिका दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है।	• उनकी साहित्यिक रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। ये उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचा रही है।

निष्कर्ष

महर्षि दयानंद सरस्वती ने जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके महान विचार और सोच आज भी प्रासंगिक हैं और राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं।

8.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.6.1. परुवेता उत्सवम (Paruveta Utsavam)

- **आंध्र प्रदेश** के 'परुवेता उत्सवम' को यूनेस्को की **'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची'** में शामिल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
    - परुवेता, **शिकार करने की नकल का उत्सव** है।
- इस उत्सव की शुरुआत **हर साल मकर संक्रांति** के अवसर पर **अहोबिलम (आंध्र प्रदेश) में श्री नरसिम्हा स्वामी मंदिर** से होती है। यह उत्सव **लगभग 40 से 45 दिनों** तक चलता है।
    - अहोबिलम **पूर्वी घाट में नल्लामाला वन** के बीच में अवस्थित है। यहां भगवान **विष्णु के "नरसिंह अवतार" नरसिम्हा** की पूजा की जाती है।
- यह **108 दिव्य देशम (श्री विष्णु के मंदिर)** में से एक है।

8.6.2. होरी हब्बा (Hori Habba)

- **कर्नाटक** में होरी हब्बा खेल के दौरान रिपोर्ट की गई हताहतों की संख्या खेलों में **जानवरों और मनुष्यों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं** पैदा करती है।
- होरी हब्बा को **हट्टी हब्बा** के नाम से भी जाना जाता है। यह **कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित** होता है। इसमें **सजे हुए बैलों को भीड़ के बीच** दौड़ाया जाता है और लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं।
- **भारत में पशुओं को शामिल किए जाने वाले अन्य खेल:**
    - **जल्लीकट्टू:** यह **तमिलनाडु में पोंगल** के दिन आयोजित होने वाला **बैल-दौड़** खेल है। इसमें बैल को पकड़कर उस पर काबू पाया जाता है।
    - **कंबाला:** यह **तटीय कर्नाटक** में आयोजित होने वाली पारंपरिक **भैंसा दौड़** है।
    - **मुर्गों की लड़ाई:** यह खेल **आंध्र प्रदेश** सहित कई राज्यों में सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है।
    - **बुलबुल की लड़ाई: माघ बिहू** के दौरान **असम** में आयोजित की जाती है।
    - **बैलगाड़ी दौड़: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु** जैसे राज्यों में आयोजित होती है।

8.6.3. कुटिया कोंध जनजाति (Kutia Kondh Tribe)

- कुटिया कोंध जनजाति के दो व्यक्ति विशेष अतिथि के रूप में नई दिल्ली में आयोजित **गणतंत्र दिवस परेड** में शामिल हुए थे।
- **कुटिया कोंध (कुटिया कंध) जनजाति बारे में:**
    - यह **ओडिशा का विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)** है।

- वर्तमान में, **भारत में 75 जनजातियों को PVTGs का दर्जा** दिया गया है। ओडिशा में सबसे अधिक (13) PVTGs हैं।

- **समाज और संस्कृति:**
  - इस जनजाति में **परिवार अधिकतर एकल और पितृसत्तात्मक** होते हैं।
  - कोंध जनजाति **प्रकृति की पूजा** करती है।
  - यह जनजाति **भैंस बलि अनुष्ठान** के लिए प्रसिद्ध है। इस अनुष्ठान को **"केडु"** कहा जाता है। धरती माता को प्रसन्न करने के लिए यह **पशु बलि** दी जाती है।
- **कृषि:**
  - इनमें **स्थानांतरित कृषि या स्लैश एंड बर्न** कृषि प्रचलित है।
  - कोंध इस कृषि पद्धति को **डोंगर चास या पोडु चास** कहते हैं।

8.6.4. ग्रंथम अभिलेख (Grantham Inscriptions)

- **तमिलनाडु में कंगायम** के नजदीक **11वीं सदी के ग्रंथम अभिलेख और 16वीं सदी के तमिल अभिलेखों** की खोज की गई है।
  - **'ग्रंथ'** एक लिपि है। **तमिलनाडु में प्राकृत और संस्कृत भाषाओं को इसी लिपि** में लिखा जाता है।
- ग्रंथ लिपि की उत्पत्ति **पल्लव शासक महेंद्रवर्मन के तिरुचिरापल्ली शैलकृत गुफा और अन्य गुफा मंदिर अभिलेखों** से जुड़ी है।
- **ग्रंथ लिपि के अन्य अभिलेखों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - नरसिंहवर्मन के मामल्लपुरम और कांची कैलाशनाथ मंदिर के अभिलेख,
  - पांड्य वंश के शासक नेदुनजादैयन के अनैमलाई अभिलेख, और
  - तंजावुर के चोलों के अभिलेख आदि।

8.6.5. ज्ञानपीठ पुरस्कार (Jnanpith Award)

- 58वें ज्ञानपीठ (2023) पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार **जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी (संस्कृत) और गुलजार (उर्दू)** को दिया जाएगा।
- **ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में:**
  - यह पुरस्कार **1965 से हर साल भारतीय ज्ञानपीठ** द्वारा दिया जाता है। **भारतीय साहित्य** में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है।
    - **भारतीय ज्ञानपीठ की औपचारिक स्थापना 1944** में की गई थी। यह भारत के प्रमुख **साहित्यिक संगठनों और प्रकाशकों** में से एक है।
  - इसे भारत में **सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता** प्राप्त है।
  - यह पुरस्कार **भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा में साहित्य लेखन के लिए प्रदान** किया जाता है।
- यह **पुरस्कार राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री या अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा** दिया जाता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

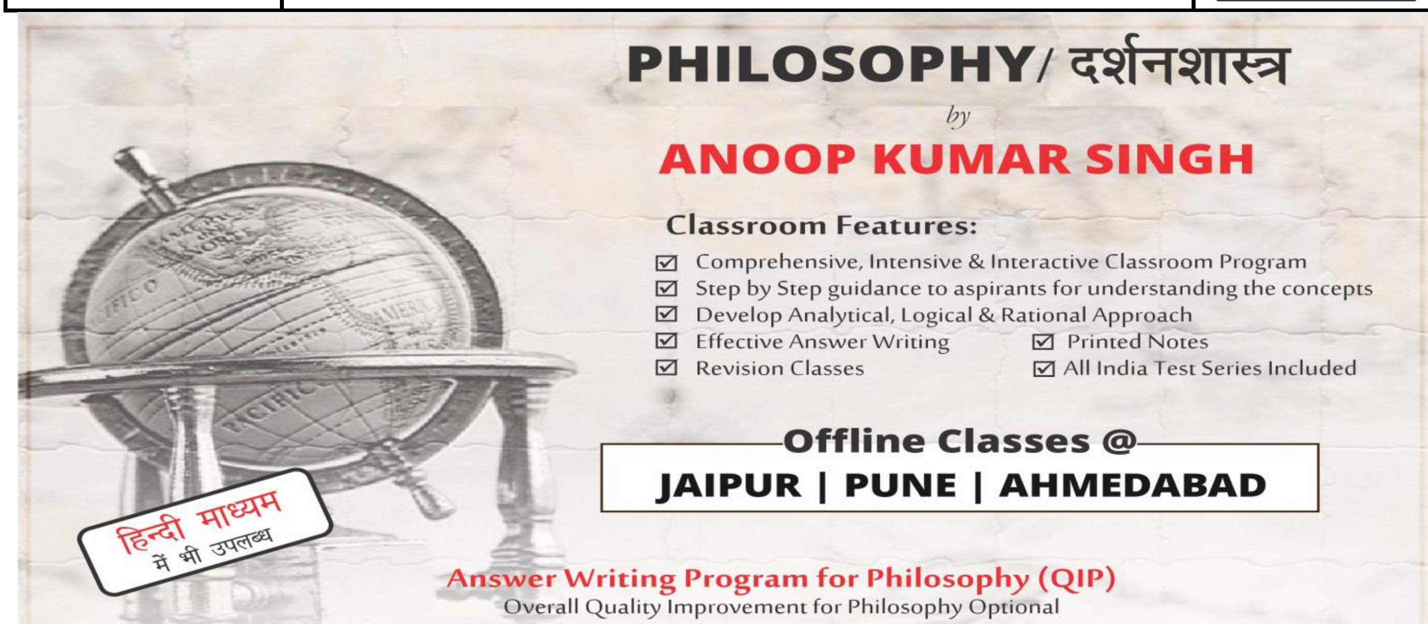

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. सरकारी एग्जाम में अनुचित साधनों (चीटिंग) का प्रयोग {Use of Unfair Means (Cheating) In Public Examination}

प्रस्तावना

हाल ही में, संसद ने **लोक परीक्षा (कदाचार रोकथाम) अधिनियम**[144] **(PEA), 2024** पारित किया। इस अधिनियम में **केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के तहत कराई** जाने वाली लोक परीक्षा को आयोजित करने में शामिल **विभिन्न संस्थाओं** द्वारा अपनाए गए **अनुचित साधनों या किए गए अपराधों** से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोक यानी सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है।

विभिन्न हितधारक तथा लोक परीक्षा में उनके हित और चीटिंग का प्रभाव

हितधारक	हित	चीटिंग का प्रभाव
छात्र	• ज्ञान में वृद्धि। • सुरक्षित रोजगार की संभावनाएं। • स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आत्मविश्वास और समय प्रबंधन जैसे कौशल का विकास करना। • लर्निंग का आकलन करना।	• यह **सीखने की प्रक्रिया में बाधा** डालती है। • यह **कुछ अभ्यर्थियों को दूसरों की तुलना में अनुचित लाभ** प्रदान करती है। • इससे ईमानदारी और मेहनत से हासिल की गई **उपलब्धियों का महत्त्व कम** हो जाता है। • गंभीर अभ्यर्थियों के **भविष्य से समझौता** होता है।
सरकार और लोक प्राधिकरण	• योग्य अधिकारियों का चयन करना। • युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। • नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना।	• अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, जिससे **सर्विस डिलीवरी पर निगेटिव प्रभाव** पड़ता है। • घोटाले और परीक्षा स्थगित होने से पूरी **प्रक्रिया की लागत बढ़ जाती** है। • चीटिंग की बार-बार होने वाली घटनाओं ने **जनता और सरकार के बीच विश्वास की कमी को बढ़ा** दिया है।
समाज	• समाज की सेवा के लिए योग्य मानव संसाधन का विकास करना। • ईमानदारी, कठोर परिश्रम आदि गुणों को बढ़ावा देना।	• यदि चीटिंग से पास हुए अभ्यर्थियों का चयन होता है तो वे समाज की अपूर्ण सेवा का कारण बनते हैं। दूसरी ओर, ऐसे लोगों को सिस्टम का अंग और सर्टिफाइड व लाइसेंस प्राप्त सेवक मान लिया जाता है। • सार्वजनिक जीवन में धोखाधड़ी की सामाजिक स्वीकार्यता में वृद्धि होती है। • समाज में नैतिक भ्रष्टाचार कायम रहता है।
परीक्षा केंद्र, सेवा प्रदाता	• परीक्षा आयोजित करने से आर्थिक लाभ।	• भविष्य के अवसरों और लाभ की संभावनाओं का कम होना।

परीक्षाओं में नकल के विरुद्ध नैतिक तर्क

- **कर्त्तव्य-मूलक नैतिकता (Deontological ethics) का उल्लंघन:** छात्र **अनुकूल उद्देश्यों (या परिणामों) के लिए अनुचित साधनों (जैसे- चीटिंग) का सहारा** लेते हैं।
- **उपयोगितावाद के विरुद्ध:** चीटिंग समाज की मदद नहीं करती है। इससे **समाज के हितों की पूर्ति नहीं होती** है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग **आवश्यक ज्ञान और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं** हैं, वे **महत्वपूर्ण पदों पर आसीन** हो जाते हैं।
- **निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative) का उल्लंघन:** इमैनुएल कांट द्वारा प्रदत्त कैटगॉरिकल इम्पेरटिव के सिद्धांत के अनुसार, **किसी को केवल उन नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए जो सभी के लिए लागू** हो सकते हैं।
  - इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि संभावित चीटर्स या जिन्होंने धोखाधड़ी करके पद हासिल किया है वे निम्नतर देखभाल सेवाएं प्रदान करके लोकहित को नुकसान पहुंचाते हैं।

[144] Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act (PEA), 2024

- **निष्पक्षता के सिद्धांत के रूप में न्याय[145]:** चीटिंग **मानवीय स्वतंत्रता और अवसरों की समानता का उल्लंघन** करती है और **अन्यायपूर्ण भेदभाव का समर्थन** करती है।
- **सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics):** सत्य, विश्वसनीयता और चरित्र की उत्कृष्टता के गुण **चीटिंग या बेईमानी का समर्थन नहीं** करते हैं।

परीक्षाओं में नकल के कारण

- **अस्पष्ट रवैया:** माता-पिता और शिक्षक **कभी-कभी ऐसी संस्कृति का समर्थन** करते हैं जो **चीटिंग को स्वीकार** करती है, जैसे कि **स्टूडेंट्स को साहित्यिक चोरी की अनुमति देना।**
- **प्रतिस्पर्धा और सामाजिक दबाव:** आज के बढ़ते **प्रतिस्पर्धी माहौल** में, परीक्षा में **अच्छा प्रदर्शन करना** स्वयं का अस्तित्व बनाए रखने के लिए और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
    - इसके अलावा, **सफलता** को अक्सर इस बात से मापा जाता है कि **स्टूडेंट के पास पासिंग ग्रेड** है या नहीं। आजकल **सफलता को ईमानदारी से अपनी लर्निंग को पूरा करने की क्षमता** से नहीं मापा जाता है।

मैं धोखे से जीतने की बजाए सम्मान के साथ हारना ज्यादा पसंद करूंगा।

— सोफॉक्लीज

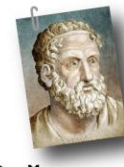

- **न्याय में देरी:** आम धारणा के अनुसार, **न्यायिक प्रणाली धीमी और अप्रभावी** है। इससे **न्यायिक परिणामों का डर कम** हो जाता है।
- **उच्च-स्तरीय तकनीक:** चीटर्स की चीटिंग में मदद करने वाले कई उपकरणों तक पहुंच होती है, जैसे- **स्पाइ माइक, ब्लूटूथ डिवाइस** इत्यादि।
- **संस्थागत उदासीनता:** अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए उचित निगरानी प्रणालियों का अभाव है। **यथोचित दंड की अनुपस्थिति धोखाधड़ी को और बढ़ावा** दे सकती है।
- **महत्वाकांक्षा और स्वहित की चाह:** ऐसे स्टूडेंट दूसरों की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर चीटिंग कर सकते हैं।
    - इसके अलावा, अन्य संस्थाएं **मौद्रिक लाभ के लिए इस तरह की धोखाधड़ी में सहायता** कर सकती हैं।
- **परोपकारी प्रकृति की चीटिंग:** कोई व्यक्ति किसी अन्य को **लाभ पहुंचाने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग** कर सकता है, जैसे कि माता-पिता द्वारा अपने बच्चों को परीक्षा में मदद करने के लिए मौद्रिक साधनों का उपयोग करना, दोस्तों द्वारा एक-दूसरे की मदद करना आदि।

"लोक परीक्षा (कदाचार रोकथाम) अधिनियम, 2024" सरकारी एग्जाम में अनुचित साधनों के उपयोग को कैसे रोक पाएगा?

- **अनुचित साधनों की व्यापक परिभाषा:** अधिनियम में **15 कृत्यों को सूचीबद्ध** किया गया है जिनमें **सरकारी एग्जाम में "मौद्रिक या अनुचित लाभ के लिए"** अनुचित साधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रश्न पत्र/ उत्तर कुंजी का लीक होना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभ्यर्थी की सहायता करना, **मानदंडों का जानबूझकर उल्लंघन करना या स्टैण्डर्ड, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन के साथ छेड़छाड़ करना, नकली वेबसाइट का निर्माण** आदि शामिल है।
- **सख्त दंडात्मक कार्रवाई:** अधिनियम के तहत इस तरह के सभी अपराध को **संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय[146]** बनाया गया है। अधिनियम में निर्दिष्ट दंड-
    - **अधिनियम के तहत अनुचित साधनों का सहारा लेने और अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए:** 3-5 साल की कैद और दस लाख रुपये तक का जुर्माना।
    - **सेवा प्रदाता के लिए:** इसमें **एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना** और जांच की **आनुपातिक लागत की वसूली** शामिल है। इसमें **चार साल की अवधि के लिए सेवा-प्रदाता के रूप में प्रतिबंधित किया जाना** भी शामिल है।
    - **संगठित अपराध:** 5-10 साल की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** उल्लंघन की स्थिति में, **सेवा प्रदाताओं (कंप्यूटर जैसे उपकरण प्रदान करने वाले) को पुलिस और संबंधित परीक्षा प्राधिकरण** को रिपोर्ट करना होगा।

अधिनियम के तहत शामिल लोक/ सरकारी/ सार्वजनिक परीक्षाएं (Public Examination):

कोई भी परीक्षा, जो निम्नलिखित के द्वारा आयोजित कराई जाती हो:

- संघ लोक सेवा आयोग
- कर्मचारी चयन आयोग
- रेलवे भर्ती बोर्ड
- इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS)
- केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग तथा स्टाफ की भर्ती के लिए उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
- केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित ऐसी कोई भी एजेंसी

- **जांच करने के लिए अधिकृत अधिकारी:** एक अधिकारी जो **डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP)** के पद से नीचे का न हो।

---

[145] Justice as Fairness Principle

[146] Cognizable, non-bailable, and non-compoundable

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी आधारित समाधान:** अनुचित उद्देश्यों के लिए **प्रौद्योगिकी के उपयोग के मामलों से बेहतर ढंग से निपटने** के लिए नई रणनीतियों पर विचार करने और उन्हें अपनाने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिए- सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अनुचित इस्तेमाल को रोकने हेतु प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए लोक परीक्षाओं पर एक **उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति** गठित करने का निर्णय लिया था।
- **चीटिंग को सामाजिक कलंक मानना:** समाज में **चीटिंग के प्रति नेगेटिव दृष्टिकोण बनाने** के लिए **मूल्य-आधारित शिक्षा और रोल मॉडल का उपयोग** किया जाना चाहिए।
- **माता-पिता की भागीदारी:** माता-पिता को **घर पर नैतिक शिक्षा** देते हुए **अनैतिक प्रथाओं का सहारा लिए बिना शिक्षा में अपने बच्चों का सहयोग** करना चाहिए।

अपनी नैतिक योग्यता का परीक्षण कीजिए:

आप काफी समय से किसी लोक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आप इसे बहुत कम अंतर से उत्तीर्ण करने में सफल नहीं हो पाए हैं। आपसे एक व्यक्ति ने संपर्क किया जिसने आपको सूचित किया था कि वह आपकी आगामी परीक्षा के परीक्षा केंद्र पर काम करता है। उसने कहा कि वह पैसे के बदले आपको कुछ सवालों के उत्तर उपलब्ध करवा सकता है। उन्होंने कहा कि वह काफी समय से इस गतिविधि में लिप्त है, और क्योंकि वह इसे बहुत छोटे पैमाने पर कर रहा है, इसलिए वह कभी पकड़ा नहीं जाता। इसलिए, आपके पकड़े जाने की संभावना भी कम है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- दी गई स्थिति में शामिल हितधारकों और नैतिक चिंताओं की पहचान कीजिए।
- आपके पास उपलब्ध संभावित विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए।
- एक आदर्श कार्रवाई के रूप में आप कौन-सा कदम उठाएंगे?

9.2. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और क्रिएटिविटी (AI and Creativity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक **म्यूजिक कंपोजर ने मृत गायकों की आवाज़ को पुनः उत्पन्न करने** के लिए **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सॉफ़्टवेयर का उपयोग** किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) के 2020 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि **AI के कारण 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां खत्म** हो जाएंगी जबकि इससे **97 मिलियन नई नौकरियां पैदा** होंगी।
- **कला के क्षेत्र में AI के उद्भव ने जटिल चुनौतियां** पैदा कर दी हैं, उदाहरण के लिए- मृत हस्तियों को डिजिटल रूप से पुनर्जीवित करना।
- जैसे-जैसे AI विभिन्न कलात्मक प्रक्रियाओं में एकीकृत होता जा रहा है, इसके उपयोग को नियंत्रित करने वाली **नैतिक और कानूनी सीमाओं के संबंध में प्रश्न** उठने लगे हैं।

रचनात्मक कृतियों में AI से जुड़े सकारात्मक पहलू

- **बेहतर उत्पादकता:** AI टूल्स **क्रिएटिव वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित** करते हैं। वे दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करते हैं और कलात्मक विचारों के सृजन में कलाकारों की सहायता करते हैं। अंततः वे **उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि** करते हैं।
- **नवीन तरीका:** यह कलाकारों को **नए क्रिएटिव विकल्प तलाशने, विभिन्न शैलियों और तकनीकों के साथ प्रयोग करने और पारंपरिक कलात्मक प्रथाओं की सीमाओं का विस्तार करने** में सक्षम बनाता है।
- **सहयोगात्मक क्षमता:** यह **क्रिएटर्स और इंटेलीजेंट प्रणालियों के बीच सहयोग को सुगम** बनाता है, अंतःविषयक साझेदारी को बढ़ावा देता है और क्रिएटिव अभिव्यक्ति के नए रूपों को प्रेरित करता है।
- **गुणवत्ता में सुधार:** वे **कलात्मक परिणाम की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार** करते हैं, **ध्वनि की गुणवत्ता, दृश्य प्रभाव और कथात्मक अनुकूलता** जैसे पहलुओं को और बेहतर करते हैं।
- **पहुंच:** यह विभिन्न कौशल स्तरों, पृष्ठभूमि और क्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए **क्रिएटिव प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ** बनाता है, कला क्षेत्र में भागीदारी को लोकतांत्रिक बनाता है और **अभिव्यक्ति के अवसरों का विस्तार** करता है।

रचनात्मक क्षेत्र में AI से जुड़े नैतिक मुद्दे

- **कलात्मक पवित्रता के लिए सम्मान:** जब **मानव-निर्मित** और **AI-जनित कृतियों** के बीच **अंतर करना मुश्किल** हो, तब AI-जनित कृतियां **कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता और पवित्रता को संरक्षित करने के बारे में चिंताएं** बढ़ा सकती हैं।

- **सहमति और स्वामित्व:** AI-संचालित परियोजनाओं में शामिल **कलाकारों, क्रिएटर्स और प्रतिभागियों के अधिकारों के संबंध में प्रश्न** उठते हैं। इनमें **बौद्धिक संपदा, स्वामित्व और व्यक्तिगत डेटा या क्रिएटिव योगदान का उपयोग करने के लिए सहमति** से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
- **संरक्षण बनाम दोहन:** यदि AI **मृत हस्तियों की आवाज़ों या कलात्मक शैलियों को पुनर्जीवित** कर सकता है, तो इस पर नैतिक प्रश्न उठता है कि **क्या ऐसे प्रयासों का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है या व्यावसायिक लाभ के लिए व्यक्तियों की पहचान और विरासत का दोहन** करना है।
- **क्रिएटिविटी और नवाचार पर प्रभाव:** क्रिएटिव इंडस्ट्री में **AI को व्यापक रूप से अपनाने से ह्यूमन क्रिएटिविटी और नवाचार पर प्रभाव** पड़ सकता है। इससे संभावित रूप से **होमोजेनाइजेशन, विविधता की हानि, या फॉर्मूला आधारित दृष्टिकोण पर निर्भरता** हो सकती है।
- **नियामक निगरानी:** नियामक प्रावधानों की कमी के कारण निजता की सुरक्षा, भेदभाव को रोकने तथा विकसित प्रौद्योगिकियों के मामले में नियमों के पालन, प्रवर्तन और अनुकूलन में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

- AI-संचालित क्रिएटिव प्रॉसेस में **पारदर्शिता और प्रकटीकरण** सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें **AI-जनित कंटेंट का स्पष्ट श्रेय देना और सभी शामिल पक्षों से सूचित सहमति** प्राप्त करना शामिल है।
- कलात्मक अभिव्यक्ति की **प्रामाणिकता और अखंडता को बनाए रखना,** क्रिएटर्स के योगदान को स्वीकार करना और **अपनी कृतियों के नियंत्रण एवं उचित रूप से श्रेय दिए जाने के उनके अधिकारों का सम्मान** करना चाहिए।
- **सहमति, स्वामित्व, निष्पक्षता और जवाबदेही** जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए **क्रिएटिव प्रॉसेस में AI के नैतिक उपयोग के लिए नैतिक दिशा-निर्देश और सर्वोत्तम अभ्यास** विकसित किए जाने चाहिए।
- **नैतिक मानकों का पालन** सुनिश्चित करने और **AI-संचालित क्रिएटिव परियोजनाओं में शामिल व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा** के लिए नियामक निगरानी और शासन प्रणाली का सहयोग करना चाहिए।
- सभी हितधारकों के बीच **AI नैतिकता की समझ बढ़ाने** के लिए **शिक्षा और जागरूकता को बेहतर करना**, क्रिएटिव इंडस्ट्री में नैतिक प्रथाएं लागू करने के लिए सूचित निर्णय प्रक्रिया और सहयोग को सक्षम करना चाहिए।

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana: AAY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **PDS**[147] **के माध्यम से AAY परिवारों को दी जा रही चीनी पर सब्सिडी को दो और वर्षों** यानी 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी।

अंत्योदय अन्न योजना के बारे में

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं

• **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना** और हंगर फ्री भारत का निर्माण करना।
• AAY परिवारों की दैनिक जरूरतों के लिए सब्सिडी वाले दरों पर भोजन और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति प्रदान करना।
    ○ भारत में AAY के तहत **"निर्धनों में भी सबसे निर्धन" परिवार** शामिल हैं।
	• **मंत्रालय:** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
	• **शुरुआत: वर्ष 2000**
	• **लाभार्थी:** AAY राशन कार्ड धारक
	    ○ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश AAY के तहत परिवारों की पहचान करते हैं और पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करते हैं।
	• **स्वैच्छिक लाभ:** AAY परिवारों को प्राप्त होता है-
	    ○ **1 जनवरी, 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए** प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत **प्रति परिवार प्रति माह 35 कि.ग्रा. निःशुल्क खाद्यान्न।**
	        ▪ PMGKAY में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) को भी शामिल कर लिया गया है। PMGKAY को कोविड-19 महामारी के समय शुरू किया गया था।
	    ○ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)[148] के जरिए **प्रति परिवार प्रति माह 1 कि.ग्रा. चीनी** प्रदान की जाती है।
	• **पात्रता मानदंड:** इसे शुरुआत में एक करोड़ सबसे गरीब परिवारों के लिए शुरू किया गया था। हालांकि, इसके बाद योजना में तीन बार विस्तार कर निम्नलिखित को इसमें शामिल किया गया है-
	    ○ **भूमिहीन कृषि श्रमिक,** सीमांत किसान
	    ○ **ग्रामीण कारीगर/ शिल्पकार,** जैसे- कुम्हार, चर्मकार, बुनकर, आदि
	    ○ **झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग**
	    ○ **अनौपचारिक क्षेत्रक में दैनिक आधार पर जीविका कमाने वाले व्यक्ति,** जैसे- पल्लेदार, कुली, रिक्शा चालक आदि।
	    ○ ऐसे परिवार जहां **घर की मुखिया विधवा है या असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति/ विकलांग व्यक्ति/ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति है** जिसके पास निर्वाह या सामाजिक सहायता का कोई निश्चित साधन नहीं है।
	    ○ सभी आदिम **जनजातीय परिवार**
	    ○ HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हैं
	• **केंद्र और राज्य की जिम्मेदारी:**

147 Public Distribution System/ सार्वजनिक वितरण प्रणाली

148 Targeted Public Distribution System

	○ **खाद्यान्न वितरण के लिए:** केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से राज्य सरकारों हेतु खाद्यान्न की **खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन** के लिए जिम्मेदार है। ▪ राज्य के भीतर आवंटन, पात्र परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करने सहित अन्य कार्यों के **संचालन की जिम्मेदारी** राज्य सरकारों की है। ▪ निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अतिरिक्त लागत केंद्र सरकार वहन करती है। ○ **चीनी सब्सिडी के लिए:** केंद्र सरकार शामिल राज्यों के AAY परिवारों को चीनी पर प्रति माह 18.50 रुपये/ प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी देती है। ▪ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश वितरण लागत वहन करते हैं। इसमें डीलरों और खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन के साथ-साथ परिवहन लागत भी शामिल है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

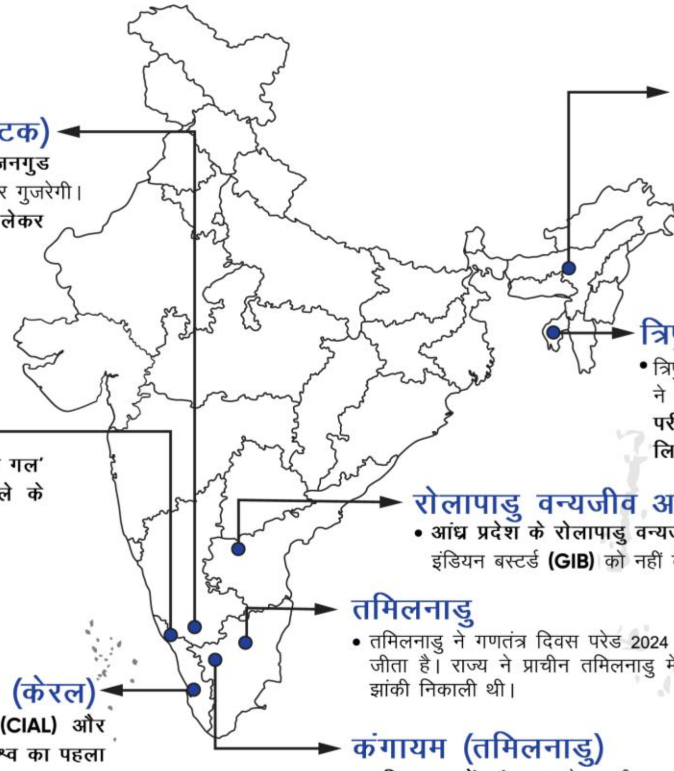

बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान (कर्नाटक)

- एक नई प्रस्तावित रेलवे लाइन **(नीलांबुर–नंजनगुड रेलवे लाइन)** बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी। लोग **संभावित पारिस्थितिकीय प्रभावों को लेकर इस परियोजना का विरोध** कर रहे हैं।

काजीरंगा (असम)

- 75 वर्षों के अंतराल के बाद ग्रेटर **काजीरंगा (असम) में भारतीय घड़ियाल** देखा गया।

त्रिपुरा

- त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन **(TBSE)** ने **त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा माध्यम में परीक्षा देने के लिए रोमन और बंगाली लिपियों के इस्तेमाल** की अनुमति दी है।

कासरगोड (केरल)

- **उत्तरी अमेरिका** के एक **प्रवासी पक्षी 'लाफिंग गल' को पहली बार केरल के कासरगोड जिले के चित्तारी मुहाने** में देखा गया है।

रोलापाडु वन्यजीव अभयारण्य (आंध्र प्रदेश)

- **आंध्र प्रदेश के रोलापाडु वन्यजीव अभयारण्य** में पिछले कई वर्षों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड **(GIB)** को नहीं देखा गया है।

तमिलनाडु

- तमिलनाडु ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए **तीसरा सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार** जीता है। राज्य ने प्राचीन तमिलनाडु में प्रचलित कुदावोलाई प्रणाली पर आधारित झांकी निकाली थी।

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (केरल)

- **कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) और BPCL कोचीन हवाई अड्डे के परिसर में विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र** स्थापित कर रहे हैं।

कंगायम (तमिलनाडु)

- **तमिलनाडु में कंगायम** के नजदीक **11वीं सदी के ग्रंथम अभिलेख और 16वीं सदी के तमिल अभिलेखों** की खोज की गई है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

फ्रांस

फ्रांस के प्रसिद्ध एफिल टॉवर से **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)** लॉन्च किया गया।

आइसलैंड

हाल ही में, आइसलैंड में एक **ज्वालामुखी में उद्गार** हुआ है।

ग्रीस

ग्रीस के प्रधान मंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आए।

ईरान

ईरान ने भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिन की वीज़ा–मुक्त यात्रा की घोषणा की है।

कतर

भारत और कतर ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस **(LNG)** आपूर्ति सौदे को 2028 से आगे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया।

थाईलैंड

भगवान बुद्ध और उनके दो शिष्यों अर्हत सारिपुत्र और अर्हत मौद्गल्यायन के पवित्र अवशेष थाईलैंड में प्रदर्शित किए जाएंगे।

सूरीनाम

रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के एक **संसदीय प्रतिनिधिमंडल** ने भारत के राष्ट्रपति से भेंट की।

कैमरून

मध्य अफ्रीकी देश **कैमरून** ने नागोया प्रोटोकॉल अपनाया है। यह प्रोटोकॉल **आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित व न्यायसंगत तरीके से साझाकरण पर केंद्रित है।**

रवांडा

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, रवांडा की सेना **पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में सतह–से–हवा में मार करने वाली मिसाइलों सहित आधुनिक हथियारों का उपयोग** कर रही है।

इंडोनेशिया

हाल ही में, भारत और इंडोनेशिया ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की **75वीं वर्षगांठ** मनाई है।

चिली

चिली में इस सदी की सबसे **भयंकर वनाग्नि** की घटना घटित हुई है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

व्यक्तित्व	के बारे में	व्यक्तित्व द्वारा प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 संत रविदास	• प्रधान मंत्री ने **संत रविदास की 647वीं जयंती पर वाराणसी में उनकी प्रतिमा का अनावरण** किया। • **संत रविदास के बारे में:** ▸ वे 15वीं शताब्दी के एक प्रमुख **कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे।** ▸ वे उत्तरी भारत में **"निर्गुण भक्ति" शाखा के प्रमुख संत** थे। ▸ वे **मीरा बाई के आध्यात्मिक गुरु** माने जाते हैं। • **प्रमुख योगदान:** ▸ वे आजीवन **छुआछूत की कुप्रथा का विरोध करते रहे।** ▸ उनके **पद, भक्ति गीत और अन्य रचनाओं** को **5वें सिख गुरु अर्जुन देव** द्वारा संकलित **"गुरु ग्रंथ साहिब"** में समावेश किया गया है। ▸ **बेगमपुरा शहर** को उन्होंने एक ऐसे शहर के रूप में स्थापित किया था, जहां कोई **दुःख न हो और वह शांति और मानवता से भरपूर** हो।	**सामाजिक न्याय** • सामाजिक सोपान के निचले स्तर पर रहने वाले लोगों की गंभीर परिस्थितियों से प्रभावित होकर, उन्होंने आध्यात्मिक और सामाजिक आलोचना के माध्यम से जाति बाधाओं को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
 यू तिरत (तिरोत) सिंह (1802–1835)	• **खासी** समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी **यू तिरत सिंह की प्रतिमा का ढाका (बांग्लादेश) में अनावरण** किया गया। • **यू तिरत सिंह के बारे में:** ▸ उन्हें **यू तिरत सिंह सियेम** के नाम से भी जाना जाता है। वे 19वीं सदी की शुरुआत में सक्रिय खासी नेता थे। ▸ वे **सीयमलाइह कबीले** से संबंधित थे। • **प्रमुख योगदान:** ▸ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और खासी पहाड़ियों पर नियंत्रण स्थापित करने के अंग्रेजों के प्रयासों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ▸ **आंग्ल–खासी युद्ध (1829–33)** में, उन्होंने **सैन्य रूप से श्रेष्ठ ब्रिटिश सैनिकों से बचने और उन पर हमला करने के लिए गुरिल्ला युद्ध–नीति** का इस्तेमाल किया था। • हालांकि, **जनवरी 1833 में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और ढाका निर्वासित** कर दिया।	**देश प्रेम** • उन्होंने बड़े साहस और प्रतिबद्धता के साथ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का उपयोग करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपनी अनोखी रणनीति से वह शत्रुओं को हानि पहुंचाने में सफल रहे।
 वासुदेव बलवंत फड़के (1845-1883)	• केंद्रीय गृह मंत्री ने **स्वतंत्रता सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के** को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। • **प्रमुख योगदान:** ▸ उन्हें आधुनिक भारत का **प्रथम क्रांतिकारी** माना जाता है। उन्हें **"भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष का जनक"** माना जाता है। ▸ ऐसा कहा जाता है कि फड़के जी के देशभक्ति संबंधी कई कार्यों को **बंकिमचंद्र की 'आनंदमठ'** रचना में शामिल किया गया है। ▸ भीषण अकाल के दौरान, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ **असंतोष फैलाने और स्वराज का समर्थन** करने के लिए दक्कन क्षेत्र का दौरा किया था। ▪ फड़के जी ने ब्रिटिश केंद्रों पर हमला करने के लिए **भील, कोली, रामोशी और धनगर समुदायों के 300 लोगों का एक दल** गठित किया था। ▸ उन्होंने **'ऐक्यवर्धिनी सभा' तथा पुणे में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रथम स्कूल** स्थापित किया था।	**लचीलापन और समावेशिता** • बड़ी चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद, स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। • एक साझे उद्देश्य के लिए विविध समूहों को संगठित करने और एकजुट करने का उनका प्रयास सामाजिक और जातिगत बाधाओं को पार करते हुए समावेशिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 राजकुमारी अमृत कौर (1889–1964)	• **राजकुमारी अमृत कौर** को उनकी पुण्यतिथि पर देश ने उन्हें याद किया। • उन्होंने भारत की आजादी से पहले और बाद में देश सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। • **मुख्य योगदानः** ▹ उन्होंने **'नमक सत्याग्रह' और 'भारत छोड़ो आंदोलन'** में भाग लिया। ▹ उन्होंने **दासता, पर्दा–प्रथा, बाल विवाह और देवदासी** जैसी कई कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ▹ उन्होंने **संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य** के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ▹ वे स्वतंत्र भारत की **प्रथम स्वास्थ्य मंत्री** भी रही थीं। ▹ उन्होंने दिल्ली में **एम्स (AIMS) अस्पताल की आधारशिला** रखी थी। ▹ **प्रमुख साहित्यिक कृतियां:** वुमन इन इंडिया, चैलेंज टू वुमन, टू वुमन (To women) आदि।	**दृढ़ता और समाज कल्याण** • उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह जैसे सामाजिक अन्याय के खिलाफ प्रयास किए। • सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए उनके अथक प्रयास स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
 फील्ड मार्शल कोडंडेरा मडप्पा करिअप्पा या के.एम. करिअप्पा (28 जनवरी 1899–15 मई 1993)	• फील्ड मार्शल के.एम.करिअप्पा की **125वीं जयंती** मनाई गई। • **के.एम.करिअप्पा के बारे में–** ▹ **योगदानः** ▫ **उन्होंने 1949–1953 तक भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर–इन–चीफ** के रूप में कार्य किया था। ▫ **उन्होंने निम्नलिखित कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी:** ◇ **सैनिकों के एकीकरण** और ब्रिटिश साम्राज्य की सेना को भारत की राष्ट्रीय सेना में बदलने में। ◇ अखिल भारतीय जातीय संरचना के आधार पर **ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स और पैराशूट रेजिमेंट** की स्थापना में। ▹ **पुरस्कार:** ▫ 1949 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा **"ऑर्डर ऑफ द चीफ कमांडर ऑफ द लीजन मेरिट"** प्रदान किया गया था। ▫ द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी भूमिका के लिए उन्हें **"ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर"** पुरस्कार दिया गया था।	**नेतृत्व और ईमानदारी** • इंडियन आर्मी को एक औपनिवेशिक शक्ति से एक राष्ट्रीय संस्था में बदलने में उनका अनुकरणीय नेतृत्व दूसरों को एक साझे लक्ष्य के प्रति प्रेरित करने के उनके दृष्टिकोण और क्षमता को उजागर करता है। • उन्होंने समानता और निष्पक्षता के प्रति अपने समर्पण को दर्शाते हुए योग्यता के आधार पर एक राष्ट्रीय सेना गठित करने की प्रतिबद्धता दर्शाई।
 कल्पना चावला (1962–2003)	• देश ने **कल्पना चावला को उनकी पुण्यतिथि पर याद** किया। • वह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थीं। वह **अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थीं।** • **एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में कल्पना चावला का जीवनः** ▹ वे **STS-87 (1997)** और **STS-107 (2003) अंतरिक्ष** यान से अंतरिक्ष में गई थीं। उन्होंने अंतरिक्ष में **30 दिन, 14 घंटे और 54 मिनट** बिताए थे। ▹ 2003 में वायुमंडल में वापस प्रवेश करते समय **स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त** हो गया था। इस दुर्घटना में कल्पना चावला सहित उसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। • **सम्मान और पुरस्कारः** ▹ इसरो ने **मौसम विज्ञान** के लिए अपने पहले उपग्रह का नाम **कल्पना** रखा था। ▹ **तमिलनाडु** सरकार ने **कल्पना चावला पुरस्कार** शुरू किया हुआ है। यह पुरस्कार महिलाओं को बहादुरी के कार्य करने के लिए दिया जाता है। ▹ चन्द्रमा के **एक क्रेटर का नाम "चावला"** रखा गया है।	**विज्ञान के प्रति रुचि और साहस** • नासा में शिक्षा और कार्य के प्रति उनका समर्पण, जहां उन्होंने फ्लूड डायनामिक्स में विशेषज्ञता हासिल की और अंतरिक्ष में कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। यह विज्ञान के प्रति उनकी गहन रुचि को दर्शाता है। • उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष अन्वेषण में अपने सपनों को साकार करने के लिए सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना किया।

वीकली फोकस

प्रत्येक सप्ताह एक मुद्दे का समग्र कवरेज

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
विदेशों में भारतीय प्रवासी	भारतीय प्रवासी सांस्कृतिक विरासत, प्रवासन और वैश्विक एकीकरण की समृद्ध छवि के स्पष्ट प्रमाण हैं। यह डॉक्यूमेंट प्रवासी आबादी के विस्तार के पीछे की प्रेरक शक्तियों और इसके गहन महत्त्व को रेखांकित करता है। यह आगे आने वाली चुनौतियों और इस वैश्विक समुदाय को शामिल करने और उनका समर्थन करने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किए गए रणनीतिक उपायों की जांच करता है।	
भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्थाः कल्पनाओं से नवाचार तक	भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी परंपरा और नवाचार का एक जीवंत मिश्रण है। यह देश की गतिशील क्षमता और भविष्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक है। यहाँ की संस्कृति और रचनात्मकता आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देती है। इस डॉक्यूमेंट में भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है और इसके विकास को अवरुद्ध करने वाली प्रमुख बाधाओं के समाधान हेतु सुझाव भी दिए गए हैं।	
भारत में पारिवारिक संरचना का बदलता स्वरूप	भारत की सांस्कृतिक विविधता के केलिडोस्कोप के बीच, परिवार प्रणाली एक आधारशिला के रूप में मौजूद है, जो परंपरा, आधुनिकता और विकसित होते सामाजिक मूल्यों की जटिल परस्पर क्रिया का प्रतीक है। यह विस्तृत डॉक्यूमेंट भारतीय पारिवारिक संरचनाओं की विविधता और उनमें आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। यह भारत में पारिवारिक संरचनाओं में भविष्य के संभावित बदलावों को समझने के लिए एक विकल्प तैयार करता है।	
जलवायु परिवर्तन वार्ताएं (CCNs): रियो (1992) से दुबई (2023) तक	ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर चुनौती और हमारे ग्रह पर इसके प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन वार्ता को अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है। यह डॉक्यूमेंट CCNs की शुरुआत से लेकर पेरिस समझौते के बाद की गई महत्वपूर्ण प्रगति तक की यात्रा का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। यह हाल में जारी बहसों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है जो वर्तमान वार्ता को आकार देते हैं।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC TOPPERS PREPARATION APPROACH & STRATEGIES

Insights from Toppers' Talk and Answer Scripts

Ishita Kishore

Rank 1, 2022

Ishita Kishore, the UPSC topper of 2022, serves as a remarkable inspiration for her unwavering determination and relentless efforts making her as a beacon of motivation for aspiring candidates. Through her methodical preparation approach, she emerged triumphant in the esteemed Civil Services Examination securing top rank. Ishita extensively relied on VisionIAS Mains test series to refine her answer writing abilities. To gain further insights into Ishita's answer writing approaches, kindly scan the QR code provided.

TOPPER'S COPIES

+91 8468022022, +91 9019066066

/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

UPSC CSE TOPPERS

Waseem Ahmad Bhat

7 RANK 2022

Waseem Ahmad Bhat, an exceptional achiever who secured an All India Rank 7 in his third attempt in the UPSC Civil Services Examination 2022. He also achieved All India Rank 225 in his first attempt in 2020 and currently, he is training as an Assistant Commissioner Income Tax.

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

Waseem was a student of the **VisionIAS Foundation Course**, Batch in 2019.

Hailing from Doru Shahabad, Anantnag, Jammu & Kashmir, he completed his schooling in Anantnag and holds a degree in Civil Engineering from NIT Srinagar.

Waseem opted for **Anthropology** as his optional subject. His topper's talk covers vital topics such as preparing for the **changing pattern of Prelims**, essay writing and strategy, writing **quote-based essays,** utilizing topper's answer scripts for preparation, and **effective revision strategies.**

Aniruddh Yadav

8 RANK 2022

Aniruddh Yadav, a remarkable achiever who secured an All India Rank 8 in his fourth attempt in the UPSC Civil Services Examination of 2022.

Aniruddh opted for **Anthropology** as his optional subject. He completed his dual degree course in Biochemical Engineering & Biotechnology from IIT Delhi.

His topper's talk covers crucial aspects such as **creating a schedule** and **subject-wise timetable,** honing answer writing skills through topic-based **practice, mastering the structure** and format of answers (Introduction, Body, Conclusion), **managing time effectively** during answer writing practice, and preparing **topic-wise notes** with the help of syllabus analysis and previous year questions.

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

कृतिका मिश्रा

66 RANK 2022

कृतिका मिश्रा **2022 की यूपीएससी (UPSC) हिंदी मीडियम टॉपर रही हैं,** इन्होने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में अपने **दूसरे प्रयास** में अखिल भारतीय रैंक (AIR) 66 हासिल किया है। इन्होने अपने पहले प्रयास में इंटरव्यू दिया था लेकिन अंतिम रूप से सफलता नहीं मिली थी।

कानपुर की रहने वाली कृतिका ने **मानविकी विषयों में स्नातक** और **हिंदी साहित्य में परास्नातक** किया है। कृतिका अपनी तैयारी के दौरान **VisionIAS के ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, लक्ष्य कार्यक्रम** और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम से जुड़ी रहीं है, जो इनकी प्रभावी तैयारी और सफलता प्राप्त करने में सहायक रहे हैं।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

उनके **टॉपर टॉक्स (Topper's Talk)** में परीक्षा की प्रभावी तैयारी के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गयी है जैसे **हिंदी माध्यम के समक्ष चुनौतियाँ,** प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति, **CSAT** की रणनीति, नोट्स बनाने से संबंधित कला और प्रभावी **उत्तरलेखन की रणनीतियां** इत्यादि। कृतिका मिश्रा ने **उत्तर लेखन और प्रस्तुतिकरण** में निपुणता, तथ्यों एवं उदाहरणों का उपयोग करने की असाधारण विशेषज्ञता के आधार पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों में अच्छे अंक हासिल किये हैं। कृतिका मिश्रा की **उपलब्धियां** देश भर के महत्वाकांक्षी **अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणादायी** हैं। कृतिका के **Topper's Talk** एवं उत्तर लेखन दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कीजिये।

भरत जयप्रकाश मीणा

85 RANK 2022

सिविल सेवा परीक्षा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले **भरत जयप्रकाश मीणा** ने 2022 की यूपीएससी (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा में अपने **तीसरे प्रयास** में अखिल भारतीय रैंक (AIR) **85** हासिल की है। पहली बार उन्होंने **624वीं रैंक** हासिल की थी और उनका **आईआरएस (IRS)** में चयन हुआ था।

गंगापुर सिटी के पास सलावद गांव निवासी भरत जयप्रकाश सिंह मीणा ने सीकर से 12वीं पास की है। इसके बाद धनबाद आईआईटी (IIT) से **मैकेनिकल इंजीनियरिंग** की है ।

टॉपर टॉक्स (Topper's Talk) के माध्यम से भरत जयप्रकाश मीणा ने पाठ्यक्रम का महत्त्व, **Prelims Exam** की रणनीति के साथ–साथ स्टडी मटेरियल, **Current Affairs** के लिए योजना–कुरुक्षेत्र आदि मैगजीन का उपयोग तथा **निबंध में अच्छे अंक** कैसे हासिल किया जा सकता है आदि संदर्भों में सविस्तार चर्चा की है। **उत्तर लेखन में भूमिका एवं निष्कर्ष को प्रभावी बनाना**, तथ्यों एवं उदाहरणों का उपयोग करने के साथ–साथ मैप, डायग्राम आदि का सटीक प्रयोग करने की कला ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। भरत जयप्रकाश के **Topper's Talk** एवं उत्तर लेखन दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया दिए गए क्यूआर कोड (**QR Code**) को स्कैन कीजिये ।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

UPSC CSE TOPPERS

Gamini Singla

3 RANK 2021

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

Gamini Singla, hailing from Punjab, completed her graduation in Computer Science Engineering from Punjab Engineering College Chandigarh. Thereafter, she honed her skills through a five-month internship as a finance analyst at JP Morgan.

She secured a remarkable All India Rank of 3 in the UPSC CSE 2021 in her second attempt with **Sociology** as her optional subject.

With her strategic **approach to GS Paper IV (Ethics) and Essay,** Gamini demonstrated her ability to **critically analyze ethical issues** and effectively express her thoughts in a coherent manner.

Her expertise in answer writing provided her with a competitive edge, allowing her to convey her knowledge and insights concisely.

Aishwarya Verma

4 RANK 2021

Aishwarya Verma hails from Madhya Pradesh. After graduating in Electrical Engineering, he opted for Civil Services as a career of choice.

He chose **Geography** as his optional subject and achieved an All-India Rank 4 in UPSC CSE 2021 in his fourth attempt.

Apart from the hard work, determination and resilience shown by Aishwarya, his success can also be attributed to his **short and enriched self-made notes, advanced answer writing skills**, and smart preparation strategy, including S&T.

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

अंकित कुमार जैन

173 RANK 2022

राजस्थान के बूंदी जिले के छोटे से गांव जरखोदा के **अंकित कुमार जैन** ने UPSC परीक्षा 2022 में **173वां (AIR 173)** स्थान प्राप्त किया है । यह उनका तीसरा प्रयास था। **सामान्य परिवार** से आने वाले अंकित की यह उपलब्धि उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़संकल्प का परिणाम है। अंकित कुमार जैन ने **Chemical Engineering में स्नातक** किया है। UPSC में उनका वैकल्पिक विषय (Optional Subject) हिंदी साहित्य रहा है। उन्होंने **टॉपर टॉक्स** (Topper's Talk) के माध्यम से Prelims Exam और Mains Exam की रणनीति के साथ–साथ Revision के महत्त्व तथा हिंदी साहित्य विषय की तैयारी के विभिन्न आयामों पर चर्चा की है। **उत्तर लेखन प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता**, तथ्यों एवं उदाहरणों का सटीक उपयोग करने के साथ साथ फ्लोचार्ट, डायग्राम आदि के प्रभावी प्रयोग ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी हैं। अंकित कुमार उन सभी युवाओं के लिए **प्रेरणास्रोत** हैं जो निर्भीक होकर **चुनौतियों और बाधाओं** को दूर कर अपने परिश्रम और मेहनत से स्वयं के लिए मुकाम बनाना चाहते हैं। **अंकित कुमार** के Topper's Talk एवं **उत्तर लेखन दृष्टिकोण** के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कीजिये ।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

गौरव कुमार त्रिपाठी

226 RANK 2022

गौरव कुमार त्रिपाठी ने UPSC की सिविल सेवा परीक्षा **2022 में 226 वाँ रैंक** प्राप्त किया है। इन्होंने IIT रुड़की से वर्ष 2018 में B-Tech करने के साथ ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की।

गौरव कुमार त्रिपाठी पहले वर्ष **2020 में PCS में भी चयनित** हुए थे किन्तु उच्चतर सफलता हेतु इन्होने चै पद पर जॉइन नहीं किया । इन्होने तैयारी की शुरुआत में भूगोल को अपना वैकल्पिक विषय बनाया था किन्तु बाद में **हिन्दी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में** अपनाया। अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए इन्होने अपनी रणनीति में **टेस्ट सीरीज** के माध्यम से अभ्यास, टेस्ट सीरीज के **मॉडल उत्तरों से नोट्स बनाना,** स्वयं द्वारा बनाए गए **नोट्स को बार बार दोहराना** तथा **PYQs का निरंतर अभ्यास** करने आदि पक्षों को शामिल किया था। गौरव अपनी तैयारी के दौरान VisionIAS के **लक्ष्य कार्यक्रम, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, अभ्यास, Mains 365, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एथिक्स केस स्टडीज कार्यक्रम** से जुड़े रहे हैं जो इनकी बेहतर तैयारी में सहायक रहे हैं। गौरव कुमार त्रिपाठी के Topper's Talk एवं उत्तर लेखन दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कीजिये ।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

UPSC CSE TOPPERS

Shubham Kumar

1 RANK 2020

Shubham Kumar, hailing from Katihar District in Bihar, completed his graduation in Civil Engineering from IIT Bombay. He achieved the remarkable feat of securing All India Rank 1 in the UPSC examination of 2020 in his third attempt.

His success can be attributed to his **unique approach and meticulous preparation.** Shubham emphasized the importance of **regular mock tests** for prelims and carefully analyzing previous years' UPSC prelims questions.

Shubham was a student of the **VisionIAS Foundation Course.**

He also **utilized topper's copies to enhance his skills in ethics answer writing** and emphasized the **use of diagrams and graphs** in GS papers.

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

Jagrati Awasthi

2 RANK 2020

Jagrati Awasthi, from Bhopal, Madhya Pradesh, completed her graduation in Electrical Engineering from NIT Bhopal. She gained two years of valuable work experience at BHEL.

With **Sociology** as her optional subject, she achieved an outstanding All India Rank of 2 in the UPSC examination of 2020.

She has emphasized the **importance of a well-structured daily routine** and shared a **detailed booklist** and recommended sources. Jagrati stressed the significance of thorough reading and utilizing previous years' questions to grasp the exam's demands.

Along with refined **note-making techniques,** she has provided insights on determining the optimal number of questions to attempt in the prelims and leveraging previous year's question papers for **Ethics case studies'** preparation.

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

बजरंग प्रसाद

454 RANK 2022

बजरंग प्रसाद टपेपवद IAS के फाउंडेशन कार्यक्रम के छात्र रहे हैं। बजरंग प्रसाद ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा, **2022 में 454 रैंक** प्राप्त की है । इन्होने वर्ष 2019 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया, इसके बाद इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का निर्णय लिया । ये विषम परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी रहे हैं। अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए इन्होने अपनी रणनीति में दृढ़ विश्वास, कठिन मेहनत, **सीमित अध्ययन स्रोतों के बारम्बार रिविजन पर बल,** क्लास नोट्स का निरंतर रिविजन, **PYQs का अभ्यास** तथा टेस्ट सीरीज के माध्यम से निरंतर अभ्यास इत्यादि को शामिल किया है। बजरंग प्रसाद के **Topper's Talk** एवं उत्तर लेखन दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कीजिये।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

रवि कुमार सिहाग

18 RANK 2021

रवि ने 2015 के बाद UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का निर्णय लिया और **प्रथम प्रयास वर्ष** (2018) में ही **337वीं रैंक** प्राप्त किया, अपने **द्वितीय प्रयास (2019) में 317वीं रैंक** पर चयनित हुए । IAS प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और अंततः सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 18वीं रैंक प्राप्त किया। इन्होंने अपनी रणनीति में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना, अपने **कमजोर पक्षों पर कार्य करना, प्रतिदिन उत्तर लेखन करना,** सामान्य अध्ययन और एथिक्स पेपर में **नवाचार की विधियां अपनाना** जैसे रेखाचित्र, आँकड़े आदि का प्रयोग तथा NCERT का प्रभावी उपयोग आदि को शामिल किया है । रवि, **VisionIAS के टेस्ट सीरीज कार्यक्रम** में भी शामिल थे। रवि कुमार के **Topper's Talk** एवं उत्तर लेखन दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कीजिये ।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
अपनी तैयारी से जुड़े रहिए
सोशल मीडिया पर फॉलो करें
http://bit.ly/3ueP7T7
VisionIASHindi
/VisionIAS_UPSC
vision_ias_hindi
/Vision_IAS
/visionias.upsc
www.visionias.in

▶ लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स

2025 प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
10 अप्रैल | 9 AM	12–14 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए **QR कोड** को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए **QR** कोड को स्कैन कीजिए

डेली **MCQs** और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल **टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए**

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi | /vision_ias | /visionias_upsc | /VisionIAS_UPSC

Heartiest

Congratulations

to all Successful Candidates

39 in Top 50 Selections in CSE 2022

1 AIR

ISHITA KISHORE

2 AIR

GARIMA LOHIA

3 AIR

UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

हिंदी माध्यम टॉपर

66 AIR

KRITIKA MISHRA

85 AIR

BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR

DIVYA

120 AIR

GAGAN SINGH MEENA

173 AIR

ANKIT KUMAR JAIN

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

66 AIR KRITIKA MISHRA — TOPPERS' TALK | TOPPER'S COPIES

226 AIR GAURAV KUMAR TRIPATHI — TOPPERS' TALK | TOPPER'S COPIES

18 AIR RAVI KUMAR SIHAG

13 AIR NISHANT JAIN — REPARATION STRATEGY AVAILABLE AT HINDI YOUTUBE CHANNEL

प्रीलिम्स 2024 Quick Revision Class

UPSC 2025 के लिए व्यापक रणनीति

बजट (2024–2025)

Prelims 2024 रणनीति PYQs

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

enquiry@visionias.in | /c/VisionIASdelhi | /visionias.upsc | /vision _ias | VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची